खण्ड-472, अंक-7
बुधवार, 14 माघ, शक संवत् 1931
(3 फरवरी, 2010 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2010)

खण्ड 472 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2010

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य...	1-7
नियम-311 की सूचना को उठाने का प्रयास	9
प्रश्नोत्तर	9-108
श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री मदन चौहान, श्री सर्वेश कुमार सिंह तथा श्री संदीप अग्रवाल को समाजवादी पार्टी से निलंबित किये जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न	108-110
दिनांक 28 जनवरी, 2010 को स्वास्थ्य खराब होने पर सदन के सहयोग और व्यवस्था पर श्री पूरन प्रकाश द्वारा आभार प्रदर्शन	110
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	110-111
उ0 प्र0 की दोसर अग्रहरि, बरनवाल आदि वैश्य जातियों को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुति के अनुसार पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	111-112
फैजाबाद नगर की जल निकासी की समस्या के निदान हेतु नाले का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	112
इलाहाबाद में पंगु पड़ी जनपद राइफल क्लब एसोसियेशन का पुनर्गठन कराकर नियमित प्रैक्टिस कराने की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	113
लखनऊ के मोहल्ला खत्री टोला में विद्युत आपूर्ति बाधित होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	113
जनपद महामायानगर के सादाबाद क्षेत्र में नहर सेवा मार्गों को पक्का कराने हेतु अवशेष धनराशि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	114
जनपद बागपत के छपरौली मलकापुर सम्पर्क मार्ग सहित अन्य 15 मार्गों का लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	114-115
जनपद एटा के खराब ट्रांसफारमरों को तत्काल बदले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	115
जनपद रामपुर के विडुआनगला के 33 के0 वी0 ए0 विद्युत उपकेन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	115-116
जनपद मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में नेशनल हाईवे से जुड़े सम्पर्क मार्गों व क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	116

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड मेहनगर में नगर पंचायत भवन का नव निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	116-117
बुन्देलखण्ड के कृषकों से कृषि भूमि ऋण एवं विद्युत बिल आदि की वसूली रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	117
जनप्रद बांदा की तहसील बांदा के ग्राम साड़ीवांगर में चकबन्दी अधिकारियों एवं भू-माफियाओं की सांठगांठ से गांवसभा की भूमि का फर्जी बैनामा कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	117
जनपद बांदा में क्षेत्र विकास निधि पर लगी रोक हटाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	118
प्रदेश में आपातकाल में राजनैतिक बन्दी लोकतंत्र सेनानियों का अवशेष पेंशन की धनराशि दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	118
जनपद बुलन्दशहर के मृतक श्री नानक चन्द्र के परिवार को मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से अनुदान दिए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	118-119
बुलन्दशहर में नदी के सेतु पर टूटे चौधरी चरण सिंह के शिलापट को ठीक कराने विषयक नियम-301 की अस्वीकृत सूचना पर ध्यानाकर्षण... ...	119-120
ईयर फोन खराब होने के सम्बन्ध में पीठ का ध्यानाकर्षण	120
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	120-121
यू0 पी0 भवन, नई दिल्ली में विधायकों को ठहरने हेतु आवासीय सुविधा न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	121-122
जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर में दो मार्गों पर क्षेत्रीय विधायक का शिलापट हटाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	122-123
संविधान के अनुच्छेद-164 (2) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के अधिकारों में कटौती किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	123-125
श्री जोखूलाल यादव द्वारा अपनी नियम-300 की सूचना को सुने जाने की मांग ...	125-1261
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति का चालीसवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	126
पीठ के निर्देश के बावजूद श्री जोखूलाल यादव द्वारा सदन से बाहर न जाने विषयक प्रकरण	126-129
उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2009-2010) का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	129
विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	129-133

विषय	पृष्ठ-संख्या
नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	133-158
बुन्देलखण्ड विकास निधि 2008-2009 के जिलांश एवं राज्यांश के बजट के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	158
नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	158-166
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 (पारित)...	167-181
उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 (पारित) ...	181-189
उत्तर प्रदेश राज्य के बुन्देलखण्ड क्षेत्र (जनपद झांसी, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, महोबा एवं चित्रमूट) को उत्तर प्रदेश राज्य से अलग करके पृथक राज्य का गठन किये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद चतुर्वेदी तथा श्री विवेक कुमार सिंह द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 5 नवम्बर, 2007 को सदन में प्रस्तुत प्रस्ताव पर जारी चर्चा का स्थगन ...	189
प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक सामान्य नीति बनाने तथा उसे बिना किसी भेदभाव के प्रदेश के सभी नागरिकों पर सामान्य रूप से कड़ाई से लागू किये जाने के सम्बन्ध में चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी द्वारा दिनांक 6 नवम्बर, 2007 के नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर जारी चर्चा का स्थगन	189
प्रदेश में नील गायों द्वारा फसलों को नष्ट किये जाने से होने वाली क्षति की रोकथाम हेतु प्रभावी नीति/कानून बनाने विषयक श्री जोखू लाल यादव द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2009 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर चर्चा	190-193
भारत से मांस के निर्यात पर कृषि क्षेत्र को मिलने वाली सब्सिडी समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा	193-195
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	195-197
जनपद उन्नाव के जिला प्रशासन द्वारा अनुसूचित जाति के बीमार व्यक्ति को अपनी सम्पत्ति शासनादेश के अनुसार विक्रय की अनुमति न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुन्दर लाल लोधी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य	197-198
उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम समूह की कताई मिल झांसी के कर्मचारियों को वेतन, ग्रेचयुटी आदि का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में श्री कैलाश साहू द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	198-200

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद रामपुर की तहसील मिलक में राजकीय डिग्री कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	200-201
उत्तर प्रदेश वेलफेयर फण्ड अधिनियम के अन्तर्गत अधिवक्ता परिपक्वता राशि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में डा0 राधामोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	201-204
जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम जौली में अनूप शहर ब्रांच पर बने ध्वस्त पुल का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अब्दुल वारिस खां द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिचाई मंत्री का वक्तव्य	204
जनपद कुशीनगर स्थित सेवरही में परसौनी रजवाहा में पानी छोड़े जाने के सम्बन्ध में डा0 पी0 के0 राय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिचाई मंत्री का केवल वक्तव्य	204-205
जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र में उपलब्ध कराई गई धनराशि के अन्तर्गत विद्युतीकरण एवं अन्य कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	205-206
गाजियाबाद की गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका द्वारा निर्माणाधीन गैर कानूनी गेट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री मदन चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	206-207
नत्थियां	208-217

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 03 फरवरी, 2010

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-349

1. अंगद यादव, श्री — आजमगढ़
2. अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
3. अकीलुर्रहमान खाँ, श्री — मुरादाबाद
4. अजय तोमर, डा0 — बागपत
5. अजय यादव, श्री — एटा
6. अजय सिंह, श्री — जालौन
7. अनन्त मिश्रा, श्री — फर्रुखाबाद
8. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
9. अनिल कुमार अहिरवार, श्री — महोबा
10. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
11. अनिल कुमार मौर्य, श्री — मिर्जापुर
12. अनिल कुमार सिंह यादव, श्री — एटा
13. अनिल चौधरी, डा0 — हाथरस (महामायानगर)
14. अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री — पीलीभीत
15. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
16. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
17. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
18. अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
19. अब्दुल वारिस खाँ, श्री — मुजफ्फरनगर
20. अब्बास अली जैदी उर्फ रूश्दी मियां, श्री — फैजाबाद
21. अमरमणि त्रिपाठी, श्री — महराजगंज
22. अमरेश कुमार शुक्ल, श्री — बाराबंकी
23. अमेरिका प्रधान, श्री — गाजीपुर
24. अम्बिका सिंह, श्री — गोरखपुर
25. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
26. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
27. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
28. अरशद खान, श्री — पीलीभीत
29. अरुण कुमार यादव, श्री — आजमगढ़
30. अरूणा तोमर, श्रीमती — कानपुर नगर
31. अलाउद्दीन, श्री — बलरामपुर
32. अलीम हाजी, श्री — बुलन्दशहर
33. अवधपाल सिंह यादव, श्री — एटा
34. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
35. अवधेश वर्मा, श्री — शाहजहाँपुर
36. अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री — महराजगंज
37. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
38. अशोक कंसल, श्री — मुजफ्फरनगर
39. अशोक कुमार दोहरे, श्री — औरैया
40. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
41. अशोक कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
42. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
43. अशोक सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
44. आदित्य पाण्डेय, श्री — फतेहपुर
45. आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री — इलाहाबाद
46. आर0ए0 उस्मानी डा0, — लखीमपुर खीरी

47. आर0 के0 चौधरी, श्री लखनऊ
48. आर0 के0 शर्मा, पंडित बरेली
49. आरिफ अनवर हाशमी, श्री गोण्डा
50. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
51. आसिफ, श्री हरदोई
52. इकबाल महसूद, श्री मुरादाबाद
53. इमरान महमूद, श्री सहारनपुर
54. इरफान सोलंकी, श्री कानपुर नगर
55. ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री सिद्धार्थनगर
56. उदयभान करवरिया, श्री इलाहाबाद
57. उदयराज, श्री उन्नाव
58. उदयलाल मौर्य, श्री वाराणसी
59. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
60. ओम प्रकाश सिंह, श्री मिर्जापुर
61. ओमवती देवी, श्रीमती बिजनौर
62. कमलेश चन्द दिबाकर, श्री कानपुर देहात
63. कामेश्वर उपाध्याय, श्री देवरिया
64. कालीचरन राजभर, श्री गाजीपुर
65. काशीराम, श्री रामपुर
66. कुवेर सिंह, श्री एटा
67. कुलदीप सिंह गंगवार, श्री फर्रूखाबाद
68. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
69. कृपा शंकर सिंह, श्री उन्नाव
70. कृष्ण कुमार, श्री बहराइच
71. कृष्णाराज, श्रीमती लखीमपुर खीरी
72. केदारनाथ वर्मा, श्री बलिया
73. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
74. कैलाश साहू, श्री झांसी
75. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
76. कौशल किशोर, डा0 लखीमपुर खीरी
77. कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत बलरामपुर
78. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
79. गिरीश चन्द्र, श्री मुरादाबाद
80. गुटियारी लाल दुबेश, श्री आगरा
81. गुरू प्रसाद मौर्य, श्री इलाहाबाद
82. गुलाम मोहम्मद खान, श्री बहराइच
83. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस (महामायानगर)
84. घूराराम, श्री बलिया
85. चन्द्रदेव, श्री आजमगढ़
86. चन्द्र प्रकाश मिश्र "मटियारी", श्री सुल्तानपुर
87. चन्द्रवीर सिंह, श्री मेरठ
88. चौधरी रवीन्द्र प्रताप, श्री सिद्धार्थनगर
89. छत्रपाल सिंह, श्री बरेली
90. जगदीश नारायण, श्री जौनपुर
91. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
92. जगपाल, श्री सहारनपुर
93. जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री महराजगंज
94. जमीरउल्ला, श्री अलीगढ़
95. जयवीर सिंह, श्री मैनपुरी
96. जयवीर सिंह, ठाकुर अलीगढ़
97. जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह, श्री कुशीनगर
98. जावेद अंसारी एडवोकेट, श्री जौनपुर
99. जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री चन्दौली
100. जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
101. जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री फैजाबाद
102. जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री आगरा
103. जोखू लाल यादव, श्री इलाहाबाद
104. ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0 वाराणसी
105. ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री फर्रूखाबाद

106. त्रिभुवन दत्त, श्री अम्बेडकरनगर
107. दद्दन मिश्रा, श्री श्रावस्ती
108. दयाराम, श्री कौशाम्बी
109. दशरथ प्रसाद चौहान,श्री सन्तकबीरनगर
110. दाउद अहमद, श्री हरदोई
111. दिनेश प्रसाद, श्री चित्रकूट
112. दीनानाथ कुशवाहा, श्री देवरिया
113. दीनानाथ पण्डेय, श्री वाराणसी
114. दीप नारायण दीपक यादव, श्री झांसी
115. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
116. दूधराम, श्री बस्ती
117. धर्मपाल, श्री गाजियाबाद
118. धर्मपाल यादव (डी0पी0 यादव), श्री बदायूं
119. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
120. धर्मराज निषाद, श्री अम्बेडकरनगर
121. धर्मी रावत, श्रीमती बाराबंकी
122. धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री बरेली
123. धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री बलरामपुर
124. धीरेन्द्र प्रसाद, श्री शाहजहांपुर
125. धू राम लोधे (चौधरी), श्री हमीरपुर
126. नकुल दूबे, श्री लखनऊ
127. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री इलाहाबाद
128. नरेन्द्र सिंह, श्री सीतापुर
129. नारायण सिंह, श्री आगरा
130. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
131. निर्मल वर्मा, श्री सीतापुर
132. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहाँपुर
133. पशुपति, श्री गाजीपुर
134. पी0 के0 राय, डा0 कुशीनगर
135. पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री बाँदा
136. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
137. प्रजापालन, श्री एटा
138. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
139. प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री बदायूं
140. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
141. प्रमोद सिंह, श्री देवरिया
142. प्रवीण पटेल, श्री इलाहाबाद
143. प्रेमलता देवी, श्रीमती अलीगढ़
144. फतेह बहादुर, श्री महराजगंज
145. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
146. फसीहा बशीर चौधरी (गजाला लारी),श्रीमती देवरिया
147. फागू, श्री मऊ
148. बलबीर, श्री मुजफ्फरनगर
149. बलराम सिंह सैनी, श्री मुरादाबाद
150. बादशाह सिंह, श्री हमीरपुर
151. बिरजू राम, श्री जौनपुर
152. बृजेश सौरभ, श्री प्रतापगढ़
153. बैजनाथ दूबे, श्री गोण्डा
154. ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री देवरिया
155. भगवत शरण गंगवार, श्री बरेली
156. भगवती प्रसाद सागर, श्री झाँसी
157. भगवान दास, श्री सन्तकबीरनगर
158. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
159. भगेलू राम, श्री सुल्तानपुर
160. भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री इटावा
161. भोला पासवान, श्री आजमगढ़
162. मंजू, श्रीमती बलिया
163. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
164. मदन भैया उर्फ मदन गोपाल, श्री बागपत

165. मधुबाला, श्रीमती संतरविदासनगर (भदोही)
166. मधुसूदन शर्मा, श्री आगरा
167. मनोज चौधरी, श्री सहारनपुर
168. ममतेश शाक्य, श्री एटा
169. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
170. महबूब अली, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
171. महिपाल सिंह, श्री सहारनपुर
172. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
173. महेन्द्र सिंह, श्री अलीगढ़
174. महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री इटावा
175. महेश चन्द्र, श्री औरैया
176. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
177. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर देहात
178. माधव पासवान, श्री गोरखपुर
179. मिथलेश कटियार, श्रीमती कानपुर देहात
180. मिथिलेश पाल, श्रीमती मुजफ्फरनगर
181. मीता गौतम, कु0 बाराबंकी
182. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
183. मुरलीधर, श्री फतेहपुर
184. मुस्लिम खाँ, श्री बदायूँ
185. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
186. मोहम्मद इकबाल, श्री बिजनौर
187. मोहम्मद इरशाद खान, श्री लखनऊ
188. मोहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
189. मोहम्मद जलील खान, श्री गोण्डा
190. मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
191. मोहम्मद ताबिश खां, श्री सन्तकबीरनगर
192. मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
193. यशपाल सिंह, श्री बिजनौर
194. यशपाल सिंह चौहान, श्री अलीगढ़
195. यशवन्त सिंह, डा0 मुजफ्फरनगर
196. यसपाल सिंह रावत, श्री गोरखपुर
197. योगराज सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
198. योगेन्द्र सागर, श्री बदायूँ
199. योगेश वर्मा, श्री मेरठ
200. रघुनाथ प्रसाद संखवार, डा0 कानपुर देहात
201. रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भइया', कुं0 प्रतापगढ़
202. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
203. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
204. रतनलाल अहिरवार, श्री झांसी
205. रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री कुशीनगर
206. रमेश गौतम, श्री गोण्डा
207. रमेश चन्द्र विन्द, डा0 मिर्जापुर
208. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
209. रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री सहारनपुर
210. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
211. राकेश धर त्रिपाठी, डा0 इलाहाबाद
212. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
213. राघव लखन पाल शर्मा, श्री सहारनपुर
214. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
215. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
216. राजकुमार सिंह गौतम, डा0 गाजीपुर
217. राजदेव सिंह, श्री जौनपुर
218. राजपाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
219. राजपाल सिंह, श्री गाज़ियाबाद
220. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
221. राजाराम त्यागी, श्री रायबरेली
222. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
223. राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ

224. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री — प्रतापगढ़
225. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री — बस्ती
226. राजेन्द्र सिंह, डा0 — आगरा
227. राजेन्द्र सिंह उर्फ़ पहलवान सिंह, श्री — गोरखपुर
228. राजेश अग्रवाल, श्री — बरेली
229. राजेश कुमार, श्री — लखीमपुर खीरी
230. राजेश त्रिपाठी, श्री — गोरखपुर
231. राजेश यादव, श्री — शाहजहांपुर
232. राजेश्वरी, श्रीमती — हरदोई
233. राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 — गोरखपुर
234. राधे लाल रावत, श्री — उन्नाव
235. राधे श्याम गुप्ता, श्री — फतेहपुर
236. राधेश्याम जायसवाल, श्री — सीतापुर
237. राम अचल राजभर, श्री — अम्बेडकरनगर
238. राम कुमार तिवारी, पं0 — ललितपुर
239. रामपाल राजवंशी, श्री — सीतापुर
240. रामपाल वर्मा, श्री — हरदोई
241. राम प्रकाश कुशवाहा, पी0एच0डी0, डा0 — कानपुर नगर
242. राम प्रकाश यादव, श्री — फिरोजाबाद
243. राम प्रसाद चौधरी, श्री — बस्ती
244. राम प्रसाद जायसवाल, श्री — देवरिया
245. राम बिशुन आजाद, श्री — गोण्डा
246. रामवीर उपाध्याय, श्री — हाथरस
247. राम शिरोमणि शुक्ल, श्री — प्रतापगढ़
248. राम सागर अकेला, श्री — श्रावस्ती
249. राम सिंह, डा0 — अलीगढ़
250. रामसेवक, श्री — सुल्तानपुर
251. राम सेवक सिंह पटेल, श्री — बदायूं
252. राम स्वरूप सिंह, श्री — कानपुर देहात
253. रामहेत भारती, श्री — सीतापुर
254. रियाज अहमद, श्री — पीलीभीत
255. लक्ष्मी नारायण, श्री — मथुरा
256. लखीराम नागर, श्री — मेरठ
257. लल्लू सिंह, श्री — फैजाबाद
258. लालजी वर्मा, श्री — अम्बेडकरनगर
259. वकार अहमद शाह, डा0 — बहराइच
260. वारिस अली, श्री — बहराइच
261. वासुदेव सिंह "बाबा", श्री — बुलन्दशहर
262. विजय कुमार, श्री — गाजीपुर
263. विजय कुमार उर्फ विजय यादव, श्री — मुरादाबाद
264. विजय पाल सिंह, श्री — बरेली
265. विजय बहादुर यादव, श्री — गोरखपुर
266. विद्या चौधरी, श्रीमती — आजमगढ़
267. विद्यासागर गुप्त, श्री — लखनऊ
268. विनोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
269. विनोद कुमार हरित, श्री — मेरठ
270. विनोद चतुर्वेदी, श्री — जालौन
271. विनोद सिंह, श्री — सुल्तानपुर
272. विवेक कुमार सिंह, श्री — बांदा
273. विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री — बांदा
274. विशम्भर सिंह यादव, श्री — बांदा
275. विश्वनाथ, श्री — कुशीनगर
276. वीरेन्द्र कुमार, श्री — हरदोई
277. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री — बुलन्दशहर
278. बृज सिंह उर्फ बृज कुंवरि, श्रीमती — गोण्डा
279. वेदराम भाटी, श्री — बुलन्दशहर
280. शम्भू चौधरी, श्री — कुशीनगर

281. शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री बरेली
282. शहनवाज, श्री बिजनौर
283. शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
284. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
285. शिव गणेश "लोधी", श्री रायबरेली
286. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
287. शिव प्रसाद यादव, श्री इटावा
288. शिवबालक पासी, श्री रायबरेली
289. शिवशंकर, श्री बलिया
290. शीशराम, श्री बिजनौर
291. शेख नसीरुद्दीन सिद्दीकी, श्री फिरोजाबाद
292. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
293. श्याम किशोर शुक्ला, श्री लखनऊ
294. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
295. श्याम नरायण यादव, श्री आजमगढ़
296. श्याम लाल, श्री बलरामपुर
297. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
298. श्रीपति आजाद, श्री महराजगंज
299. श्रीभगवान पाठक, श्री बलिया
300. संग्राम सिंह, श्री बाराबंकी
301. संजय कपूर, श्री रामपुर
302. संजय कुमार त्रिपाठी, श्री प्रतापगढ़
303. संध्या, कुमारी मैनपुरी
304. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
305. सत्य नारायण जैसल, श्री सोनभद्र
306. सत्यपाल सिंह, चौ0 अलीगढ़
307. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
308. सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्धनगर
309. सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0 बागपत
310. सदल प्रसाद, श्री गोरखपुर
311. सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री आजमगढ़
312. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
313. सिद्धार्थ शंकर, डा0 लखनऊ
314. सिनोद कुमार शाक्य, श्री बदायूँ
315. सिवगतुल्लाह अंसारी, श्री गाजीपुर
316. सी0 एम0 प्रसाद, श्री सोनभद्र
317. सीमा द्विवेदी, श्रीमती जौनपुर
318. सी0 वी0 इन्निस, श्री नाम-निर्देशित
319. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
320. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
321. सुखलाल, श्री पीलीभीत
322. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
323. सुनील शर्मा, श्री गाजियाबाद
324. सुन्दर लाल लोधी, श्री उन्नाव
325. सुन्दर सिंह, श्री बुलन्दशहर
326. सुभाष, श्री बलिया
327. सुमन देवी कुशवाहा, श्रीमती ललितपुर
328. सुभाष पाण्डेय, श्री जौनपुर
329. सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री आजमगढ़
330. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
331. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
332. सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री लखनऊ
333. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
334. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
335. सुल्तान बेग, श्री बरेली
336. सुशील कुमार, श्री चन्दौली
337. सूरजपाल सिंह ठाकुर, श्री आगरा
338. सूरज सिंह शाक्य, श्री एटा
339. सूर्यभान, श्री मिर्जापुर

340.	सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर	345.	हरिओम, श्री	जालौन
341.	सोबरन सिंह, श्री	मैनपुरी	346.	हसरत उल्ला, श्री	एटा
342.	स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	कुशीनगर	347.	हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
343.	हरगोविन्द भार्गव, डा0	सीतापुर	348.	होराम सिंह, श्री	गौतमबुद्धनगर
344.	हरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद			

नोट :- आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी) तथा भूतत्व एवं खनिकर्म, सहकारिता तथा परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नियम-311 की सूचना को उठाने का प्रयास

श्री इमरान मसूद-

[x x x]

(अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 पुकारा गया।)

श्री अध्यक्ष-

यह बगैर इजाजत बोल रहे हैं इनकी कोई बात नोट न की जाए।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

कार्यवाही में इनका कुछ नोट न किया जाए।

श्री इमरान मसूद-

मेरी बात से सभी माननीय सदस्य सहमत हैं।

श्री अध्यक्ष-

कोई विषय है तो बाद में अलग से मिल लीजियेगा। मेरे दफ्तर में आकर मिल लीजियेगा। यहां मैं नहीं घोषणा करूंगा कि कल लिया जाएगा या आज लिया जाएगा।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में बढ़ती हुई मंहगाई को रोकने हेतु योजना

**1-श्री सतीश महाना तथा श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती हुई मंहगाई को रोकने हेतु सरकार द्वारा कोई ठोस कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद एवं रसद मंत्री (श्री राम प्रसाद चौधरी)-

(1) आदेश दिनांक 25-6-08 द्वारा आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति तथा उनके मूल्यों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से नियमित समीक्षा एवं अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है।

(2) खाद्य एवं रसद अनुभाग-7 की अधिसूचना दिनांक 01-06-08 द्वारा आवश्यक वस्तुओं पर तथा अधिसूचना दिनांक 25-9-09 द्वारा प्रदेश में चीनी की स्टाक लिमिट निर्धारित की गयी है।

(3) शासन के पत्र दिनांक 01-01-09, 14-7-09, 21-7-09, 11-11-09 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिये गये हैं कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण रखे जाने के उद्देश्य से आवश्यक वस्तुओं के थोक व्यापारियों से वार्ताकर तथा आवश्यक वस्तुओं की

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

जमाखोरी एवं कृत्रिम अभाव को रोके जाने के सम्बन्ध में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय।

(4) शासन के पत्र दिनांक 18-7-09 द्वारा समस्त मण्डलायुक्तों को भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण रखे जाने के उद्देश्य से प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

(5) मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन के पत्र दिनांक 22-12-2009 द्वारा समस्त मण्डलायुक्तों तथा जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि मण्डलायुक्त अपने मण्डल तथा जिलाधिकारी अपने जनपदों एवं एस0डी0एम0 अपनी तहसीलों में प्रतिदिन आवश्यक वस्तुओं के थोक एवं फुटकर भावों का विश्लेषण एवं समीक्षा करेंगे, मूल्यों की सूचना दिन प्रतिदिन बेवसाइट पर अपलोड करायेंगे यथा आवश्यक थोक व्यापारियों तथा फुटकर व्यापारियों के साथ-साथ व्यापार मण्डल के प्रतिनिधिगण से निरन्तर वार्ताकर आवश्यक वस्तुओं को उचित दर पर जनसामान्य को उपलब्ध करायेंगे।

यह भी निर्देश दिये गये हैं कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण रखने तथा जमाखोरी को रोकने के लिये आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा-6 तथा 3/7 में पर्याप्त व्यवस्था की गयी है। अतः यदि किसी जनपद में यह पाया जाय कि थोक/फुटकर व्यापारियों/व्यापार मण्डल के प्रतिनिधि मण्डल के साथ वार्ता के बाद भी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण नहीं हो रहा है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की कथित धाराओं में कार्यवाही करना अपरिहार्य हो गया है जो जिलाधिकारी पूर्ण तथ्यों सहित अपनी सुस्पष्ट आख्या/संस्तुति मण्डलायुक्त के माध्यम से शासन के विचारार्थ प्रेषित करेंगे।

(6) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण रखे जाने के उद्देश्य से आयुक्त, खाद्य एवं रसद, प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद तथा मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन द्वारा समय-समय पर समीक्षा कर समुचित कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, इस गम्भीर विषय पर जो सरकार द्वारा उत्तर दिया गया है उस उत्तर पर आप कृपापूर्वक दृष्टि डालें। सरकार ने कई पैरों में उसका विवरण दिया है लम्बा सा उत्तर दिया है। यह पत्र लिखते रहे मान्यवर, इन्होंने पत्र लिखना शुरू किया है। 1-6-2008 को, फिर पत्र लिखा है 01-01-09, 14-07-09, 21-7-09 को फिर लिखा है 11-11-09 को, मान्यवर, यह पत्र लिखते चले गये और मंहगाई बढ़ती चली गई। जबसे इन्होंने पत्र लिखना शुरू किया मान्यवर, मंहगाई बढ़ ही रही है घट नहीं रही है, कम नहीं हुई। इसलिए मैं आपके माध्यम से जो भी उत्तर आए हैं हर प्वाइन्ट के ऊपर मान्यवर, जितने बिन्दु इन्होंने दिये हैं सब स्पष्ट हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश में बढ़ती हुई मंहगाई को दृष्टिगत रखते हुए जो आप पत्राचार करते हैं एक जिलाधिकारी को एक कमिश्नर को आपने कई पत्र लिखे, इतने पत्र लिखने की क्या जरूरत थी क्या वह एक पत्र से नहीं मान रहे थे, दूसरी बात इतने गम्भीर विषय पर जिसमें आदरणीय सरकार माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं चिन्तित हैं क्या माननीय मुख्य मंत्री जी के

स्तर के ऊपर इस मंहगाई को रोकने के लिए कोई बैठक की गई ? दूसरा प्रश्न मान्यवर, इन्होंने लिखा है कि हमने कार्यवाही की है। मान्यवर, कितने लोगों पर कार्यवाही हुई उसके परिणाम क्या है ? इसका उत्तर आ जाए ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही कहा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हर 15 वें दिन इसकी समीक्षा की जा रही है। दूसरा आपने पूछा कि कार्यवाही क्या की गई है तो अभी इसके उपलब्ध में 278 छापे मारे गये हैं। जिसमें मुजफ्फरनगर में अभी कल ही वनस्पति घी पकड़ा गया है और हरदोई में चीनी लगभग साढ़े चार हजार कुन्तल पकड़ी गई, गाजियाबाद में चीनी पकड़ी गई है। इस प्रकार से सरकार कार्यवाही कर रही है। सरकार मंहगाई से चिन्तित है और जितना भी हो सकता है, सरकार कार्यवाही करेगी।

श्री इमरान मसूद-

मा0 मंत्री जी ने कार्यवाही बताई, कार्यवाही सरकार कर रही है, हम इस बात से संतुष्ट है लेकिन मान्यवर, चीनी की एक हजार बोरी देवबन्द शुगर मिल से पकड़ी गई, मुकदमा कायम हुआ।

(श्री सतीश महाना के पुनः खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

महाना साहब, आपने दो प्रश्न पूछे, मंत्री जी ने बताया कि मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक होती है, दो-चार कार्यवाहियों का मंत्री जी ने विवरण दिया, पूरी कार्यवाहियों का अगर विवरण पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैंने दो बातें पूछी, एक बात मैंने पूछी की क्या इतने गम्भीर विषय के ऊपर माननीया मुख्य मंत्री जी के स्तर पर कोई बैठक हुई, उसका जवाब हां या न में आ सकता था। दूसरी बात मैंने पूछा कि क्या कार्यवाही हुई और उसका परिणाम क्या रहा ? मान्यवर, इन दोनों बातों का उत्तर नहीं आया। पत्र लिखे जा रहे हैं, जिलाधिकारी से लेकर, केन्द्र सरकार तक। बैठक हुई कि नहीं हुई और उसके परिणाम क्या हुए ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

मैंने बताया है, 3/7 की भी कार्यवाही की जाती है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इमरान मसूद जी आप पूछें।

श्री इमरान मसूद-

मान्यवर, मंत्री जी कार्यवाही की बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, मुकदमा कायम हुआ, मुकदमा हमारे यहां भी कायम हुआ, एक हजार बोरी चीनी पकड़ी गई, लेकिन जिस व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा कायम हो रहा है, अगले दिन उसके यहां शादी में पूरा प्रशासनिक अमला पहुंचता है तो किस प्रकार उनके हौसले पस्त होंगे ?

श्री अध्यक्ष-

आप अनुपूरक करिए।

श्री इमरान मसूद-

मान्यवर, मैं केवल इतना चाहता हूं कि कार्यवाही हो तो कार्यवाही ऐसी हो, जिससे हौसले पस्त हों। मुकदमें में मान्यवर, अभी कुछ नहीं हुआ है, मंत्री जी बता दें कि जो मुकदमा दर्ज हुआ है, उस चीनी मिल के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

आप स्पेसिफिक पूछिये।

श्री इमरान मसूद-

मान्यवर, देवबन्द शुगर मिल के विरुद्ध मुकदमा लिखा गया है। वहां पर एक हजार बोरी चीनी मौके पर पकड़ी गई, कोई भी व्यक्ति जेल नहीं गया, उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई, क्या सरकार उसके ऊपर कार्यवाही करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

यह अनुपूरक नहीं है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष जी, मैं सीधे तीन सवाल पूछ रहा हूं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में चीनी और चावल की तस्करी नेपाल के रास्ते हो रही है, सुनौली और अन्य बार्डर्स के अलावा। इसी सदन में मैं चावल की तस्करी का विषय ला चुका हूं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में चीनी के जो दाम बढ़े हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है, छोटे-छोटे बच्चों का उपयोग करके, साइकिलों पर लाद करके बोरी-बोरी में चीनी नेपाल पहुंचाई जा रही है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि चीनी की इस तस्करी को रोकने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं और किस प्रकार के आगामी कदम उठाने जा रही है और दूसरा प्रश्न, जैसा सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि थोक व्यापारियों के साथ वार्ता करके आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कृत्रिम अभाव को रोके जाने के संदर्भ में है जो हम लोगों को 2-4 दिनों से सूचनाएं मिल रही हैं, थोक व्यापारियों ने खाद्यान्न के दाम घटा दिये, इसके बावजूद फुटकर व्यापारियों ने दाम नहीं घटाये, अगर किसी चीज का 20 रुपये थोक दाम घट गया और फुटकर चीज में उसका प्रभाव नहीं आया तो यह तो शुद्ध स्थानीय विषय हुआ। मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि थोक मूल्यों में कमी होने पर अगर फुटकर मूल्यों में कमी नहीं हो रही है तो इसमें कमी कराने के लिए मंत्री जी ने सरकार ने क्या कदम उठाये हैं जिससे यह सुनिश्चित हो सके और चीजों के दाम घट सकें ? मान्यवर, तीसरा प्रश्न यह है कि क्या जो अपर पावरटी लाइन के नागरिक हैं, आप उनको चीनी की उपलब्धता की बात भले ही करते हों, लेकिन कुछ होता नहीं। चीनी के मंहगे दाम को देखते हुए क्या आप उन्हें समुचित मात्रा में चीनी दिलवाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

मान्यवर, जहां तक बार्डर के इलाके में चीनी और चावल की तस्करी का सवाल है उसको रोकने के लिए वहां पर बार्डर सिक्योरिटी फोर्स लगी है, एस0एस0बी0 उसको रोकने के

लिए है और वहां पुलिस अपनी कार्यवाही कर रही है। दूसरा जो आपने चीनी का सवाल उठाया है।

श्री अध्यक्ष-

दूसरा सवाल यह है कि आपने थोक पर रोक लगा दिया है तो थोक वालों का रेट तो घटा है लेकिन फुटकर वालों का नहीं घट रहा है इसके बारे में पूछ रहे हैं।

श्री राम प्रसाद चौधरी-

मान्यवर, समस्त जिलाधिकारियों को शासन से आदेश दिये गये हैं कि जो थोक व्यापारी हैं उनसे मीटिंग करके वह इसको देखें और शासन ने एस0डी0एम0 तक को जांच करने के लिए अधिकार दिया है और लगातार इस तरह के छापे जगह-जगह हो रहे हैं और कार्यवाही की जा रही है और जगह-जगह से इस तरह की रिपोर्ट आ रही है। पिछले 10 दिन के अन्दर निश्चित रूप से कमी आयी है। जहां तक चीनी का सवाल है कल आदरणीय हुकुम सिंह साहब ने इस मुद्दे को उठाया था। मान्यवर, कर्मचारी कल्याण निगम के माध्यम से सचल वाहनों से चीनी तथा दाल का वितरण किया जा रहा है। आपके गोरखपुर में एक गाड़ी लखनऊ में 2 गाड़ी, इलाहाबाद में एक गाड़ी, कानपुर में एक गाड़ी चल रही है। 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सभी लोगों को कर्मचारी कल्याण निगम के माध्यम से चीनी उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, लिखा-पढ़ी में तो आपने सब किया। बहुत चिट्ठियां लिखीं और उनका रिकार्ड भी रखा। लेकिन उनका प्रभाव नहीं हो पाया। प्रभाव न होने का मैं एक प्रमाण दे रहा हूं। आपने पहली चिट्ठी 01-01-09 को लिखीं और नवम्बर, 2009 में भी लिखी। अब मुझे यह बता दीजिए कि पहली जनवरी, 2009 में केवल ऐसी तीन आवश्यक वस्तु चीनी, चावल, आटा, इनके क्या रेट थे और नवम्बर, 2009 में इनके रेट क्या हैं ? मान्यवर, चिट्ठी लिखने-लिखने के दौरान भावों में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुयी है तो चिट्टी लिखने का क्या फायदा हुआ ? कभी आपने अपने स्तर पर बैठकर इस बात की समीक्षा करके यह जानने की कोशिश की कि भाव क्यों कम नहीं हो रहे हैं ? केवल छापा मारने से भाव नीचे नहीं आयेंगे, छापा तो मात्र एक औपचारिकता है। जैसे अभी और भी हमारे सदस्य कह रहे थे कि दबाव बनाने के और भी तरीके हैं। कोशिश यह होनी चाहिए कि चीजें उपलब्ध करायें और आपके पास चीजों को उपलब्ध कराने का बहुत बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर है। उसके इस्तेमाल करने की बात है। आपने बताया कि कर्मचारी कल्याण निगम को गाड़ियां दी हैं। दूसरे जो आपके निगम हैं उनको भी गाड़ियां दीजिए। चीजें उपलब्ध कराइये। चीजें उपलब्ध होंगी तो भाव खुद कम हो जायेंगे। तो मेरा जो पहला सवाल है कि जब इन्होंने पहला सत्र एक जनवरी, 2009 में लिखा था तो तब क्या भाव थे और जब अंतिम पत्र लिखा है तो चावल, आटा और चीनी के क्या भाव थे ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, माननीय हुकुम सिंह जी, वर्ष 2009 का पूछ रहे हैं। माननीय मंत्री जी एक जनवरी, 2009 को जिलाधिकारियों को मूल्य नियंत्रण करने के सम्बन्ध में एक पत्र गया, यह स्पेसिफिक तीन चीजों चावल, आटा और चीनी के दामों के बारे में पूछ रहे हैं कि जब आपने पत्र

लिखा तब क्या रेट था और उसके बाद अंतिम पत्र के समय क्या रेट थे। घटा या बढ़ा है। इसके बाद रेट में गिरावट आयी है तो क्या रेट है ? यही माननीय हुकुम सिंह जी पूछ रहे हैं।

श्री राम प्रसाद चौधरी-

मान्यवर, वर्ष 2009 में जहां तक चावल का सवाल है वह 12 रुपये था और इस समय 14 रु0, साढ़े चौदह रु0 और 15 रु0 तक बाजार में बिक रहा है। आटा 13 रु0 में था इस समय 15 रु0, 16 रु0 में बिक रहा है।

(श्रीमती कृष्णाराज के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

कृष्णाराज जी आटा, चावल तो इतनी तेज खरीद रही हैं आप। बैठिये आप।

श्री राम प्रसाद चौधरी-

चीनी 30 रु0 किलो थी, इस समय 45 रु0, 46 रु0।

श्री हुकुम सिंह-

और तब क्या थी ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

तब 30 रु0, 31 रु0 थी।

श्री हुकुम सिंह-

ये 15 रु0 किलो आटा लाकर हमें दे दें कहीं से 13 रु0 किलो के भाव से चावल लाकर दे दें, सबका गुजारा हो जायेगा। आपके लिए भी खरीद लेंगे अपने लिए भी खरीद लेंगे। मान्यवर, 20 रु0 किलो से कम आटा एवेलेबिल नहीं है, उपलब्ध नहीं है। मान्यवर, चावल तो 30 और 35 रु0 में चला गया उपलब्ध नहीं है। लग गया मुझको ऐसा कि कहीं न कहीं आप मुफ्त की खा रहे हैं, बैठे हुए।

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जहां तक समर्थन मूल्य भी गेहूं और धान के बढ़े हैं उस हिसाब से भी बाजार में दाम बढ़े हैं। इस समय 1000 रु0 धान का समर्थन मूल्य है, 1100 रु0 गेहूं का समर्थन मूल्य है, उस हिसाब से भी रेट बढ़े हैं मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

चलिए ठीक है।

श्री मदन चौहान-

मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से अनुपूरक प्रश्न के माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया कि गाजियाबाद में जमाखोरी का स्टाक पकड़ा गया तो मैं जानकारी चाहता हूं कि गाजियाबाद में कितनी बोरी अनाधिकृत स्टाक के रूप में पकड़ी गयी और दूसरा अनुपूरक मेरा है कि बुलन्दशहर में भी क्या कोई जमाखोरी का चीनी का स्टाक पकड़ा गया ? अगर वो पकड़ा गया तो कितनी-कितनी बोरी पकड़ी गयी और उनके खिलाफ क्या कोई गिरफ्तारी की कार्यवाही की गयी, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, गाजियाबाद में एक लाख 21 हजार कुन्तल चीनी पकड़ी गयी जिसमें प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है और जहां तक कि बुलन्दशहर की है, उसकी जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

जब जानकारी बुलन्दशहर की नहीं है तो हम दबाव डाल के जानकारी नहीं हासिल करेंगे।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर से दो तीन चीजें तो सिद्ध हो गयी एक तो मुख्य मंत्री जी ने इतनी बड़ी बल्कि सबसे अहम समस्या पर कोई बैठक नहीं किया नम्बर एक। नम्बर दो अब तक यह सरकार केवल केन्द्र सरकार को जिम्मेदार मानती रही है मंहगाई के लिए लेकिन मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया कि जनवरी, 09 से ले के अब तक अनेक पत्र जिलाधिकारियों को, कमिश्नर को, अन्य को लिखा गया जमाखोरी के विरुद्ध अन्य जो ब्लैक मार्केटिंग हैं उसके विरुद्ध 3/7 कीं कार्यवाही करें ऐसा निर्देश दिया गया।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

अनुपूरक पूछें तो हम जवाब देंगे मान्यवर, चर्चा तो नहीं हो रही है। चर्चा तो हो चुकी। कल ही हुई, उसका पूरा जवाब दिया गया मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

अब आज प्रश्न आया है।

श्री लालजी वर्मा-

आज चर्चा तो है नहीं मान्यवर, अनुपूरक पूछें किसी को चाहे वह वरिष्ठ सदस्य हो, चाहे नया सदस्य हो अनुपूरक के समय अनुपूरक पूछें।

श्री अध्यक्ष-

हम अनुपूरक ही पुछवाते हैं।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

ऐसा कर दें माननीय संसदीय कार्य मंत्री को कह दें कि हम सब लोगों की एक ट्रेनिंग ले लें कि हम कैसे प्रश्न पूछें ? कैसे अनुपूरक पूछे ? क्या करें। सबसे योग्य ये हैं।

श्री लालजी वर्मा-

इसमें ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है आपसे हम सीख रहे हैं और नियमों में व्यवस्था है। उसके अनुसार अनुपूरक पूछें। जहां तक इस पर चर्चा की बात है मान्यवर, कल ग्राह्यता पर आपने इनको काफी सुना भी था और उसका मैंने उत्तर भी दिया था।

श्री अध्यक्ष-

चर्चा नहीं कहा है, कहां चर्चा की बात आयी है। अभी अनुपूरक पूछने के लिये कहा है, कुछ लोग भूमिका के आधार पर अनुपूरक पूछते हैं।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, निष्कर्ष निकालने के बाद ही तो अनुपूरक प्रश्न पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष-

कुछ लोग सीधा प्रश्न पूछते हैं कुछ लोग भूमिका के आधार पर अनुपूरक पूछते हैं।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

इसका मतलब यह है कि सरकार मानती है कि जमाखोरी भी मंहगाई के लिये जिम्मेदार है, कालाबाजारी भी जिम्मेदार है।

श्री अध्यक्ष-

आप अनुपूरक प्रश्न करें।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

यह बात, ये स्वीकार कर लें, अर्थात् राज्य सरकार को भी मंहगाई रोकने के लिये बहुत कुछ करना है।

श्री अध्यक्ष-

चलिये, चलिये आप लोग अनुपूरक पूछिये, कृष्णा राज जी आप अभी रुक जाइये, आपके नेता यहां पर खड़े हैं।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

आप सब भी यहां पर विपक्ष में रहकर के क्या-क्या कर चुके हैं यह हम लोगों ने देखा है। मान्यवर, इसलिये मैं कह रहा हूं, मेरा अनुपूरक है। जब मैंने कह दिया कि मुख्य मंत्री जी ने कोई बैठक नहीं ली तो बिल्कुल तिलमिलाहट हो गयी और बिल्कुल स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं स्पष्ट कर दूं कि माननीया मुख्य मंत्री जी मंहगाई के सम्बन्ध में प्रायः बैठक लेती है और उसी बैठक का परिणाम है कि उन्होंने 3/7 का जिलाधिकारी को अधिकार दिया है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मेरा अनुपूरक यह है कि 3/7 की कार्यवाही तो हुयी लेकिन हजार-हजार, डेढ़-डेढ़ हजार बोरी पकड़ी गयी और कोई गिरफ्तारी नहीं हुयी। अब तक के सरकार के सारे प्रयास असफल हो गये हैं मंहगाई को उस क्षेत्र में रोकने में, जिसमें इनकी जिम्मेदारी है। क्या आप कोई ठोस कदम उठाने जा रहे हैं जिससे कि आप अब तक के जो प्रयास है, जो कि असफल सिद्ध हो गये हैं, वह प्रयास सफल हों ? क्या कोई कदम उठाने जा रहे हैं, हमें यह बता दें ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, सभी जिलाधिकारियों को निर्देश है कि व्यापार मण्डल से, फुटकर विक्रेता संघ/संगठन से बात करके मंहगाई पर अंकुश लगाये जाये जो भी प्राविधान थे कि 3/7 पर काफी दिनों से रोक लगी हुयी थी। हमारी मुख्य मंत्री जी, पूरा शासन चिन्तित है मंहगाई बढ़ने से माननीया मुख्य मंत्री जी ने भी सदन में चिन्ता व्यक्त की है और जितनी भी कठोर से कठोर कार्यवाही होगी, हम करेंगे।

(श्री ओम प्रकाश सिंह अपने दल के सदस्यों सहित नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गये)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इनकी सरकार मध्य प्रदेश में है, मैं माननीय ओम प्रकाश सिंह जी से चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में जाकर के इसको रोकने का प्रयास करें, जहां पर यहां से भी ज्यादा मंहगाई है। इनकी सरकार बिहार में भी है और वहां तो यहां से भी ज्यादा मंहगाई है, अगर इनको इतनी चिन्ता है तो उन दोनों प्रान्तों में जाकर के रोकने का प्रयास करें।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, बात यह है कि 'दवा ज्यों-ज्यों दी, मर्ज बढ़ता गया।' कोई भी दवा सरकार कर रही है मंहगाई बढ़ती ही जा रही है।

(कुछ समय बाद भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन में वापस आ गये।)

कृषकों को खाद व बीज आदि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की मांग

**2-श्री श्यामदेव राय चौधरी तथा श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के लगभग सभी जिलों में इस वर्ष डी0ए0पी0 तथा अन्य खाद एवं बीज के अत्यधिक अभाव के कारण किसानों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है ? क्या यह सही है कि किसानों को मुनाफाखोरों के कारण जहां एक तरफ अधिक दामों पर दुकानों पर खाद उपलब्ध थी, वहीं दूसरी तरफ सहकारी संस्थाओं पर इसका घोर अभाव रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार नियंत्रित मूल्य पर कृषकों को समय पर खाद एवं बीज आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (चौधरी लक्ष्मी नारायण)-

रसायनिक उर्वरकों की उपलब्धता हेतु प्रदेश शासन पूरी तरह भारत सरकार पर आश्रित रहती है। प्रदेश शासन द्वारा निरन्तर भारत सरकार के सम्पर्क में रह कर एवं पत्रों तथा व्यक्तिगत सम्पर्क के माध्यम से अनुश्रवण करते हुए यथासंभव रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का प्रयास किया गया है। प्रदेश में सामान्य रूप से यूरिया की उपलब्धता लगभग संतोषजनक है। डी0ए0पी0 की कमी की समस्या राष्ट्रव्यापी है एवं भारत सरकार द्वारा डी0ए0पी0 के स्थान पर अन्य फास्फेटिक उर्वरक एन0पी0के0 उपलब्ध कराया गया है। दिनांक 13 जनवरी, 2010 तक प्रदेश में उर्वरकों की उपलब्धता की स्थिति निम्नवत् रही है :-

(मात्रा लाख मी0 टन में)

क्र0सं0	उर्वरक का नाम	लक्ष्य (15 जनवरी, 2010 तक)	उपलब्धता (13 जनवरी, 2010 तक)	वितरण (दिनांक 13 जनवरी, 2010 तक)
1	यूरिया	18.78	17.95	15.37
2	डीएपी+एनपीके (फास्फेटिक)	13.25	14.29	12.44
3	एम0ओ0पी0	1.25	1.80	1.35

इस वर्ष प्रदेश में बीज की कोई कमी नहीं रही है।

उर्वरकों का वितरण निजी एवं शीर्ष संस्थाओं दोनों के माध्यम से किया जाता है। भारत सरकार द्वारा जो आवंटन इफ्को को प्राप्त होता है, वह पूरी तरह सहकारिता विभाग द्वारा वितरित किया जाता है और जो आवंटन अन्य प्रदायकर्ताओं को होता है, उसका वितरण निजी क्षेत्र के माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार कितना उर्वरक सहकारी क्षेत्र में उपलब्ध होगा एवं कितना निजी क्षेत्र में इस पर प्रदेश शासन का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष जो मूवमेंट सप्लाई प्लान प्राप्त होता है, उसके अनुसार यह निर्धारित होता है कि कितने प्रतिशत में उर्वरक सहकारी क्षेत्र में एवं कितने प्रतिशत उर्वरक निजी क्षेत्र में उपलब्ध होंगे। प्रदेश में दिनांक 13 जनवरी, 2010 तक कुल उपलब्ध उर्वरक में सहकारी क्षेत्र की उपलब्धता की स्थिति निम्नवत् रही है :-

(मात्रा लाख मी0 टन में)

क्र0सं0	उर्वरक का नाम	कुल उपलब्धता	सहकारी क्षेत्र में उपलब्धता
1	यूरिया	17.95	8.48
2	फास्फेटिक	14.29	8.66

जी हां। वर्ष 2010-2011 के लिए शासन द्वारा 10.00 लाख मी0 टन फास्फेटिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण का निर्णय लिया गया है। पी0सी0एफ0 को निर्देश दिये गये हैं कि 2010-2011 के लिए 10.00 लाख मी0 टन फास्फेटिक उर्वरकों का अग्रिम भण्डारण करें। इसके लिए वांछित भण्डारण शुल्क तथा ब्याज की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार अपने संसाधनों से करेगी।

प्रदेश में खरीफ एवं रबी में बीजों की समय से पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। सभी सरकारी एवं अर्द्धसरकारी संस्थाओं के विक्रय केन्द्रों पर बीजों का विक्रय निर्धारित मूल्य पर ही किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे समाचार-पत्र यह कह रहे हैं कि जो सबसे प्रमुख खाद है डी0ए0पी0 वह किसानों को उचित मूल्य पर नहीं प्राप्त है। किसान सुबह से ले करके रात तक लाइन में खड़े रहे कि हमको नियंत्रित मूल्य पर जो सहकारी समितियां हैं, अन्य वितरित करने वाली संस्थायें हैं वहां से खाद मिल जाय। उस भीड़ पर लाठी चार्ज भी हुआ खाद न मिलने के विरोध में धरना प्रदर्शन गिरफ्तारी भी हुई तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करने और जो हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है, देश भी है, उन कृषकों की जो हालत है डी0ए0पी0 खाद के अभाव में उसमें सुधार लाने के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आपने क्या ठोस कार्यवाही की और कार्यवाही की तो लोगों को खाद क्यों नहीं मिली, जबकि ब्लैक में लोगों को डी0ए0पी0 पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी, मैं यह जानना चाहता हूं ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

माननीय अध्यक्ष जी, 30 नवम्बर तक हमें भारत सरकार से 10 लाख टन डी0ए0पी0 उपलब्ध होनी थी। 15 नवम्बर तक 8.36 मीट्रिक टन उन्होंने डिस्पैच की जो 30 नवम्बर तक हमको केवल साढ़े सात लाख मीट्रिक टन डी0ए0पी0 उपलब्ध हो पाई, होनी थी हमको 10 लाख मीट्रिक टन इसलिए जो खाद की उपलब्धता हमको होनी थी और वही दिन ऐसे थे जो बरसात हुई नवम्बर में, उन्हीं दिनों में पूरे प्रदेश में एक साथ बुवाई का काम हुआ, इसलिए उसमें कमी आई। जहां तक आप इसकी चर्चा कर रहे थे माननीय चौधरी साहब, इसके लिए हमने 38315 छापे हमारे प्रदेश में डाले, 469 लाइसेन्स निरस्त किये, 160 एफ0आई0आर0 हुई, 110 आदमी जेल गये, समय-समय पर जी0ओ0 भी जारी किये गये हैं और व्यापक स्तर पर 10 नवम्बर से लेकर 17 नवम्बर तक पूरे प्रदेश में राज्य स्तरीय अधिकारियों के द्वारा पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिले में राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा इसका सर्वे और निरीक्षण कराया गया।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के जवाब से उत्पन्न हुई स्थिति से मेरा यह प्रश्न है मान्यवर, 10.3 मैट्रिक टन आपको मिलना था और आपके अनुसार 8 मैट्रिक टन मिली। प्रश्न यह नहीं है कि 10 मिली कि 8 मिली। प्रश्न यह है कि यह जो 8 मीट्रिक टन खाद मिली क्या यह नियंत्रित मूल्य की दुकानों से किसानों को उचित रेट पर मिली या वह बाजार में ब्लैक में मिली। प्रश्न सीधा सा यह है। अगर 8 भी मिली तो इस सच्चाई से अगर आप इन्कार करना चाहें तो कर सकते हैं पर यह सच है, मान्यवर, प्रश्न पूछनें का आशय आपको कटघरे में खड़ा करना नहीं है। उसका आशय यही है कि लोगों को नियंत्रित मूल्य पर खाद मिले। आपको 80 प्रतिशत से ज्यादा खाद मिल गयी। वह नियंत्रित मूल्य की दुकानों पर नहीं मिली बाजार में लोगों को ब्लैक में मिली। इससे सिद्ध है कि कहीं न कहीं वितरण व्यवस्था की असफलता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस ब्लैक मार्केटिंग पर अंकुश लगाने के लिए और इस वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भविष्य में आप क्या कदम उठायेंगे ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, तिवारी जी को ब्लैक में खाद मिलने की चिन्ता है। भारत सरकार की ओर से जो कमी रही उसको ढकने के लिए तिवारी जी यह कहना चाहते हैं कि 80 प्रतिशत खाद की आपूर्ति हुई। मान्यवर, मेरी ओर से बार-बार यह कहा गया है कि 10 लाख मीट्रिक टन खाद मिलनी चाहिए थी, 8.36 लाख मीट्रिक टन ही डिस्पैच हुई पर मिली 7.5 लाख मीट्रिक टन तो लगभग ढाई लाख मीट्रिक टन का गैप रहा है। मान्यवर, हमने यह भी बताया है कि 38 हजार छापे मारे गये हैं, 160 एफ0आई0आर0 दर्ज हुई है और 110 लोग गिरफ्तार हुए हैं। राज्य स्तरीय अधिकारियों ने भी छापे मारे हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, न मैं इनके पाप को ढकना चाहता हूं और न जो केन्द्र सरकार ने दिया उसको ढकना चाहता हूं। पाप जो हुआ वह यह कि जो भी आपको मिला वह नियंत्रित मूल्य की दुकानों पर न मिलकर किसानों को ब्लैक में मिला। अगर ब्लैक में नहीं मिल रहा था तो इतने छापे क्यों

मारे गये क्यों एफ0आई0आर0 हुई और गिरफ्तारियां हुई हैं। इस तरह से आप भी इसे स्वीकार करते हैं कि ब्लैक में मिल रही थी। इसमें यह भी है कि आप चुने-चुने लोगों को ही गिरफ्तार करते हो जहां से माल पानी मिल जाता है वहां छापे नहीं मारे जाते हैं। आप कृषि मंत्री हैं आपको ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिये था। उनके पापों को नहीं ढकना चाहिए था जो भी इसमें संलिप्त थे उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए थी और खाद उपलब्ध करानी चाहिए थी। मान्यवर, मैं इनके पापों को ढकने के लिए तैयार नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप ढक्कन नहीं हैं।

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, एक कहावत है कि सूप बोले तो बोले वह छलनी बोले जिसमें बहत्तर छेद। तिवारी जी अपने पापों को ढक रहे हैं। मान्यवर, जब-जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आयी है तब-तब देश में मंहगाई बढ़ी है और आवश्यक वस्तुओं की कमियां उत्पन्न होती रही हैं। ब्लैक मार्केटिंग और जमाखोरों के साथ समझौता होता रहा है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, जो ढकने की बात है यह हमारी पार्टी में रहे हम इनके पापों को ढकते रहे हैं, फिर यह चले गये हुकुम सिंह जी की पार्टी में उन्होंने इनके पापों को ढका। फिर सपा में चले गये उन्होंने ढका। अब बसपा में हैं मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर इनके पापों को ढकेंगे तो वह आपके लिए प्रलयकारी होगा।

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, मैं तिवारी जी की बुद्धिमत्ता की दाद देता हूं पर यह बताना चाहता हूं कि मैं हुकुम सिंह जी की पार्टी में कभी नहीं रहा। सपा में कभी नहीं रहा। तिवारी जी मंत्री बनने के लिए बीसियों बार घूमते रहे लेकिन इनकी कांग्रेस पार्टी किसी से समझौता करती नहीं है इसलिए इनको मौका नहीं मिल पाया है।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मान्यवर, यह बता दें।

श्री अध्यक्ष-

परशुराम लक्ष्मण संवाद अब बन्द करिये।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, कुम्भ मेले में उत्तराखण्ड सरकार से कह करके इनका एक आश्रम बनवा दीजिए इनका पाप लखनऊ में गोमती नदी में नहीं खत्म होगा इनका पाप संगम में ही खत्म होगा।

श्री अध्यक्ष-

चलिये, आप भी साथ ही रहियेगा।

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखण्ड का इतिहास तिवारी जी के साथ बहुत जुड़ा हुआ है इसलिए इन्हें उत्तराखण्ड बहुत याद आता है, हेलीकाप्टर की यात्राएं याद आती हैं।

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन एवं गन्ना विकास तथा चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, समय बरबाद हो रहा है, अनुपूरक होने दीजिए। मेरा भी प्रश्न आगे लगा है मुझे भी जवाब देना है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मेरा नाम लिये हैं।

श्री अध्यक्ष-

तिवारी शब्द नाम लिये हैं तो तिवारी कामन लिये हैं, कई तिवारी हो सकते हैं, बैठें आप। हुकुम सिंह जी, बैठ जायं।

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, मेरे बच्चे तो मेरे घर में हैं। इनके बच्चे तो पूरे शहर और प्रान्त में घूम रहे हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

जो मेरा बच्चा आपके यहां हो उसको वापस कर दीजिए। मान्यवर, मैं इस पाप को अपने सर पर लेने को तैयार नहीं हूं। इनके सारे बच्चे इनके हैं मेरा उसमें कोई योगदान नहीं है। अगर कोई है तो उसे वापिस कर दें।

(चौधरी लक्ष्मी नारायण द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

डा0 पी0 के0 राय-

माननीय मंत्री जी बहुत समय ले लिया आप दोनों लोगों ने। अब थोड़ा गम्भीर हो जायें।

श्री अध्यक्ष-

पी0 के0 राय जी, यह इण्डिया का असर है कि उत्पादन बढ़ा है दोनों लोगों का।

डा0 पी0के0 राय-

माननीय अध्यक्ष जी, मामला खाद का है और बीज का भी है इसलिए उत्पादन की बात तो होगी ही जो उत्पादन की बात आप लोगों ने किया उससे थोड़ा हट करके माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुपूरक करना चाहता हूं मेरे दो सवाल हैं। आपने अपने उत्तर में बताया कि रसायनिक उर्वरकों की उपलब्धता हेतु शासन पूरी तरह भारत सरकार पर आश्रित रहती है और उसमें डी0ए0पी0 की कमी की समस्या राष्ट्रव्यापी है एवं भारत सरकार द्वारा डी0ए0पी0 के स्थान पर अन्य फास्फेटिक उर्वरक एन0पी0के0 उपलब्ध कराया गया है। उत्तर के नीचे एक चार्ट इसमें है। मैं इसकी तरफ ध्यान इसलिए माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी का कि प्रायः मैंने देखा है कि बजट भाषण में भी जब

सामान्य बजट प्रस्तुत होता है तो उसमें भी इस बात का उल्लेख होता है और लक्ष्य से ज्यादा उपलब्धता होती है कहीं-कहीं फिर भी वितरण पूरी तरह से उस खाद का नहीं होता है। जबकि यह जमीनी हकीकत है यहां पे यह माननीय सदस्य चाहे इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष के हों खाद की किल्लत रही है। खाद के लिए लोगों ने लाइनें लगायी हैं और 24-24 घण्टे तक बैठे रहे हैं।

मेरा प्रश्न यह है कि आप अगर एन0पी0के0 की बात ले लें तो एन0पी0के0 की 15 जनवरी, 2010 तक उपलब्धता जो थी आपकी, लक्ष्य जो था आपका वह 13.25 लाख मीट्रिक टन था और 13 जनवरी, 2010 तक उपलब्धता जो थी आपकी वह 14.29 लाख मीट्रिक टन गया लेकिन वितरण का कार्य 13 जनवरी, 2010 तक मात्र 12.44 लाख मीट्रिक टन किया था। उपलब्धता लक्ष्य से ज्यादा होने के बाद या लक्ष्य के समकक्ष होने के बाद भी यह वितरण का कार्य करने के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं कि वह पूरी तरह से वितरण जिन लोगों को यह खाद उपलब्ध होनी चाहिए थी यह नहीं हो पा रहा है नम्बर एक, दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि आपने अभी सदन के समक्ष यह बात रखी कि कालाबाजारी के लिए इतने छापे पड़े इतनी जगहों से एफ0आई0आर0 दर्ज हुई इतने लोगों को पकड़ा गया और जिस क्षेत्र की मैं नुमाइन्दगी करता हूं, मैंने बार-बार सदन का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की है, माननीय कृषि मंत्री जी का भी ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की है कि वहां से बिहार को और बिहार से होकर नेपाल को बड़े पैमाने पर खाद की तस्करी होती है और बार-बार इस सवाल को उठाने के बाद भी इस तस्करी के ऊपर कोई रोक नहीं लगी, क्या इस तस्करी के ऊपर रोक लगाने के लिए कोई प्रभावी कार्यवाही आपके द्वारा की जायेगी ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, माननीय राय साहब ने यह कहा कि उपलब्धता 14.29 लाख मीट्रिक टन हुआ। तो जिस समय हमें वहां से डिलीवरी मिलती है, डिस्पैच जब होता है तो डिस्पैच को ही उपलब्धता माना जाता है। इसलिए रैक आने में जो देर होती है इसका यह कारण है। बाकी जितना हमें मिला उतना वितरण किया। आपने जो खाद की तस्करी की बात कही, कई बार आपने कहा भी है। उसी के लिये यह किया गया है कि बार्डर से लगा हुआ जो 10 किमी0 का इलाका है, वहां हमने कोई डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रखा। इसके अलावा बार्डर के जो जिले हैं वहां के डी0एम0 के साथ, कमिश्नर के साथ हमारे उच्चाधिकारियों ने बैठक की, पुलिस विभाग को भी लिखा गया। तो पूरा प्रयास इसका करते हैं और आगे निश्चित रूप से भविष्य में भी इसका प्रयास करेंगे।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि नेपाल और उत्तर प्रदेश जिसमें हमारा जिला महराजगंज भी आता है, से बड़े पैमाने पर आज भी खाद की तस्करी हो रही है कई बार इस आदरणीय सदन में सरकार से आश्वासन भी मिला कि इस पर अंकुश लगाया जा चुका है लेकिन आपके सरकारी आंकड़े ही बता रहे हैं कि तस्करी का रेट कितना बढ़ गया है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस पर इफेक्टिव कंट्रोल लगाने के लिये और जो लोग पकड़े जा रहे हैं उन पर कठोरतम कार्यवाही करने की दिशा में आपने कौन सी नीति बनाई है ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

माननीय अध्यक्ष जी, हमने बताया कि तस्करी रोकने के लिये हमने बार्डर के जिलों के डी0एम0 और कमिश्नर के साथ मीटिंग की और तस्करी रोकने का प्रयास किया गया। इसी सम्बन्ध में यह छापे डाले जाते हैं कि जितना खाद गया उतना खाद वितरित हुआ कि नहीं और इसी के लिये छापे डाले गये, उनके खिलाफ एफ0आई0आर0 की गयी और लोग जेल भेजे गये।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

माननीय अध्यक्ष जी, जो छापे मारे गये और जो लोग पकड़े गये, उत्तर प्रदेश या नेपाल में खाद की रेड में। मैं बता दूं कि वहां खाद के रेट में डेढ़ गुने का फर्क है और लगातार तस्करी हो रही है। हजारों बोरे खाद के पकड़े गये और जो लोग रेड हैन्डेड पकड़े गये ब्लैक करते पकड़े गये, खाद के साथ सीमा पार करते पकड़े गये तो उनके विरुद्ध शासन ने कौन सी कार्यवाही की है ?

श्री अध्यक्ष-

अब तक जितना उल्लेख माननीय मंत्री जी ने किया है उसी का तो बताया है कि इतना छापा डाला गया है। अब आप अपने से कह रहे हैं। जितनी कार्यवाही उन्होंने की, उसका तो विस्तृत विवरण उन्होंने दे दिया।

डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि इस समय खाद और बीज मिल रही है। **'का बरसा जब कृषि सुखानी'**। रबी की फसल खराब हो चुकी है। आपूर्ति और बाजार में आने वाले माल का नुकसान हो चुका है। मंहगाई पर इसका असर भी पड़ा। क्या किसानों को जो नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई के लिये माननीय मंत्री जी कोई कदम उठाने जा रहे हैं। दूसरी बात आप कहते हैं कि भण्डारण होगा लेकिन आगामी खरीफ की फसल के समय इस खाद और बीज की मांग और पूर्ति में क्या अंतर रहेगा, यह हम जानना चाहते हैं ? तीसरी बात आप कहते हैं कि सारी आपूर्ति केन्द्र से आती है लेकिन यह कृषि राज्य का विषय है और राज्य को ही खाद वितरण की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है जो कुछ भी माल आपूर्ति आती है आप भण्डारण कीजिए, मेरा प्रश्न यह है कि क्या आगामी खरीफ की फसल के समय किसानों को सही दाम पर सही समय पर निश्चित मात्रा में खाद की आपूर्ति मिल जायेगी ? इसके लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्या के द्वारा जो कहा गया कि किसानों को जो घाटा हुआ, उस घाटे के लिए आप क्या करेंगे ? मान्यवर, यह तो आज की बात नहीं है। मा0 अध्यक्ष जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि :-

तुलसी रामै क्यों भजो, ज्यों किसान की रीति।
काल चौगना ऋण घनौ, तंऊ खेत सौं प्रीति।।

मान्यवर, किसान आज ही नहीं पहले से ही निश्चित रूप से सबसे ज्यादा मेहनत करता है और मेहनत के अनुसार उसे वास्तव में फल नहीं मिलता है, यह आज की बात नहीं है यह तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है। दूसरे मान्यवर, जहां आपने आगे सुनिश्चित कराने के लिए कहा है तो मान्यवर, राज्य सरकार ने यह प्रबन्ध कर दिया है कि पी0सी0एफ0 को यह निर्देश दे दिये हैं कि 10 लाख मीट्रिक टन डी0ए0पी0 का भण्डारण पहले ही किया जायेगा इसके लिए धन की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर ली गयी है, इसमें कोई कमी नहीं रहेगी।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मेरा प्रश्न सुझावात्मक है क्योंकि अब मैं तुलसीकृत राम चरित मानस से लक्ष्मी नारायण कृत मानस पर आ रहा हूं। मान्यवर, मेरा सीधा प्रश्न इतना है कि छापों की बात आपने बतायी, कार्यवाही की बात आपने बतायी, एफ0आई0आर0 की बात आपने बतायी। केन्द्र सरकार से जितना भी आपको रासायनिक खाद मिला है चाहे वह यूरिया हो या डी0ए0पी0 हो। आपके पास "कृभको" की एजेन्सी है, इफ्को की एजेन्सी है, एग्रो की एजेन्सी है, गन्ना सहकारी समिति की एजेन्सी है, मान्यवर, एक दर्जन हमारे पास सरकारी या अर्द्धसरकारी एजेन्सी हैं, जिनके माध्यम से हम खाद का वितरण कराते हैं। आखिर क्या कारण है कि इसके बावजूद भी निजी हाथों में खाद चला जाता है, इसका कुछ तो कारण होगा। हमारे पास जो वितरण की सुदृढ़ व्यवस्था उपलब्ध है और उसके माध्यम से यदि हम खाद को उपलब्ध कराते तो न तो खाद की कमी होती और न ही ब्लैक होने की शिकायत मिलती। खाली छापों की संख्या बता करके हम किसानों का भला तो कर नहीं रहे हैं। क्योंकि आज जब रबी की फसल में यूरिया की सबसे ज्यादा आवश्यकता है लेकिन मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि पहले डी0ए0पी0 नहीं मिल पा रही थी अब यूरिया नहीं मिल पा रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इतनी एजेन्सी होने के बावजूद क्या आप यह सुनिश्चित करेंगे कि इन एजेन्सियों पर उपलब्धता बनी रहे ? छापा वहां मारने की आवश्यकता नहीं है, छापा मारने की आवश्यकता है इन सरकारी एजेन्सियों पर क्योंकि खाद तो यहीं से जाता है ब्लैक के लिए, यह लोग खाद किसान को देने के बजाय ब्लैक कर रहे हैं और ब्लैक होने के बाद खाद किसान को मिल रही है। क्या आप सुनिश्चित करेंगे कि जितनी भी खाद केन्द्र सरकार से उपलब्ध होती है वह इन संस्थाओं के माध्यम से ही वितरित होगी ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, सरकारी और अर्द्ध सरकारी संस्थाओं के द्वारा खाद का वितरण किया जाता है। जो "इफ्को" की खाद हमें मिलती है वह शत-प्रतिशत सहकारी संस्थाओं के द्वारा बांटा जाता है। आई0पी0एल0 और कृभकों से जितना एम0ओ0यू0 हो जाता है वह भी सहकारी संस्थाओं के द्वारा बांटा जाता है। जहां तक प्राइवेट डीलर का सवाल है क्योंकि समस्त खाद यदि सहकारी संस्थाओं के द्वारा बांटी जायेगी तो इतनी भीड़ हो जायेगी कि वह किसी कीमत पर कंट्रोल नहीं हो सकती है। चूंकि हुकुम सिंह जी हमारे बड़े भाई हैं, हमारे मार्गदर्शक रहे हैं यदि यह व्यवस्था उस समय हो जाती है जब आप कृषि मंत्रालय देख रहे थे तो मैं भी उसका अनुसरण कर लेता।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैंने खाद की एक दिन भी कमी नहीं होने दी।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, एक प्रश्न का उत्तर नहीं आया, मा0 हुकुम सिंह जी ने पूछा कि जो वितरण के लिए संस्थाएं हैं वह तो आपकी अर्द्ध सरकारी, सरकारी या सहकारी हैं। यही तीन प्रकार की हैं तो जितना भी यह डी0ए0पी0 खाद या मूल्यवान खाद है, फास्फोरस खाद है या अन्य चीजें हैं। सबसे बड़ी बात है कि विश्वास उन्हीं पर करते हैं तथा उन्हीं को माध्यम बनाते हैं लेकिन फिर भी वहां अनुपलब्ध रहता है और खुले बाज़ार में यह उपलब्ध रहता है। तो इसका आशय यह है कि जो खाद बाजार में बिकने के लिए या तस्करी के लिए जा रहा हो वह निश्चित रूप से ये जो संस्थायें हैं उन्हीं से प्राप्त होती है। आपने छापा मारा, कार्यवाही की और जेल भी भेजा तो क्या जिन संस्थाओं को आपने माध्यम बनाया है उनके विरुद्ध भी कोई छापामारी की और उन संस्थाओं के जिम्मेदार अधिकारियों को आपने जेल भेजा ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि छापे केवल प्राइवेट डीलरों के यहां नहीं पड़ते, सरकारी व अर्द्ध सरकारी संस्थाओं पर भी छापा मारा जाता है और गड़बड़ी मिली है तो कार्यवाही की गयी है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, यह बहुत ही लोक महत्व का प्रश्न है और 70 प्रतिशत जनता कृषि पर आधारित है उसको खाद नहीं मिल रही है।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, एक माननीय मंत्री जी सो रहे हैं, कृपया उनको जगाने का काम करें।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मेरा सीधा सा अनुपूरक था कि ये संस्थायें हैं या अन्य संस्थायें हैं, कहीं उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जाती है। आपने बताया कि इतनी संख्या में छापेमारी की गयी और एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी तो कृपया आप यह भी बता दें कि सरकारी, अर्द्ध सरकारी और सहकारी संस्थायें हैं उनमें कितनों के विरुद्ध कार्यवाही की और कितने लोगों को जेल भेजा ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, मैंने इसकी अलग-अलग सूची तो नहीं मंगाई है। मैं सूचना मंगाकर माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा।

तारांकित प्रश्न

बाढ़ के स्थाई समाधान हेतु कार्य योजना

*।-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 2009 में प्रदेश में बाढ़ की विभीषिका को दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार बाढ़ के स्थाई समाधान हेतु कोई कार्य योजना बनाने व लागू करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

अध्यक्ष महोदय, आपने कहा है कि नीति बनायी गयी है, कार्य योजना बनायी गयी है और न बनने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। मैं इस सम्बन्ध में आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि प्रतिवर्ष जब भी बाढ़ आती है तो करोड़ों-करोड़ रुपये की जन-धन की, फसल की, कृषकों और अन्य गरीब लोगों को हानि उठानी पड़ती है। हमने इसके एक स्थायी समाधान के लिए प्रश्न किया था तो कृपया आप यह बताने की कृपा करें कि यह जो विनाशकारी बाढ़ प्रतिवर्ष आती है उसको रोकने के लिए कौन सी कार्य योजना बनायी है और उसके प्रमुख बिन्दु क्या हैं और उसे कब तक कार्यान्वित करने के लिए आपने लक्ष्य बना रखा है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, जो कार्य योजनायें हैं वह प्रत्येक वर्ष अलग-अलग सूची बना करके, उसके बजट की अलग से व्यवस्था करके की जाती हैं और यदि उसकी सूची चाहते हों तो बता दें यदि बजट के बारे में जानना चाहते हों तो बता दें। मा0 सदस्य थोड़ा स्पष्ट कर दें कि क्या जानना चाहते हैं ?

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, प्रश्न बड़ा स्पष्ट है कि क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 2009 में प्रदेश में बाढ़ की विभीषिका को दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार बाढ़ के स्थायी समाधान हेतु कोई कार्य योजना बनाने व लागू करने पर विचार करेगी ? मैंने वर्ष 2009 का उल्लेख किया है लेकिन यह एक सतत् प्रक्रिया के अन्तर्गत है। जब भी बाढ़ आती है तो प्रदेश को नुकसान होता है कृषकों को नुकसान होता है, आम गरीब आदमियों को नुकसान होता है जनधन की हानि होती है। इसे दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार बाढ़ के स्थायी समाधान हेतु यानी जो बाढ़ आती है और उससे जो नुकसान उठाना पड़ता है उसका स्थाई समाधान हो जाय अगर बाढ़ आये भी तो यह नुकसान न हो लोगों को जन-धन की हानि न उठानी पड़े ऐसा हो जाय इसके लिए आपने कौन सी योजना बनाई है।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जैसा कि विदित है उत्तर प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र नेपाल से लगा हुआ है और नेपाल से राप्ती, घाघरा, शारदा व अन्य छोटी-छोटी नदियां हैं उनसे बाढ़ आती है। अब जब तक नेपाल में बन्धे नहीं बनाये जाते तब तक इसकी व्यवस्था सही ढंग से नहीं हो पायेगी। नेपाल में बंधे बनाने के लिए भारत सरकार और नेपाल राष्ट्र के मध्य वार्ता चल रही है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

नेपाल का कारण जो आपने बताया कि बातचीत चल रही है और वह आपके हाथ में नहीं है लेकिन इसका दूसरा कारण भी है। कम से कम पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग कह

सकते हैं कि अधिकांश नदियां पूरी तरह से उथली हो चुकी हैं उनका पेट भर चुका है थोड़े से पानी में उबलकर चल देती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की तीन चार नदियां आमी, राप्ती, मोहिन आदि में अगर डिसिल्टिंग हो जाए तो इन नदियों का पेट बड़ा हो जाएगा, इन नदियों की डिसिल्टिंग के लिए क्या सरकार ने कोई योजना बनाई है। दूसरी समस्या बंधों के टूटने से होती है। गोरखपुर में महेबा, मिलौली बंधों के सुदृढ़ीकरण की बहुत आवश्यकता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस बन्धे के सुदृढ़ीकरण के लिए 4 करोड़ 62 लाख की योजना स्वीकार की गई थी और आपने 80 लाख रुपये गत वर्ष के पहले दिया था जिसका अधिकारियों ने कैसे उपयोग कर लिया न यह मुझे मालूम है न आपको मालूम होगा। मैं इसी शिकायत को लेकर आपसे मिला था आपने कहा था कि इस वर्ष सम्पूर्ण पैसा दिया जाएगा।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

हालांकि मूल प्रश्न एक बंधे के सम्बन्ध में नहीं है एक बंधे के बारे में सदस्य ने शिकायत की है बहुत से बन्धे हैं एक-एक बन्धे के लिए सूचना मंगानी पड़ेगी। सदस्य मेरे साथ बैठ लें मैं उनको सूचना मंगाकर बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

सूचना नहीं है।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

डिसिल्टिंग की सरकार की कोई योजना नहीं है। नदियों का बहाव प्राकृतिक होता है। आपको मालूम होगा कि विगत में बिहार में कोशी नदी ने अपना रास्ता बदलकर 100 कि0मी0 दूर जाकर बहने लगी तो उसकी जगह बांधी नहीं जा सकती है। इसकी कोई कार्य योजना नहीं है।

डा0 पी0के0 राय-

मंत्री जी की यह बात सही है कि किसी एक बंधे के बारे में बात नहीं उठाई जा सकती। आपने उत्तर में कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ नदियां हैं जो नेपाल से निकलकर आती हैं उन्होंने एक नदी का नाम नहीं लिया बड़ी गण्डक नदी वह नदी भी नेपाल से निकलकर आती है और उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार चली जाती है यह बहुत ही खतरनाक नदी है मैं एक बंधे के बारे में सवाल नहीं करूंगा। लेकिन मैं एक बात आपके माध्यम से अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यह बाढ़ बचाओ के स्थायी समाधान से सम्बन्धित प्रश्न है और इसका प्रभाव हर वर्ष दिखायी देता है। जो भी कार्य योजना बनती है उस कार्य योजना के लिये बजट का प्राविधान अगर समय से होता, बजट का प्राविधान समय से होने से उसका लाभ यह होता कि कार्य गुणवत्तापरक होता और कार्य मजबूती से होता। आपने भी इस बात को महसूस किया है, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं माननीय मंत्री जी कि हमारे यहां कुशीनगर जनपद के तलपीत तहसील में अमुआ खास बन्धे पर गये थे और बिन्दु को देखा था इन्होंने और इस पर जो बन रहा था। इस पर आपके द्वारा ही स्वीकृत किया हुआ था लेकिन अपूर्ण था और जब आपने वहां पूछा तो इस पर बताया गया कि धन के अभाव के नाते पूरा नहीं हुआ। वहीं आपने बिल्कुल उदारता का परिचय देते हुए 1 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की। मेरा प्रश्न केवल इतना है कि क्या इस वर्ष जहां कहीं भी विभाग ने यह महसूस किया है कि बंधा खतरे में है, वहां बंधे में टूटन हो सकती है, नदी उसके ऊपर

प्रभावित कर सकती है, बाढ़ की संभावना बनी हुई है। क्या इन जगहों पर जो भी कार्य योजना स्वीकृत हुई है उस कार्य योजना हेतु समय से बजट का प्राविधान कराकर के मानसून आने से पहले बाढ़ बचाव का कार्य पूरा करा लिया जायेगा ? बस मेरा इतना सा प्रश्न है मान्यवर।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, जहां तक बाढ़ बचाव की बात कही है। मान्यवर, जो भी वित्तीय संसाधन होते हैं उन्हीं के आधार पर ही कार्य योजना में अमल होता है। अब इन्होंने यह कहा कि मानसून से पहले। मान्यवर, बहुत सी ऐसी समस्यायें भी बीच में आ जाती हैं कि जिन बन्धों को हम सुदृढ़ मान रहे होते हैं वह भी ब्रीच कर जाता है इसलिये यह कह पाना कि हां हम 100 प्रतिशत कर देंगे, होने ही नहीं पायेगा, तो मान्यवर, यह कहना तो उचित नहीं होगा। लेकिन हमारा यह प्रयास होगा, कोई आश्वासन नहीं दे रहे हैं। हमारा यह प्रयास होगा कि जो वित्तीय संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं उनको ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक कार्य करवा दिये जायं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि देश की आजादी मिलने के शुरूआती दौर में भारत सरकार के सिंचाई मंत्री डा0 के0एल0 राव साहब थे और वह नेपाल की सरकार से मिलकर जंलकुंडी योजना का प्रारम्भ किया गया था। जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया है कि तमाम नदियां नेपाल से आती हैं और पूर्वांचल को बाढ़ के दिनों में अपनी लपेट में ले आती हैं तो वह जलकुंडी योजना, उस समय संभवतः सी0बी0 गुप्ता साहब चीफ मिनिस्टर थे, बड़ी तेजी से उस पर काम हुआ लेकिन चूंकि नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता थी, इसलिये वह काम पूरा नहीं हो सका। क्या इस दिशा में प्रदेश सरकार भारत सरकार से सम्पर्क स्थापित करके डा0 के0एल0 राव द्वारा जो जलकुंडी योजना है उसको लागू करने का प्रयास करेगी ? इसका कारण यह भी है मान्यवर, कि आज नेपाल की स्थितियां बदल गई हैं। वहां पर एक प्रजातांत्रिक सरकार आ गई है, इसलिये उनसे बात करने में सुविधा होगी तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस दिशा में पहल करेगी कि जलकुण्डी योजना, जिसका प्रारूप पहले बना हुआ था उसको लागू करके पूर्वांचल को बाढ़ से बचाया जा सके ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, जिस योजना की बात कही है, मुझे पत्रावली मंगाना पड़ेगी। यह पत्रावली कहां हैं ? बहुत पुरानी बात है, इस समय उसके बारे में मेरे पास कोई सूचना नहीं है। यह एक स्पेसिफिक बात हो गई। पत्रावली मंगाना पड़ेगी, मंगाकर देखकर ही मैं कुछ सूचना दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, सही बात है, पुरानी योजना है, देखना होगा।

श्री राज किशोर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से केवल इतना ही जानना चाहते हैं क्योंकि हमारे इलाके में धुसवा विक्रम धुसवा बांध आपके संज्ञान में है, आप कई बार गये भी हैं। अभी इस बाढ़

में जब दौरे पर मैं था। वहां पर डी0एम0, एस0डी0एम0 और सारे अधिकारियों के साथ वहां थे। एक छोटा सा सवाल आपसे है। अधिकारियों ने वहां पर बताया कि जो पहले नेपाल पानी छोड़ता था और नेपाल के पानी को संभालने में हमको दिक्कत होती है इस बांध से। आने वाले समय में नेपाल और चीन के बार्डर पर जो बांध बना था उस बांध को चीन ने उड़ा दिया जब माओवादियों की सरकार बनी। अगर अगले वर्ष से इस बंधे की हाइट को कम से कम एक मीटर डेढ़ मीटर ऊंचा नहीं किया गया तो अबकी आने वाले साल में जो बाढ़ आयेगी उससे बस्ती जनपद तहस-नहस हो जायेगा। माननीय मंत्री जी से केवल इतना ही जानना चाहते हैं कि हमारे इलाके में तमाम छोटी-छोटी नदियां हैं जो जाम हो गई हैं, अगर उन नदियों को जो पट गई हैं चाहे झराई के माध्यम से या खुदाई के माध्यम से, खोल दिया जाय और पानी डाइवर्ट कर दिया जाय तो मैं समझता हूं कि कुछ समस्या का निदान हो सकता है, इसलिये मंत्री जी से गुजारिश है कि क्या हमारे इलाके के बंधे को कम से कम एक मीटर ऊंचा करने का प्राविधान या व्यवस्था आपने की है ? अगर किया है तो ठीक है अगर नहीं किया है तो उसे ऊंचा करने की कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, जिस बंधे का यह जिक्र कर रहे हैं उस बंधे की बात इस प्रश्न से बिल्कुल हट करके है अगर इनकी कोई इच्छा है, चाह है, तो मैं उसे दिखवा लूंगा बिना देखे, बिना समझे कोई बात कहना उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

लिखकर दे दीजिएगा। बंधे को उच्चीकरण कराना चाहते हैं तो लिखकर दे दीजिएगा सब अनुपूरक से ही नहीं होगा व्यक्तिगत तौर पर मिल लें।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं क्योंकि पूरे प्रदेश में जब बाढ़ आती है तो नदियों के किनारे जो लोग रहते हैं वह सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं तो माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि प्रदेश में कुल कितने क्षेत्र चिन्हित हैं जहां हर साल बाढ़ से बस्तियां प्रभावित होती हैं उन बस्तियों को बचाने के लिए सरकार ने अब तक क्या उपाय किये हैं ? दूसरी बात जो हर साल बाढ़ से पीड़ित होते हैं फिर राजस्व विभाग उनको सहायता देता है, लोग डूब जाते हैं लोग मर जाते हैं उनको आर्थिक सहायता दी जाती है तो उनको ऊंचा बसाने के लिए कोई योजना बनाई गई है। उनको बाढ़ से बचाने के कोई उपाय किये हैं ?

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न था कि बाढ़ के स्थायी समाधान की कोई योजना है ? अब आपने कहा जो प्रभावित हैं उनके लिए कोई योजना है तो यह तो अलग प्रश्न बनेगा यह तो बाढ़ से स्थायी समाधान से सम्बन्धित प्रश्न है आप बाढ़ से प्रभावित लोगों के बारे में पूछ रहे हैं उच्चीकरण होगा, उनको अलग से बसाया जाएगा तो उसके लिए तो अलग से कोई प्रश्न बनेगा। यह इससे सम्बन्धित कहां हैं ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बंधे का सुदृढ़ीकरण करें। दूसरी बात बाढ़ आती है जो लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं, जो नदियों के किनारे रहते हैं उनको बचाने के लिए उसके लिए बाढ़ से बचाने के लिए क्या प्रबन्ध किये गये हैं क्या प्रभावी कदम उठाये गये हैं ? वहां तटबन्ध बनाये गये ? बस्तियों के किनारे तटबन्ध बनाये हैं क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, बाढ़ सुरक्षा कार्य के अन्तर्गत कटाव निरोधक सीमान्त बांध जलोत्सारन मदों में 127 कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा 196 करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था चालू वित्तीय वर्ष में की गई है। यदि चाहते हों तो मैं पूरी सूची पढ़ दूं कि कौन-कौन से रखे गये हैं।

श्री कुवेर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार अपनी क्षमता के अनुसार बाढ़ रोकने की व्यवस्थायें करती हैं। परिस्थितियों वश बाढ़ आ जाती है तो क्या कोई ऐसा गैप तैयार करके कि उस जल का बाढ़ में हम सदुपयोग कर लें उसके भण्डारण की व्यवस्था हो जाए। वह एरिया खाली करा करके उन्हें कहीं और बसाकर जल के भण्डारण की व्यवस्था हो जाए। इस पर सरकार विचार करेगी ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

इनके पास कोई आंकड़ा हो कि इस एरिया में इतना पानी बरसेगा तो बता दें।

श्री अध्यक्ष-

यह कह रहे हैं कि जो गांव डूबे हैं उस पानी को वहीं रोक दिया जाए या उनको बसा दिया जाय दूसरी जगह ताकि पानी का नुकसान न हो। कुवेर सिंह जी आप फिर से स्पष्ट कर दें।

श्री कुवेर सिंह-

मेरा मतलब यह है हमने सुव्यवस्थायें की, उसके बाद भी बाढ़ आ रही है तो कोई एरिया ज्यादा से ज्यादा ऐसा उपयुक्त चुन लें जो परिस्थितियों के अनुसार जहां गहराई है वहां ज्यादा से ज्यादा जल रोका जाए, ताकि किसानों के लिए उसे जल का सदुपयोग हो जाए।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय सदस्य का आशय मान्यवर बहुत स्पष्ट है मैं इस प्रश्न से अपने को जोड़ते हुए पूछना चाहता हूं। मा0 अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार ने नदियों को आपस में जोड़े जाने की योजना पर, क्योंकि इसका सीधा मतलब बाढ़ से है, यह जो नदियों को जोड़े जाने की योजना है, प्रदेश के कुछ हिस्सों में आप इसे क्रियान्वित भी कर रहे हैं। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में आप केन-बेतवा को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की कोई योजना नदियों को जोड़ करके इस बाढ़ के दुष्प्रभाव को कम करने की बनाई है या नहीं ?

श्री कुवेर सिंह-

मा0 मंत्री जी मेरा उत्तर पहले स्पष्ट हो जाए ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, पहले कुवेर सिंह जी के प्रश्न का उत्तर दे देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

इनका प्रश्न स्पष्ट हो गया है न ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, नदियों में आने वाली बाढ़ से उत्पन्न समस्या को बिल्कुल रोक दिया जाना संभव नहीं है। इस समस्या को न्यूनतम करने के लिए नदियों के किनारे तटबन्ध बनाये जाते हैं और कटाव निरोधक कार्य भी किये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का आशय बिल्कुल सुस्पष्ट है कि यह जो आप बता रहे हैं कि यहां वह काम हुआ, वहां वह काम हुआ। मान्यवर, छोटे-मोटे काम होते हैं, जब बाढ़ आ जाती है, रिलीफ प्रदान करने के लिए वह तो अलग बात है लेकिन मेरा यह सुस्पष्ट प्रश्न है कि इस प्रकार की जो बाढ़ आती है और उसके बाद उसकी विनाशलीला से जो लोग प्रभावित होते हैं, उसके स्थायी समाधान की कोई योजना आपने बनाया है या नहीं ? आपने कहा जी हां। लेकिन मा0 अध्यक्ष जी, जो उत्तर मा0 मंत्री जी ने दिया है, मंत्री जी बहुत वरिष्ठ है, भिज्ञ है, उसके बाद भी इस प्रकार का उत्तर आयेगा तो निश्चित रूप से जो लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं, उनको बड़ी निराशा होगी। बाढ़ के सम्बन्ध में सरकार की ओर से उत्तर आया, मेरे प्रश्न पर कि नेपाल राष्ट्र से वार्ता की जा रही है, यानी चिट्ठी का आदान-प्रदान हो रहा है, जबकि यह बहुत भयंकर समस्या है तो मैं आपके माध्यम से यह अनुपूरक करना चाहता हूं कि चिट्ठियों के आदान-प्रदान से आगे बढ़ करके क्या इसको बहुत ही गम्भीर समस्या मानते हुए कोई प्रतिनिधि मण्डल या कोई अधिकारियों के स्तर पर नेपाल राष्ट्र से जो भी आपने इसके लिए योजना बनाया है या विशेषज्ञों ने जो भी राय आपको दी हो, इस बाढ़ की विनाश लीला को रोकने के लिए उस दिशा में आप कदम बढ़ायेंगे ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, भारत सरकार और नेपाल राष्ट्र के मध्य नवम्बर, 2009 में बाढ़ के सम्बन्ध में वार्ता हुई थी, उसमें नेपाल राष्ट्र के मा0 प्रधान मंत्री जी और भारत सरकार के मा0 प्रधान मंत्री जी के मध्य यह वार्ता हुई थी और विचार-विमर्श होने के बाद जल्दी ही निर्णय लेने की बात कह करके यह मीटिंग समाप्त कर दी गई थी, इसके बाद कल अर्थात् 2 फरवरी, 2010 को दिल्ली में भारत सरकार के केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों और उसमें उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्य अभियन्ता की वार्ता नेपाल राष्ट्र के अधिकारियों के मध्य हुई जिसमें बाढ़ की समस्या पर विचार-विमर्श हुआ और कई जगहों पर शीघ्र बांध बनाने के बारे में निर्णय लिया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

शहरी क्षेत्रों में बी0पी0एल0 कार्ड बनाने की प्रक्रिया

*2-श्री सुरेश कुमार खन्ना (अनुपस्थित)-

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि शहरी क्षेत्रों में बी0पी0एल0 कार्ड बनाने की क्या प्रक्रिया है तथा इसका नोडल विभाग कौन है ? क्या पात्र व्यक्तियों को बी0पी0एल0 कार्ड उपलब्ध कराये जाने हेतु सरकार द्वारा कोई कारगर कार्य योजना बनाई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

योजना आयोग-1 के शासनादेश दिनांक 17 जून, 2004 के अनुसार 05 सदस्यों के परिवार को आधार मानते हुए शहरी क्षेत्र में रु0 25546.00 वार्षिक से कम आय वाले परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की श्रेणी में रखा गया है।

शहरी क्षेत्र में स्थानीय निकाय के अधिकारियों की मदद से लाभार्थियों का चिन्हींकरण किया जाता है तथा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष पात्र परिवारों को विभाग के पूर्ति निरीक्षक/वरिष्ठ पूर्ति निरीक्षक द्वारा बी0पी0एल0 राशन कार्ड निर्गत किया जाता है। इसका नोडल विभाग खाद्य एवं रसद विभाग है।

जी हां।

खाद्य विभाग द्वारा नियमित रूप से बी0पी0एल0/अन्त्योदय राशन कार्डों की जांच करायी जाती है जिसमें अपात्र व्यक्तियों के राशन कार्ड निरस्त करते हुए उतनी ही संख्या में पात्र व्यक्तियों को बी0पी0एल0/अन्त्योदय राशन कार्ड निर्गत किये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मद्य निषेध पूर्णतया लागू करने पर विचार

*3-श्री जोखू लाल यादव-

क्या मद्य निषेध मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में मद्य निषेध पूर्णतया लागू करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्णतया मद्य निषेध लागू होने से अवैध मदिरा का निर्माण एवं बिक्री ज्यादा होने तथा तद्जन्य पारिवारिक उत्पीड़न एवं जनहानि और संगठित अपराधियों के हाथों में मदिरा व्यवसाय चले जाने के फलस्वरूप अपराधों में वृद्धि आदि कारणों से पूर्ण मद्य निषेध वांछनीय नहीं है।

श्री जोखू लाल यादव-

मान्यवर, मैंने प्रश्न किया था कि क्या मद्य निषेध मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में मद्य निषेध पूर्णतया लागू करने पर विचार करेगी और इसका दूसरा अंश था कि यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं तो क्यों ? सरकार का पहले का, जवाब आया है कि मद्य निषेध पर विचार नहीं करेंगे और इन्होंने कारण बताया है कि पूर्णतया मद्य निषेध लागू होने से अवैध मदिरा का निर्माण एवं बिक्री ज्यादा होने तथा तद्जन्य पारिवारिक उत्पीड़न एवं जनहानि और संगठित अपराधियों के हाथों में मदिरा व्यवसाय चले जाने के फलस्वरूप अपराधों में वृद्धि आदि कारणों से पूर्ण मद्य निषेध वांछनीय नहीं है। मान्यवर, जब मैंने यह प्रश्न पूछा था तो मेरे मन में आशय था और मान्यवर, जिस आसन पर आप बैठे हैं और ठीक ऊपर श्री महात्मा गांधी जी की तस्वीर लगी है और हमारे सामने उस समय मंत्री जी का चेहरा भी था और मेरी सबसे बड़ी जो चिन्ता है वह यह है कि आज युवा पीढ़ी नशे और शराबखोरी में बरबाद हो रही है। मान्यवर, यह देश दुनिया के अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी श्री महात्मा गांधी जी का है। श्री महात्मा गांधी जी ने कहा था कि शराब सभी जुर्म की मां है और माननीय मंत्री जी जो इस विभाग के मंत्री हैं वह भी एक ऐसे वर्ग से आते हैं जिनके हिसाब से इसका सेवन करना तो दूर उसको छूना भी गुनाह है। मान्यवर, उस स्थिति में मुझे आशा थी कि देश की भावी पीढ़ी जो नशे की लत में चली जा रही है उसको बचाने के लिए माननीय मंत्री जी कोई कदम उठायेंगे। लेकिन मुझे अफसोस है कि सरकार ने जवाब दिया है कि सरकार इसलिए शराब की बिक्री करना, चाहती है क्योंकि इनको चिन्ता है कि ऐसा न करने से अवैध शराब का निर्माण और बिक्री ज्यादा होने लगेगी। मान्यवर, मंत्री जी को इस बात की चिन्ता नहीं है कि प्रदेश की युवा पीढ़ी नशे की लत में बरबाद हो रही है और प्रायः यह देखा गया है कि नशा करने वाले और मद्यपान करने वाले कभी-कभी ऐसे अपराध कर बैठते हैं कि उसका कारण भी नशा होता है। मान्यवर, गुजरात प्रदेश में पूर्णतया मद्य निषेध है। अगर आप गुजरात प्रदेश के अपराध का ग्राफ देखें तो उत्तर प्रदेश की अपेक्षाकृत वह भी कम है। हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहेंगे कि आपने इस बात को ध्यान में रखते हुए युवा पीढ़ी को नशाखोरी से बचाने के लिए मद्य निषेध पर विचार नहीं किया है तो क्या सरकार आने वाली पीढ़ी को इससे उबारने के लिए पुनर्विचार करेगी ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने संभवतः आबकारी विभाग की बात कर दी। यह भूल गये कि इन्होंने मद्य निषेध विभाग से सवाल किया था और मैं मद्य निषेध विभाग के मंत्री की हैसियत से खड़ा हूं। मान्यवर, माननीय सदस्य ने गुजरात की बात कही। मान्यवर, गुजरात ही नहीं, कई प्रांतों में मद्य निषेध हुआ था इसमें हरियाणा है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है। मान्यवर, जिन प्रांतों में मद्य निषेध लागू किया गया वहां अवैध मदिरा घर-घर बनने लगी और पता चला कि एक दिन में कई-कई मृत्यु जहरीली मदिरा पीने के बाद हो गयी! आप कहते हैं कि उनको बचायेंगे। यह तो अपराध को और मौका मिल रहा है। जो स्मगलर थे। शराब माफिया थे, शराब के स्मगलर थे, उन्होंने स्मगलिंग शुरू कर दी। मैं तो पूरी बात सुनता रहा। आप अपने सवाल का जवाब सुन लीजिए। मैं गुजरात की बात लेता हूं, मान्यवर, आपने गुजरात की बात कही है। गुजरात में 1977

में अहमदाबाद जनपद में जहरीली शराब पीने के कारण 101 व्यक्तियों की जान चली गयी, गुजरात में 1989 जनपद बड़ोदरा में जहरीली वस्तु इस्तेमाल करने से 136 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी। जुलाई, 2009 में पुनः अहमदाबाद में जहरीली शराब विषाक्त शराब पीने से 152 लोगों की मृत्यु हो गयी। मान्यवर, एक तरफ मृत्यु हो रही है एक तरफ अपराध को बढ़ावा मिल रहा है। एक तरफ लॉ एण्ड ऑर्डर की प्राब्लम खड़ी हो रही है तो मान्यवर, जब ऐसी समस्यायें आ रही हैं तो ऐसी स्थिति में पूर्णतया मद्य निषेध लागू करना संभव नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

बस ठीक है।

श्री उदयराज-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। मा0 मंत्री जी ने कई प्रदेशों का गुजरात, हरियाणा, आंध्रा इन तमाम प्रदेशों का उदाहरण दिया।

श्री अध्यक्ष-

अनुपूरक करिये।

श्री उदयराज-

अनुपूरक ही कर रहा हूं मान्यवर, कि वहां पर मद्य निषेध न होने के कारण कितनी मृत्यु हुई हैं मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि क्या मा0 मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में मद्य निषेध लागू न होने के बाद क्या उत्तर प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री हो रही है और यदि हो रही है तो उत्तर प्रदेश में कितने लोग अवैध शराब गलत जहरीली शराब पीने के कारण कितने लोगों की मृत्यु हुयी है ? मान्यवर, बहुत सीधा सवाल है मेरा।

श्री अध्यक्ष-

यह सीधा नहीं, बहुत टेढ़ा स्वाल है।

श्री उदयराज-

नहीं, नहीं टेढ़ा नहीं, जहरीली शराब पीने के कारण ...

श्री अध्यक्ष-

अब इसकी सूचना मा0 मंत्री जी ...

श्री उदयराज-

मा0 मंत्री जी मुझे जानकारी है बगल में बछरावां थाने के अन्तर्गत जहरीली शराब पीने के कारण 10 लोगों की मृत्यु हो गई।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न लगा दीजिएगा। प्रश्नों का समय समाप्त।

श्री उदयराज-

उत्तर तो दिला दीजिये, अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष-

अब प्रश्नों का समय समाप्त।

*4-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

[तीसरे मंगलवार के तारांकित प्रश्न सं0-6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गन्ना मूल्य निर्धारण की नई नीति

*5-श्री मदन चौहान-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश सरकार ने गन्ना मूल्य निर्धारण की कोई नीति बनाई है ? यदि हां, तो वह किन तथ्यों पर आधारित है ? क्या सरकार 300 रुपये प्रति कुन्तल गन्ने का मूल्य निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य के निर्धारण हेतु समस्त सुसंगत पहलुओं पर विचार कर संस्तुतियां उपलब्ध कराने के लिए मुख्य सचिव, उ0 प्र0 की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। उक्त गठित समिति को विभागीय बिन्दुओं पर सूचना/आंकड़े एवं अन्य सुसंगत अभिलेख उपलब्ध कराने व सहयोग करने हेतु गन्ना आयुक्त उ0 प्र0 की अध्यक्षता में उप समिति का गठन किया गया है। गन्ना उत्पादन पर आने वाली लागत एवं गन्ना कृषकों के हितों के दृष्टिगत सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरान्त राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य निर्धारित किया जाता है।

मुख्य सचिव, उ0 प्र0 की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त पेराई सत्र, 2009-10 के लिए निम्नवत् राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य निर्धारित किया गया है :-

1-अगैती प्रजाति	रु0 170.00 प्रति कु0
2-सामान्य प्रजाति	रु0 165.00 प्रति कु0
3-अनुपयुक्त घोषित प्रजाति	रु0 162.50 प्रति कु0

उपरोक्तानुसार राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य सक्षम स्तर से निर्धारित किया जा चुका है। प्रश्न नहीं उठता।

गन्ना उत्पादकों को गन्ने का उचित मूल्य न मिलने का कारण

*6-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पेराई सत्र 2009-10 में गन्ने का उत्पादन पिछले वर्षों 2008-09 एवं 2007-08 से कितने मीट्रिक टन कम होने का अनुमान है ? क्या यह कमी गन्ना उत्पादकों को उनके गन्ने का उचित मूल्य न मिलने के कारण है ? यदि हां, तो क्या सरकार गन्ना उत्पादन बढ़ाने के लिये 200 रु0 प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य भुगतान करने के आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :-तारांकित प्रश्न संख्या-3 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

पेराई सत्र 2009-10 में वर्ष 2008-09 का तुलना में 127.82 लाख मी0 टन तथा वर्ष 2007-08 की तुलना में 628.89 लाख मी0 टन गन्ना उत्पादन कम होने का अनुमान है।

जी नहीं। विगत दो पेराई सत्रों 2006-07 व 2007-08 में निर्धारित राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य को निजी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा मा0 न्यायालयों में विवादित बनाये जाने के कारण गन्ना कृषकों द्वारा गन्ना बुआई में कम रुचि ली गयी, जिसके कारण गन्ना उत्पादन में कमी हुई।

पेराई सत्र, 2009-10 में निम्नवत् राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य निर्धारित किया गया है :-

1-अगैती प्रजाति	रु0 170.00 प्रति कु0
2-सामान्य प्रजाति	रु0 165.00 प्रति कु0
3-अनुपयुक्त घोषित प्रजाति	रु0 162.50 प्रति कु0

प्रदेश की नदियों में आने वाली बाढ़ से बचाने हेतु योजना

*7-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की नदियों में आने वाली बाढ़ से जनजीवन को बचाने के लिये सरकार द्वारा क्या कोई उपाय किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2009-10 में नदियों के किनारे संवेदनशील/अतिसंवेदनशील स्थलों पर बाढ़ सुरक्षा कार्यों के अन्तर्गत सीमांत बांध, कटाव निरोधक व जलोत्सारण कार्यों हेतु राज्य सरकार द्वारा 127 अदद कार्य योजनाओं हेतु रु0 596.50 करोड़ (पांच सौ छियान्वे करोड़ पचास लाख रुपये) की बजट व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इन कार्य योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ ओ0सी0आर0 के समीप संचालित शराब का ठेका हटाने की मांग

*8-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजधानी लखनऊ स्थित विधायक निवास ओ0सी0आर0 (उदयगंज रोड) की दीवाल के समीप शराब का ठेका संचालित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या उक्त शराब की दुकान हटवा दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्नगत दुकान की प्रास्थिति, उ0प्र0 आबकारी दुकानों की संख्या और स्थिति नियमावली-1968 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुकूल है। अतएव प्रश्नगत दुकान को राजस्व हित में अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने का औचित्य नहीं।

गैस सिलेन्डर में घटतौली के निराकरण हेतु ठोस योजना

*9-श्री उदयभान करवरिया-

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलों में विशेष तौर से ग्रामीण अंचलों में गैस एजेन्सियों द्वारा गैस सिलेन्डर में घटतौली करके आम ग्राहकों का शोषण किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इसके निराकरण हेतु कोई ठोस योजना तैयार की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी नहीं।

इस सम्बन्ध में पूर्व से पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध है।

पूर्व से ही गैस सिलेण्डर में घटतौली रोकने हेतु मानक बांट तथा माप (प्रवर्तन) अधिनियम 1985 की धारा 33/51(2) एवं मानक बांट तथा माप (डिब्बा बन्द वस्तु) नियमावली, 1977 के नियम 24, 25 एवं 26 के अन्तर्गत प्राविधान उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त शासनादेश दिनांक 19-01-2009, 01-10-2009 एवं 05-01-2010 के द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को एल0पी0जी0 गैस की कालाबाजारी रोके जाने हेतु समुचित निर्देश दिये गये हैं। अतः सम्प्रति कोई अन्य योजना की आवश्यकता नहीं है।

राज्य सम्पत्ति विभाग के आवासों दारुलशफा ए, बी तथा सी ब्लाक, ओ0सी0आर0 में गैराज का आवंटन

*10-श्री राजाराम त्यागी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग के आवासों दारुलशफा, ए, बी तथा सी ब्लाक, ओ0सी0आर0 या अन्य माननीय सदस्यों के आवासों पर कितने गैराज उनकी गाड़ी खड़ी किये जाने हेतु निर्मित हैं ? इनमें से कितने और किन-किन लोगों को आवंटित किये गये हैं ? क्या सरकार मा0 सदस्यों को मांग के अनुरूप गैराज उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)-

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन दारुलशफा के विधायक निवास-1 में 32, विधायक निवास-2 पुराना में 25, ओ0सी0आर0 में 25, विधायक निवास-4 में 15, विधायक निवास-5 में 21, विधायक निवास-6 में 23 गैराज है। उक्त के अतिरिक्त विधायक निवास-1 में वाहन चालकों के पुराने गैराजों के स्थान पर 09 नये गैराज निर्मित हो चुके हैं। कार्यदायी संस्था द्वारा उक्त नवनिर्मित गैराज विभाग को अभी हस्तगत नहीं कराये गये हैं।

उक्त गैराजों के आवंटियों की सूची संलग्न* है।

मा0 सदस्यों की संख्या के अनुसार गैराज उपलब्ध नहीं है। सभी माननीय विधायकों के वाहनों के लिए गैराज बनाये जाने हेतु विधायक निवासों में पर्याप्त स्थान उपलब्ध न होने के कारण विधायक निवासों में खुले पार्किंग स्थल विकसित किये जा रहे हैं। इस क्रम में दारूलशफा, में पार्किंग स्थल विकसित किये गये है। बहुखण्डीय मंत्री आवास में भू-तल एवं खुले में पार्किंग स्थल विकसित हैं। ओ0सी0आर0 में दोनों ब्लाकों के मध्य स्थान में वाहनों को पार्क किये जाने की सुविधा उपलब्ध है।

*(कृपया देखिये नत्थी 'क' पृष्ठ सं0 208-214 पर)

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

गन्ना बोआई को प्रोत्साहित करने हेतु नयी गन्ना नीति

*11-डा0 राजेन्द्र सिंह-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में चीनी की कमी को देखते हुए सरकार किसानों को गन्ना बोआई हेतु प्रोत्साहित करने के लिये कोई नयी गन्ना नीति बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

गन्ने की खेती को और प्रभावी बनाने तथा किसानों को गन्ना बुवाई हेतु प्रोत्साहित करने हेतु पूर्व से ही विभिन्न लाभकारी योजनाएं संचालित हैं।

हज यात्रा पर भेजे जाने वाले प्रस्तावित हज यात्री एवं उनकी सुविधा हेतु दिये गये उपाय

*12-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चालू वर्ष में कुल कितने हज यात्री हज यात्रा पर भेजे जाने प्रस्तावित हैं तथा हज यात्रियों की सुविधा के लिये सरकार द्वारा क्या-क्या उपाय किये गये हैं ? क्या सरकार गत वर्ष हाजियों को बीजा आदि की सुविधा समय से उपलब्ध न होने के कारण हुई असुविधा को देखते हुए उसके निराकरण के लिये कोई उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अनीस अहमद खां)-

हज वर्ष 2009 के दौरान 30,678 हज यात्री हज के लिये भेजे गये हैं।

1-हज-2009 हेतु इच्छुक आवेदन कर्ताओं को जिला एवं ब्लाक स्तर पर हज फार्म उपलब्ध कराये गये। 63,141 आवेदन पत्रों में से हज कमेटी आफ इण्डिया, मुम्बई द्वारा आवंटित कोटे के बराबर चयन जिलावार लाट्री द्वारा किया गया।

2-हज 2009 की यात्रा हेतु चयनित हज यात्रियों को उड़ान तिथि आदि की सूचना डाक दूरभाष, एस0एम0एस0 तथा हज समिति कार्यालय के विशेष सूचना सेल द्वारा दी गयी। उड़ान के समय हज यात्रियों को हज हाउस में ठहराया गया तथा शेष औपचारिकतायें पूर्ण कराने के उपरांत बसों से एयरपोर्ट तक पहुंचाया गया। एयरपोर्ट पर जाने तथा वापसी में हज समिति के अधिकारियों/कर्मचारियों को एयरलाईन, कस्टम, इमीग्रेशन आदि से समन्वय हेतु तैनात किया गया। हज यात्रियों को अन्तर्राष्ट्रीय पासपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए हज समिति के कार्यालय में एक विशेष पासपोर्ट सेल खोला गया। पुलिस रिपोर्ट में विलम्ब न हो इसके लिए मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समस्त जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षक को विशेष निर्देश जारी किये गये।

वीजा आदि की परेशानियों से निपटने के लिए केन्द्रीय हज समिति, मुम्बई के कार्यालय पर अधिकारियों/कर्मचारियों की टीम तैनात की गयी जिनके द्वारा वीजा सम्बन्धी कार्य कराये गये।

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में अन्त्योदय, बी0पी0एल0 एवं ए0पी0एल0 कार्ड धारकों की खाद्य सामग्री के वितरण में कालाबाजारी को रोकने की योजना

*13-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में अन्त्योदय, बी0पी0एल0 एवं ए0पी0एल0 कार्ड धारकों को खाद्य सामग्री का वितरण कालाबाजारी के कारण सही

ढंग से नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा कालाबाजारी को रोकने के लिये कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मंहगाई पर नियंत्रण हेतु सरकारी नीति

*14-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बढ़ती हुई मंहगाई पर नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा क्या कोई नीति अथवा कार्य योजना तैयार की गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी हां।

(1) आदेश दिनांक 25-06-08 द्वारा आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति तथा उनके मूल्यों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से नियमित समीक्षा एवं अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है।

(2) अधिसूचना दिनांक 01-06-08 द्वारा आवश्यक वस्तुओं- गेहूं, चावल, दालें, खाद्य तिलहन एवं खाद्य तेल पर तथा अधिसूचना दिनांक 25-09-09 द्वारा प्रदेश में चीनी की स्टाक लिमिट एवं टर्न ओवर लिमिट निर्धारित की गयी है।

(3) शासनादेश दिनांक 01-01-09, 14-07-09, 21-07-09, 11-11-09 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण रखे जाने के उद्देश्य से थोक व्यापारियों के साथ वार्ता करने एवं आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी एवं कृत्रिम अभाव को रोके जाने के सम्बन्ध में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैं।

(4) शासन के पत्र दिनांक 18-07-09 द्वारा समस्त मण्डलायुक्तों को भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण रखे जाने के उद्देश्य से प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

(5) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण रखे जाने के उद्देश्य से आयुक्त, खाद्य एवं रसद, प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद तथा मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा समय-समय पर समीक्षा कर समुचित कार्यवाही की जाती है।

इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन के पत्र दिनांक 22-12-2009 द्वारा समस्त मण्डलायुक्तों तथा जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं, कि मण्डलायुक्त अपने मण्डल तथा जिलाधिकारी अपने जनपदों एवं एस0डी0एम0 अपनी तहसीलों में प्रतिदिन आवश्यक वस्तुओं के थोक

एवं फुटकर भावों का विश्लेषण एवं समीक्षा करेंगे तथा आवश्यक वस्तुओं के थोक व्यापारियों तथा फुटकर व्यापारियों के साथ-साथ व्यापार मण्डल के प्रतिनिधिगण से निरन्तर वार्ता कर आवश्यक वस्तुओं को उचित दर पर जनसामान्य को उपलब्ध करायेंगे।

यह भी निर्देश दिये गये हैं, कि यद्यपि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण रखने तथा जमाखोरी को रोकने के लिये आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा-6 तथा 3/7 में पर्याप्त व्यवस्था की गयी है, फिर भी यदि किसी जनपद में ऐसा पाया जाता है कि थोक/फुटकर व्यापारियों/व्यापार मण्डल के प्रतिनिधि मण्डल के साथ वार्ता के बाद भी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण नहीं हो रहा हैं तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की कथित धाराओं में कार्यवाही करना अपरिहार्य हो गया है तो जिलाधिकारी पूर्ण तथ्यों सहित अपनी सुस्पष्ट आख्या/संस्तुति मण्डलायुक्त के माध्यम से शासन से शासन के विचारार्थ प्रेषित करेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

गन्ने का प्रति क्विंटल मूल्य का निर्धारण

*15-श्री प्रदीप माथुर-

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2007 के पहले बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या-13 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना आयुक्त की आख्या शासन को किस तिथि को प्राप्त हुई ? क्या जांच आख्या के आधार पर एक क्विंटल गन्ने से उत्पाद (चीनी) व सह उत्पाद (खोई फ्रेशमेण्टव शीरा) का वर्तमान बाजारू मूल्य जोड़ते हुए गन्ने का प्रति क्विंटल क्या मूल्य निकाला गया है ? मूल्य निर्धारित करने का आधार क्या लिया गया है ? एक क्विंटल गन्ने के पेराई पर मिल का व्यय सरकार द्वारा क्या निर्धारित है ? यदि अब तक आख्या नहीं प्राप्त हुई है तो उसके क्या कारण हैं तथा इसके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दकी-

गन्ना आयुक्त की आख्या दिनांक 29-10-2007 को प्राप्त हुई है।

गन्ना आयुक्त की आख्या में गन्ने के उत्पाद व सह उत्पाद के मूल्य को जोड़ते हुए गन्ने के मूल्य निकाले जाने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। गन्ने की उत्पादन लागत चीनी व सह-उत्पाद (खोई, प्रेसमड व शीरा) के मूल्यों एवं कृषक हितों से सम्बन्धित सभी पहलुओं पर विचार करते हुए गन्ना मूल्य निर्धारित किया जाता है।

राज्य सरकार द्वारा एक कुन्तल गन्ने की पेराई पर चीनी मिल द्वारा किये गये व्यय को निर्धारित नहीं किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जिला योजना प्रतापगढ़ में निर्धारित परिव्यय से विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिये निर्माण कार्य

1-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2008-09 में जिला योजना, प्रतापगढ़ में अनुमोदित परिव्यय से विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिये कौन-कौन से निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं ? क्या उक्त निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

वर्ष 2008-09 में जिला योजना प्रतापगढ़ में सड़क एवं पुल मद में निर्धारित परिव्यय के सापेक्ष जिला योजना समिति द्वारा 29.99 किमी0 लम्बाई व लागत रु0 555.58 लाख के नये ग्रामीण मार्ग निर्माण हेतु कार्यवार अनुमोदन प्रदान किया गया, जिसमें से विधान सभा पट्टी में निम्नलिखित मार्ग प्रस्तावित थे :--

1. पट्टी रानीगंज मार्ग से रामसूरत मिश्रा के घर तक उपाध्याय बस्ती, तिवारी बस्ती, ग्राम गड़ौरी चन्दुआ पट्टी मार्ग लम्बाई 1.35 किमी0 लागत रु0 27.72 लाख।
2. धरौल मुफरीद पक्के मार्ग से ढिहवा पुरवा होते हुए अजीत प्रताप सिंह के घर तक मार्ग लम्बाई 0.225 किमी0 लागत रु0 3.88 लाख।
3. रामगढ़ा सम्पर्क मार्ग से कोटिया श्री बजरंगी सिंह के बस्ती तक लम्बाई 0.50 किमी0 लागत रु0 8.56 लाख।
4. असुढ़ी पुल से होशियारपुर पुरे सुखचेन अशोकपुर तक सम्पर्क मार्ग लम्बाई 0.50 किमी0 लागत रु0 8.56 लाख।
5. सराय मघई से शर्मा ग्राम तक संपर्क मार्ग लम्बाई 0.50 किमी0 लागत रु0 8.56 लाख।
6. सोनपुरा राष्ट्रीय राज्य मार्ग से तुरकोली मार्ग से दयाशंकर पाठक का पुरवा तक मार्ग लम्बाई 0.50 किमी0 लागत रु0 8.56 लाख।

जी नहीं, क्योंकि उक्त कार्य के आगणन मुख्य अभियन्ता, इलाहाबाद क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, इलाहाबाद के पत्र दिनांक 30-10-08 द्वारा मुख्य अभियन्ता मुख्यालय-1 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को प्रेषित किया गया, जिसे उनके पत्र दिनांक 24-02-09 द्वारा जिला योजना वर्ष 2008-09 के कार्यों (ग्रामीण मार्ग/लघु सेतुओं के नव निर्माण) में कोई धनराशि उपलब्ध न होने के कारण इस आशय से वापस कर दिया गया कि इन कार्यों को वित्तीय वर्ष 2009-10 के जिला योजनान्तर्गत (ग्रामीण मार्ग/लघु सेतुओं के नव निर्माण) के आगणन जिला स्तरीय समिति से अनुमोदित कराकर प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग कार्यालय को प्रेषित किया जाय। उक्त के क्रम में प्रश्नगत 6 कार्यों में से 5 कार्य वर्ष 2010-11 की जिला योजना (सामान्य) के अन्तर्गत जिला योजना समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम बरहा, ब्लाक मंगरौरा, तहसील पट्टी के कोटेदार के विरुद्ध शिकायत-पत्रों की जांच

2-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम बरहा, ब्लाक मंगरौरा, तह0 पट्टी के कोटेदार के विरुद्ध श्री भोलई पुत्र श्री फेरई अनु0 द्वारा दिये गये शिकायती-पत्रों पर जन सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन मांगी गई सूचना पर तहसीलदार/सहा0 सूचना अधिकारी, पट्टी, प्रतापगढ़ द्वारा अपने पत्र मेमो/रा0लि0जन सूचना-08,

दिनांक 30-1-2008 द्वारा पूर्ति निरीक्षक, पट्टी द्वारा प्रस्तुत सूचना उपलब्ध कराई गई है ? यदि हां, तो ग्राम बांसी बरहा के शिकायतकर्ता के प्रार्थना-पत्र, दिनांक 7-8-2007 खाद्य अनु0-6 के पत्र 2641/29-16-08-67 सा/08, दिनांक 4-8-08 तथा 9-10-07 सहित अन्य शिकायती-पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी हां।

जांच में पाई गई अनियमितताओं के कारण विक्रेता का अनुबन्ध पत्र दिनांक 13 जनवरी, 2010 को निरस्त कर दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम बेलामुण्डी स्थित बांध की मरम्मत व निर्माण से सम्बन्धित पत्र पर कृत कार्यवाही

3-श्री उदयभान करवरिया-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बेलामुण्डी स्थित बांध की मरम्मत व निर्माण से सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, बारा का पत्र संख्या 697/एस0टी0/बारा, दिनांक 20 अगस्त, 2008 जिलाधिकारी, इलाहाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दकी-

जी हां।

जनपद इलाहाबाद के तहसील-बारा में कुल 22 बंधियों के पुनरोद्धार परियोजना लागत रु0 320.00 लाख में बेलामुण्डी बंधी के पुनरोद्धार हेतु रु0 69.65 लाख का प्राक्कलन सम्मिलित है। उक्त परियोजना हेतु कुल आवंटित धनराशि के सापेक्ष बेलामुण्डी बंधी के लिए रु0 37.66 लाख का कार्य पूर्ण कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र निघासन में मोहान नदी पर कटान रोकने के सम्बन्ध में पत्र

4-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 सी0एम0/वि0को0/एम 198431/2009, दिनांक 8-6-09 जो वि0 सभा क्षेत्र निघासन में मोहान नदी पर कटान रोकने के संबंध में था, प्रमुख सचिव, सिंचाई को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दकी-

जी हां।

मोहान नदी, भारत-नेपाल अर्न्तराष्ट्रीय सीमा एवं राष्ट्रीय संरक्षित वन क्षेत्र में है। नदी के कटान से ग्रामों की कृषि योग्य भूमि बचाने हेतु सर्वेक्षण कार्य किये जाने की अनुमति उपनिदेशक, दुधवा नेशनल पार्क, पलिया, लखीमपुर खीरी से मांगी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

शारदा नदी पर ठोकर बनाये जाने में की गयी अनियमितता की जांच

5-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 23-06-09 जो लखीमपुर खीरी में झादि ताल व पिपरिया मूड में शारदा नदी पर ठोकर बनाये जाने में की गई अनियमितता की जांच कराने विषयक था, पर शासन के पत्र संख्या 78 सी0एम0/09-27-सिं0-5-144/09, दिनांक 27-8-09 द्वारा प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई को जांच कराने के आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या जांच की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है ? यदि नहीं, तो कब तक जांच पूर्ण कर ली जायेगी ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दकी-

जी हां।

जांच प्रक्रिया प्रगति में है और जांच कार्यवाही शीर्ष पूर्ण कर ली जायेगी।

जनपद खीरी स्थित सुहैली जोरा नाला खैरीगढ़ पर निर्माणाधीन पुल का निर्माण कार्य

6-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी स्थित सुहैली जोरा नाला खैरीगढ़ पर निर्माणाधीन पुल का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो पुल का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दकी-

जी नहीं।

पुल का निर्माण कार्य मार्च, 2010 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

भवन संख्या सी-6, लोहिया नगर, गाजियाबाद की रजिस्ट्री कराये जाने विषयक-पत्र

7-चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 के पत्र सं0 सी0एम0-39/आठ-1-2008, दिनांक 25-2-09, जो भवन संख्या-सी-6, लोहियानगर, गाजियाबाद की रजिस्ट्री कराये जाने विषयक था, उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त आवास की रजिस्ट्री हायर परचेज के आधार पर धनराशि रु0 14,14,012.00 क्रय मूल्य निर्धारित किया गया था ? यदि हां, तो क्या नियमानुसार छूट प्रदान करते हुए रु0 14,00,000/- उक्त आवास की एक मुश्त धनराशि प्राधिकरण के खाते में दि0 16-4-2001 को जमा कराई जा चुकी है ? यदि हां, तो अभी तक रजिस्ट्री न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दकी-

जी हां।

जी हां।

प्रश्नगत भवन हायर परचेज पर आवंटित हुआ था। इसलिए इस भवन पर छूट दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है। दिनांक 16-04-2004 को रु0 14,00,000/- आंशिक भुगतान के रूप में प्राधिकरण में जमा करायी गयी है। उक्त भवन संख्या-सी-6, लोहिया नगर, दिनांक 22-01-97 को श्री आर0के0 सिंह को हायर परचेज के आधार पर रु0 14,14,012.00 के क्रय मूल्य पर 20 छमाही किस्तों में 18 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान किये जाने की शर्त पर आवंटित किया गया था। श्री सिंह द्वारा भुगतान विवरण के अनुसार धनराशि जमा नहीं करायी गयी। वर्ष 2001 में उनके द्वारा श्रीमती माधुरी शर्मा पत्नी श्री अरविन्द शर्मा को भवन का नॉमिनी बना दिया गया था। दिनांक 31-03-01 को प्राधिकरण द्वारा नॉमित करते समय भवन पर 8 प्रतिशत की धनराशि रु0 17,65,408.00 बकाया हो चुकी थी, शेष 12 किस्त 01-01-07 तक जमा करायी गयी थी।

निर्धारित समय के अन्दर भुगतान न कराये जाने के कारण ब्याज की देयता बढ़ती गयी, श्रीमती शर्मा द्वारा वांछित धनराशि अभी तक जमा नहीं की गयी है। प्राधिकरण को भवन के विरुद्ध देय धनराशि जमा न होने के कारण भवन की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। यदि श्रीमती माधुरी शर्मा बकाया धनराशि रु0 38,59,248.00 जमा करा देती है, तो प्राधिकरण द्वारा उनके भवन की रजिस्ट्री कर दी जायेगी।

जनपद इलाहाबाद में अधिष्ठापित राजकीय नलकूप

8-श्री जोखू लाल यादव-

क्या सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2009-10 में सिचाई हेतु जनपद-इलाहाबाद में कुल कितने राजकीय नलकूप अधिष्ठापन हेतु प्रस्तावित हैं ? क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद जनपद की विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर में चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 में सिंचाई हेतु कितने राजकीय नलकूप लगाये जाने हेतु प्रस्तावित हैं ? उक्त राजकीय नलकूप कहां-कहां स्थापित किये जायेंगे तथा उन्हें कब तक चालू करा दिया जायेगा ? उसका विवरण क्या है ?

सिंचाई, यान्त्रिक राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जयवीर सिंह)-

जनपद इलाहाबाद में वित्तीय वर्ष 2009-10 में सिंचाई हेतु कुल 36 राजकीय नलकूप अधिष्ठापन हेतु प्रस्तावित हैं।

प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र (नये परिसीमन के अनुसार) में चालू वित्तीय वर्ष 2009-2010 में 04 राजकीय नलकूप लगाये जाने प्रस्तावित हैं।

ग्राम-बहूपुर मजरा/आरकलॉ/खिजिरपुर के मध्य एक, ग्राम-रैनी में, एक ग्राम-ढकपुरवा में तथा एक ग्राम-नेवादा जंघई में एक राजकीय नलकूप अर्थात् कुल चार नलकूप लगाये जायेंगे, जिन्हें इसी वित्तीय वर्ष में चालू किया जाना प्रस्तावित है।

बुन्देलखण्ड के झांसी व चित्रकूट धाम मण्डल में खाद्यान्न आवंटन की जांच

9-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड के झांसी मण्डल व चित्रकूट धाम मण्डल में शहरी क्षेत्रों नगरपालिका परिषद् नगर पंचायत क्षेत्रों में वर्ष 2008-09 से 30-9-09 तक कुल कितना खाद्यान्न आवंटित तथा वितरित किया गया ? क्या सरकार को यह भी,

जानकारी है कि ए0पी0एल0 कार्ड धारकों का गेहूं वितरण न करके कालाबाजारी की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

झांसी मण्डल के शहरी क्षेत्रों, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत में वर्ष 2008-09 से 30-9-09 तक कुल 536829.87 कुन्तल खाद्यान्न के आवंटन के सापेक्ष 536829.87 कुन्तल वितरण तथा चित्रकूटधाम मण्डल में 1021618.40 कुन्तल खाद्यान्न के आवंटन के सापेक्ष 1021618.40 कुन्तल खाद्यान्न का वितरण किया गया।

उक्त अवधि में झांसी एवं चित्रकूट मण्डल में आवंटित किया गया समस्त खाद्यान्न का वितरण कर दिया गया है। अतः कालाबाजारी का प्रश्न ही नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

बुन्देलखण्ड के झांसी एवं चित्रकूट मण्डल में अन्त्योदय/बी0पी0एल0 एवं ए0पी0एल0 कार्डों की संख्या एवं धारकों को खाद्यान्न का आवंटन

10-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड के झांसी मण्डल एवं चित्रकूट धाम मण्डल में ब्लाक वार कुल कितने अन्त्योदय/बी0पी0एल0/ए0पी0एल0 कार्ड धारक हैं ? वर्ष 2008-09 से 30-9-09 तक ब्लाक वार उक्त कार्ड धारकों को कुल कितने कुन्तल गेहूं, चावल, चीनी का आवंटन किया गया है तथा प्रत्येक माह वितरण के बाद कितना अवशेष बचा है ? क्या सरकार को जानकारी है कि प्रत्येक माह के आखिरी दिन ब्लाक वितरण केन्द्रों में सैकड़ों कुन्तल खाद्यान्न शेष रह जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर घोटाले में पाये गये दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

बुन्देलखण्ड के झांसी एवं चित्रकूट मण्डल में अन्त्योदय बी0पी0एल0 एवं ए0पी0एल0 कार्डों की संख्या निम्नवत् है:--

	झांसी मण्डल	चित्रकूट मण्डल
अन्त्योदय	110878	123368
बी0पी0एल0	180131	200828
ए0पी0एल0	910711	613364

कार्ड धारकों की ब्लाकवार सूची बहुत विस्तृत है, जो मेरे कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है। मा0 सदस्य किसी भी कार्य दिवस में इसका अवलोकन कर सकते हैं।

वर्ष 2008-09 से दिनांक 30-09-2009 तक उक्त कार्ड धारकों हेतु कुल गेहूं, चावल, चीनी का मण्डलवार आवंटन एवं वितरण निम्नवत् है:--

झांसी

	आवंटन	उठान	वितरण
गेहूं	1442989.24	1371580.15	1371580.15
चावल	937527.60	907948.48	907948.48
चीनी	16479	150697.27	150697.27

चित्रकूटधाम

	आवंटन	उठान	वितरण
गेहूं	1507371.29	1507371.29	1507371.29
चावल	1016733.24	1016733.24	1016733.24
चीनी	161887	130474.16	130474.16

ब्लाकवार आवंटन/वितरण की सूचना विस्तृत है मेरे कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है। मा0 सदस्य किसी भी कार्य दिवस में इसका अवलोकन कर सकते हैं।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि ब्लाक वितरक केन्द्रों में खाद्यान्न अवशेष नहीं रहता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

ब्लाक स्तर पर नये मिट्टी के तेल के डिपो खोलने की मांग

11-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार प्रदेश में राशन के दुकानदारों को मिट्टी का तेल उपलब्ध कराने के लिये ब्लाक में ही मिट्टी के तेल का डिपो खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी नहीं।

विगत कई वर्षों से भारत सरकार द्वारा प्रदेश के मिट्टी के तेल के आवंटन में कोई वृद्धि नहीं की गयी है, बल्कि कमी की जा रही है। प्रदेश में राशन के दुकानदारों को मिट्टी का तेल उपलब्ध कराने के लिये पूर्व से ही उपलब्ध डिपो पर्याप्त है। अतः सम्प्रति ब्लाक स्तर पर नये डिपो खोलने का औचित्य नहीं है।

सरकारी नियंत्रित मूल्य के कोटेदारों को दिया जाने वाला कमीशन

12-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री को जानकारी है कि सरकारी नियंत्रित मूल्य के कोटेदारों को दिया जाने वाला कमीशन का प्रतिशत पर्याप्त नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार कमीशन के प्रतिशत को बढ़ायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी नहीं।

शासनादेश संख्या-3328/29-6-09-9(26)/90 टीसी, दिनांक 27 अक्टूबर, 2009 के द्वारा रु0 6.00 प्रति कुन्तल से लाभांश बढ़ाकर रु0 12.00 प्रति कुन्तल निर्धारित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के महमूदाबाद में शारदा सहायक पोषक नहर की बेड लाइनिंग की योजना

13-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के महमूदाबाद में शारदा सहायक नहर से सीपेज ग्रस्त हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि को सीपेज से मुक्त कराने हेतु नई ड्रेनों का निर्माण, ड्रेनों की सफाई एवं शारदा सहायक नहर की बेड लाइनिंग आदि की कोई योजना सरकार द्वारा तैयार की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दकी-

जनपद सीतापुर के महमूदाबाद क्षेत्र से होकर निकलने वाली शारदा सहायक पोषक नहर की क्षमता पुनर्स्थापना परियोजना भारत सरकार की स्वीकृति हेतु जल संसाधन मंत्रालय के प्रक्रम पर है।

इस परियोजना में सीपेज ड्रेन के पुनरोद्धार किये जाने का प्राविधान है। शारदा सहायक पोषक नहर को बेड लाइनिंग की कोई योजना नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र महमूदाबाद में गेहूं क्रय में दलालों के माध्यम से अनियमितता किये जाने सम्बन्धी शिकायती-पत्र की जांच

14-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र-महमूदाबाद में गेहूं क्रय केन्द्र पी0सी0एफ0 क्रय केन्द्र रामपुर मथुरा एग्रो क्रय केन्द्र मण्डी महमूदाबाद एवं एस0एस0आई0 द्वारा संचालित क्रय केन्द्र मण्डी समिति, महमूदाबाद में गेहूं खरीद में दलालों के माध्यम से अनियमितता किये जाने सम्बन्धी दिनांक 16-6-09 का प्रश्नकर्ता का

शिकायती-पत्र जो मा0 मुख्य मंत्री को भेजा गया है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी हां।

पत्र में उल्लिखित शिकायत की जांच करायी गयी। जांच में शिकायत की पुष्टि नहीं हुयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के महमूदाबाद में वेयर हाउस में चावल की उतराई व लदाई में अनियमितता सम्बन्धी शिकायती-पत्र की जांच

15-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के महमूदाबाद में वेयरहाउस में चावल की उतराई व लदाई में व्यापक पैमाने पर अनियमितता किये जाने सम्बन्धी दिनांक 16-6-2009 का प्रश्नकर्ता द्वारा मा0 मुख्य मंत्री को भेजा गया शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी हां।

पत्र में उल्लिखित शिकायत की जांच करायी गयी। जांच में शिकायत की पुष्टि नहीं हुई।

प्रश्न नहीं उठता।

संजय सेतु की निर्माण लागत के सापेक्ष टोल टैक्स की वसूली

16-श्री प्रदीप माथुर-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2009 के प्रथम बुधवार के अता0 प्रश्न सं0-30 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संजय सेतु की निर्माण लागत रु0 466.40 लाख के सापेक्ष अब तक रु0 1413.652 लाख टोल टैक्स की वसूली किये जाने के बाद भी अभी तक उपरोक्त पथ पर वसूली बन्द न करने के क्या कारण हैं ? उक्त टोल टैक्स की वसूली कब बन्द की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दकी-

घाघरा नदी पर स्थित संजय सेतु बाराबंकी-बहराइच मार्ग पर स्थित है बाराबंकी-बहराइच मार्ग जो कि पूर्व में राज्य मार्ग था, को भारत सरकार के अधिसूचना संख्या-1025(अ) दिनांक 29-10-2004 के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-28सी अधिसूचित किया जा चुका है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उक्त सेतु पर पथकर वसूली राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग सेक्शन एवं स्थाई पुल के उपयोग के लिये फीस लोक वित्त पोषित परियोजना) नियम-1997 के नियम-11 के प्राविधानों के अनुसार की जा रही है, जिसके अनुसार पथकर की वसूली पुल की लागत से सम्बन्धित नहीं हैं, अपितु पथकर की वसूली निरन्तरता के आधार पर की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

ऐशबाग, लखनऊ स्थित यू0पी0आई0एल0 विधायक कालोनी में लिफ्ट लगाये जाने विषयक-पत्र

17-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऐशबाग, लखनऊ स्थित यू0पी0आई0एल0 विधायक कालोनी में लिफ्ट लगाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 19-3-09 आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद्, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दकी-

जी हां।

सभी फ्लैट्स स्वीकृत मुल्याकन के अनुसार विक्रय किये जा चुके हैं। फ्लैटस् के स्वीकृत मानचित्र प्राक्कलन एवं मूल्याकन में लिफ्ट लगाये जाने का कोई प्राविधान नहीं था। इसलिए लिफ्ट लगाये जाने की कार्यवाही वांछित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

ग्राम पंचायत जौरापट्टी, जनपद शाहजहांपुर में उपभोक्ताओं को पी0डी0एस0 के कोटे का सामान दिलाने की व्यवस्था

18-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री को जानकारी है कि शाहजहांपुर जनपद की तहसील तिलहर में ग्राम पंचायत जौरापट्टी टाटराबाद में जनवरी, 2009 से दि0 30-6-09 तक केवल एक बार पी0डी0एस0 के कोटे का सामान जनता में वितरित हुआ ? क्या सरकार बतायेगी कि शेष 6 माह का मिट्टी का तेल व अन्य सामान वितरित न करने के लिये सम्बन्धित के विरुद्ध जांच कराकर कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उपभोक्ताओं को पी0डी0एस0 के कोटे (जनवरी से जून-जुलाई, 2009) का सामान दिलाने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी नहीं।

क्षेत्र के कार्डधारकों को माह जनवरी, 2009 से माह अप्रैल, 2009 तक का खाद्यान्न, मिट्टी के तेल का वितरण किया गया, परन्तु मई, जून, जुलाई, 2009 में समस्त कार्डधारकों को नियमित मात्रा में वितरण नहीं किया गया।

जी हां।

अनियमितताएं पाये जाने दो कारण विक्रेता का अनुबन्ध-पत्र निरस्त कर दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निकटवर्ती ग्राम पंचायत से उन्हें सम्बद्ध कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम् योजना के सेक्टर एच के फेज-1 में निर्मित ई0डब्लू0 एस0 भवनों का मानक एवं अनुमानित मूल्य

19-श्री सुखलाल-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम् योजना के से0 एच के फेज-1 में निर्मित ई0डब्लू0एस0 टाइप के भवनों के भूखण्डों का क्षेत्रफल पंजीकरण के समय 36.75 वर्गमीटर एवं अनुमानित लागत 26 हजार निर्धारित करके पंजीकरण आमंत्रित किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि भवन निर्माण के समय भूखण्ड का क्षेत्रफल घटाकर 30x10 वर्ग फीट कर दिया गया किन्तु कीमत यथावत् ही रही ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करके आवंटियों को राहत देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दकी-

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लखनऊ नगर के विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत स्ववित्त पोषित/किराया क्रय पद्धति में निर्मित होने वाले भवनों तथा विभिन्न आकार के भू-खण्डों के विक्रय हेतु दिनांक 20-06-2008 से दिनांक 19-07-2008 को पंजीकरण आमंत्रित किये गये थे। विवरण पुस्तिका के क्रमांक-3 के उप क्रमांक-3 पर आवंटन हेतु प्रस्तावित ई0डब्लू0एस0 (दुर्बल आय वर्ग के भवन) भवनों का मानक क्षेत्रफल 36.75 वर्गमीटर एवं अनुमानित मूल्य रु0 22000.00 तत्समय निर्धारित किया गया था।

स्थल पर उपलब्ध भूमि के अनुसार इन भवनों का नियोजन 36.75 वर्गमीटर के स्थान पर 30 वर्गमीटर कर, भवनों का निर्माण किया गया है। जहां तक मूल्यांकन का सम्बन्ध है भवन निर्माण के समय निर्माण लागत आदि कारकों को दृष्टि में रखते हुए किया गया है। निर्माण के पश्चात् इन भवनों की प्रति यूनिट लागत रु0 26700.00 निर्धारित की गई है, जो पंजीकरण पुस्तिका के बिन्दु संख्या-06 में उल्लिखित तथ्य के अनुरूप है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

निषाद समुदाय के लोगों के कल्याण हेतु योजना

20-श्री अनूप सण्डा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बांध निर्माण के कार्य में लगे निषाद समुदाय के लोगों के कल्याण के लिये सरकार कोई विशेष कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो यह योजना कब तक लागू कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

निषाद समुदाय के लोगों के कल्याण हेतु अलग से कोई योजना सिंचाई विभाग में लागू नहीं है।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद में भवनों की कास्टिंग के आधार पर हायर पर्चेज पद्धति पर विक्रय

21-चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद में प्राधिकरण की बैठक दिनांक 02 नवम्बर, 96 द्वारा प्राधिकरण के 746 भवनों की कास्टिंग के आधार पर हायर पर्चेज पद्धति पर विक्रय किये जाने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो उक्त भवनों में से कितने भवनों की रजिस्ट्री की विक्रय की धनराशि जमा कराकर की जा चुकी है तथा कितने भवनों की रजिस्ट्री की जानी शेष है ? क्या सरकार शेष भवनों की रजिस्ट्री करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

उक्त 746 भवनों में-से 730 भवनों का निर्धारित मूल्य जमा होकर रजिस्ट्री हो चुकी है। 16 भवनों की रजिस्ट्री की जानी अवशेष है।

प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 5-9-2009 के द्वारा शेष आवंटियों को मूल्य जमा कराने एवं भवनों की रजिस्ट्री कराने हेतु अन्तिम समय सीमा दिनांक 31-3-2010 तक निर्धारित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर में हाथरस-मथुरा मार्ग से ग्राम असरोई (जनपद अलीगढ़) को जाने वाले क्षतिग्रस्त मार्ग के पुनर्निर्माण की मांग

22-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर में हाथरस-मथुरा मार्ग से ग्राम असरोई (जनपद अलीगढ़) को तोछीगढ़ रजवाहा की पटरी से होकर जाने वाला सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग की मरम्मत/पुनर्निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग की मरम्मत/पुनर्निर्माण का कार्य किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

भवनों/भू-खण्डों को पंजीकृत आवंटियों द्वारा अन्य को बेचे जाने के सम्बन्ध में सीधे क्रेता के नाम रजिस्ट्री करने की प्रक्रिया की मांग

23-श्री सुखलाल-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संचालित विकास प्राधिकरणों द्वारा पंजीकरण कराकर आवंटित किये जाने वाले भवनों/भूखण्डों को पंजीकृत आवंटियों द्वारा किसी को बेच दिये जाने की स्थिति में सम्बन्धित भवन/भूखण्ड की रजिस्ट्री आवंटी के स्थान पर सीधे क्रेता (थर्ड पार्टी) के नाम का प्राविधान नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में नियमों में संशोधन करके रजिस्ट्री की प्रक्रिया को सरल बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

राजकीय राजस्व की हानि होगी।

बुलन्दशहर में बाल पोषाहार, अन्त्योदय, बी0पी0एल0, ए0पी0एल0 खाद्यान्न की उठान में कोटेदारों को भाड़ा दिये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

24-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड में सस्ते कोटे के अन्तर्गत अन्त्योदय/बी0पी0एल0/ ए0पी0एल0 कार्ड खाद्यान्न का प्रतिमाह कोटेदारों द्वारा दिये जाने वाले भाड़ों का भुगतान चेक द्वारा अथवा नकद रूप में दिया जाता है ? क्या सरकार को जानकारी है कि बुन्देलखण्ड में वर्ष 2007-08 से अब तक बाल पोषाहार, अन्त्योदय, बी0पी0एल0, ए0पी0एल0 खाद्यान्न की उठान में कोटेदारों को 6/-रुपये कुन्तल के हिसाब से भाड़ा नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तंक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी नहीं।

बाल पोषाहार योजनान्तर्गत विक्रेता को देय लाभांश का भुगतान उनसे बिल प्राप्त कर चेक के माध्यम से किया जाता है। इस प्रक्रिया के तहत भुगतान जारी है। अन्त्योदय, बी0पी0एल0 एवं ए0पी0एल0 में उचित दर विक्रेता द्वारा देय लाभांश काटकर ही खाद्यान्न का मूल्य जमा किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

बुन्देलखण्ड के झांसी, चित्रकूट मण्डल में गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल की आपूर्ति

25-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड के झांसी मण्डल, चित्रकूट मण्डल में वर्ष 2008-09 दिनांक 30-9-09 तक गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल आदि की एफ0सी0आई0 गोदाम के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी-कितनी आपूर्ति की गई है तथा उसके सापेक्ष कितना वितरण किया गया है ? क्या सरकार को जानकारी हैं कि बुन्देलखण्ड में प्रत्येक जनपद में एफ0सी0आई0 गोदाम से खाद्यान्न की निकासी एवं ब्लाक वाइज व शहरी क्षेत्रों में वितरण में भारी अन्तर मिल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

झांसी मण्डल एवं चित्रकूट मण्डल में वर्ष 2008-09 से दिनांक 30-9-09 तक गेहूं, चावल, चीनी का उठान एफ0 सी0 आई0 से नहीं किया गया, बल्कि जिला स्तर पर स्थापित खाद्य विभाग की विपणन शाखा के गोदाम से ब्लाक स्तर पर स्थापित गोदाम के माध्यम से किया गया है और मिट्टी का तेल थोक मिट्टी तेल विक्रेताओं व ब्लाक वितरकों से किया गया है।

जी नहीं। उठाये गये समस्त खाद्यान्न का वितरण पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में कराया जाता है। इस प्रकार निकासी और वितरण में कोई अन्तर नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय नलकूपों के मोटर एवं अन्य उपकरण बदलने हेतु नलकूप स्टोर में लाने हेतु प्राविधान में संशोधन करने पर विचार

26-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चल रहे राजकीय नलकूपों के मोटर एवं अन्य उपकरण को बदलने हेतु निजी साधन से नलकूप स्टोर में लाना ले जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त प्राविधान में संशोधन करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

जी नहीं, विभाग की ओर से ऐसी कोई प्रक्रिया निर्दिष्ट नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड फूलबेहड़ के ग्राम देवरिया से ग्राम करेहिया फार्म तक कच्चे मार्ग का निर्माण

27-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड फूलबेहड़ के ग्राम देवरिया से करेहिया फार्म तक लगभग 2 कि0मी0 सड़क मार्ग कच्चा है ?

यदि हां, तो उपरोक्त कच्चे मार्ग का कब तक डामरीकरण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मार्ग की लम्बाई 1.20 किमी0 में से 700 मीटर भाग ईंट खड़न्जा स्तर का एवं 500 मीटर भाग कच्चा है।

सम्प्रति प्रश्नगत मार्ग के डामरीकरण का कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

लोक निर्माण विभाग, बरेली द्वारा विशेष मरम्मत के अन्तर्गत सड़कें ठीक कराने विषयक-पत्र

28-श्री सुल्तान बेग-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र के सन्दर्भ में मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र सं0 सी0एम0/वि0को0/एम-194404/2009, दिनांक 27-1-2009 जो लोक निर्माण विभाग, बरेली द्वारा विशेष मरम्मत के अन्तर्गत सड़कें ठीक कराने विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन सड़कों को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

पत्र में वर्णित 8 मार्गों में से क्रमांक-1 व 3 पर अंकित दो मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन हैं।

शेष मार्गों पर सामान्य मरम्मत के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि से मरम्मत कर यातायात चलाया जा रहा है। विशेष मरम्मत का कार्य किसी योजना में स्वीकृति नहीं है।

क्रमांक-1 व 3 पर अंकित मार्गों पर कार्य फरवरी, 2010 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है। शेष पर उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बरेली के ब्लाक व तहसील मीरगंज सिरोधी के कतिपय गांवों में देशी कच्ची शराब के अवैध कारोबार के बन्द कराने की मांग

29-श्री सुल्तान बेग-

क्या आबकारी मंत्री को जानकारी है कि जनपद बरेली के ब्लाक व तहसील मीरगंज सिरौधी, अंगदपुर, तीर्थ नगर व अम्बरपुर आदि ग्रामों में देशी कच्ची शराब का अवैध कारोबार हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार देशी कच्ची शराब के अवैध कारोबार को बन्द करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद बरेली के थाना-मीरगंज, सिधौली अंगदपुर, तीर्थनगर, अम्बरपुर आदि ग्रामों में देशी कच्ची शराब के अवैध कारोबार की जानकारी है तथा इसे बन्द कराने की दिशा में विभाग

द्वारा निरन्तर प्रवर्तन कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यवाही के परिणामस्वरूप चलित वर्ष में मीरगंज थाना के अन्तर्गत विभिन्न ग्रामों में 17 अभियोग विभिन्न तिथियों में पंजीकृत करते हुये 131.500 लीटर अवैध कच्ची शराब की बरामदगी की गयी तथा 319 किलो ग्राम लहन नष्ट किया गया तथा 02 महिलाओं को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। सिरौधी अंगदपुर, तीर्थनगर व अम्बरपुर में विशेष सतर्कता रखते हुये दबिशों का आयोजन किया गया, जिनमें से तीर्थनगर व सिरौधी अंगदपुर में उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा-60 के अन्तर्गत 02 अभियोग पंजीकृत किये गये हैं, जिसमें 01 महिला अभियुक्त को जेल भी भेजा गया है। मीरगंज थाने के विभिन्न संदिग्ध ग्रामों में निरन्तर प्रवर्तन कार्य प्रभावी ढंग से किया जा रहा है। प्रवर्तन कार्य की निरन्तरता व गुणात्मकता के फलस्वरूप ही ग्राम अम्बरपुर में कच्ची शराब के अवैध निर्माण पर नियंत्रण सुनिश्चित किया गया है, परिणामस्वरूप वहां कोई अभियोग पंजीकृत नहीं हुआ है। आबकारी विभाग अवैध कच्ची शराब के निर्माण/बिक्री को समूल नष्ट किये जाने हेतु सदैव तत्पर एवं कृत संकल्प है।

जनपद सहारनपुर से लोनी मोड़ तक क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण

30-श्री इमरान मसूद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली यमुनोत्री राजमार्ग पर जनपद सहारनपुर से लोनी मोड़ तक सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग का पुनः निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद सहारनपुर के कि0मी0 162 से लेकर लोनी मोड़ जनपद गाजियाबाद कि0मी0 10.928 तक का भाग दिल्ली यमुनोत्री राज मार्ग संख्या-57 का हिस्सा है।

इस मार्ग के कि0मी0 101 से 125 तक (जनपद मुजफ्फरनगर) का भाग वर्तमान में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। मार्ग के शेष भाग की दशा ठीक है।

कि0मी0 101 से 125 तक (जनपद मुजफ्फरनगर) के पुनः निर्माण का कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है। मार्ग के शेष भाग की दशा संतोषजनक है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मैनपुरी में काली नदी के राजघाट के पुल से ऐतिहासिक बौद्ध तीर्थ स्थल संकिसा जनपद फर्रुखाबाद के बीच के मार्ग की पेन्टिंग एवं मरम्मत की मांग

31-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी में काली नदी के राजघाट के पुल (ब्लाक-बेवर) से ऐतिहासिक बौद्ध तीर्थ स्थल संकिसा जनपद फर्रुखाबाद के बीच की सड़क की स्थिति बहुत खराब है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की पेन्टिंग/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

मात्र 160 मी0 में भूमि विवाद मा0 न्यायालय में होने के कारण पेन्टिंग का कार्य नहीं हुआ है।

जी हां।

मा0 न्यायालय फर्रुखाबाद द्वारा जारी स्थगन आदेश के समाप्त होने के उपरान्त पेन्टिंग का कार्य कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

सड़क मार्गों के निर्माण से सम्बन्धित पत्र पर कृत कार्यवाही

32-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25-5-09 जो कतिपय सड़क मार्गों के निर्माण से सम्बन्धित है, अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0 विभाग प्रान्तीय खण्ड, बांदा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

अपितु दिनांक 22-5-2009 का पत्र प्राप्त हुआ है।

पत्र के क्रमांक 1 पर वर्णित महोबा रोड से बोधीपुरवा छोटा पुरवा सम्पर्क मार्ग का प्रस्ताव जिला योजना 2009-10 के अन्तर्गत प्राप्त हुआ है जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

क्रमांक-6 पर अंकित कार्य का अनुमोदन जिला योजना वर्ष 2010-11 हेतु जिला योजना समिति द्वारा कर दिया गया है जिसकी वित्तीय वर्ष 2010-11 में स्वीकृति तत्समय वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होगी।

क्रमांक-7 पर अंकित कार्य पूर्व से ही सम्पर्क मार्ग से जुड़ा है।

क्रमांक 2, 3, 4 व 5 पर अंकित कार्य ग्रामों के मजरों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने के सम्बन्ध में है, जिनकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम व पोस्ट कोठा नेवड़िया के विकलांग एवं दलितों को गरीबी रेखा से नीचे लाल कार्ड बनाये जाने हेतु आवेदन-पत्र

33-चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में वर्ष 2008-09 में विकलांग एवं दलितों को गरीबी रेखा के नीचे लाल कार्ड बनाये जाने हेतु ग्राम व पो0 कोठा नेवड़िया ब्लाक, सण्डवा चन्दिका से, कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ? क्या सभी प्राप्त आवेदन-पत्रों पर जांचोपरान्त लाल कार्ड निर्गत कर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

ग्राम व पोस्ट कोठा नेवड़िया के विकलांग एवं दलितों को गरीबी रेखा से नीचे लाल कार्ड बनाये जाने हेतु वर्ष 2008-2009 में कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

बरेली की तहसील मीरगंज में बल्लिया-शीशगढ़ मार्ग के मरम्मत की मांग

34-श्री सुल्तान बेग-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में बल्लिया-शीशगढ़ मार्ग अत्यधिक जर्जर होने के कारण जनता को आवागमन में अत्यधिक कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां। प्रश्नगत मार्ग भारी वर्षा के कारण आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

सामान्य मरम्मत के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि से मार्ग की मरम्मत करा कर यातायात चलाया जा रहा है।

मार्ग के क्षतिग्रस्त भाग के विशेष मरम्मत का कार्य वर्तमान में किसी योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी में मीरा-बिजुआ-लखीमपुर राज्य मार्ग पर अतिक्रमण हटाने की मांग

35-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी में मीरा-बिजुआ-लखीमपुर राज्य मार्ग पर ग्राम पड़रिया तुला में सड़क के दोनों तरफ की जमीन पर अतिक्रमण कर अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो उक्त अतिक्रमण को कब तक हटवा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां, कहीं-कहीं पर अतिक्रमण कर लिया गया है।

अस्थायी रूप से किये गये अतिक्रमण पूर्व में ही प्रशासन के सहयोग से हटाये जा चुके हैं। स्थायी अतिक्रमण को हटाने हेतु नोटिस दी जा चुकी है तथा प्रशासन के सहयोग से शीघ्र ही अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण हेतु मा0 विधायकों के प्रस्तावों पर विचार

36-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण हेतु रिमोट सेंन्सिंग के उपरान्त स्थल चयन में विधान सभा क्षेत्र के मा0 विधायकों से

सहमति का प्रस्ताव लिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार स्थल चयन पर मा0 विधायकों के प्रस्तावों पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

शासनादेश संख्या-2260/07-27-सिं-5/20 टी0 डब्लू/05, दिनांक 10-8-2007 में एक क्यूसेक क्षमता एवं 50 हेक्टेयर कमाण्ड वाले नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण हेतु जन प्रतिनिधियों, ग्राम सभाओं एवं कम से कम 50 हेक्टेयर असिंचित कमाण्ड क्षेत्र के कृषकों के सामूहिक प्रस्तावों पर विचार किये जाने का प्राविधान पूर्व में ही है।

उपरोक्तानुसार प्राप्त प्रस्तावों में से मात्र संदेहास्पद, जलधारक स्ट्रेटा के क्षेत्र में ही नलकूप निर्माण हेतु तकनीकी साध्यता सुनिश्चित करने हेतु रिमोट-सेन्सिंग कराई जाती है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

राजकीय नलकूपों के अनुरक्षण हेतु आवंटित धनराशि

37-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2007-08 व 2008-09 में राजकीय नलकूपों के अनुरक्षण हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ? क्या सरकार मंहगाई को देखते हुए राजकीय नलकूप के अनुरक्षण की धनराशि बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

प्रदेश में वर्ष 2007-08 में राजकीय नलकूपों के अनुरक्षण एवं परिचालन हेतु रु0 12000.00 प्रति नलकूप प्रति वर्ष की दर से धनावंटन किया गया था, जबकि वर्ष 2008-09 में राजकीय नलकूपों के अनुरक्षण एवं परिचालन हेतु रु0 20000.00 प्रति नलकूप प्रति वर्ष की दर से धनावंटन किया गया है।

राजकीय नलकूपों के अनुरक्षण हेतु आवंटित धनराशि वर्ष 2008-09 से उपरोक्तानुसार बढ़ा दी गई है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

बांदा शहर को बाढ़ से बचाने हेतु केन नदी के दायें तट पर बांध के निर्माण की परियोजना

38-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बांदा में केन नदी की बाढ़ से बांदा शहर को बचाने हेतु कितने तटबन्ध बनाये जा रहे हैं तथा उनकी लागत क्या है और उक्त कार्य कब तक पूर्ण करने की योजना है ? क्या तटबन्ध ठेकेदारों द्वारा किसानों तथा अनुसूचित जाति के लोगों की भूमि पर बिना अनुमति के खेत से मिट्टी निकालने की शिकायत जिलाधिकारी, बांदा को अप्रैल/मई, 2008 में प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

बांदा शहर को बाढ़ से बचाने हेतु केन नदी के दायें तट पर मार्जिनल बांध की निर्माण की एक परियोजना (लागत रु0 2781.880/- लाख) पर माह जून, 2010 में कार्य पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में लगाये गये राजकीय नलकूप

39-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बांदा में वर्ष 2007-08 व 2008-09 दिनांक 30-9-09 तक कितने नये राजकीय नलकूप लगाये गये हैं ? उक्त लगे नलकूपों में कितने चालू तथा कितने खराब हैं ? क्या सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष में सभी नलकूपों को रि-बोर कराकर ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

जनपद बांदा में वर्ष 2007-08 में 63 व वर्ष 2008-09 में 34 कुल 97 नये राजकीय नलकूप लगाये गये। दिनांक 30-9-2009 तक 2 नलकूपों का छिद्रण कार्य पूर्ण हो गया है।

उक्त नये नलकूपों में 89 राजकीय नलकूप चालू हैं व 10 नलकूपों में कोई नलकूप खराब नहीं है।

जनपद बांदा में 03 फेल नलकूप रि-बोर/पुनः निर्माण की श्रेणी में वर्गीकृत हैं किन्तु वर्तमान वित्तीय वर्ष में जनपद में रि-बोर/पुनः निर्माण की कोई योजना स्वीकृत न होने के कारण इन नलकूपों को रि-बोर कराया जाना प्रस्तावित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

वर्तमान में कोई योजना नहीं है।

जनपद गोण्डा से लखनऊ राजमार्ग को हाट मिक्स प्लान्ट से बनाने पर विचार

40-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा से लखनऊ राजमार्ग को हाट मिक्स प्लान्ट से बनवाने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

राष्ट्रीय मार्ग-28 लखनऊ से बाराबंकी तथा राष्ट्रीय मार्ग 28 सी बाराबंकी से घाघरा सेतु तक का कार्य हाट मिक्स प्लान्ट से स्वीकृत है एवं प्रगति में है। राष्ट्रीय मार्ग सं0-28 सी घाघरा सेतु से जरवल मोड़ तक तथा राजमार्ग सं0-1 ए जरवल मोड़ से गोण्डा तक के भाग में हाट मिक्स प्लान्ट से कोई कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के सरयू नहर के निर्माण खण्ड 1,2,3 व 4 में पुलों के निर्माण की लागत

41-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा सरयू नहर के निर्माण खण्ड 1, 2, 3 व 4 में विगत दो वित्तीय वर्षों में कितने पुलों का निर्माण किन-किन स्थानों पर किया गया तथा इसकी लागत मूल्य क्या है ? क्या उक्त पुलों के निर्माण में टेण्डर प्रक्रिया अपनायी गयी और समाचार-पत्रों में विज्ञप्ति जारी की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

सरयू परियोजना के अन्तर्गत जनपद गोण्डा के सरयू नहर के निर्माण खण्ड-1, 2, 3 व 4 में विगत दो वित्तीय वर्षों में कुल 199 पुलों का निर्माण कराया गया है। उक्त पुलों की लागत मूल्य रु0 1279.75 लाख है। पुलों के निर्माण स्थलों का विवरण मा0 सदस्यगणों के अवलोकनार्थ मेरे कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

उतरौला तहसील मुख्यालय से बलरामपुर जिला मुख्यालय जाने वाले क्षतिग्रस्त मार्ग का चौड़ीकरण करने की मांग

42-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उतरौला तहसील मुख्यालय से बलरामपुर जिला मुख्यालय जाने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का चौड़ीकरण करके हाट मिक्स प्लान्ट से बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

मार्ग की दशा संतोषजनक है। मार्ग का चौड़ीकरण करके हाट मिक्स प्लान्ट से बनाने का कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर की तहसील उतरौला में कुआनों नदी पर हुसैनाबाद सादुल्लानगर मार्ग पर पक्के पुल के निर्माण की मांग

43-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बलरामपुर की तहसील उतरौला में कुआनों नदी पर हुसैनाबाद सादुल्लानगर मार्ग पर इटई अब्दुल्ला घाट पर पुल न होने से जनता को असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार पक्के पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां, कुछ कठिनाइयां होना स्वाभाविक है।

सम्प्रति प्रश्नगत स्थल पर पुल का निर्माण कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

श्रीमती दुलारी देवी, ग्राम तिवड़ा की अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर का भुगतान

44-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सीतापुर के अन्तर्गत रामपुर-मथुरा, अंगरौरा एवं क़नरखी मार्ग में श्रीमती दुलारी देवी ग्राम तिवड़ा की अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर भुगतान विषयक मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-2) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता विकास के पत्र सं0-520 एल0ए0/एल0ए0भू0अ0 (सीतापुर) टी0सी0/04, दिनांक 14-7-06 का विशेष सचिव लोक निर्माण अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

श्रीमती दुलारी देवी को अधिग्रहीत की गयी भूमि की देय धनराशि का भुगतान दिनांक 28-11-09 को कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

सुल्तानपुर जनपद में कुड़वार नाका एवं इलाहाबाद रोड रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज निर्माण हेतु स्वीकृति

45-श्री अनूप सण्डा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर नगर में कुड़वार नाका एवं इलाहाबाद रोड रेलवे क्रासिंगों पर क्या ओवर ब्रिज निर्माण हेतु रेल मंत्रालय की स्वीकृति मिल गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो स्वीकृति प्राप्त करने की दिशा में सरकार द्वारा कोई प्रयास किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सुल्तानपुर जनपद में सुल्तानपुर-कुड़वार-बधुआ कला रेल सेक्शन पर कुड़वार नाका के पास सम्पार सं0-33 बी स्थित है जिस पर रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण का प्रस्ताव रेलवे की सहमति के लिये शासन के पत्र दिनांक 22-11-07 द्वारा उत्तर रेलवे बड़ौदा हाऊस, नई दिल्ली को प्रेषित है।

वाराणसी-सुल्तानपुर रेल सेक्शन के सुल्तानपुर नगर इलाहाबाद रोड पर सम्पार सं0-74 बी स्थित है जिस पर रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण का प्रस्ताव रेलवे की सहमति के लिये शासन के पत्र दिनांक 22-11-07 द्वारा उत्तर रेलवे बड़ौदा हाऊस, नई दिल्ली को प्रेषित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के भनऊघाट का पुल पार करने का ठेका

46-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनपुरी में भनऊघाट का पुल पार करने का ठेका आवंटित किया गया है ? यदि हां, तो ठेके की अवधि क्या है ? क्या सरकार नागरिकों को पुल पार करने की सुविधा निःशुल्क प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

ठेके की अवधि दिनांक 06-06-2007 से दिनांक 31-03-2010 तक के लिये है।

शासनादेश सं0-2640/23-2-2009-16(सा)/09, दिनांक 9-12-2009 एवं शासनादेश सं0-2648/23-2-2009-16(सा)/09, दिनांक 9-12-09 के द्वारा राज्य सेतुओं से पथकर की वसूली समाप्त की जा चुकी है, अतः राज्य सेतुओं पर दिनांक 9-12-2009 से कोई भी पथकर देय नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की विकास नगर, लखनऊ योजना के भवन संख्या-8/351 के आवंटी का नाम व पता

47-चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की विकास नगर, लखनऊ योजना है से0-8 का भवन संख्या-8/351 के आवंटी का नाम एवं पता क्या है ? उक्त भवन कब और किस पद्धति (नकद/किराया) पर आवंटित किया गया था ? दिनांक 31 मार्च, 2008 तक आवंटी पर आवास एवं विकास परिषद् की कितनी धनराशि बकाया है ? उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा धनराशि की वसूली एवं उक्त आवास (सम्पत्ति) के निस्तारण हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? उक्त भवन (सम्पत्ति) का निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

कु0 दुर्गेश नन्दनी पाण्डेय।

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् के अभिलेखों/मूल प्रपत्रों में कु0 दुर्गेश नन्दनी पाण्डेय के निम्न तीन पते दर्ज हैं--

1-डी-1/58 सत्या मार्ग, चाणक्यपुरी नई दिल्ली।

2-डी-128/92 पाण्डेय हवेली, वाराणसी (उ0प्र0)।

3-ग्राम व पोस्ट-अखोप जनपद बलिया (उ0प्र0)।

उक्त भवन दिनांक 16-11-90 को किश्त क्रय पद्धति पर आवंटित किया गया था, दिनांक 31-3-08 तक किश्तों के विरुद्ध अतिरिक्त ब्याज सहित कुल रु0 4,84,786.00 बकाया है।

अवशेष धनराशि की वसूली हेतु परिषद् के पत्र दिनांक 26-12-92, 20-2-93 एवं 8-12-93 द्वारा वसूली नोटिस निर्गत की गयी एवं पत्र दिनांक 17-1-94 द्वारा आवंटन निरस्त कर दिया गया तथा पत्र दिनांक 25-7-94 द्वारा बकाया धनराशि वसूली हेतु जिलाधिकारी, लखनऊ को वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया। पुनः उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा पत्र दिनांक 26-11-96, 28-10-93 एवं 18-11-09 द्वारा संशोधित वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया। पब्लिक प्रीमिसेज एक्ट, 1972 के अन्तर्गत बेदखली वाद दायर किये जाने हेतु नोटिस दिनांक 11-12-09 निर्गत की गयी है।

आवंटी द्वारा देय धनराशि का भुगतान कर विक्रय विलेख निष्पादित कराने अथवा पब्लिक प्रीमिसेज एक्ट, 1972 के अन्तर्गत बेदखली वाद दायर होने एवं उसके निर्णीत होने की दशा में सम्पत्ति का निस्तारण हो सकेगा।

इलाहाबाद स्थित कतिपय मुहल्लों को गंगा नदी की कटान से खतरा

48-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि इलाहाबाद स्थित सादियाबाद, बघाड़ा, छोटा बघाड़ा, ढरहरिया, बक्शी कलां, दारागंज, नागवासुकी दारागंज, दश्वाश्वमेघ घाट दारागंज आदि मुहल्लों को गंगा नदी की कटान से भयंकर खतरा हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा कटान रोकने के लिये कोई उपाय किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं। भयंकर खतरा नहीं है। नदी कटान कर रही है।

कटान रोकने के लिये परियोजना विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम खिरिया, ब्लाक निगोही जनपद शाहजहांपुर को पक्के मार्ग से जोड़ने हेतु पत्र पर कृत कार्यवाही

49-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2008-09 में चयनित ग्राम खिरिया, ब्लाक निगोही जनपद शाहजहांपुर को पक्के मार्ग से जोड़ने हेतु ग्राम खिरिया पश्चिमी से पूर्वी तक एक कि0मी0 पक्का मार्ग निर्माण कराये जाने विषयक ग्रामवासियों के संयुक्त हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र सहित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 5-3-2009 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

वर्ष 2008-09 की चयनित ग्राम सभा खिरिया पक्के मार्ग से जुड़ी है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ स्थित विधायक आवासों में गद्दों की खरीद का मानक

50-श्री अनूप सण्डा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित विधायक आवासों में आपूर्ति किये जाने वाले गद्दों की खरीद के मानक क्या हैं ? क्या इनकी गुणवत्ता की कोई जांच की जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इन गद्दों का खरीद मूल्य कितना है ?

सुश्री मायावती-

लखनऊ स्थित विधायक आवासों में भारत सरकार आई0एस0आई0 मार्का गद्दा मीडियम साइज-75"×36"×4" क्रय किये जाते हैं।

जी हां। गद्दों की जांच भौतिक सत्यापन समिति द्वारा की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय वर्ष 2009-10 में भारत सरकार के उपक्रम कयर बोर्ड से क्रय किये गये प्रति गद्दे का खरीद मूल्य रुपये 2490.00 है।

नियम-301 के अन्तर्गत की गयी सूचना के अनुसार सड़कों हेतु धन न दिये जाने का कारण

51-श्री प्रदीप माथुर-

प्रश्नकर्ता के नियम-301 के अन्तर्गत दिनांक 7-8-09 को दी गयी सूचना के उत्तर दिनांक 9 सितम्बर, 2009 के क्रम में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत मार्गों का परीक्षण मूल्यांकन प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग से जिस तिथि को प्राप्त हुआ उस तिथि के बाद समग्र रूप से प्रदेश के सड़कों के निर्माण के लिए कितने रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी है ? नियम-301 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के अनुसार सड़कों हेतु धन न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रश्नगत मार्गों का परीक्षण/मूल्यांकन प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा दिनांक 25-03-2008 को किया गया था।

दिनांक 25-03-08 के पश्चात् पूरे प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के निर्माण के लिए रु0 337131 करोड़ की स्वीकृतियां जारी की गई हैं।

2008-09 में लोक निर्माण विभाग के पास वित्तीय संसाधन समाप्त हो जाने के कारण एवं 2009-10 में जिला योजना समिति से अनुमोदित न होने के कारण उक्त सड़कें स्वीकृत नहीं की जा सकीं।

जनपद आगरा में होलोग्राम के अभाव में राशन कार्ड निर्गत किये जाने की प्रक्रिया

52-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में विगत पांच माह से होलोग्राम के अभाव में राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं ? क्या सरकार होलोग्राम उपलब्ध कराकर राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी नहीं, जनपद आगरा में होलोग्राम के अभाव में राशन कार्ड निर्गत किया जाना बन्द नहीं किया गया है। विगत् पांच माह में 7692 ए0पी0एल0 राशन कार्ड जारी किए गए हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

फरेन्दा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बेलसड़ रिगौली बांध को बाढ़ से बचाने हेतु स्वीकृत योजना

53-श्री बजरंग बहादुर सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज के फरेन्दा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बेलसड़ रिगौली बांध को बाढ़ से बचाव कार्य हेतु कोई योजना स्वीकृत है ? यदि हां, तो इस योजना पर कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद महराजगंज के फरेन्दा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बेलसड़ रिगौली बांध के कि0मी0 0.00 से कि0मी0 10.500 तक उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की परियोजना विचाराधीन है।

परियोजना भारत सरकार को वित्त पोषण हेतु प्रेषित है। भारत सरकार से धनराशि की स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज में मिट्टी के तेल की आपूर्ति

54-श्री बजरंग बहादुर सिंह-

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज में प्रतिमाह कितने लीटर मिट्टी तेल/केरोसिन आयल की आवश्यकता है तथा वर्तमान में कितने लीटर की आपूर्ति की जाती है ? क्या जनपद में केरोसिन की आपूर्ति आवश्यकता के अनुरूप की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जनपद महराजगंज में वर्तमान में प्रचलित 4,40,761 (चार लाख चालीस हजार सात सौ इकसठ) राशन कार्डों के सापेक्ष 21,00,000 (इक्कीस लाख) लीटर मिट्टी तेल की आवश्यकता है। वर्तमान में जनपद महराजगंज को 14,32,000 (चौदह लाख बत्तीस हजार) लीटर मिट्टी तेल की आपूर्ति की जा रही है।

जी नहीं।

जनपद में केरोसिन की आपूर्ति भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवंटित मिट्टी तेल की उपलब्धता के आधार पर की जाती है। प्रदेश के प्रत्येक जनपद को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप मिट्टी के तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार से मिट्टी तेल का कोटा बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।

शहरी सीमारोपण अधिनियम के अन्तर्गत इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी तथा कानपुर में सीमाधिक्य घोषित भूमि

55-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शहरी सीमारोपण अधिनियम के अन्तर्गत इलाहाबाद लखनऊ वाराणसी तथा कानपुर में कितनी भूमि सरप्लस घोषित की गई है तथा कितनी भूमि का वास्तविक कब्जा सीमारोपण विभाग/शासन ने प्राप्त कर लिया है ? क्या शेष भूमि का कब्जा लेने के लिये सरकार द्वारा कोई नीति बनाई गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या कब्जा प्राप्त भूमि को भूमिहीन शहरी गरीबों को भी आवास हेतु देने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

उक्त प्रकरण में नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत जनपद इलाहाबाद में कुल 9,93,27,730.56 वर्गमीटर भूमि सीमाधिक्य घोषित की गयी है जिसमें से 4,94,86,070.14 वर्गमीटर भूमि पर राज्य सरकार का कब्जा है।

जनपद लखनऊ में कुल 8,34,29,077.57 वर्गमीटर भूमि सीमाधिक्य घोषित की गयी है, जिसमें से कुल 23,54,006.09 वर्गमीटर भूमि पर राज्य सरकार का कब्जा है।

जनपद वाराणसी में कुल 4,96,53,995.77 वर्गमीटर भूमि सीमाधिक्य घोषित की गयी है, जिसमें से 1,11,92,162.63 वर्गमीटर भूमि पर राज्य सरकार का कब्जा है।

जनपद कानपुर में कुल 8,96,95,757.92 वर्गमीटर भूमि सीमाधिक्य घोषित की गयी है, जिसमें कुल 2,98,83,224.30 वर्गमीटर भूमि पर राज्य सरकार का कब्जा है।

नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 निरसित हो जाने के फलस्वरूप इस सम्बन्ध में शासन में कोई नीति विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी में जी0 टी0 रोड बेवर से खोक ताल तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत का कार्य

56-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद-मैनपुरी में जी0टी0 रोड बेवर से खोक ताल ब्लाक बेवर तक की सड़क क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत पेन्टिंग स्तर तक कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं। सम्प्रति मार्ग की दशा ठीक है तथा आवागमन सुगमता पूर्वक हो रहा है।

मरम्मत का कार्य मार्च, 2009 में किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी से भोगांव तक क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत की मांग

57-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद-मैनपुरी में मैनपुरी से भोगांव तक का मार्ग लगभग 15 कि0मी0 क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं। मार्ग की मरम्मत तथा आवश्यकतानुसार नवीनीकरण कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मैनपुरी के ग्राम दिखतमई ब्लाक बेवर में राशन डीलर के कोटे का चयन करने पर विचार

58-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनपुरी के ग्राम दिखतमई ब्लाक बेवर में 6 माह से राशन डीलर का कोटा निलम्बित है ? यदि हां, तो क्या सरकार राशन डीलर के कोटे का चयन करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी हां, उचित दर विक्रेता द्वारा की गयी अनियमितताओं के कारण अनुबन्ध-पत्र निरस्त किया जा चुका है।

जी हां।

दिनांक 22-01-2010 को ग्राम सभा दिखतमई (प्रागपुर) में श्रीमती स्नेहलता को उचित दर विक्रेता नियुक्त कर दिया गया हैं

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के ब्लाक बेवर में जी0 टी0 रोड, बेवर बनकिया से ईशन नदी पुल तक की क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण

59-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनपुरी के ब्लाक बेवर में जी0टी0 रोड, बेवर बनकिया से आधार ईशन नदी पुल तक की सड़क क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रश्नगत मार्ग पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मैनपुरी के ग्राम शम्भू नगला से जरामई तक सड़क की दुबारा मरम्मत कराने की मांग

60-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनपुरी के ग्राम शम्भू नगला से जरामई तक ब्लाक सुल्तानगंज में निर्मित सड़क, घटिया सामग्री लगाने के कारण खराब हो गयी है ? क्या सरकार जांच कराकर उक्त सड़क को दुबारा मरम्मत कराने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

सड़क का निर्माण कार्य अपूर्ण होने के कारण खराब हो गई है।

जी हां।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के असिंचित क्षेत्रों में नये नलकूप लगाने की योजना

61-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के असिंचित क्षेत्रों में नये नलकूप लगाने की योजना सरकार द्वारा बनायी गयी है ? यदि हां, तो इसका विवरण क्या है ? क्या सरकार द्वारा बन्द नलकूपों के रि-बोर कराने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

जी हां।

"चौधरी चरण सिंह 3000 नलकूप योजना" के अन्तर्गत असिंचित क्षेत्रों में एक क्यूसेक क्षमता एवं 50 हेक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र के 3000 नये नलकूप लगाने की योजना स्वीकृत है, जिसके अन्तर्गत वर्ष 2008-09 तक 1456 राजकीय नलकूप प्रदेश में लगाये गये तथा 2009-10 में 790 राजकीय नलकूपों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

जी हां।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बांदा के कतिपय ब्लाकों में राजकीय नलकूपों की रि-बोरिंग कराने की मांग

62-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बांदा के ब्लाक जसपुरा, तिन्दवारी बड़ोखर खुर्द में कितने राजकीय नलकूप लगे हैं तथा उनमें से कितने चालू तथा कितने बन्द हैं ? क्या सरकार बन्द नलकूपों को रि-बोर करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

जनपद बांदा के ब्लाक-जसपुरा, तिन्दवारी व बड़ोखरखुर्द में लगे राजकीय नलकूपों की स्थिति निम्नानुसार है :-

विकास खण्ड का नाम	कुल स्थापित नलकूप	स्थायी रूप से बंद नलकूप				चलित नलकूप
		परित्याग हेतु प्रस्तावित नलकूप	सुधारात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्तावित नलकूप	फेल नलकूप	योग	
जसपुरा	124	03	27	01	31	93
तिन्दवारी	170	03	14	02	19	151
बड़ोखरखुर्द	76	03	--	--	03	73
योग	370	09	41	03	53	317

विभाग द्वारा फेल नलकूपों की ही रि-बोरिंग कराई जाती है। वर्तमान में बन्द (फेल) नलकूपों को रि-बोर कराने हेतु जनपद बांदा में कोई योजना नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत चीनी मिल की स्थापना हेतु योजना

63-श्री जोखू लाल यादव-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत चीनी मिल की स्थापना हेतु सरकार कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

उ0 प्र0 राज्य चीनी नियम लि0 की चीनी मिलों के विक्रय/विनिवेश तथा सहकारी क्षेत्र की चीनी मिल समितियों की परिसम्पत्तियों के हस्तान्तरण का निर्णय लिया गया है। अतः उक्त दोनों क्षेत्र में नई चीनी मिल लगाये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। निजी क्षेत्र द्वारा यदि किसी चीनी मिल की स्थापना की जाती है, तो शासन को कोई आपत्ति नहीं है।

मा0 विधायकों के आवासीय सुविधा हेतु पुराना विधायक निवास-1, विधायक निवास-2, दारुलशफा में पुराने दो आवासों का एकीकरण करके आवंटित किये जाने पर विचार

64-श्री जोखू लाल यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय विधायकों के लिए आवासीय सुविधा हेतु लखनऊ स्थित पुराना विधायक निवास-1 दारुलशफा एवं विधायक निवास-2 दारुलशफा में

पुराने दो आवासों का एकीकरण करके आवंटित किये जाने का प्राविधान किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष में उक्त आवासों का एकीकरण कराकर आवंटित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

प्रथम चरण में विधायक निवास-1 में ऐसे कक्ष जिनका क्षेत्रफल 500 वर्गफुट से कम हो, के बराबर वाले कक्षों को मिलाकर एकल कक्ष का रूप देकर नया नम्बर दिया गया है। विधायक निवास-2 दारुलशफा में सम्प्रति दो आवासों के एकीकरण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विधायक निवास-1 में ऐसे कक्ष जिनका क्षेत्रफल 500 वर्गफुट से कम हो, के बराबर वाले कक्षों को मिलाकर एकल कक्ष का रूप देकर नया नम्बर दिया गया है, को माननीय विधायकगण को अधिकांशतः आवंटित कर दिया गया है। विधायक निवास-2 दारुलशफा में सम्प्रति दो आवासों के एकीकरण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा शहर के मऊ खन्दारी, सुल्तानगंज पुलिया सिकन्दरा के सामने, वाटर वर्क्स तथा बोदला सिकन्दरा रोड पर फ्लाई ओवर बनाने की मांग

65-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा की जनसंख्या बढ़ जाने के कारण यातायात व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने व जाम की स्थिति को रोकने के लिए क्या सरकार मऊ खन्दारी, सुल्तानगंज पुलिया, सिकन्दरा के सामने,वाटर वर्क्स तथा बोदला सिकन्दरा रोड पर सरकार नये फ्लाई ओवर बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

आगरा शहर में मऊ खन्दारी, सुल्तानगंज पुलिया, सिकन्दरा के सामने एवं वाटर वर्क्स मार्ग राष्ट्रीय मार्ग संख्या-2 पर स्थित है, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अन्तर्गत आता है। इन पर फ्लाई ओवर प्रस्तावित/स्वीकृत नहीं है।

बोदला सिकन्दरा रोड पर आर0ओ0बी0 संख्या-503 पर रेलवे उपरिगामी सेतु के निर्माण का आगणन प्रश्नगत कार्य को रेलवे वर्क प्रोग्राम में सम्मिलित करने हेतु शासन के पत्र दिनांक 22-11-2007 द्वारा रेलवे विभाग को प्रेषित है जिस पर रेलवे विभाग की स्वीकृति प्राप्त होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के दृष्टिगत अग्रेतर कार्यवाही की जा सकेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद में हाजियों की सहूलियत हेतु हज हाउस के निर्माण की मांग

66-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गाजियाबाद में पिछली सरकार द्वारा पश्चिमी उ0 प्र0 के हाजियों की सहूलियत हेतु हज हाउस का निर्माण शुरू कराया गया था ? यदि हां, तो अब तक उक्त हज हाउस में कितना कार्य कराया गया है तथा

कितना कार्य कराया जाना बाकी है एवं उक्त हज हाउस कब से कार्य करना प्रारम्भ कर देगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनीस अहमद खां-

जी हां।

गाजियाबाद हज हाउस में मुख्य भवन के फाउण्डेशन से संबंधित पाइलिंग कार्य 214 नग के विरुद्ध 97 नग तथा बाउण्ड्रीवाल के निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। निर्माण से सम्बन्धित अन्य कार्य शेष हैं।

हज हाउस का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर ही हज यात्रियों को हज हाउस से भेजा जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के ब्लाक व तहसील मीरगंज निवासी श्री नत्थूलाल द्वारा लोक निर्माण विभाग की भूमि पर किये गये अवैध निर्माण को हटाने की मांग

67-श्री सुल्तान बेग-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बरेली के ब्लाक व तहसील मीरगंज के कुतकपुर निवासी नत्थू लाल मेट, जो पी0डब्लू0डी0 विभाग में सरकारी कर्मचारी हैं, ने कस्बा मीरगंज में लोक निर्माण की भूमि पर अवैध निर्माण करा लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस अवैध निर्माण को हटवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

श्रीमती राजकुमारी, पत्नी श्री नत्थूलाल मो0 ललितपुर मीरगंज, बरेली ने लोक निर्माण विभाग की भूमि पर अवैध निर्माण करा लिया है, जिसके लिए इनके विरुद्ध दिनांक 12-11-2009 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जा चुकी है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम खुर्द राई को सुभाष नगर से जाने वाला रास्ता के निर्माण की मांग

68-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद-शाहजहांपुर की सदर तहसील के ग्राम खुर्द राई (राय खुर्द) को सुभाष नगर से जाने वाला रास्ता 3.50 कि0मी0 अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण हालत में तथा बरसात के मौसम में यह रास्ता बन्द हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस रास्ते को बनवाने हेतु कोई व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रश्नगत ग्राम खुर्द राई (राय खुर्द) से सुभाषनगर तक 3.50 कि0मी0 लम्बाई का कच्चा मार्ग है जिसका निर्माण कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

भारत सरकार द्वारा प्रदेश के लिये बी0पी0एल0/अन्त्योदय राशन कार्डों का लक्ष्य

69-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले ऐसे परिवारों को जो बी0पी0एल0 में आने की पात्रता रखते हैं और जिनके कार्ड नहीं बन पाये हैं उनको भी कार्ड बनवाकर अनुमन्य सुविधाओं का लाभ प्रदान करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत सरकार द्वारा प्रदेश के लिए बी0पी0एल0/अन्त्योदय राशन कार्डों का लक्ष्य 106.79 लाख निर्धारित किया गया है। इस संख्या में वृद्धि भी भारत सरकार के स्तर से ही की जा सकती है। अतः प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले समस्त परिवारों को अनुमन्य सुविधाओं का लाभ नहीं दिया जा पा रहा है।

आवास एवं विकास परिषद् की भूमि खसरा संख्या-129 ग्राम बस्तौली, लखनऊ पर किये गये अनधिकृत कब्जे को हटाने की मांग

70-श्री सुखलाल-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् की भूमि खसरा संख्या-129 ग्राम बस्तौली लखनऊ पर किये गये अनधिकृत कब्जे को उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् के पत्र संख्या-750/सेक्टर-2-12/55, दिनांक 24-3-99 द्वारा दिनांक 10-4-99 तक हटाने हेतु आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त अनधिक कब्जा हटा लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी नहीं।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन संख्या-1505/99 में निर्माण को ध्वस्त न किये जाने के आदेश पारित किए गये हैं।

कंसा पट्टी-महदहा-बैला-चांदा पट्टी मार्ग, जनपद प्रतापगढ़ को शून्य से लेपन तक पूर्ण कराये जाने की मांग

71-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश से स्वीकृत मार्ग कंसा पट्टी-महदहा-बैला-चांदा पट्टी मार्ग, जनपद-प्रतापगढ़ जो शासन द्वारा दिनांक

23-8-2000 को स्वीकृत किया गया था, की कुल लम्बाई कितनी है तथा उक्त मार्ग को शून्य से लेपन तक पूर्ण कराये जाने हेतु कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी और अब तक कितनी धनराशि अवमुक्त की गयी है ? अवशेष कार्य को कब तक पूर्ण कराया जायेगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां, कंसा पट्टी महदहा-बेला-चांदा-पट्टी मार्ग की स्वीकृत लम्बाई 4.50 कि0मी0 तथा स्वीकृत लागत रु0 33.93 लाख है। उक्त कार्य को स्वीकृत लम्बाई तक पूर्ण किये जाने हेतु भौतिक सत्यापन कराते हुए अद्यतन दरों पर पुनरीक्षित आगणन उपलब्ध कराये जाने के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़ को निर्गत कर दिये गये हैं। पुनरीक्षित आगणन गठित होने पर धनराशि का आंकलन सम्भव है।

उपरोक्तानुसार।

रेड़ीगारापुर से उसरौली मार्ग, जनपद-प्रतापगढ़ को शून्य से लेपन स्तर तक पूर्ण कराये जाने की योजना

72-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल विकास निधि राज्यांश से स्वीकृत मार्ग रेड़ीगारापुर से उसरौली, जनपद-प्रतापगढ़ जो शासन द्वारा दिनांक 23-8-2000 को स्वीकृत किया गया है, की कुल लम्बाई कितनी है तथा उक्त मार्ग को शून्य से लेपन तक पूर्ण कराये जाने हेतु कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी ? उक्त कार्य हेतु अब तक कितनी धनराशि अवमुक्त की गयी ? अवशेष कार्य को कब तक पूर्ण कराये जाने की योजना है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां, रेड़ीगारापुर से उसरौली मार्ग की स्वीकृत लम्बाई 3.50 कि0मी0 तथा स्वीकृत लागत रु0 26.39 लाख है। उक्त कार्य को स्वीकृत लम्बाई तक पूर्ण किये जाने हेतु भौतिक सत्यापन कराते हुए अद्यतन दरों पर पुनरीक्षित आगणन उपलब्ध कराये जाने के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़ को निर्गत कर दिये गये हैं। पुनरीक्षित आगणन गठित होने पर धनराशि का आंकलन सम्भव है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

73-श्री सुधीर कुमार-

[दिनांक 01-02-2010 के अतारांकित प्रश्न सं0-171 द्वारा उत्तरित]

जनपद इलाहाबाद के ग्राम हरिरामपुर में क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण

74-श्री जोखू लाल यादव-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद-इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-39 इलाहाबाद से सम्बद्ध वारी रजवाहा पर स्थित सराय हरिराम गांव के सामने की पुलिया तथा सेमरी तथा छतौना गांव के सामने की पुलिया पूर्णतया क्षतिग्रस्त होकर टूट गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार आवागमन हेतु उक्त पुलिया का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी हां।

ग्राम हरिरामपुर में क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण कराया जा चुका है। शेष दो पुलिया सेमरी एवं छतौना के निर्माण की परियोजना के प्राक्कलन का गठन कर लिया गया है। नियमानुसार स्वीकृति के पश्चात् धनावंटन की उपलब्धता पर कार्य पूर्ण कराया जाना है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी में नये नलकूप लगाने पर विचार

75-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनपुरी में वर्ष 2009-10 में नये नलकूप लगाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो ब्लाकवाइज कितने नये नलकूप लगाये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

जी हां।

जनपद मैनपुरी में वर्ष 2009-10 में नये निर्माणाधीन नलकूपों की ब्लाकवार सूची निम्नानुसार है:-

क्र0सं0	ब्लाक का नाम	चौधरी चरण सिंह 3000 नलकूप परियोजना		
		सामान्य	एस0सी0पी0	योग
1	2	3	4	5
1	मैनपुरी	06	00	06
2	जागीर	01	00	01
3	बेवर	07	00	07
4	सुल्तानगंज	03	00	03
5	किशनी	03	00	03
6	करहल	04	00	04
7	कुरावली	02	00	02
8	घिरोर	01	02	03
कुल योग-		27	02	29

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव में भोगांव से बेवर तक जर्जर सड़क की मरम्मत की मांग

76-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव में भोगांव से बेवर तक की सड़क जर्जर हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

मरम्मत का कार्य पूर्व में पूर्ण करा दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी में स्वीकृत नई सड़कें

77-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनपुरी में वर्ष 2008-09 में कितनी नई सड़कें लो0 नि0 वि0 द्वारा स्वीकृत की गयी हैं ? उनका विवरण क्या है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

कुल 51 नई सड़कें स्वीकृत हुईं।

विवरण संलग्न है।

जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव में खाँदी रोकने की मांग

78-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव में बीलों माइनर ब्लाक सुल्तानगंज में जिरौली व न0 क्लू मौजा किन्हावर के बीच में बहुत बड़ी खाँदी है ? क्या सरकार खाँदी रोकने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव ब्लाक सुल्तानगंज में बीलों रजवाहा में ग्राम जरौली व नं0 क्लू मौजा किन्हावर के बीच कोई खाँदी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

आवास एवं विकास परिषद् द्वारा भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय को लागू करने की जानकारी

79-श्री सुन्दर सिंह-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 22-11-02 को 185/38 वीं बैठक में उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की योजनाओं में निजी भू-स्वामियों/किसानों की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु 5% बिक्री योग्य भूमि भू-स्वामियों/किसानों को आवंटित किये जाने पर विचार हुआ था ? क्या उक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि आवासीय भूखण्डों के प्रथम आवेदन की तिथि से 2 वर्ष के अन्दर आवंटन सुनिश्चित कर लिया जाये ? यदि हां, तो उक्त निर्णय के परिपेक्ष्य में प्रदेश के जिन जनपदों में आवास एवं विकास परिषद् द्वारा भूमि अधिग्रहीत की गयी है, उनमें यह निर्णय लागू किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 215-216 पर)

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

विधायकों के लखनऊ स्थित सरकारी आवासों में गैराज उपलब्ध न होने से वाहनों की चोरी

80-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 विधान सभा सदस्यों के लखनऊ स्थित सरकारी आवासों में वाहनों के गैराज उपलब्ध न होने के कारण आये दिन विधायक निवासों से वाहनों की चोरी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार विधायक की गाड़ियां चोरी होने से बचाने के लिए उनके वाहनों के लिए गैराज बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं। यदा-कदा वाहनों की चोरी की घटनायें हुई हैं।

सभी माननीय विधायकों के वाहनों के लिए गैराज बनाये जाने हेतु विधायक निवासों में पर्याप्त स्थान उपलब्ध न होने के कारण विधायक निवासों में खुले पार्किंग स्थल विकसित किये जा रहे हैं। इस क्रम में दारुलशफा में खुले पार्किंग स्थल विकसित किये गये हैं। बहुखण्डीय मंत्री आवास के भवनों के भूतल एवं खुले में पार्किंग स्थल विकसित है। ओ0सी0आर0 में दोनों ब्लाकों के मध्य स्थान में वाहनों को पार्क किये जाने की सुविधा उपलब्ध है। विधायक निवासों में वाहनों की यदा-कदा चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ से इस निमित्त पर्याप्त पुलिस बल तैनात किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में हज हाउस का निर्माण

81-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में निर्मित हज हाउस पूर्णतया बनकर तैयार हो गया है ? यदि नहीं, तो उक्त भवन हज यात्रियों के लिए कब तक बनकर तैयार हो जायेगा ?

श्री अनीस अहमद खां-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

सिविल स्टेशन, इलाहाबाद में हो रहे अवैध निर्माण को रोके जाने विषयक-पत्र

82-श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4 मार्च, 09 व दिनांक 19-8-2009, जो सिविल स्टेशन इलाहाबाद में हो रहे अवैध निर्माण को रोके जाने विषयक था, संलग्नक सहित प्रमुख सचिव, आवास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसके मुख्य-मुख्य बिन्दु क्या थे तथा उन बिन्दुओं पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां। प्रश्नगत पत्र दिनांक 4 मार्च, 2009 एवं दिनांक 19-8-2009 में 144 सिविल स्टेशन, इलाहाबाद पर हो रहे अवैध निर्माण, फुटपाथ पर अतिक्रमण, अवैध निर्माण को पहले सील करने तथा बाद में उसकी सील खोल दिये जाने की जांच कराने, अवैध निर्माण को ध्वस्त कराने तथा अवैध निर्माण कराने वालों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का मुख्य बिन्दु निहित है, जिसके सम्बन्ध में इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण तथा निर्माणकर्ता के विरुद्ध उ0 प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की विभिन्न सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत सम्यक कार्यवाही की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली-बुलन्दशहर बाईपास मार्ग हेतु अधिग्रहीत की गयी भूमि

83-श्री सुन्दर सिंह-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 19-1-07 को आवास एवं विकास परिषद् की 197वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार बुलन्दशहर की योजना सं0-1 में जिन किसानों की भूमि अधिग्रहीत की गयी है तथा जिन्होंने 5% भूमि आवंटन के लिए आवेदन किया है, पर भी परिषद की दिनांक 19-1-2007 की बैठक में लिये गये निर्णय के प्राविधान लागू होंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

क्योंकि उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् को दिनांक 19-1-2007 की बैठक में लिये गये निर्णय में विशेष रूप से दिल्ली-बुलन्दशहर बाईपास मार्ग योजना गाजियाबाद के अन्तर्गत सम्बन्धित कास्तकारों से आपसी समझौते के आधार पर सहमति के अनुसार 5 % भूमि आवंटन एवं दर का निर्धारण किया गया है। उक्त निर्णय अन्य योजनाओं पर लागू नहीं है।

बी0पी0एल0 राशन कार्डों का लक्ष्य

84-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बी0पी0एल0 परिवारों की संख्या को देखते हुए भारत सरकार की खाद्यान्न देने की नीति से पृथक बी0पी0एल0 परिवारों को प्रदेश की अन्य अनुबन्ध सुविधाओं, यथा-इलाज व वृद्धावस्था पेंशन को प्राप्त कराने के लिये बी0पी0एल0 कार्ड जारी करवाने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

भारत सरकार द्वारा प्रदेश के लिए 106.79 लाख बी0पी0एल0 राशन कार्डों का लक्ष्य आवंटित किया गया है जिसमें 6584500 बी0पी0एल0 तथा 4094500 अन्त्योदय राशन कार्ड प्रदेश के पात्र परिवारों को जारी किये गये हैं। खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा जारी कार्ड केवल खाद्यान्न, चीनी, तेल आदि के लिये होते हैं। अन्य सुविधाओं यथा-इलाज व वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कराने के लिए बी0पी0एल0 कार्ड जारी करने का कोई प्रस्ताव खाद्य एवं रसद विभाग में विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर के विकास खण्ड सहपऊ के ग्राम छत्तरगढ़ी/गढ़ी तोता को सादाबाद-पुरा मार्ग से लेपन स्तर तक सड़क के निर्माण की मांग

85-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद महामायानगर के विकास खण्ड सहपऊ के ग्राम छत्तरगढ़ी (भाग खोंडा)/गढ़ी तोता को सादाबाद-पुरा मार्ग से लेपन स्तर तक सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

सम्प्रति प्रश्नगत मार्ग का लेपन स्तर तक का निर्माण किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

ग्राम नगवा, कन्हौली, जनपद देवरिया के कोटेदार के विरुद्ध शिकायती-पत्र

86-श्री लालजी यादव-

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 विधायक श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा का शिकायती-पत्र दिनांक 15-9-09, जो मा0 मुख्य मंत्री को भेजा गया था तथा जिसमें ग्राम नगवा, कन्हौली, जनपद देवरिया के कोटेदार के विरुद्ध शिकायत थी, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र की बिन्दुवार जांच कराकर कोटेदार के उठान व वितरण रजिस्टर आदि की जांच कराकर कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

आवास विकास परिषद् की विकास नगर योजना, लखनऊ में मानकों के विरुद्ध किये गये अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही

87-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आवास विकास परिषद् की विकास नगर योजना, लखनऊ में स्थित भूखण्ड सं0 6/जे0एच0 1-4 पर बने बहुमंजिले भवन का निर्माण मानचित्र स्वीकृत कराकर एवं अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुरूप अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त

कर किया गया है ? यदि नहीं, तो मानकों के विरुद्ध किये गये अवैध निर्माण के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की विकास नगर योजना लखनऊ स्थित भू-खण्ड संख्या-6/जी0एच0 1-4 पर बने बहुमंजिले भवन का निर्माण मानचित्र स्वीकृत कराकर किया गया है परन्तु तत्समय अग्निशमन की अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का प्राविधान न होने के कारण आवंटी द्वारा अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया गया।

मानकों के विरुद्ध किये गये अवैध निर्माण के विरुद्ध उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् लखनऊ द्वारा परिषद् अधिनियम, 1965 की सुसंगत धारा के अन्तर्गत कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

लोक निर्माण विभाग, गोण्डा द्वारा बैजपुर में नवनिर्माण एवं मरम्मत लेपन कार्यों में सरकारी धन के दुरुपयोग की शिकायत

88-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड बभनजोत में गत वित्तीय वर्ष 2008-09 में लोक निर्माण विभाग, गोण्डा द्वारा बैजपुर में नवनिर्माण एवं भानपुर तथा महुआपाकर में मरम्मत लेपन कार्य कागजों में दिखाकर विभागीय अधिकारियों द्वारा सरकारी धन हड़प कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्यों की गुणवत्ता की जांच टी0ए0सी0 से कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं। सरकारी धन के दुरुपयोग की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

89-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

[दिनांक 01-02-2010 के अतारांकित प्रश्न सं0-170 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में सिंचाई हेतु नहरों के विस्तार की योजना

90-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों को सिंचाई के लिये नहरों के विस्तार किये जाने की कोई कार्य योजना सरकार के स्तर पर विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

हरदोई ब्रान्च की पुनर्स्थापना की परियोजना, शारदा सहायक प्रणाली की पुनर्स्थापना की योजना, गण्डक नहर प्रणाली की पुनर्स्थापना की योजना एवं उमरहट पम्प नहर द्वितीय चरण की योजना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त सरयू नहर परियोजना, बाणसागर परियोजना, मध्य गंगा नहर

परियोजना-द्वितीय चरण, लहचूरा बांध परियोजना एवं अर्जुन सहायक परियोजना कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निर्माणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी में नलकूप लगाने हेतु जनप्रतिनिधियों से लिये गये प्रस्ताव

91-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनपुरी में वर्तमान में नलकूप लगाने हेतु जन प्रतिनिधियों से प्रस्ताव लिये गये हैं ? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र भोगांव के राजपूत नि0 भनऊ प्रभात कुशवाहा नि0 जगतपुर, ब्लाक सुल्तानगंज व प्रकाश चन्द्र नि0 न0 परम ब्लाक बेवर में प्रस्ताव प्रश्नकर्ता द्वारा दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर नलकूप लगाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

जी हां।

जी हां।

विधान सभा क्षेत्र भोगांव के राजपूत निवासी भनऊ व प्रभात कुशवाहा, निवासी जगतपुर, ब्लाक सुल्तानगंज में प्रस्ताव के अनुसार नलकूप लगाया जा चुका है। प्रकाश चन्द्र, निवासी नगला परम ब्लाक-बेवर में प्रस्ताव असाध्य पाये जाने के कारण नलकूप नहीं लगाया जा सका।

उपरोक्तानुसार।

मनऊघाट से अलीगंज, जनपद एटा की क्षतिग्रस्त सड़क की पेन्टिंग/मरम्मत कराने पर विचार

92-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद-मैनपुरी के वि0 स0 क्षेत्र भोगांव में मनऊघाट से अलीगंज, जनपद-एटा की सड़क खराब है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की दुबारा पेन्टिंग/मरम्मत कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रश्नगत मार्ग प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य लेपन स्तर तक पूर्ण हो चुका है तथा वर्तमान में मार्ग की स्थिति संतोषजनक है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

श्रीमती सुगरा, निवासी ग्राम पल्हरी, तहसील नवाबगंज, जनपद बाराबंकी की पुश्तैनी जमीन गाटा संख्या-131 को लोक निर्माण विभाग द्वारा अधिग्रहण

93-श्री लालजी यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती सुगरा पत्नी श्री अब्दुल रऊफ निवासी-ग्राम पल्हरी, तहसील नवाबगंज, जनपद बाराबंकी की पुश्तैनी जमीन गाटा सं0 131 को लोक निर्माण विभाग द्वारा बाईपास बनाने हेतु अधिग्रहीत किया गया था ? क्या यह भी सही है कि

उक्त बाईपास की योजना निरस्त कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या जिलाधिकारी, बाराबंकी के पत्रांक 1050/आठ-नि0अ0/दि0 2-5-2005 द्वारा सरकार ने उक्त जमीन वापस करने हेतु आदेश निर्गत किये हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में भूमि को अर्जन से मुक्त किया जाना संभव नहीं पाया गया।

नेशनल हाई-वे, स्टेट हाई-वे तथा अन्य सरकारी भूमि पर निजी होर्डिंग को हटाने की मांग

94-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे तथा अन्य सड़क मार्गों की सरकारी भूमि पर स्थाई खम्भे लगाकर मा0 सांसद/मा0 विधायक अपने नाम से निजी होर्डिंग लगा सकते हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसे जनप्रतिनिधियों के होर्डिंगों को हटायेगी ? यदि नहीं, तो क्यो ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

स्थानीय प्रशासन को पूर्व से ही सभी प्रकार के अतिक्रमण को हटाने के निर्देश जारी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद में सिम्भावली ब्लाक के छोइया नाले पर पुल निर्माण की योजना

95-श्री मदन चौहान-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गाजियाबाद में सिम्भावली ब्लाक के छोइया नाले पर ग्राम अटूटा के सामने पुल निर्माण की योजना है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कार्य कब तक शुरू होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

परियोजना केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत भारत सरकार में विचाराधीन है। केन्द्रीय अनुदान उपलब्ध हो जाने पर परियोजना का कार्यान्वयन प्रारम्भ हो जायेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम राय खुर्द से सुभाषनगर तक जीर्ण-शीर्ण मार्ग का निर्माण कार्य

96-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या लोक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि शाहजहांपुर के ग्राम राय खुर्द, ब्लाक ददरौल से सुभाष नगर तक का 2 कि0मी0 मार्ग अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण हालत में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रश्नगत मार्ग ग्राम राय खुर्द से सुभाषनगर तक 2.00 कि0मी0 के स्थान पर 3.50 कि0मी0 लम्बाई का कच्चा मार्ग है, जिसका निर्माण कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में आबकारी विभाग से राजस्व की प्राप्ति का लक्ष्य

97-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2008-09 व 2009-10 में दिनांक 30-4-2009 तक प्रदेश में आबकारी विभाग से सरकार को कितने राजस्व की प्राप्ति हुई और कितनी राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

आबकारी विभाग में वर्ष 2008-09 में राजस्व प्राप्तियों हेतु रु0 5040 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था, जिसे कालान्तर में बढ़ाकर रु0 5290 करोड़ कर दिया गया। उसके सापेक्ष कुल रु0 4720.18 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था। वर्ष 2009-10 में राजस्व प्राप्ति हेतु रु0 5500.00 करोड़ वार्षिक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके आधार पर विभाग द्वारा प्राप्तियों हेतु माहवार निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप जून, 2009 तक नियत लक्ष्य रु0 1330.00 करोड़ के सापेक्ष दिनांक 30 जून, 2009 तक कुल रुपये 1596.66 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई है।

लोक निर्माण विभाग में वर्क चार्ज तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या तथा विनियमितीकरण

98-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभाग में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारी प्रदेश में वर्कचार्ज के रूप में तैनात हैं सरकार द्वारा अभी तक इनको विनियमित न किये जाने के क्या कारण हैं ? इनका विनियमितीकरण कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

लोक निर्माण विभाग में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में कार्यरत वर्कचार्ज कार्मिकों की कुल संख्या वर्तमान में 7602 है। इनकी संवर्गवार ज्येष्ठता का निर्धारण जनपद स्तर पर किया जाता है तथा विनियमितीकरण की कार्यवाही भी रिक्त पदों के सापेक्ष जनपद स्तर से ही सम्पन्न की जाती हैं।

विनियमितीकरण की कार्यवाही कार्मिकों के संवर्ग में रिक्त पदों के सापेक्ष की जाती है। अतएव इसमें समयसीमा का निर्धारण किया जाना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश विधान भवन की रंगाई, पुताई व अन्य अनुरक्षण कार्य पर व्यय

99-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सचिवालय विधान भवन की रंगाई, पुताई व अन्य अनुरक्षण कार्य जैसे ए0सी0 प्लांट व अन्य कार्यों पर वर्ष 2008-09 व 2009-10 में दिनांक 31-5-2009 तक कितनी धनराशि का भुगतान किन-किन फर्मों को किया गया है ?

सुश्री मायावती-

उ0 प्र0 विधान भवन की रंगाई, पुताई व अन्य अनुरक्षण कार्यों पर राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन अनुरक्षण खण्डों द्वारा वर्ष 2008-09 में रु0 47,57,858.00 व 2009-10 में दिनांक 31-5-09 तक रु0 9,51,829.00 की धनराशि का भुगतान विभिन्न फर्मों को किया गया है। फर्मों का विवरण संलग्न† है।

ग्राम पोखरा कला तहसील महमूदाबाद जिला सीतापुर में खराब नलकूपों को चालू करने की मांग

100-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

क्या सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पोखरा कला, तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर का नलकूप वर्तमान में खराब होने के कारण बन्द है ? यदि हां, तो इसे कब तक चालू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

ग्राम पोखरा कला, तहसील महमूदाबाद जिला-सीतापुर का नलकूप संख्या-90 महमूदाबाद चालू है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के कतिपय विकास खण्डों में घाघरा नदी से होने वाली कटान को रोकने हेतु योजना

101-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड रामपुर मथुरा, रेउसा, बेहटा में घाघरा नदी से होने वाली कटान को रोकने हेतु कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड रामपुर, मथुरा, रेउसा, बेहटा के ग्रामों को शारदा/चौका नदी एवं घाघरा नदी के कटान से बचाव हेतु ऐरापुल से चलहारी घाट तक 56 कि0मी0 की लम्बाई में तटबन्ध निर्माण की प्रारम्भिक परियोजना विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र कादीपुरा के कतिपय मार्गों का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण का प्रस्ताव

102-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र कादीपुरा, वीरापुर, पट्टी से सम्बन्धित मार्ग अकबरपुर-कादीपुर-चांदा पट्टी मार्ग एवं देल्हूपुर-रानीगंज कोहडौर मार्ग के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण का प्रस्ताव शासन के अ0शा0 पत्र संख्या 94(3)-23-11-2008, दिनांक 28-7-08 के संदर्भ में मुख्य अभियन्ता, इलाहाबाद,

† [देखिये नत्थी (ग) आगे पृष्ठ 217 पर।]

लो0 नि0 विभाग द्वारा प्रेषित पत्र संख्या 13818/60/याता/ई0क्षे0/मुख्य 2008, दिनांक 18-12-08 क्या मुख्य अभियन्ता मु0-1 उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो वर्ष 2008-09 में उक्त मद में अवशेष परिव्यय क्या है और वर्ष 2009-10 में प्रस्तावित/ अनुमोदित परिव्यय क्या है ? क्या उक्त अवशेष कार्यों को पूर्ण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

वर्ष 2008-09 में राज्य सड़क निधि मद में कोई परिव्यय अवशेष नहीं बचा था तथा वर्ष 2009-10 में राज्य योजना मद में 80 करोड़ एवं राज्य सड़क निधि मद में रु0 300 करोड़ का प्राविधान है।

सम्प्रति दोनों मार्ग किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

विधायकों के आवास हेतु विभिन्न स्थानों पर आरक्षित प्लाटों की नीलामी

103-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायकों के आवास हेतु विभिन्न स्थानों पर आरक्षित प्लाटों का आवास विकास परिषद् द्वारा नियमों का उल्लंघन करके नीलामी करायी गयी है ? यदि हां, तो क्या दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वांचल व बुन्देलखण्ड विकास निधि की भांति मध्यांचल विकास निधि की स्थापना करने पर विचार

104-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल व बुंदेलखण्ड विकास निधि की भांति मध्यांचल क्षेत्र के विकास के लिये मध्यांचल विकास निधि की स्थापना करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र अति पिछड़े क्षेत्र है। मध्यांचल क्षेत्र के विकास हेतु अलग से कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

झांसी एवं चित्रकूट मण्डल हेतु सड़क निर्माण एवं मरम्मत हेतु धनराशि का आवंटन

105-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2007-08 से दिसम्बर, 09 तक झांसी एवं चित्रकूट मण्डल के राज्य योजना आर0आई0डी0एफ0-11 व 12 व 14 तथा राज्य सड़क निधि एवं नवीनीकरण तथा एस0एच0 एम0डी0आर0 व ओ0डी0आर0 की मरम्मत एवं ग्रामीण मार्गों का सुधार तथा 12वां वित्त आयोग एवं अन्य योजनाओं द्वारा सड़क निर्माण एवं मरम्मत हेतु जनपदवार कितनी-कितनी धनराशि प्रदान की गयी है ? क्या बुन्देलखण्ड के पिछड़ेपन को देखते हुए सरकार झांसी एवं चित्रकूट मण्डल के लिये अधिक बजट आवंटन पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जनपदवार आवंटित धनराशि रु0 लाख में

जनपद	वर्ष 2007-08	माह 12/08	योग
1	2	3	4
जालौन	6854.81	7046.30	13901.11
झांसी	3447.65	2973.04	6420.69
ललितपुर	1315.99	2407.76	3723.75
चित्रकूट	2553.19	4757.54	7310.73
बांदा	11144.78	10278.63	21423.41
महोबा	2325.80	2651.30	4977.10
हमीरपुर	3363.62	3975.09	7338.71
योग :-	31005.84	34089.66	65095.50

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

व्योम खण्ड गोमती नगर विस्तार, लखनऊ में पिछली सरकार के कार्यकाल में तत्कालीन विधायकों व अन्य गणमान्य लोगों को प्लाट का आवंटन

106-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि व्योम खण्ड गोमती नगर विस्तार, लखनऊ में पिछली सरकार के कार्यकाल में तत्कालीन विधायकों व अन्य गणमान्य लोगों को जो प्लाट आवंटित किये गये थे उनको 3-4 साल बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा निरस्त करने का क्या औचित्य है ? क्या यह सही है कि आवंटियों ने बैंक से महंगे ब्याज दर पर कर्ज लेकर उक्त प्लाटों को लिया था जब कि उस समय प्लाटों का रेट भी कम था ? वर्तमान में एल0डी0ए0 के द्वारा 9 प्रतिशत ब्याज सहित आवंटियों को धन वापसी का क्या औचित्य है जबकि

प्लाटों के रेट में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो गयी तथा 12 प्रतिशत व 16 प्रतिशत ब्याज दर पर कर्ज लेकर प्लाट का पैसा आवंटियों द्वारा दिया गया है ? क्या सरकार वर्तमान कीमत पर उन प्लाटों की कीमत का आंकलन कर आवंटियों को धन वापस करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

उक्त प्रकरण में दिनांक 19-12-06 से मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा रिट याचिका संख्या-3779/एम0बी0/06 में प्रश्नगत भूमि पर निर्माण एवं विकास कार्यों पर स्थगन आदेश पारित करने के कारण प्राधिकरण की योजना बाधित थी, जिसके कारण विकास कार्य नहीं कराया जा सका और आवंटियों को कब्जा भी दिया नहीं जा सका। इस अन्तराल में विकास कार्यों पर होने वाले व्ययों में अप्रत्याशित वृद्धि तथा निरन्तर आवंटित भूखण्डों का कब्जा देने के लिए पड़ने वाले दबाव के दृष्टिगत प्राधिकरण बोर्ड द्वारा उक्त योजना निरस्त करने का निर्णय लिया गया है।

आवंटी किस स्रोत से प्राधिकरण में धनराशि जमा कर रहा है। यह जानकारी प्राधिकरण को नहीं रहती है और न ही प्राधिकरण आवंटियों से स्रोत को बताने के लिए बाध्य करता है। प्राधिकरण द्वारा सामान्यतः 6 प्रतिशत ब्याज दिया जाता है। मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों में देय ब्याज दर के सम्बन्ध में दिये गये निर्णयों तथा भारत के राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सावधि जमा पर दिये जाने वाली ब्याज दर के समतुल्य प्राधिकरण द्वारा इस प्रकरण में योजना निरस्त होने के परिस्थितियों के दृष्टिगत 9 प्रतिशत ब्याज देने का निर्णय लिया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

107-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

[दूसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न सं0-169 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम चौबारा विकास खण्ड सहपऊ, जनपद महामायानगर से आगरा शहर जाने वाले मार्ग में लेपन स्तर तक निर्माण की मांग

108-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्राम चौबारा वि0 खण्ड सहपऊ, जनपद महामायानगर से आगरा शहर जाने वाला मार्ग ग्राम भूत नगरिया से ग्राम नगला पांडे (भाग खांडा) वि0 खण्ड खदौली, जनपद आगरा तक मात्र लगभग 1 कि0मी0 लेपन स्तर तक निर्माण होने से सहपऊ कस्बा एवं वि0 खण्ड के सभी ग्राम आगरा शहर से सीधे जुड़ सकते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भाग का लेपन स्तर तक निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

109-डा0 अनिल चौधरी-

[दिनांक 01-02-2010 के अतारांकित प्रश्न सं0-162 द्वारा उत्तरित]

विधान सभा क्षेत्र स्याना, जनपद बुलन्दशहर के कतिपय ग्रामों के मार्गों का डामरीकरण

110-श्री सुन्दर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र स्याना, जनपद बुलन्दशहर का लगभग 2 कि0मी0 मार्ग (फरीदाबागर से निदामपुर) कच्चा है ? उक्त मार्ग के न बनने से ग्राम गजरौला, नरेन्द्रपुर, हसनगढ़ी, मवई आदि ग्रामों की जनता को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी नहीं। फरीदा बांगर, निदामपुर, (निजामपुर बांगर), गजरौला, नरेन्द्रपुर, हसनगढ़ी, मवई ग्राम लेपित मार्ग से जुड़े हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गाजियाबाद में हापुड़ में ब्रजघाट तक एन0एच0-24 हाई-वे का निर्माण

111-श्री मदन चौहान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गाजियाबाद में हापुड़ से ब्रजघाट तक एन0एच0-24 हाई-वे कब से निर्माणाधीन है तथा कार्य पूर्ण करने की अन्तिम तिथि क्या है ? उक्त फ्लाई ओवरों सहित हाइवे की कितनी लागत की परियोजना है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद गाजियाबाद में हापुड़ से ब्रजघाट (कि0मी0-58 से 93) तक चार लेन चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण का कार्य उ0 प्र0 राज्य सेतु निगम द्वारा मार्च, 2005 से किया जा रहा है। कार्य पूर्ण करने की तिथि दिसम्बर, 2011 लक्षित है।

लागत रु0 19500.00 लाख है।

जनपद गाजियाबाद में गढ़मुक्तेश्वर के ग्राम शाहपुर चौधरी के कृषकों की मध्य गंगा नहर परियोजना में अधिग्रहीत की गयी भूमि के प्रतिकर का भुगतान

112-श्री मदन चौहान-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गाजियाबाद में गढ़मुक्तेश्वर के ग्राम शाहपुर चौधरी के कृषकों का मध्य गंगा नहर परियोजना में सिंचाई विभाग द्वारा अधिग्रहीत भूमि का कई वर्षों से प्रतिकर का भुगतान लम्बित है ? यदि हां, तो कितना ? उक्त लम्बित धनराशि का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मध्य गंगा संगठन के अन्तर्गत जनपद-गाजियाबाद में गढ़मुक्तेश्वर के ग्राम शाहपुर चौधरी के कृषकों का मध्य गंगा नहर परियोजना प्रथम चरण हेतु भूमि अधिग्रहण विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (एस0एल0ए0ओ0), गाजियाबाद द्वारा किया गया था तथा उनके द्वारा कृषकों को पूर्ण भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान में सिंचाई विभाग द्वारा ग्राम-शाहपुर चौधरी के कृषकों को किसी प्रकार का प्रतिकर भुगतान नहीं किया जाना है।

तदैव।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा नई गाड़ियों की खरीद

113-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा वर्ष 2008-09 व 2009-10 में दिनांक 31-5-2009 तक कितनी नई गाड़ियों की खरीद की गयी और कितनी पुरानी गाड़ियों की मरम्मत रख-रखाव आदि के मद में वर्षवार कितनी-कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है ? क्या सरकार सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

वित्तीय वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में दिनांक 31-5-2009 तक उ0 प्र0 राज्य सम्पत्ति विभाग में कुल 52 नई गाड़ियों की खरीद की गयी है। पुरानी गाड़ियों की मरम्मत रख-रखाव आदि के मद में वित्तीय वर्ष 2008-09 में रुपये 1,04,91,828.00 एवं वित्तीय वर्ष 2009-10 में दिनांक 31-5-2009 तक कुल रुपये 18,60,268.00 की धनराशि का भुगतान किया गया है।

आवास संख्या-67-बी दारुलशफा को विकसित कर कब्जा देने की कार्यवाही

114-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता को आवंटित 67 बी-दारुलशफा लखनऊ विभाग द्वारा विकसित कर कब्जा दिये जाने की कार्यवाही की जानी थी किन्तु अभी तक उक्त आवास को विकसित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

आवास संख्या-67 बी दारुलशफा को माह नवम्बर, 2009 में जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण कराकर माह दिसम्बर, 2009 मे उच्चीकृत सूट को मा0 विधायक को हस्तगत कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बलरामपुर के अम्बेडकर ग्राम जिगनी में सड़क के निर्माण की जांच

115-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बलरामपुर के विकास खण्ड रेहरा बाजार के अम्बेडकर ग्राम जिगनी में वित्तीय वर्ष 2008-09 में लोक निर्माण विभाग द्वारा 3.00

कि0मी0 सड़क का निर्माण मानक के विपरीत करके सरकारी धन का दुरुपयोग किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 2-1-09 उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

निर्माण कार्य की जांच मुख्य अभियन्ता, फैजाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, फैजाबाद द्वारा की गयी। दोषपूर्ण कार्य के लिए ठेकेदार के देयक से रु0 3844.00 की कटौती की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

शाहजहांपुर में खराब पड़े नलकूप

116-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री को जानकारी है कि शाहजहांपुर में नलकूप सं0 114/115/105 खराब हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नलकूपों को जनहित में ठीक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

जी हां।

उक्त सभी नलकूपों को ठीक करा दिया गया है तथा वे वर्तमान में सिंचाईरत हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के बक्सर पुल एप्रोच रोड के निर्माण में किसानों की अधिग्रहीत की गयी भूमि का मुआवजा दिलाने की मांग

117-चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानेकारी है कि जनपद-बलिया के बक्सर पुल (गंगा नदी) एप्रोच रोड के निर्माण में ग्राम भरौली के जिन किसानों की भूमि अस्थायी रूप से अधिग्रहीत की गयी थी, को मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो लगभग 20 वर्ष के पश्चात भी अभी तक मुआवजा न दिये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार किसानों को शीघ्र मुआवजा दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रश्नगत एप्रोच रोड के निर्माण के समय किसानों की भूमि अस्थाई रूप से नहीं ली गई थी, क्योंकि इस भूमि पर मालिकाना हक ग्राम समाज का था। अतः मुआवजा भुगतान करने का प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

विधान सभा क्षेत्र भोगांव, जनपद मैनपुरी में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की मांग

118-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र भोगांव, जनपद-मैनपुरी में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित वर्तमान में ऐसी कितनी सड़कें हैं, जो क्षतिग्रस्त हैं ? क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

सम्प्रति 13 मार्ग हैं।

सामान्य मरम्मत एक सतत प्रक्रिया है जिसके तहत उपलब्ध धनराशि से मरम्मत कार्य कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

119-श्री मदन चौहान-

[दिनांक 01-02-2010 के अतारांकित प्रश्न सं0-163 द्वारा उत्तरित]

120-श्री मदन चौहान-

[दूसरे गुरुवार के अतारांकित प्रश्न सं0-162 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पी0डब्ल्यू0डी0 में शेड्यूल दरों का निर्धारण

121-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में विकास कार्य कराने वाली एजेन्सियां पी0डब्ल्यू0डी0 की दरों को आधार मानकर कार्य कराती हैं ? यदि हां, तो क्या पी0डब्ल्यू0डी0 से शेड्यूल में अंकित दरों व वर्तमान बाजार दरों में भारी अन्तर होने के कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या दरों की असमानता समाप्त की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

पी0डब्लू0डी0 में शेड्यूल दरों का निर्धारण सक्षम अधिकारी (अधीक्षण अभियन्ता) द्वारा बाजार दरों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उन्नाव, नगरपालिका शुक्लागंज के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये मानचित्र

122-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-उन्नाव में उ0शु0वि0प्रा0 द्वारा नगर पालिका, शुक्लागंज के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 में भवन निर्माण हेतु कितने मानचित्र स्वीकृत किये गये ? क्या यह भी सही है कि शुक्लागंज के अन्तर्गत निर्मित होने

वाले भवनों के मानचित्र स्वीकृत करने का अधिकार कानपुर विकास प्राधिकरण को है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्नाव व कानपुर के क्षेत्र निर्धारण की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

शून्य।

जी हां।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-6 के शासनादेश संख्या-417/9-आ-6-2000-21 डी0 ए0-72, दिनांक 20 जनवरी, 2000 द्वारा उन्नाव विकास क्षेत्र का निर्धारण किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्गों के निर्माण की जांच

123-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बांदा में लोक निर्माण विभाग खण्ड-2 को जिला योजना (एस0सी0पी0) के अन्तर्गत दिनांक 27-6-06 व 31-12-06 को शासन द्वारा गाजीपुर सम्पर्क मार्ग सहित 7 सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु शासनादेश जारी किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त सभी सम्पर्क मार्गों का मानक के अनुसार पटरी सहित सभी निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर शेष कार्य पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बांदा के पैलानी गलौली से बारा के बीच पैण्टून पुल के पहुंच मार्ग की मरम्मत की जांच

124-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बांदा में पैलानी गलौली से बारा के बीच पैंण्टून पुल का पहुंच मार्ग जो गत वर्ष 2007-08 में बनकर तैयार हुआ था, क्षतिग्रस्त हो चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुल की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां, पैण्टून सेतु के दोनों तरफ के पहुच मार्ग नदी के डूब क्षेत्र व नदी से सटे होते है, जिन पर नदी का प्रवाह तथा वर्षा जल के नदी में बहाव के कारण प्रतिवर्ष क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तथा इन्हें प्रत्येक वर्षा ऋतु के पश्चात् पैण्टून सेतु के बनाने के साथ मरम्मत/पुनः निर्माण कराया जाता है।

उक्त पुल के पहुंच मार्ग की मरम्मत (मिट्टी के कार्य से) करा दिया गया।

माह 11/09 में पैण्टून सेतु एवं पहुंच मार्ग (मरम्मत के पश्चात) को यातायात हेतु खोल दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी, कस्बा नवीगंज से जासमपई, बरम देव मन्दिर ब्लाक बेवर तक की सड़क की मरम्मत की मांग

125-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद-मैनपुरी, कस्बा नवीगंज से जासमपई बरम देव मन्दिर ब्लाक बेवर तक की सड़क खराब है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं। सम्प्रति मार्ग की दशा ठीक है तथा आवागमन सुगमता पूर्वक हो रहा है।

मरम्मत का कार्य दिसम्बर, 2009 में पूर्ण किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैंनपुरी व एटा की खराब सड़कों को पेन्टिंग स्तर तक बनाने की मांग

126-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनपुरी में हन्नू खेड़ा से काली नदी के पुल से ग्रा0 दुकनरिया, ब्लाक-अलीगंज, जनपद-एटा व कोट देवतरा होती हुई किलारोड अलीगंज जनपद-एटा की सड़क बहुत खराब है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क को पेंटिंग स्तर तक बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं। प्रश्नगत मार्ग की कुल लं0 11.22 कि0मी0 है। मार्ग के प्रथम 0.815 कि0मी0 (काली नदी के पुल से तौसेया मलूक तक) तथा अन्तिम 5.915 कि0मी0 (गांव देवतरा से किला रोड अलीगंज तक) कुल लम्बाई 6.730 में मार्ग लेपन स्तर तक निर्मित है तथा संतोषजनक स्थिति में है। मार्ग का 2.5 कि0मी0 भाग (ग्राम भौज्यापुर से देवतरा तक) लेपन स्तर तक स्वीकृत है तथा निर्माणाधीन है। मार्ग की अवशेष लम्बाई 1.99 कि0मी0 में से 1.5 कि0मी0 (ग्राम तौसेया मलूक से भौज्यापुर तक) मार्ग कच्चा है तथा 0.490 कि0मी0 (ग्राम अकबरपुर कोट का आबादी भाग) में खड़ण्जा है। उक्त अवशेष 1.99 कि0मी0 लम्बाई का मार्ग किसी भी योजना में लेपन स्तर तक निर्माण हेतु स्वीकृत/प्रस्तावित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

शारदा नहर खण्ड सीतापुर, थर्ड डिवीजन की ठठेरिया ड्रेन की सफाई किये जाने की मांग

127-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 13-10-09 जिसमें तहसील महमूदाबाद, लहरपुर, बिसवां व सीतापुर में शारदा नहर खण्ड सीतापुर थर्ड डिवीजन

ठठेरिया ड्रेन, जो चोक है को ठीक कराये जाने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

स्थलीय निरीक्षण किया गया। ठठेरिया ड्रेन में अभी पानी भरा है। पानी सूखने के बाद सफाई करायी जायेगी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर में चीनी मिलें तथा कृषकों की बकाया मूल्य का भुगतान

128-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर में कुल कितनी चीनी मिलें हैं और उन मिलों पर गन्ना किसानों का कुल कितना रुपया बकाया है ? क्या सरकार किसानों के बकाये गन्ना मूल्य का भुगतान ब्याज सहित समयबद्ध सीमा के अन्तर्गत करायेगी ? यदि हो, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत 04 चीनी मिलें स्थापित हैं जिसमें निगम क्षेत्र की एक चीनी मिल बुलन्दशहर सहकारी क्षेत्र की एक चीनी मिल अनूपशहर व निजी क्षेत्र की दो चीनी मिल साबितगढ़ व अगोता है। मात्र एक चीनी मिल अगौता पर गन्ना कृषकों का पेराई सत्र 2002-03 का अन्तर गन्ना मूल्य रु0 542.30 लाख तथा पेराई सत्र 2008-09 का रु0 185.19 लाख बकाया है। उक्त देय गन्ना मूल्य की ब्याज सहित वसूली हेतु उक्त चीनी मिल के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया गया है। चीनी मिल अध्यासी के विरुद्ध गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया गया है तथा दिनांक 30-1-2010 को चल-अचल सम्पत्ति की नीलामी की तिथि निर्धारित की गयी है।

प्रदेश में आधा हेक्टेयर से कम जोत के कृषकों की संख्या

129-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ऐसे कितने किसान हैं जिनके पास आधा हेक्टेयर से कम जोत की भूमि है ? क्या सरकार ऐसे सभी किसानों को बी0पी0एल0 की सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

प्रदेश में आधा हेक्टेयर से कम जोत के कृषकों की संख्या कृषि गणना वर्ष 2000-01 के आधार पर 1,18,70,767 है।

जी नहीं।

प्रदेश में बी0पी0एल0 अन्त्योदय राशन कार्डों की संख्या-106.79 लाख भारत सरकार द्वारा निर्धारित है तथा इस संख्या में राज्य सरकार के स्तर से कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

जनपद सीतापुर की तहसील सीतापुर, लहरपुर महमूदाबाद में बाढ़ में टूटी सड़कों के निर्माण की मांग

130-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 13-10-09 जिसमें जनपद सीतापुर तहसील सीतापुर, लहरपुर, महमूदाबाद आदि में बाढ़ से सड़कें टूट जाने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त सड़कों का निर्माण कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं। पत्र अभिलेख के अनुसार प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जिला योजना द्वारा असेवित बस्तियों को सड़क से जोड़ने के सम्बन्ध में पत्र

131-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18-08-09 जो जिला योजना द्वारा असेवित बस्तियों को सड़क से जोड़ने के सम्बन्ध में है, अधि0 अभियन्ता लोक निर्माण प्रान्तीय खण्ड/निर्माण खण्ड-2 बांदा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

पत्र में वर्णित 37 कार्यों में से मात्र 02 कार्य को जिला योजना समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है जिनकी स्वीकृति पर वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत यथासमय विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बांदा में नहर पटरी बनाये जाने के सम्बन्ध में पत्र

132-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-10-09 जो बांदा जनपद में नहर पटरी बनाये जाने के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

प्रश्नगत कार्य को लोक निर्माण विभाग से कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के फतेहाबाद क्षेत्र में आगरा टर्मिनल व इरादतनगर रजवाहा की सिल्ट की सफाई कराने हेतु टेल तक पानी पहुंचाने की मांग

133-डा0 राजेन्द्र सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद-आगरा के फतेहाबाद क्षेत्र में आगरा टर्मिनल व इरादतनगर रजवाहा की टेल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है ? क्या विभाग द्वारा सिल्ट की सफाई इस सत्र में की गयी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त टर्मिनल एवं रजवाहा की सिल्ट सफाई कराते हुये टेल तक पानी पहुंचायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

राजवाहा टर्मिनल एवं राजवाहा इरादतनगर की टेलों तक वर्तमान फसली रबी 1417 में पानी पहुंचा है।

जी हां।

उक्त दोनों राजवाहों पर रबी 1417 फसली के प्रारम्भ होने से पूर्व प्रस्तावित सिल्ट सफाई कार्यक्रम वर्ष 2009-10 के अनुसार सफाई का कार्य सम्पादित कराया गया।

प्रस्तावित सफाई कार्यक्रम के अनुसार सफाई कार्य कराये जाने के उपरान्त रबी की सिंचाई के लिए टेल तक पानी पहुंचाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत में डी0बाई0 रोड से सूप रढौड़ा मार्ग हेतु अधिग्रहीत की गयी भूमि के मुआवजा की मांग

134-डा0 अजय तोमर-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत में डी0 बाई0 रोड (बराल) से छपरौली वाया सूप रढौड़ा मार्ग जिसे बने लगभग 40 वर्ष हो चुके हैं, की भूमि अधिग्रहण का मुआवजा किसानों को दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मुआवजा कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

मार्ग निर्माण के समय आगणन में प्राविधान न होने के कारण तत्समय मुआवजा नहीं दिया जा सका। वर्तमान् में शासन स्तर पर मुआवजा भुगतान का प्रकरण विचाराधीन है।

प्रकरण में आपत्तियों का निराकरण होने के उपरान्त ही नियमानुसार मुआवजा भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी।

जनपद महामायानगर विकास खण्ड हाथरस के कतिपय गांवों के क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत की मांग

135-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड-हाथरस, जनपद-महामायानगर के ग्राम ढकपुरा होते हुये दादनपुर को जाने वाला मार्ग, हाथरस-सिकन्दराराऊ

मार्ग से ग्राम दादनपुर तक पूर्णतः क्षतिग्रस्त है ? क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 में उपरोक्त मार्ग की मरम्मत के बाद भी यह मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार पुनः इसकी मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

जी नहीं। प्रश्नगत मार्ग की मरम्मत वर्ष 2007-08 में कराई गई थी, जो क्षतिग्रस्त नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत मार्ग की दशा सन्तोषजनक है।

जनपद महामायानगर के जलेसर रोड रेलवे स्टेशन से ग्राम-बहादुरपुर देवकरन जाने वाले जीर्ण-शीर्ण मार्ग की मरम्मत की मांग

136-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-महामायानगर के जलेसर रोड रेलवे स्टेशन से ग्राम-बहादुरपुर देवकरन जाने वाले जीर्ण-शीर्ण लगभग 15 वर्ष पुराने मार्ग की मरम्मत क्या सरकार करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद महामायानगर के ग्राम-कुरसंडा से नगला मोहन तक जीर्ण-शीर्ण मार्ग के मरम्मत की मांग

137-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड सादाबाद, जनपद-महामायानगर के ग्राम-कुरसंडा से नगला मोहन तक जाने वाले 15 वर्ष पुराने जीर्ण शीर्ण मार्ग की मरम्मत क्या सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद नगर में सीवर बिछाये जाने के बाद सड़कों को ठीक किये जाने की मांग

138-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद महानगर में जे0 एन0 यू0 आर0 एम0 के अन्तर्गत सीवर बिछाये जाने से लोक निर्माण विभाग की सड़कों की भी खुदाई की

जाती है ? यदि हां, तो क्या सीवर बिछ जाने के बाद सड़कों को पूर्ववत् किये जाने की कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो सीवर कार्य पूर्ण होने के कितने दिनों के अन्दर सड़कें बना दी जाती हैं ? क्या सरकार इलाहाबाद (प्रयाग) में आगामी कुम्भ मेले को दृष्टिगत रखते हुये ऐसी सभी सड़कों को ठीक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी हां।

सीवर बिछाये जाने का कार्य पूर्ण होने एवं संसाधन उपलब्ध होने के पश्चात् वित्तीय वर्ष में सड़कें ठीक करा दी जायेंगी।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद महानगर के कतिपय मोहल्लों में नजूल भूमि पर बसे कमजोर व मध्यम वर्ग के लोगों का सर्वे

139-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद महानगर के सिविल लाइंस, जार्ज टाउन, अशोक नगर, टैगोर टाउन, लूकरगंज, छीतपुर, राजापुर आदि मुहल्लों में नजूल भूमि पर पुश्त-दर-पुश्त से बसे कमजोर व मध्यम वर्ग के (सागरपेशावासियों) लोगों का क्या कभी सर्वे कराया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार द्वारा पी0 डी0 टण्डन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के मामले में वर्ष 1986 में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय और 1987 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसके अनुमोदन के अनुसार सूची तैयार कराकर उन्हें पुनर्वासित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

दिनांक 05-07-1994 को आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिसमें मुख्य नगर अधिकारी नगर महापालिका, इलाहाबाद द्वारा अवगत कराया गया था कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 25-3-1986 के अनुपालन में सम्पूर्ण आउट हाउसेस में रहने वाले सिविल लाइन्स इलाहाबाद के प्रत्येक बंगलों का सर्वेक्षण कराया गया। सर्वेक्षण के पश्चात् नगर महापालिका, इलाहाबाद ने एक सूची तैयार कराकर एक प्रति जिलाधिकारी को उपलब्ध करायी थी। बैठक में मुख्य नगर अधिकारी नगर महापालिका, इलाहाबाद ने बताया कि इनकी संख्या-2061 है। बैठक में आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद ने यह निर्देश दिया कि उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण इलाहाबाद, मुख्य नगर अधिकारी, नगर महापालिका, इलाहाबाद से आउट हाउसेस के व्यक्तियों की एक सूची लेकर उसी के अनुसार मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उनके पहुंच के मुताबिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तों पर भवन/भूमि आवंटन हेतु

उनको विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद द्वारा निर्मित की गयी आवासीय कालोनी में भवन/भूमि आवंटित करने का आफर दें।

इसके अतिरिक्त नजूल भू-खण्ड पर स्थित सागरपेशावासियों के सम्बन्ध में पुनः सर्वे कराया जा रहा है। इस हेतु नगर निगम इलाहाबाद ने पत्र दिनांक 30-12-09 द्वारा टीम गठित कर दी गयी है।

श्री रवि कुमार पुत्र स्व0 श्री रामपाल हेल्पर ग्रुप बी को मृतक आश्रित कोटे में समायोजित करने की मांग

140-श्रीमती मिथलेश पाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप परियोजना निदेशक, उ0 प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 सेतु निर्माण इकाई हस्तिनापुर, मेरठ का पत्र सं0 561/कैम्प/एच0 आर0 डी0/09 दिनांक 3-10-09 प्रबन्धक (कार्मिक-3) उ0 प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या पत्र की भावना के अनुरूप श्री रवि कुमार पुत्र स्व0 श्री रामपाल हेल्पर ग्रुप बी को मृतक आश्रित कोटे में समायोजित कर नियुक्ति दे दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

श्री रवि कुमार पुत्र स्व0 राम पाल, हेल्पर ग्रुप 'बी' को मृतक आश्रित कोटे में समायोजित कर सेतु निगम की हस्तिनापुर इकाई में पत्र संख्या-1414/कैम्प/2ई/बीसीयू/हस्तिनापुर/2010, दिनांक 13-1-10 द्वारा नियुक्ति दे दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर में कतिपय जीर्ण-शीर्ण मार्गों के निर्माण की मांग

141-श्रीमती मिथलेश पाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर शहर में भोपा रोड, गांधी नगर पुलिस चौकी से नवीन मण्डी स्थल को जाने वाली सड़क, जो कूकड़ा चौराहे से होकर जानसठ रोड अलमासपुर चौराहे से मिलती है, जीर्ण-शीर्ण है ? क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद मुजफ्फरनगर में भोपा रोड, गांधी नगर पुलिस चौकी से नवीन मण्डी स्थल को जाने वाली सड़क कूकड़ा चौराहे तक का भाग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं है।

कूकड़ा चौराहे से जानसठ रोड अलमासपुर चौराहे तक का भाग क्षतिग्रस्त है।

कूकड़ा चौराहे से जानसठ रोड अलमासपुर चौराहे तक 600 मीटर भाग का मरम्मत कार्य प्रगति पर है।

फरवरी, 2010 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

मुजफ्फरनगर में सिल्ट सफाई हेतु आवंटित धनराशि

142-श्रीमती मिथलेश पाल-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर में सिल्ट सफाई हेतु वर्ष 2009-10 में कितना-कितना धन आवंटित हुआ है तथा किस-किस रजवहे की सफाई करायी गयी है ? यदि नहीं, तो कब तक सिल्ट सफाई करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र, मोरना, जनपद-मुजफ्फरनगर में गंगा नहर प्रणाली के कौन-कौन रजवहे एवं अल्पिकायें आती हैं ? क्या सभी राजबाहों एवं अल्पिकाओं की टेल तक खरीफ फसली 2009 में पानी पहुंचा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद मुजफ्फरनगर में वित्तीय वर्ष 2009-10 में विभागीय मद में रु0 58.12 लाख एवं नरेगा मद में रु0 83.964 लाख अर्थात् कुल धनराशि रु0 142.084 लाख आवंटित हुए हैं। उक्त आवंटित धनराशि से कुल 133 अल्पिकाओं/राजवाहों की सफाई करायी गयी है, जिसका विवरण मा0 सदस्यों के अवलोकनार्थ मेरे कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है।

वर्ष 2009-10 में विभागीय मद के अन्तर्गत कार्यक्रमानुसार सिल्ट सफाई का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है तथा नरेगा योजनान्तर्गत सिल्ट सफाई कार्य प्रगति में है तथा 31 जनवरी, 2010 तक पूर्ण किया जाना है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र मोरना, जनपद-मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत राजवाहा-शर्की, भोकरहेड़ी, लैफ्ट मोहम्मदपुर, भोपा, अथाई, तिरसा, मोरना, लैफ्ट बसेड़ा, राइट बसेड़ा एवं अल्पिका-फिरोजपुर, सिकन्दरपुर, गड़वाड़ा, वीरबाला, वजीराबाद, बेहड़ा-सादात, काम्हेड़ा, तेवड़ा, ढासरी, सम्भलहेड़ा, माजरा, कादीपुर, गादला, भैसरहेड़ी एवं जड़वड़ आती है।

उपरोक्त सभी राजवाहों एवं अल्पिकाओं की टेल तक खरीफ 2009 फसली में पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचा है।

प्रश्न नहीं उठता।

143-श्री सुखलाल-

[दिनांक 01-02-2010 के अतारांकित प्रश्न सं0-169 द्वारा उत्तरित]

नगरपालिका परिषद्, बुलन्दशहर के अन्दर नजूल की सम्पत्ति पर अवैध कब्जा हटवाने की मांग

144-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका परिषद्, बुलन्दशहर के अन्दर नजूल की कितनी सम्पत्ति है और कितनी नजूल की सम्पत्ति पर अवैध कब्जा है ? क्या सरकार नजूल की सम्पत्ति से अवैध कब्जा हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

नगरपालिका परिषद् बुलन्दशहर के अन्दर 39,766.13 वर्गमीटर पट्टागत तथा 5,691.42 वर्गमीटर गैर पट्टागत नजूल भूमि है। इस प्रकार कुल नजूल भूमि 45,457.55 वर्गमीटर उपलब्ध है जिसमें से 5,691.42 वर्गमीटर गैर पट्टागत नजूल भूमि अभी तक अवैध कब्जे के रूप में चिन्हित हुई है।

अवैध कब्जे के रूप में चिन्हित नजूल भूमि विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन वादों में अन्तर्ग्रस्त है।

उपरोक्तानुसार प्रकरण मा0 न्यायालय में लम्बित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर में यमुना नदी में बाढ़ की स्थिति को नियंत्रण करने में व्यय हुयी धनराशि

145-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर में वर्ष 2008 व वर्ष 2009 के सितम्बर माह में यमुना नदी में जल स्तर बढ़ने के कारण यमुना तटीय क्षेत्रों में बाढ़ की स्थित उत्पन्न हो गयी थी ? यदि हां, तो वर्ष 2008 व वर्ष 2009 में विभाग द्वारा बाढ़ की स्थिति को नियन्त्रण करने हेतु कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी व व्यय की गयी धनराशि से क्या-क्या कार्य कराये गये ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

वर्ष 2008 में रु0 32.95 लाख की धनराशि से ग्राम बड़ी मुस्लिम, बड़ी क़ोरियान, ऊदपुर, शीतलगढ़ी ख्वाजपुर, चौतरा, बल्हेडा, पथेर, गण्डवार, रामडा, हैदरपुर, नवी तथा काकौर में एवं वर्ष 2009 में रु0 18.77 लाख की धनराशि से ग्राम बड़ी कोरियान, शीतलगढ़ी, ख्वाजपुर, चौतरा, बल्हेड़ा, पथेर, इस्सोपुर खुरगान, मण्डावर, रामड़ा, नवी तथा काकौर में बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु बाढ़ सुरक्षा कार्य कराये गये थे।

जनपद मुजफ्फरनगर स्थित ऊन शुगर काम्पलेक्स व थाना भवन शुगर यूनिट में गन्ने की पेराई व चीनी का उत्पादन

146-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर स्थित ऊन शुगर काम्प्लेक्स व थाना भवन शुगर यूनिट (बजाज हिन्दुस्तान लि0) चीनी मिलों को पेराई सत्र 2009-2010 में कितना गन्ना क्षेत्र व गन्ना क्रय केन्द्रों का आवंटन किया गया है ? प्रत्येक चीनी मिल द्वारा पेराई सत्र 2008-2009 में कुल कितने गन्ने की पेराई की गई व कितनी चीनी का उत्पादन किया गया है ? उक्त चीनी मिलों में वर्तमान में कितने स्थाई एवं अस्थाई कर्मचारी कार्यरत हैं ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

पेराई सत्र, 2009-10 में ऊन शुगर काम्पलेक्स को 10693 हेक्टेयर गन्ना क्षेत्रफल व 44 क्रय केन्द्र तथा बजाज हिन्दुस्तान लि0, थाना भवन को 14715 हेक्टेयर गन्ना क्षेत्रफल व 60 क्रय केन्द्र आवंटित किये गये हैं।

पेराई सत्र, 2008-09 में ऊन शुगर काम्पलेक्स द्वारा 31.62 लाख कु0 गन्ने की पेराई तथा 2.83 लाख कु0 चीनी उत्पादन किया गया। इसी प्रकार बजाज हिन्दुस्तान लि0, थाना भवन द्वारा 54.15 लाख कु0 गन्ने की पेराई तथा 4.71 लाख कु0 चीनी का उत्पादन किया गया।

ऊन शुगर काम्पलेक्स में 190 स्थायी, 277 मौसमी एवं 17 अस्थायी कर्मचारी तथा चीनी मिल थाना भवन में 430 स्थायी एवं 50 अस्थायी कर्मचारी कार्यरत हैं।

जनपद मुजफ्फरनगर में मार्गों के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण हेतु वित्तीय स्वीकृति

147-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर में वित्तीय वर्ष 2008-09 व 2009-10 में कितने मार्गों के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण नवनिर्माण व मरम्मत कार्यों हेतु शासन द्वारा वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी ? प्रत्येक कार्य का लागत वार विवरण क्या है ? क्या सभी निर्माण कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? तथा इसके क्या कारण हैं ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

वित्तीय वर्ष 2008-09 में सुदृढ़ीकरण का 01 कार्य नवनिर्माण के 53 कार्य एवं मरम्मत के 12 कार्य तथा वर्ष 2009-10 में सुदृढ़ीकरण के 04 कार्य नवनिर्माण के 04 कार्य तथा मरम्मत के 39 कार्यों की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी।

विवरण संलग्न† है।

उपर्युक्त कुल स्वीकृत 113 कार्यों में से 86 कार्य पूर्ण हो गये हैं तथा शेष 27 कार्य अभी प्रगति पर हैं।

अवशेष 27 कार्यों में से कुछ कार्यों की स्वीकृति माह नवम्बर एवं दिसम्बर, 2009 में प्राप्त होने तथा मौसम की अनुकूलता न होने के कारण प्रगति बाधित रही।

जनपद मुजफ्फरनगर में रजबहों व माइनरों की सफाई हेतु व्यय की गयी धनराशि

148-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद- मुजफ्फरनगर में वित्तीय वर्ष 2008-09 व 2009-10 में कौन-कौन से रजवहों व माइनरों की सफाई की गयी ? इस कार्य में कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी ? प्रत्येक का लागतवार विवरण क्या है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद मुजफ्फरनगर में वित्तीय वर्ष 2008-09 व 2009-10 में विभागीय एवं नरेगा मद में कुल 266 अल्पिकाओं/राजवाहों की सफाई करायी गयी है जिसका विवरण मा0 सदस्यों के अवलोकनार्थ मेरे कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2008-09 व 2009-10 के अन्तर्गत 266 अल्पिकाओं/राजवाहों की सफाई में रु0 325.234 लाख व्यय किये गये हैं।

प्रत्येक का लागतवार विवरण मा0 सदस्यों के अवलोकनार्थ मेरे कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है।

जनपद महामायानगर की सादाबाद तहसील में खराब नलकूपों को चालू कराने की मांग

149-डा0 अनिल चौधरी-

क्या सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर की सादाबाद तहसील में कितने सरकारी नलकूप लगे हैं ? इन नलकूपों में से कितने चालू हालत में हैं व कितने खराब हैं ? क्या सरकार खराब सभी नलकूपों को चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

† छापा नहीं गया।

श्री जयवीर सिंह-

जनपद महामायानगर की तहसील सादाबाद में कुल 10 सरकारी नलकूप लगे हैं।

इन नलकूपों में से कोई भी नलकूप चालू नहीं हैं एवं समस्त 10 नलकूप परित्याग श्रेणी में वर्गीकृत होने के कारण स्थायी रूप से खराब हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

तहसील सादाबाद के अन्तर्गत स्थापित इन नलकूपों का भू-गर्भ जल खारा होने के कारण कृषि योग्य नहीं है। अतः समस्त नलकूप परित्याग श्रेणी में वर्गीकृत हैं।

जनपद मथुरा से होकर गुजरने वाला बल्देव पटलोनी-भरतिया मई-खदौली मार्ग की मरम्मत की मांग

150-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम भरतिया, विकास खण्ड बल्देव, जनपद मथुरा से होकर गुजरने वाला बल्देव-पटलोनी-भरतिया मई-खदौली मार्ग ग्राम भरतिया के आबादी भाग में पूर्णतः क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां। आबादी भाग में पानी निकासी की समस्या के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त है।

सम्प्रति प्रश्नगत मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

ग्राम-भरतिया, विकास खण्ड बल्देव, जनपद मथुरा के आबादी भाग की जर्जर सड़क की मरम्मत की मांग

151-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्राम-भरतिया वि0 खण्ड बल्देव, जनपद-मथुरा के आबादी भाग की सड़क जर्जर है ? क्या इस सड़क के किनारे गहरे तालाब में रिटेनिंग वाल नहीं होने से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग के आबादी भाग की विशेष मरम्मत करा कर तालाब की रिटेनिंग वाल बनवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद महामायानगर के राष्ट्रीय राज मार्ग-93 से सादाबाद-पुरा को लेपन स्तर तक निर्माण कार्य की मांग

152-डा0 अनिल चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर के बिसाना रजवहा की पट्टी राष्ट्रीय राजमार्ग 93 (आगरा-अलीगढ़ रोड) से सादाबाद-पुरा मार्ग तक का लेपन स्तर तक निर्माण कार्य करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

कोई कार्य-योजना प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

गरीबी रेखा निर्धारित करने का मानक

153-श्री मदन चौहान-

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिये राशन कार्ड बनाने हेतु गरीबी रेखा निर्धारित करने के मानक क्या हैं ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

पांच सदस्यों के परिवार को आधार मानते हुए शहरी क्षेत्र में रु0 25546.00 एवं ग्रामीण क्षेत्र में रु0 19884.00 वार्षिक आय से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की श्रेणी में रखा गया है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की प्रियदर्शनी योजना, सीतापुर रोड, लखनऊ के भवन संख्या एल-1/114 एवं एल-1/143 बी के अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण के आदेश

154-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखनऊ के लखनऊ विकास प्राधिकरण की प्रियदर्शनी योजना, सीतापुर रोड, लखनऊ के भवन संख्या एल-1/114 एवं एल-1/143 बी0 के अवैध निर्माण को हटाने हेतु दिनांक 26-2-2008 को विहित प्राधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किये गये हैं ? क्या यह भी सही है कि पारित आदेश के विरुद्ध भवन संख्या एल-1/143 सेक्टर बी0 प्रियदर्शनी, सीतापुर रोड योजना निवासी श्री कविता पाण्डेय ने अपील संख्या-91/2007-08 अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण के यहां दायर की है जिसके निर्णय में 20 मार्च, 2008 को अपील निरस्त करते हुये ध्वस्तीकरण आदेश की पुष्टि की गयी है ? यदि हां, तो क्या ध्वस्तीकरण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रियदर्शनी योजना के सेक्टर बी में स्थित भवन संख्या एल-143 व एल-1/144 के अवैध निर्माण के विरुद्ध दिनांक 26-2-2008 को ध्वस्तीकरण के आदेश पारित कर स्थल पर हुए अतिक्रमण का ध्वस्तीकरण कर दिया गया है। भवन संख्या 1/114 में कोई अवैध निर्माण न पाये जाने के कारण इसके विरुद्ध ध्वस्तीकरण का आदेश पारित नहीं हुआ है।

जी हां।

सक्षम विहित प्राधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुसार ध्वस्तीकरण करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के ग्राम रायपुर सातन में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान खोलने की मांग

155-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-उन्नाव के ब्लाक बिछिया के ग्राम रायपुर सातन, जो राजस्व ग्राम है, में संचालित उचित दर की राशन की दुकान को निरस्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त राजस्व ग्राम रायपुर सातन में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान उचित दर पर खोलने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी हां।

श्री आलोपी शंकर पुत्र मेवालाल यादव, उचित दर विक्रेता, निवासी ग्राम जमेल, मजरा-रायपुर सातन द्वारा अनियमितता किये जाने के फलस्वरूप दुकान का अनुबन्ध-पत्र निरस्त कर दिया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नये परिसीमन में राजस्व ग्राम रायपुर सातन एवं ग्राम सभा शिवपुर को मिलाकर नई ग्राम सभा शिवपुर का गठन हुआ है। उक्त ग्राम सभा शिवपुर में उचित दर दुकान संचालित है। रायपुर सातन गैर आबाद है। ग्राम भगेड़ीखेड़ा व जमेल आबाद है। राजस्व ग्राम रायपुर सातन में कुल 258 राशन कार्ड/1048 यूनिट हैं तथा ग्राम शिवपुर में कुल 467 राशन कार्ड एवं 1738 यूनिट हैं। इस प्रकार कुल 2786 यूनिट हैं। चार हजार यूनिट से कम की स्थिति में ग्राम सभा में दूसरी दुकान नहीं खोली जा सकती है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की रतन खण्ड योजना में आवंटियों के भू-खण्डों में गड्ढों की भराई का कार्य एवं जलापूर्ति का कार्य किये जाने की मांग

156-श्री लालजी यादव-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण रतन खण्ड योजना के आवंटियों के प्लाटों में काफी गड्ढे हैं और पानी सप्लाई न होने से जो आवंटी कब्जा ले चुके हैं वे अपने भवनों का निर्माण नहीं करा पा रहे हैं ? क्या सरकार गड्ढे वाले प्लाटों में मिट्टी डालने व पानी सप्लाई शुरू किये जाने का निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

प्रश्नगत भू-खण्डों में स्थित गड्ढों की भराई का कार्य तथा विद्युत विभाग द्वारा स्थल पर विद्युतीकरण का कार्य कराया जा रहा है जो प्रगति पर है। उक्त कार्य पूर्ण होने के उपरान्त स्थल पर जलपूर्ति का कार्य भी शीघ्र किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की रतन खण्ड योजना में विद्युतीकरण की कार्यवाही

157-श्री लालजी यादव-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की शारदा नगर योजना स्थित रतनखण्ड में मार्च, 2009 को विद्युत से सम्बन्धित कार्यों की निविदायें हुई थीं ? यदि हां, तो अब तक विद्युत कार्य न कराये जाने के कारण क्या हैं ? तथा विद्युत कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

मार्च, 2009 में लोक सभा चुनाव होने के कारण आदर्श आचार संहिता लागू थी, जिसके फलस्वरूप उक्त निविदा माह मई, 2009 में आमंत्रित की गयी थी।

प्राप्त निविदाओं के सम्बन्ध में निविदा शुल्क से सम्बन्धित प्रक्रिया पूर्ण करते हुए कार्य आदेश निर्गत किये जा चुके हैं। उक्त कार्य पूर्ण करने की अवधि माह अप्रैल, 2010 निर्धारित की गयी है।

जनपद लखनऊ स्थित लखनऊ विकास प्राधिकरण की योजना रतन खण्ड में आवंटित भू-खण्ड मालिकों को कब्जे दिये जाने की मांग

158-श्री लालजी यादव-

विधान सभा के प्रथम सत्र 2009 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित अता0 प्रश्न सं0 141 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त प्रश्न के उत्तर में कहा गया कि विकास कार्य माह अक्टूबर, 2009 तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? क्या यह सही है कि मौके पर अब तक कोई भी विकास कार्य नहीं कराया गया है और न ही लोगों को कब्जा दिया जा रहा है ? क्या सरकार अवशेष विकास कार्य पूर्ण कराने के निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी नहीं। स्थल पर विकास कार्य कराये गये हैं एवं मौके पर आवंटियों को भू-खण्डों के कब्जे भी दिये जा रहे हैं। योजना के अन्तर्गत कुल 1298 आवंटियों में से 798 को निबंधन के उपरान्त कब्जा दिया जा चुका है।

वर्तमान में 85 प्रतिशत विकास कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य अप्रैल, 2010 तक पूर्ण करा दिये जायेंगे।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में गन्ना मिल समिति में कार्यरत सीजनल कर्मचारी के मृतक आश्रितों को नौकरी पर रखने की नीति

159-श्री मदन चौहान-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गन्ना मिल समिति में कार्यरत सीजनल कर्मचारी के मृतक आश्रितों को नौकरी पर रखने की क्या कोई नीति है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

सहकारी चीनी मिल समितियों के कर्मचारियों पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, स्टैण्डिंग आर्डर एवं शुगर वेज बोर्ड के प्राविधान प्रभावी हैं। शासन के श्रम विभाग द्वारा जारी राजकीय अधिसूचना संख्या 3158 (एच आई)-36-2-101(11)/एच आई-79, दिनांक 15-07-1982 तृतीय शुगर वेज बोर्ड में अंगीकार की गई है, जो समस्त सहकारी चीनी मिलों में प्रभावी है। उक्त अधिसूचना में उल्लिखित मजदूरों के वारिस के नियोजन के सम्बन्ध में सशर्त प्राविधान हैः--

"यदि कोई पद रिक्त है या रिक्त हो जाय तो सर्वप्रथम अधिशेष पूल (सरप्लस स्टाफ) से या पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा। यदि पद पदोन्नति द्वारा भरा जाय तो परिणामी रिक्ति को पुनः अधिशेष पूल से या पदोन्नति द्वारा भरा जाय। यदि रिक्त पद को अधिशेष पूल से भरना सम्भव न हो तो, परिणामी रिक्ति को मजदूर के वारिस से भरा जाय, यदि वह ऐसे पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त हो।"

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के गन्ना विकास निरीक्षक एवं सचिव की गृह जनपद एवं गृह जोन में तैनाती

160-चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने गन्ना विकास निरीक्षक एवं सचिव अपने गृह जनपद एवं गृह जोन में तैनात हैं ? क्या इनकी तैनाती स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के अनुसार उनकी तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

वर्तमान समय में प्रदेश में 86 गन्ना विकास निरीक्षक एवं 11 सचिव अपने गृह जनपद एवं गृह जोन में तैनात हैं।

जी नहीं।

आगामी स्थानान्तरण सत्र में निर्धारित स्थानान्तरण नीति के अनुसार अपने गृह जनपद एवं जोन में तैनात गन्ना विकास निरीक्षकों एवं सचिवों की तैनाती उनके गृह जनपद से भिन्न जनपदों में कर दी जायेंगी।

जनपद महामायानगर में अल्पसंख्यक वर्ग की लड़कियों की शादी हेतु अनुदान हेतु आवेदन-पत्र

161-डा0 अनिल चौधरी-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-महामायानगर में अल्पसंख्यक वर्ग की लड़कियों की शादी अनुदान हेतु वित्तीय वर्ष 2008-09 में कितने आवेदन प्राप्त हुये तथा कितने आवेदक पात्र पाए गए ? इनमें से कितनी लड़कियों की शादी हेतु अनुदान दिया गया ?

श्री अनीस अहमद खां-

जनपद महामायानगर में अल्पसंख्यक वर्ग की लड़कियों की शादी अनुदान हेतु वित्तीय वर्ष 2008-09 में 75 आवेदन-पत्र प्राप्त हुये जिन्में से 58 आवेदक पात्र पाये गये। इनमें से 47 लड़कियों की शादी हेतु अनुदान दिया गया।

जनपद आगरा में रावली मन्दिर, कलेक्ट्री, सेन्ट जोन्स कालेज तथा मढिया कटरा पुलों को चौड़ा करवाने की मांग

162-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनसंख्या बढ़ जाने के कारण जनपद आगरा की खराब यातायात व्यवस्था के निवारण के लिए क्या सरकार राबली मन्दिर, कलक्ट्री, सैन्ट जोन्स कालेज तथा मढिया कटरा पुलों को चौड़ा करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

रावली मन्दिर, सेन्ट जोन्स कालेज तथा मदिया कटरा पुलों का सम्बन्ध रेलवे विभाग, भारत सरकार से है। कलक्ट्रेट की पुलिया को चौड़ा करने का कार्य आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा कराया जा रहा है। इस सम्बन्ध में प्राधिकरण स्तर से पुलिया को चौड़ा करने के प्रस्तावित कार्य के सम्बन्ध में दिनांक 19-01-2010 को निविदा आमंत्रित की गयी है।

निविदा के अनुसार कार्य को पूर्ण कराने की अवधि एक वर्ष रखी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर के ग्राम जाफरपुर के सादुल्ला नगर के जाफरपुर तक पक्की सड़क के निर्माण कार्य की जांच

163-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बलरामपुर के विकास खण्ड रेहरा बाजार में वित्तीय वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 में डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास के रूप में चयनित ग्राम जाफरपुर के सादुल्लानगर के जाफरपुर तक 9 कि0मी0 पक्की सड़क का निर्माण कार्य मानक के विपरीत कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार टी0ए0सी0 से जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रकरण की जांच मुख्य प्राविधिक परीक्षक, प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ, लो0नि0वि0, लखनऊ से करायी गयी। जांच आख्या में निर्माण कार्य को संतोषजनक पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विभिन्न टेलीफोन कम्पनियों द्वारा टेलीफोन टावर लगाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

164-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में विभिन्न टेलीफोन कम्पनियों द्वारा कृषि भूमि का बिना भू-उपयोग चेंज कराये (कामर्शियल) टेलीफोन टावर लगाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन कम्पनियों को भू-उपयोग (कामर्शियल) चेंज करा कर ही टावर लगाये जाने का निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नियंत्रणाधीन शासन द्वारा अधिसूचित विकास क्षेत्रों एवं विनियमित क्षेत्रों में सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सर्विसेज के प्रयोजनार्थ टावर, रेडियो इक्यूपमेंट कक्ष तथा जेनरेटर कक्ष के निर्माण हेतु अनुज्ञा प्राप्त करने के अनिवार्यता से क्रमशः अधिसूचना संख्या-3369/9-आ-3-97-100 विविध/1997, दिनांक 24-01-1998 तथा अधिसूचना संख्या-63/9-आ-3-2000-100 विविध/1997, दिनांक 27-02-2000 द्वारा कतिपय शर्तों सहित छूट प्रदान की गयी है। अतः भू-उपयोग परिवर्तन कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री मदन चौहान, श्री सर्वेश कुमार सिंह तथा श्री संदीप अग्रवाल को समाजवादी पार्टी से निलम्बित किये जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

मान्यवर, मेरा आपसे यह निवेदन है और आपके माध्यम से हम व्यवस्था चाहते हैं कि हम आज भी समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, कल भी हम समाजवादी पार्टी के सदन के सदस्य थे लेकिन मान्यवर, समाचार-पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से यह समाचार आया है हम चार विधायकों को श्री मदन चौहान को, सर्वेश सिंह को, संदीप अग्रवाल को और मुझे पार्टी की सदस्यता से निलम्बित कर दिया गया है। यह संशय पैदा हो गया है मान्यवर, और नेता विरोधी दल इस सदन में उपस्थित हैं। हम आपसे आग्रह करेंगे कि उनसे स्पष्टीकरण लेते हुए आप अपनी व्यवस्था देने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

ये कौन सी व्यवस्था है, इसमें ?

(शोर)

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

मान्यवर, यह तो निश्चित हो जाना चाहिए कि हम पार्टी में हैं या नहीं हैं।

(शोर)

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

मान्यवर, हम समाजवादी पार्टी में हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह सदन है। आप पार्टी में हैं कि निकाले गये हैं यह पार्टी दल की बात है। सदन इसके लिए स्पष्टीकरण.....

(शोर)

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

मान्यवर, हमारे संरक्षक तो आपही हैं आपही तो व्यवस्था देंगे मान्यवर, नेता विरोधी दल स्पष्टीकरण करें।

श्री अध्यक्ष-

यह व्यवस्था कोई सदस्य से सम्बन्धित हो, तो दें। आप बैठ जाइये। हम यह व्यवस्था कि दल में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है .....

श्री शिवपाल सिंह यादव-

पार्टी अध्यक्ष तय करेंगे.....

श्री अध्यक्ष-

हां, वह अपना तय करें, जो करना है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

और निलंबित हैं यह तो पार्टी का मामला है, तो यहां पर थोड़े.....

श्री अध्यक्ष-

पार्टी करे, नहीं, ठीक है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों के बारे में पूरन प्रकाश जी आप बताइये।

श्री पूरन प्रकाश-

माननीय अध्यक्ष जी.....

(रुक जा, रुक जा की आवाजें)

(शोर)

श्री अध्यक्ष-

नहीं, रुके रहें।

श्री पूरन प्रकाश-

धन्यवाद दे दूं।

(एक आवाज-चलिए चिट्ठी जब जायेगी स्पीकर साहब को...)

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

नहीं उन्होंने यहां सदन में स्वीकार कर लिया है मान्यवर कि हम लोग भी निलम्बित हैं और वो कार्यवाही में आपकी शामिल हो गया है, मान्यवर, वो कार्यवाही में शामिल हो गया है। माननीय नेता विरोधी दल ने स्वीकार कर लिया है कि हम लोग निलम्बित हैं तो यह स्पष्ट होना चाहिए। इसमें आपकी व्यवस्था चाहिए मान्यवर।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

पार्टी का मामला है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पर फैसला लेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपनी बात कहें, लिखित दें तब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो फैसला लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

दिनांक 28 जनवरी, 2010 को स्वास्थ्य खराब होने पर सदन के सहयोग व्यवस्था पर श्री पूरन प्रकाश द्वारा आभार

श्री पूरन प्रकाश-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से दिनांक 28 जनवरी को सदन की कार्यवाही के दौरान अचानक सदन के अन्दर मेरी तबियत बिगड़ने पर जो यहां पर अपने घर-परिवार, जनपद के बाद लखनऊ में यहां सदन के सभी सदस्यों, माननीय अध्यक्ष जी, नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री एवं अन्य सभी पार्टियों के माननीय सदस्य एवं नेताओं एवं सभी प्रेस, मीडिया वालों तथा प्रमुख सचिव, विधान सभा एवं सभी विधान सभा के अन्दर अधिकारियों, कर्मचारियों, सुरक्षाकर्मियों, कर्मचारियों एवं डाक्टरों का जो स्नेह, प्यार, दुआ मिली। सबका प्यार, दुलार, आशीर्वाद मिला, उसी के कारण आज मैं आप सब लोगों के बीच हूं। मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से विधान सभा के सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय इस सदन ने सभी लोगों ने लखनऊ में अचानक तबियत बिगड़ने पर जो स्नेह प्यार माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा, माननीय नेता सदन के द्वारा, माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा, माननीय हमारे जितने भी साथी बैठे हुए हैं, सब लोगों ने जिस तरह से हमें ले जा करके वहां पर पहुंचाया, मैं उन सबका आपके माध्यम से, चाहे वह हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हों या हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी हों, हमारे सभी सदस्य हैं, विधान सभा के सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी, प्रेस-मीडिया, मैं सभी लोगों का बड़े हृदय से आभार प्रकट करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं चाहूंगा कि मेरी भावना अपने माध्यम से पहुंचा दें।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 03 फरवरी, 2010 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 26 सूचनायें प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं :-

पहली सूचना श्री राजेश अग्रवाल की उ0प्र0 की दोसर, अग्रहरि, बरनवाल, पोरवाल, ओमर, ओनाय, गुलहरे, सन्मानी, केसरवानी आदि वैश्य जातियों को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुति के अनुसार पिछड़े वर्ग में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री लल्लू सिंह

की जनपद फैजाबाद नगर में जल निकासी हेतु कोई नाला न होने से जलभराव की स्थिति के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की सम्पूर्ण उ0प्र0 एवं इलाहाबाद जनपद रायफल क्लब एसोसिएशन के नाम पर शस्त्र लाईसेन्सियों की स्वीकृत नवीनीकरण, सीमा विस्तार आदि के लिये पैसे उगाही के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री उदयराज यादव की जनपद लखनऊ के मोहल्ला खत्री टोला में प्रायः विद्युत बाधित रहने एवं आपूर्ति के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना डा0 अनिल चौधरी की जनपद महामायानगर की सादाबाद विधान सभा क्षेत्र के नहर सेवा मार्गों को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में है। छठवीं सूचना डा0 अजय तोमर की जनपद बागपत की छपरौली मलकपुर सम्पर्क मार्ग सहित 15 मार्गों का लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री कुबेर सिंह की जनपद एटा व काशीराम नगर में विद्युत ट्रांसफार्मरों के अभाव एवं किल्लत के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री संजय कपूर की जनपद रामपुर के विडुआनगला में 33 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में है। नौवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा के गोबर्धन क्षेत्रान्तर्गत नेशनल हाई-वे से जुड़े हुये सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड मेहनगर में नगर पंचायत भवन का नव-निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल की बुन्देलखण्ड के कृषकों से कृषि भूमि ऋण एवं विद्युत बिल आदि की वसूली रोके जाने के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की जनपद बांदा की तहसील बांदा के ग्राम सांड़ीबागर में 1360-61 फसली तथा 1362 फसली में खाता संख्या 58/59 में फर्जी नाम कमेटी का डबल दर्ज बैनामा किये जाने के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना श्री विशम्भर सिंह यादव की जनपद बांदा में विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत विकास निधि 2007-2008 की 25 प्रतिशत धनराशि को शासन द्वारा रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में है।

श्री इमरान मसूद और श्री अरविन्द सिंह यादव उपस्थित नहीं हैं इसलिये उनकी सूचनायें नहीं ली गयी हैं और उनके स्थान पर क्रमशः श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव और श्री सुन्दर सिंह की सूचनायें ली जाती हैं।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुयीं, उनके नाम निम्न हैं :-

श्री लालजी यादव, श्री रियाज अहमद, श्री दीपक कुमार, श्री जावेद अंसारी, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री जोखू लाल यादव, श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही, चौधरी सत्यपाल सिंह तथा श्री राजाराम त्यागी।

(सदन की सहमति से संलग्न सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

उ0 प्र0 की दोसर, अग्रहरि, बरनवाल आदि वैश्य जातियों को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुति के अनुसार पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेश अग्रवाल-

[मान्यवर, प्राचीनकाल से ही वैश्य समाज मानवता का पोषक, राष्ट्र के लिए समर्पित एवं सहिष्णुता का पर्याय रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र में वैश्य समाज पूर्वजों ने अनगिनत देवालय,

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

धर्मशालायें, जलाशय, प्याऊ, बाग-बगीचे आदि लगाकर अपनी सेवा भावना का आदर्श प्रस्तुत किया। आज भी वैश्य समाज अपने पूर्वजों से प्रेरणा ग्रहण कर बिना किसी विद्वेष भावना के समाज के प्रत्येक प्राणि की हर संभव सहायता अनवरत प्रदान कर रहा है। यह आम धारणा है कि वैश्य समाज बहुत समृद्ध है, परन्तु यह अर्द्धसत्य है। समाज के कुछ उपवर्ग बहुत समृद्ध हैं परन्तु अधिकांश उपवर्ग आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़े व गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। इनमें से कुछ उपवर्ग आरक्षण की श्रेणी में हैं और कुछ उपवर्ग ऐसे भी हैं जिन्हें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। पिछले कई वर्षों से "राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग" में इन वैश्य उपवर्गों के प्रतिनिधि नियमित दस्तक दे रहे हैं। कुछ वैश्य उपवर्गों जैसे 'दोसर, अग्रहरि, बरनवाल, पोरवाल, ओमर, ओनाय, गुलरहे, सन्मानी, केसरवानी' की पत्रावली पर आयोग ने अपनी संस्तुति प्रदान कर दी है, परन्तु राज्य सरकार द्वारा इन्हें पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किये जाने में अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा है। फलस्वरूप इन उपवर्गों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है।

अंतः इस तात्कालिक लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं और मांग करता हूं कि **'दोसर, अग्रहरि, बरनवाल, पोरवाल, ओमर, ओनाय, गुलरहे, सन्मानी, केसरवानी'** आदि वैश्य उपवर्गों को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुति के अनुसार अविलम्ब पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किया जाय।]

फैजाबाद नगर की जल निकासी की समस्या के निदान हेतु नाले का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री लल्लू सिंह-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से फैजाबाद नगर में जल निकासी हेतु कोई नाला न होने से उत्पन्न जलभराव की स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

फैजाबाद जनपद ही नहीं (मण्डल) कमिश्नरी भी है लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है इतने महत्वपूर्ण नगर में जल निकासी हेतु कोई नाला नहीं है और जो कच्चे नाले वर्षों पहले निर्मित भी हुए थे वे अब गिरकर पट चुके हैं और उनकी सफाई भी नहीं होती है जिसके कारण इस नगर को जल भराव की स्थिति का सामना करना पड़ता है। जल भराव के कारण आवागमन में परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ता है जल निकासी के अभाव में मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। काफी समय से फैजाबाद नगर में जल निकासी हेतु पुराने नालों की सफाई एवं नये नाले के निर्माण कराये जाने की मांग की जा रही है परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही न होने के कारण फैजाबाद नगर के निवासियों में असन्तोष एवं निराशा व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए फैजाबाद नगर की जल निकासी की समस्या के निदान हेतु नाले का निर्माण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इलाहाबाद में पंगु पड़ी जनपद राइफल क्लब एसोसियेशन का पुनर्गठन कराकर नियमित प्रैक्टिस कराने की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

[महोदय, इलाहाबाद जनपद रायफल क्लब एसोसियेशन के नाम पर शस्त्र लाईसेन्सों के स्वीकृति, नवीनीकरण, सीमा विस्तार आदि के लिए 300/- वसूला जा रहा है। इसी प्रकार लोगों द्वारा हैसियत प्रमाण-पत्र का आवेदन करने पर हजारों रुपये मनमाने ढंग से लिया जा रहा है। इसके लिए मांगने पर भी कोई रसीद नहीं दी जाती है।

रायफल एसोसियेशन के पदेन अध्यक्ष व मंत्री क्रमशः जिला अधिकारी व शस्त्र प्रभारी होते हैं। यह पंगु पड़ा है। कभी प्रैक्टिस नहीं होती। प्रदेश रायफल एसोसियेशन अथवा राष्ट्रीय रायफल एसोसियेशन क्लब से इसका कोई सम्बन्ध न होने से सदस्यों को कोई सुविधा नहीं मिलती है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर अवैध वसूली रोकने वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 दिसम्बर तक वसूली गई धनराशि का विवरण दिलाने तथा पंगु रायफल एसोसियेशन का पुनर्गठन कराकर नियमित प्रैक्टिस करवाने की व्यवस्था कराने की मांग करता हूं।]

लखनऊ के मोहल्ला खत्री टोला में विद्युत आपूर्ति बाधित होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री उदयराज-

[महोदय, मैं आपका ध्यान शहर लखनऊ के मोहल्ला खत्री टोला, निकट रेलवे लाइन-मशकगंज की तरफ ले जाना चाहता हूं। खत्री टोला में निरन्तर बिजली की आवाजाही लगी रहती है प्रायः दो-दो दिन तक बिजली की आपूर्ति बाधित रहती है जिससे पानी तथा लाइट की समस्या उत्पन्न हो जाती है।

इस सम्बन्ध में अवगत करानो चाहूंगा कि विद्युत सप्लाई रेजीडेन्सी उपकेन्द्र से होती है, परन्तु कोई खराबी आने पर विद्युत उपकेन्द्र अमीनाबाद द्वारा ठीक किया जाता है जिसके कारण यहां के अध्यासियों को दोनों उपकेन्द्रों पर शिकायत दर्ज करानी पड़ती है इसके पश्चात् भी विद्युत की समस्या का निदान समय पर नहीं हो पाता है साथ ही आपको यह भी अवगत कराना है कि वहां पर बड़े पैमाने पर अध्यासियों द्वारा कटिया डालकर विद्युत चोरी की जा रही है जिससे राजस्व की हानि तो होती ही है साथ ही कनेक्शन होल्डर की विद्युत बाधित रहती है। उक्त मोहल्ले में यदि बंच कनेक्शन लगाये जाने से भी विद्युत की चोरी रोकी जा सकती है।

अतः इस लोक महत्व के जनहित के प्रश्न के निराकरण हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित को निदेशित करने का कष्ट करें।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद महामायानगर की सादाबाद क्षेत्र में नहर सेवा मार्गों को पक्का कराने हेतु अवशेष धनराशि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अनिल चौधरी-

[सादाबाद विधान सभा क्षेत्र (जनपद-महामायानगर) के नहर सेवा मार्गों को पक्का करने सम्बन्धित एक परियोजना विधान सभा आश्वासन संख्या-222/07, 226/07, 227/07 व 228/07 के परिप्रेक्ष्य में रु0 439.84 लाख रुपये धनराशि की शासन के पत्र सं0-4674/08-27-सिं-64 (डब्लू) परि0/08, दिनांक 28-11-2008 द्वारा स्वीकृत है। वित्तीय वर्ष 2008-2009 में परियोजना पर कार्य हेतु रु0 40 लाख की धनराशि आवंटित हुई। वर्ष 2009-2010 में अभी तक सिर्फ रु0 40 लाख की धनराशि का आवंटन हुआ है जिसके कारण पूरी योजना अधूरी पड़ी है।

इस परियोजना की अवशेष धनराशि रु0 359.84 लाख शीघ्र आवंटित किये जाने की मांग शासन से करता हूं।]

जनपद बागपत में छपरौली मलकपुर सम्पर्क मार्ग सहित अन्य 15 मार्गों का लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 अजय तोमर-

[जनपद-बागपत एक कृषि पर आधारित जनपद है वहां पर मुख्य फसल गन्ना है। गन्ने की फसल को शुगर मिल गेट, तौल केन्द्र अथवा कोल्हू आदि पर ले जाने हेतु जनपद के निम्न मार्गों को जो एक सड़क से दूसरी सड़क अथवा एक ग्राम से दूसरे ग्राम या ग्राम से सड़क को जोड़ते हैं, के पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग द्वारा लेपन स्तर तक की मांग स्थानीय नागरिक उठाते आ रहे हैं।

(1) छपरौली सूप सम्पर्क मार्ग से खास पटरी का निर्माण शुगर मिल मलकपुर तक लम्बाई 1.5 कि0मी0।

(2) ग्राम सिनौली से चौबली गांव तक 1.5 कि0मी0।

(3) जिमानी खास से ग्राम बसौली तक 1.5 कि0मी0।

(4) ग्राम नांगल में तेजवीर फौजी के मकान से नवाब के मकान तक बाईपास 0.800 कि0मी0।

(5) ग्राम फतेहपुर पुट्ठी बड़ौत सराय मार्ग से दलित बस्ती होते हुए बड़ौत सराय मार्ग तक का बाईपास 1.5 कि0मी0।

(6) ग्राम तुगाना का बाईपास का अवशेष 0.500 कि0मी0।

(7) ग्राम बिहारीपुर से ग्राम फैजपुर निनाना तक 1.7 कि0मी0।

(8) ग्राम सुजरा से ग्राम क्यामपुर तक 1.3 कि0मी0।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(9) ग्राम पौइस से धनौरा सिल्वर नगर तक 1.5 कि0मी0।

(10) ग्राम बसौली से सूप तक 2.3 कि0मी0।

(11) ग्राम हसनपुर जिवानी से जिवाना वाया करीमपुर 1.5 कि0मी0।

(12) तिलवाड़ा हेवा मार्ग से किरठल मार्ग तक 1.5 कि0मी0।

(13) ग्राम लूम्ब बाईपास का अवशेष भाग 0.900 कि0मी0।

(14) ग्राम कुरडी से तुगाना 2.4 कि0मी0।

(15) ग्राम बाढ़ा से इसौपुर 1.3 कि0मी0।

(16) ग्राम मलकपुर में हरपाल प्रधान के मकान से बड़ौत कोताना मार्ग तक 1.25 कि0मी0।

अतः निश्चित अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त मार्गों का निर्माण लेपन स्तर तक कराने की मांग करता हूं।]

जनपद एटा के खराब ट्रान्सफारमरों को तत्काल बदले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कुबेर सिंह-

[मान्यवर, जनपद एटा सहित अलीगढ़ व आगरा जनपद के स्टोर विद्युत से क्षतिग्रस्त ट्रान्सफारमर अगस्त, 2009 से 31 जनवरी, 2010 तक अधीक्षण अभियन्ता भण्डार आगरा के यहां रिपेयरिंग के लिए अभी तक कितने ट्रान्सफारमर भेजे गये और उसमें से कितने रिपेयरिंग होकर वापस आये इसकी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है जो ट्रांसफारमर गये हैं वह उस संख्या में वापस न होकर न्यूनतम संख्या में वापस हो रहे हैं जिससे जनपद एटा व काशीरामनगर में ट्रान्सफारमरों को प्राप्त करने के लिए काफी किल्लत मची हुई है जिसके लिए अधीक्षण अभियन्ता आगरा भण्डार जिम्मेदार है और इसके साथ-साथ वहां के कृषकों को ट्रान्सफारमर फुंकने के बाद स्वयं कृषकों को ले जाना और लाना पड़ता है जिसमें काश्तकार को कई स्थानों पर (जे0ई0 से लेकर स्टोर तक) उत्पीड़न सहना पड़ता है, जबकि शासन के नियमों के अनुसार एक माह के अन्दर ही खराब ट्रान्सफारमर बदले जाने के नियम हैं परन्तु कर्मचारी सरकार के नियमों को ताक पर रखकर उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं और खराब ट्रान्सफारमरों को छः-छः माह तक भी नहीं बदला जा रहा है जिससे उपभोक्ताओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जनपद एटा के खराब ट्रान्सफारमरों को तत्काल बदले जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद रामपुर के विडुआनगला में 33 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री संजय कपूर-

[मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद-रामपुर की तहसील बिलासपुर के ग्राम विडुआनगला की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। विडुआनगला में विद्युत आपूर्ति लगभग

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

15.00 कि0मी0 दूर डिबडिबा से की जा रही है, जिस वजह से विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से नहीं मिल पाती है। यह क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, लेकिन विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से न मिल पाने के कारण कृषकों को काफी असुविधा हो रही है। विडुआनगला में 33 के0वी0 के विद्युत उपकेन्द्र को बनवाये जाने की मांग काफी लम्बे समय से की जा रही है। विडुआनगला में विद्युत उपकेन्द्र न होने की वजह से कई बार कृषकों द्वारा धरना-प्रदर्शन भी किया जा चुका है। जनहित में कृषकों की असुविधा को ध्यान में रखते हुए विडुआनगला में 33 के0वी0 का विद्युत उपकेन्द्र बनवाया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व एवं अविलम्बनीय प्रश्न को सदन में उठाये जाने की अनुज्ञा प्रदान करें।]

जनपद मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में नेशनल हाई-वे से जुड़े सम्पर्क मार्गों व क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पूरन प्रकाश-

[जनपद मथुरा के अन्तर्गत गोवर्धन सुरक्षित क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड मथुरा के द्वारा नेशनल हाई-वे के आबादी वाले ग्राम फरह से गोवर्धन मार्ग में झुडावई सरूरपुर ओल, जाजम पट्टी मर्गोरा, फौंडर लोरिया, सौख, पैठा की आबादी एरिया की सी0सी0 सड़कें एवं नेशनल हाई-वे झण्डीपुर, रिफाइनरी गेट नं0-09 से शीर्षा पीलूआ तथा बरारी से समशाबाद, बेरी-मार्ग लोक निर्माण विभाग द्वारा बनायी गयी है। जो कि देख-रेख के अभाव में आबादी एरिया की एवं उपरोक्त सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गयी हैं। सड़कों पर पानी भर गया है। गांव के अन्दर आवागमन अवरुद्ध हो गया है। वाहन फंस जाते हैं एवं आये दिन दुर्घटना हो रही है। पूरे क्षेत्र के ग्रामीण अंचल की यही एक मुख्य सड़कें हैं। जिसमें एक लाख से अधिक ग्रामीण जनता बसी हुई है। आबादी वाले ग्रामों में पानी भर जाने एवं नाली के अभाव में बीमारी फैल रही है और दुर्घटनायें हो रही हैं।

अतः इस जनहित व लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार से अविलम्ब मांग करता हूँ।]

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड मेहनगर में नगर पंचायत भवन का नवनिर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विद्या चौधरी-

[महोदय, निवेदन है कि विधान सभा मेहनगर वि0 खं0 मेहनगर जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत नगर पंचायत कार्यालय मेंहनगर किराये के मकान में संचालित होता है। पर्याप्त जगह नहीं है। काफी सकरा है। जनता की मांग है कार्यालय सरकारी भवन में संचालित हो भवन निर्माण न होने से जनता काफी आक्रोश है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।
नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः आपसे निवेदन है कि नगर पंचायत कार्यालय मेहनगर लोक हित के महत्व को ध्यान में रखते हुए अवलम्बनी नवनिर्माण भवन धन सहित निर्माण कराने का कष्ट करें।

शासन का ध्यान आकृष्ट करने की कृपा करें।]

बुन्देलखण्ड के कृषकों से कृषि भूमि ऋण एवं विद्युत बिल आदि की वसूली रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

[महोदय, आप अवगत हैं कि बुन्देलखण्ड लगातार तीन वर्षों से भयंकर सूखे से पीड़ित है और तबाह है। किसानों की ऋण आबपासी, विद्युत आदि बकाये माफ किये जाने चाहिए। परन्तु इसके विपरीत बकायेदारों के विद्युत कनेक्शन काटे जा रहे हैं। बकाया वसूलने के लिए किसान गिरफ्तार किये जा रहे हैं। किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय है।

ऐसी स्थिति में वसूली रोकी जाये और विद्युत कनेक्शन काटने में अविलम्ब रोक लगायी जाए ताकि बुन्देलखण्ड का किसान अपने जीवन-यापन के लिए कुछ फसल उगा सके। इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सभी कार्यों को निरस्त करते हुए चर्चा स्वीकार करने तथा सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें।]

जनपद बांदा की तहसील बांदा के ग्राम साड़ीबांगर में चकबन्दी अधिकारियों एवं भू-माफियाओं की सांठ-गांठ से गांव सभा की भूमि का फर्जी बैनामा कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

[मान्यवर, आपका ध्यान लोक महत्व के विषय की तरफ कराना चाहते हैं जनपद बांदा की तहसील बांदा के ग्राम सांड़ीबांगर में 1360-61 फसली तथा 1362 फसली में खाता संख्या-58 तथा 59 में फर्जी नाम कमेटी का डबल दर्ज कर बैनामा कर दिया गया। मेरे द्वारा आयुक्त चित्रकूट मण्डल बांदा तथा प्रमुख सचिव, राजस्व को पत्र दिये गये हैं। लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। भू-माफियाओं ने फर्जी गांव सभा की जमीन दर्ज कराकर जोत बो रहे हैं। जिससे सैकड़ों लोग आन्दोलित हो रहे उक्त भूमि पर आजादी के पूर्व से आबादी भी है प्रतिमाह भू-माफियाओं व ग्रामवासियों में जमीन को लेकर झगड़ा हो रहे हैं चकबन्दी अधिकारी एवं भू-माफियाओं की सांठ-गांठ से गांव सभा की भूमि पर फर्जी अंकित करायी गयी जिसे गांव सभा में वापस कराया जाय तथा दोषी भू-माफियाओं एवं अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद बांदा में क्षेत्र विकास निधि पर लगी रोक हटाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विशम्भर सिंह यादव-

[मान्यवर, आपका ध्यान लोक महत्व के विषय की तरफ कराना चाहते हैं जनपद बांदा में विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास निधि वर्ष 2007-08, 2008-09 की 25% धनराशि को शासन द्वारा रोक लगाने से सैकड़ों परियोजनाओं का कार्य अधूरा पड़ा है तथा जनता आन्दोलित हो रही है जिला कोषाधिकारी, बांदा द्वारा उक्त वर्ष 2007-08 व 2008-09 की विधान सभा क्षेत्रवार कई लाख धनराशि पड़ी है। जिसे अवमुक्त नहीं किया जा रहा है मुख्य विकास अधिकारी, बांदा द्वारा कहा जा रहा है कि शासन द्वारा रोक लगी है इसलिए 25 प्रतिशत शेष धनराशि अवमुक्त नहीं हो रही है जबकि उक्त वर्ष की परियोजनाओं में 75 प्रतिशत धनराशि खर्च हो चुकी है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए शीघ्र कार्यवाही कराये जाने की मांग करता हूं।]

प्रदेश में आपातकाल में राजनैतिक बन्दी लोकतंत्र सेनानियों के अवशेष पेंशन की धनराशि दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के निम्नलिखित अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

सन् 1975-1977 के दौरान देश में लगी आपातकाल में राजनैतिक बन्दी के रूप में उ0 प्र0 की जेलों में अनेकों लोगों को निरुद्ध किया गया था। 2006 में इनको लोकतंत्र सेनानी भी घोषित किया गया था तथा इन लोगों को एक परिचय पत्र और पेंशन भी प्रदान की गयी थी। प्रदेश के हजारों लोकतंत्र सेनानियों को पेंशन की धनराशि 31-3-07 तक प्रदान नहीं की गयी है जबकि उ0 प्र0 शासन द्वारा इस सम्बन्ध में प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को उक्त धनराशि समस्त लोकतंत्र सेनानियों को प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एक पत्र सं0-मीसा-08जेई/8-सा-1-08 गृह सामान्य अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 18 फरवरी, 2008 को जारी किया गया।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए लोकतंत्र सेनानियों के अवशेष पेंशन की धनराशि दिलाये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बुलन्दशहर के मृतक श्री नानक चन्द के परिवार को मुख्य मंत्री के विवेकाधीन कोष से अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुन्दर सिंह-

[महोदय, दिनांक 7-1-2010 को श्री नानक चन्द पुत्र श्री भीम सेन उम्र लगभग 45 वर्ष ग्राम महुवाखेड़ा, जनपद बुलन्दशहर के खेत लगभग 41/2 बीघा कच्चा (जिसमें गेहूं बुआ

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

था) चरौरा राजवाहे के कटने से गेहूं की फसल डूब गई नानक चन्द अपने खेत से राजवाहे का पानी निकालने का प्रयास कर रहा था कि तभी सिंचाई विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौके पर आ गये और नानक चन्द को डाटते हुए बोले कि तेरे विरुद्ध राजवाहे काटने की रिपोर्ट दर्ज कराकर जेल भेजा जायेगा।

नानक चन्द को भारी आघात लगा तथा हृदय गति रुक गई जिससे उसकी मृत्यु हो गई नानक की मृत्यु को देखकर ग्राम महुवाखेड़ा भगवन्तपुर आदि ग्रामों के व्यक्ति एकत्र हो गये तथा गेहूं की फसल के नुकसान व उसकी मृत्यु पर आक्रोशित होकर मुआवजा की मांग करने लगे। जब सिंचाई विभाग या तहसील का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा तो आक्रोशित ग्रामीणों ने जहांगीराबाद आहार मार्ग पर अनूपशहर नहर के चरौरा पुल के पास मृतक शरीर को रखकर जाम लगा दिया सूचना मिलने पर मैं पुलिस क्षेत्राधिकारी, अनूपशहर थाना अध्यक्ष आहार व सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता जाम स्थल पर पहुंच गये इस आश्वासन के बाद कि शासन द्वारा सरकारी सहायता प्राप्त करा दी जायेगी ग्रामीण संतुष्ट हुए और शव का अन्तिम संस्कार कर दिया गया। उक्त पूरी घटना की जानकारी थाना आहार जनपद बुलन्दशहर में है।

इस संवेदनशील व अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर मैं शासन से मृतक नानक चन्द के परिवार (पुत्री रविता-21 वर्ष, सविता-19 वर्ष, उपमा-17 वर्ष व पुत्र उमेश कुमार-15 वर्ष, संजय कुमार-11 वर्ष और पत्नी बीरवती-40 वर्ष) पुत्रियों की शादी आदि के लिए माननीया मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से रु0 2,00000 देने का आग्रह करता हूं नानक चन्द का परिवार अति गरीब है परिवार की देखभाल हेतु कोई वयस्क व्यक्ति परिवार में नहीं है। अभी तक किसी प्रकार की सरकारी सहायता प्राप्त नहीं हुई है।]

बुलन्दशहर में नदी के सेतु पर चौधरी चरण सिंह के टूटे शिलापट को ठीक कराने विषयक नियम-301 की अस्वीकृत सूचना पर ध्यानाकर्षण

*श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

एक पुल है उसका शिलापट तोड़ दिया गया है। ये कल भी दिया था आज भी दिया है। इस प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे हैं, देश के प्रधान मंत्री रहे हैं, उनका शिलापट तोड़ दिया गया है। ये कल भी दिया था आज भी दिया है। कल क्या नियम-301 की सूचनायें लगेंगी ?

श्री अध्यक्ष-

कल दे दीजियेगा, कल भी नियम-301 की सूचनायें लगेंगी।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मान्यवर, यहां पर पी0डब्ल्यू0डी0 मिनिस्टर बैठे हुए हैं, इसको बनवा दें, छोटा सा मामला है।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा, आप खड़े हो करके ध्यान आकर्षित करा दीजिए।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मान्यवर, बागवाला के पास चौधरी चरण सिंह सेतु के नाम से नदी पर पुल बना हुआ है और उस पर चौधरी चरण सिंह के नाम से शिलापट लगा हुआ है जिसे तोड़ दिया गया है, उसको लगवाने की बात थी केवल।

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

आप अभी लिख करके दे दीजिये, मैं करवा दूंगा।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मान्यवर, हमारे यहां एक नदी पर पुल बना हुआ चौधरी चरण सिंह सेतु के नाम से, उस पर चौधरी चरण सिंह जी के नाम का शिलापट था, उसको तोड़ दिया गया है, उसको सिर्फ लगवाने की बात है केवल।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

हो सकता है मेरे ध्यान से नाम निकल जाय, आप मुझे अभी लिख करके दे दीजिएगा, मैं इसको करवा दूंगा।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

ठीक है, मान्यवर, मैं लिख करके दे दूंगा।

इयर फोन खराब होने के सम्बन्ध में पीठ का ध्यानाकर्षण

श्री राजाराम त्यागी-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

मान्यवर, यह जो आपका ग्रामोफोन है, यह कभी इस कान में सुनाई पड़ता है, कभी उस कान में सुनाई पड़ता है, दोनों कानों में एक साथ यह कभी नहीं सुनाई पड़ता है और न तो इसका वौल्यूम कम होता है न तो ज्यादा होता है। यह बड़ी देर से प्रश्नकाल के समय से ही व्यवधान डाल रहा है, इसलिए इसको दिखवा लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको दिखवा लिया जायेगा।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 03 फरवरी, 2010 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 10 सूचनायें प्राप्त हुयीं :-

पहली सूचना श्री अनूप कुमार गुप्ता एवं श्री शैलेन्द्र यादव "ललई" की यू0पी0 भवन, नई दिल्ली में विधायकों को ठहरने हेतु आवश्यक सुविधा न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री उदयभान करवरिया की नियमों के अन्तर्गत दिये गये प्रश्नों के उत्तर को सदन का हिस्सा न माने जाने के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री मदन चौहान की जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर में दो मार्गों पर लगाये गये क्षेत्रीय विधायक के नाम का शिलापट हटाये जाने के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना श्री प्रमोद तिवारी की संविधान के अनुच्छेद-164 (1) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के अधिकारों में कटौती किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

पांचवीं सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की अधिकारियों की लापरवाही से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत नौकरियां पाने के कारण बेरोजगार लोगों की स्थिति खराब हो जाने के सम्बन्ध में है।

छठी सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की एनेक्सी भवन में स्थान रिक्त होने के बावजूद भी माननीय सांसदों, विधायकों की गाड़ियां पार्क न कराये जाने के सम्बन्ध में है।

सातवीं सूचना श्री अनूप सण्डा की शासन द्वारा कुछ कार्यदायी संस्थाओं पर रोक लगाये जाने के कारण विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न होने के सम्बन्ध में है।

आठवीं सूचना श्री जोखूलाल यादव की सदन द्वारा स्वीकृत धनराशियां स्वीकृत उद्देश्यों पर खर्च न करके अनावश्यक निर्माण में लगाये जाने के सम्बन्ध में है।

नवीं सूचना डा0 आर0ए0 उस्मानी की प्रदेश में डिग्री कालेज खोलने पर भूमि कालेज के नाम दर्ज होने के सम्बन्ध में है।

दसवीं सूचना चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी की विधान सभा क्षेत्र बरनावा जनपद बागपत में क्षतिग्रस्त जनसम्पर्क मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में है।

यह सभी सूचनायें नहीं सुनी जायेंगी। एक सूचना माननीय विधायकों की सुविधा के सन्दर्भ में है, दूसरी मंत्रियों के अधिकार की कटौती के सम्बन्ध में है और प्रश्नों के बारे में है, यह तीन सूचनायें मैं सुन रहा हूं, शेष सूचनायें नहीं सुनी जायेंगी।

श्री अनूप कुमार गुप्ता जी आप बतायें क्या परेशानी है, विधायक निवास में।

यू0पी0 भवन नई दिल्ली में विधायकों को ठहरने हेतु आवासीय सुविधा न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री अनूप कुमार गुप्ता-

मान्यवर, नई दिल्ली में स्थित यू0पी0 भवन में मात्र 62 कमरे हैं, हमारे माननीय विधान सभा के 403 सदस्य और 100 एम0एल0सी0 इसके साथ-साथ में पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और पत्रकार, आई0ए0एस0, आई0पी0एस0, जिला पंचायत के अध्यक्ष कभी-कभी स्थिति ऐसी आ जाती है, मा0 अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वयं वहां पर देखा है कि वहां पर कहने के बावजूद दो-दो घण्टे, तीन-तीन घण्टे इन्तजार करना पड़ता है कि अभी किसी मा0 विधायक को कमरा खाली कराया जा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहा है या किसी अधिकारी या किसी मा0 पत्रकार का कमरा खाली कराकर के तब उनको कमरा उपलब्ध हो पाता है कभी-कभी तो स्थिति यह आ जाती है कि अगर परिवार के साथ चले गये तो फिर दूसरा कमरा लेने में भी सदस्यों को बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। माननीय मंत्री लोगों को तो छोड़ दीजिए, वह लोग तो फाईव स्टार होटलों में वहां उनको सुविधा उपलब्ध हो जाती होगी और उनके लिए यू0पी0 सदन भी बना हुआ है, लेकिन यू0पी0 भवन के अन्दर एक तो खाना भी बहुत अच्छा नहीं मिलता है और वहां के जो ट्वायलेट वगैरह है उनकी स्थिति बहुत दयनीय स्थिति में है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि वहां पर और कमरे बनवाये जाएं या हो सके तो नोएडा या अन्य जगह पर अधिक कमरे बनवाये जाएं। हमने वहां पर पूर्व विधायकों का भी दुख देखा है वह कहते हैं कि हमको अगर मात्र दो घण्टे के लिए कमरा दे दिया जाय जिससे हम यहां पर केवल फ्रेश होकर के जाकर के अपना काम कर लें और रात में चले जाएं तो ऐसी स्थिति मान्यवर, माननीय जनप्रतिनिधियों के सामने आती है। मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों के अधिकारों की बात कहता हूं और इस पर आपका संरक्षण चाहता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

श्री शैलेन्द्र यादव जी नहीं हैं ?

माननीय मंत्री जी, यह हमारे यू0पी0 भवन में माननीय विधायकों के आवास सम्बन्धी असुविधा के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत श्री अनूप कुमार गुप्ता ने ध्यान आकर्षित कराया है। मैं इसमें अभी चाहूंगा कि आप इसको दिखवा लेंगे। माननीय विधायकों को जो अनुमन्य सुविधायें हों, उनके रख-रखाव में, ठहराव में या खान-पान में कोई अव्यवस्था न होने पाये, इसको सरकार जरूर दिखवा ले। मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं। अगली सूचना श्री उदयभान करवरिया जी की है। वह उपस्थित नहीं है। मैं उसे निरस्त करता हूं।

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर में दो मार्गों पर क्षेत्रीय विधायक का शिलापट हटाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, मुझे यह कहना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर के अन्तर्गत गन्ना विभाग के द्वारा सड़क निर्माण हेतु मुझसे प्रस्ताव मांगे गये। मैंने दो मार्गों के निर्माण हेतु अलग-अलग समय पर प्रस्ताव दिये। इसमें एक सड़क है ग्राम दत्तियाना से बिरसंगपुर तक और दूसरी है ग्राम जनपुरा से लडपुरा ग्राम तक सड़क निर्माण। मान्यवर, विभाग की नीति के अनुसार मार्गों का निर्माण हुआ तथा प्रस्तावक के रूप में मेरा नाम जनप्रतिनिधि होने के नाते बोर्ड पर डिस्प्ले किया गया। कुछ दिन बाद विभाग ने एक बोर्ड से मेरा नाम मिटा दिया तथा दूसरा बोर्ड जनपुरा से ग्राम लडपुरा उखाड़ लाये। मान्यवर, जानकारी करने पर यह ज्ञात हुआ कि वहां पर एक राहुल सिंह जी के नाम का बोर्ड उद्घाटन के रूप में लगा दिया गया है। मान्यवर, यह तो जनप्रतिनिधि के सम्मान एवं प्रतिष्ठा का प्रश्न है। मान्यवर, पहले तो प्रस्तावक का ही नाम होना चाहिए था। अगर किसी का नाम नहीं होना है तो उनका नाम भी नहीं होना चाहिए था। वह कोई विधायक तो है नहीं। मान्यवर, मेरा नाम हटाकर दूसरे का नाम वहां पर लगा दिया गया। इससे

मुझे ठेस पहुंची है। इस पर मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इसमें शासन का ध्यान आकृष्ट करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

मैं माननीय मदन चौहान जी की सूचना को अग्राह्य करता हूं। परन्तु शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि इस तरह की कोई अनियमितता है तो उसे दिखवा लें।

संविधान के अनुच्छेद-164 (2) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के अधिकारों में कटौती किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आप संविधान के अनुच्छेद 164 (2) देखने का कष्ट करें। उसमें है कि मंत्रि-परिषद् राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मान्यवर, इस तरह से यह तो सीधा सिद्धान्त है कि मंत्रि-मण्डल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है विधान सभा के प्रति। मान्यवर, यह सिद्धान्त किसी अवधारणा पर स्थापित है। मान्यवर, प्रजातंत्र में जो चार स्तम्भ हैं उसका एक महत्वपूर्ण स्तम्भ विधायिका है। विधायिका में कार्यपालिका की सुपरमेसी न हो, कार्यपालिका विधायिका पर हावी न होने पाये, कार्यपालिका विधायिका के अन्तर्गत कार्य करे इसीलिए मंत्रि-परिषद् को विधान सभा के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। मान्यवर, इसके अन्तर्गत सम्मानित मंत्रीगण से यह आशा होती है कि वह अपनी विभागीय नीतियों का पालन करायेंगे और जो उसके परिणाम होंगे उसमें उससे राज्य का कल्याण होगा। मान्यवर, राज्य के कल्याण के संदर्भ में जो सुझाव होते हैं, उसमें हम सब अपने सुझाव देते हैं। प्रश्नकाल में प्रश्न पूछते हैं अन्य नियमों के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं पर मंत्रियों से प्रश्न करते हैं। मान्यवर, संविधान के अन्तर्गत यह कहीं मंशा होती कि मंत्री जवाब न दें बल्कि अधिकारी जवाब दें तो फिर अधिकारियों का सामूहिक उत्तरदायित्व निर्धारित होता। मंत्रियों का दायित्व इसलिए बनाया गया है कि मंत्रीगण जिम्मेदार होते हैं और अपने विभाग को सुचारू रूप से संचालित करते है। किस अधिकारी को कहां पर रखना है उससे क्या काम लेना है, किसी कर्मचारी को कहां पर रखना है और उससे क्या-क्या कार्य लिये जाने हैं यह सब मंत्री के विवेक पर होता है। मंत्री उसमें अपने विवेक से काम करते हैं और फिर अपने कार्यों के लिए सदन में सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। मान्यवर, सरकार की ओर से इस बार एक निर्देश जारी हो गया जिसके अनुसार स्थानान्तरण माननीय मंत्रीगण नहीं कर सकते हैं। उन्हें इसके लिए मुख्य मंत्री जी की अनुमति की आवश्यकता होगी। माननीय मंत्री जी प्रस्ताव भेजते हैं हमने सैकड़ों पत्रावलियों को देखा है माननीय मंत्री के प्रस्ताव के ऊपर एक अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं तभी वह स्थानान्तरण की कार्यवाही पूर्ण होती है। तो इस तरह से माननीय मंत्री जो प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्री जी को भेजते हैं उस पर एक अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं और वह उनके विहाफ पर अनुमोदित करके भेजता है। मान्यवर, इस तरह से माननीय मंत्रियों का अधिकार घटा है और जो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होने का सिद्धान्त प्रतिपादित है उसका अपमान है। जिस विभाग का मंत्री सर्वोच्च है जो उसकी देख-रेख कर रहा है उसको अधिकार नहीं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मिला है। इस तरह से वह अपने विभाग पर पूरा नियंत्रण कैसे कर सकता है। फिर इसी प्रकार से वह अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन सदन में नहीं कर सकता है। मान्यवर, एक पुस्तक है जो कि संसदीय कार्य अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन से जारी हुई है इसमें 25 अप्रैल, 2007 का शासनादेश लगा हुआ है जिसमें माननीय विधायकों, अधिकारियों का वर्णन है उनके साथ क्या शिष्टाचार बरता जाना चाहिए उसका वर्णन है। मान्यवर, रोज हम रोना रोते हैं कि हमारे विधायक के जाने पर अधिकारी खड़े नहीं होते हैं, विधायक के फोन करने पर अधिकारीगण उसका जवाब नहीं देते हैं। मान्यवर, रोज हम यह प्रश्न करते हैं कि उन्हें वह सम्मान नहीं मिलता माननीय विधायकगण जिस सम्मान के हकदार है या जिस सम्मान के लिए आप या सरकार बार-बार सचेत करती रहती है। विधायक को छोड़िये अगर मंत्री के ऊपर अधिकारी बैठ जायेंगे अधिकारी उसका नियंत्रण करेंगे तो कैसे वह सामूहिक रूप से उत्तरदायी हो सकते हैं। मान्यवर, मैं कहना यह चाहता हूं कि माननीय मंत्रियों के कर्तव्य और अधिकार वापस किये जायें। माननीय मंत्री के निर्णय के बाद फिर एक किसी अधिकारी का हस्ताक्षर होने के बाद वह आदेश लागू हो वह चाहे जितना बड़ा हो, विधायिका का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है और 164 (2) का भारत का संविधान का सीधा उल्लंघन है। मैंने यह प्रश्न पूरी तरीके से मौलिक रूप से किसी की आलोचना न करते हुए किसी सरकार पर ऊंगली न उठाते हुए एक औचित्य के रूप में उठाया है। इस औचित्य को उसी सदाशयता के साथ माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भी लेंगे और इस बात के लिए अपने मंत्रियों को आजाद करेंगे कि अपने विभागों में वह स्वयं स्थानान्तरण कर सकें, स्वयं अपने विभागों की देख-रेख कर सकें। नतीजा यह होता है कि जब उनका नियंत्रण ही नहीं होता तो वह उत्तरदायी सदन के लिए नहीं हो सकते। हो सकता है माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी सक्षम हो अपने विभाग में लेकिन बहुत से मंत्रियों का कष्ट है यह तो जो उनका कष्ट है वह हमारा कष्ट है मैं तो सहानुभूति के लिए खड़ा हुआ हूं अपने पैर पर कुल्हाड़ी वह अपने हाथ से न मारें मैं सिर्फ यही चाहता हूं।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, माननीय तिवारी जी बहुत चिन्तित रहते हैं। मान्यवर, इन्होंने संविधान का अनुच्छेद पढ़ा लेकिन नियम-300 को नहीं पढ़ा, अगर नियम-300 को पढ़े होते तो इस विषयवस्तु को उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और मान्यवर, सामान्यतः तो यह अग्राह्य करने योग्य है। इसमें कहीं भी 300 के दायरे में दूर-दूर से यह प्रश्न नहीं आता जहां तक माननीय मंत्रीगण के अधिकार का सवाल है इस सरकार में सभी मंत्रियों को अपने विभाग में कार्य करने की पूर्ण आजादी है किसी तरह से उसमें रोक नहीं लगाया है। मान्यवर, सामूहिक जिम्मेदारी के तहत स्थानान्तरण के सम्बन्ध में मंत्रि-परिषद् ने ही सामूहिक रूप से यह निर्णय लिया कि इस वर्ष स्थानान्तरण सत्र शून्य होगा। विशेष परिस्थितियों में माननीया मुख्य मंत्री के अनुमोदन से स्थानान्तरण माननीय मंत्री कर सकते हैं तो मान्यवर, इसलिए यह विषय इसमें कोई स्थानान्तरण होते हैं बहुत ज्यादा होते थे बहुत ज्यादा चर्चाएं होती थी और उसमें भी होता था कि धन का अपव्यय हो रहा है बहुत अधिक स्थानान्तरण हो रहा है। इस दृष्टि से मंत्रि-परिषद् ने निर्णय लिया कि इस वर्ष स्थानान्तरण सत्र शून्य होगा और उसके तहत मान्यवर, स्थानान्तरण न किये जाने का

निर्णय लिया गया। विशेष परिस्थितियों में यह निर्णय लिया गया मंत्रि-परिषद् द्वारा कि अगर विशेष परिस्थितियां होंगी तो माननीया मुख्य मंत्री जी के अनुमोदन से जो विभागीय मंत्री के माध्यम से ही प्रस्ताव आयेंगे उसमें किये जा सकेंगे। इसलिए यह अधिकारों में कहीं कोई कटौती नहीं है और नियम-300 के अन्तर्गत दूर-दूर से नहीं आता। इसलिए मान्यवर, मैं चाहूंगा कि इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय प्रमोद तिवारी जी को सुना और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना यह सूचना नियम-300 में नहीं आती है इसलिए इसको अग्राह्य कर दिया है। शेष सभी सूचनायें नहीं सुनी जायेंगी वह परिधि में नहीं आती है।

(मद संख्या-4 पुकारे जाने पर)

श्री जोखू लाल यादव द्वारा अपनी नियम-300 की सूचना को सुने जाने की मांग

श्री जोखू लाल यादव-

मान्यवर, मुझे सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

यह कोई 300 में नहीं आती है यह कर्मचारी, कोई भुगतान, कोई विधायक निधि यह सब 300 में नहीं आती है।

श्री जोखू लाल यादव-

मान्यवर, इसको देख लें।

श्री अध्यक्ष-

उसको क्या दिखा रहे हैं हम 300 पढ़े हैं, कई बार पढ़े हैं। वह 300 में नहीं आती है, कुछ नहीं, हम नहीं सुनेंगे। नहीं सुना जायेगा।

(श्री जोखू लाल यादव द्वारा बराबर आग्रह करते रहने पर)

अब 300 की जो ग्रेविटी है, मंत्रि-परिषद् यह सरकार से जुड़ा हुआ प्रश्न था, माननीय विधायक की सुविधा का सवाल था, मैंने पढ़ लिया, यह 300 में नहीं आती है। यह कोई सूचना नहीं है। फर्राशियों का धन प्रयोग नहीं हो रहा है उससे क्या मतलब, हमसे 300 में क्या मतलब ?

300 में नहीं सुनूंगा, मैंने साफ बता दिया बस। 300 में नहीं सुनूंगा बता दिया।

(मद संख्या-4 पुकारे जाने पर एवं श्री जोखू लाल यादव द्वारा अपनी सूचना पर बोलने का आग्रह करते रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना नियम-300 में नहीं आती। मैं आपको साफ बता दिया हूं। माननीय सभापति महोदय आप पढ़ें।

श्री जोखू लाल यादव-

[xx x]

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

नहीं सुनूंगा। [xx x] आप चले जाइये। निकलिये।

(श्री जोखू लाल यादव द्वारा बार-बार आग्रह किये जाने पर)

मैंने बार-बार कह दिया है कि नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपका विशेषाधिकार है कि आप किसी सूचना पर नियमों के तहत माननीय सदस्य को सुने या न सुने। लेकिन अगर माननीय सदस्य आपको धमकी दें और आपके अधिकार को चुनौती दें तो यह गम्भीर अनुचित बात है कि इस तरह से इन्होंने आपको धमकी दिया है।

(श्री जोखू लाल यादव द्वारा पुनः सुने जाने का अनुरोध करने पर)

श्री अध्यक्ष-

मैंने कह दिया कि नहीं सुनूंगा। आप सदन से बाहर जा सकते हैं। आप बाहर जाइये।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति का चालीसवां प्रतिवेदन†

श्री मुरलीधर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति (2009-2010), उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति का चालीसवां प्रतिवेदन, जो जनपद कुशीनगर (पडरौना) के निर्वाचन क्षेत्र संख्या-194 में स्थित अम्बेडकर ग्रामों में बने इन्दिरा आवासों में प्रयुक्त घटिया निर्माण सामग्री एवं धन के दुरुपयोग से सम्बन्धित पैंतीसवें प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित है, को प्रस्तुत करता हूं।

पीठ के निर्देश के बावजूद श्री जोखू लाल यादव द्वारा सदन से बाहर न जाने विषयक प्रकरण

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, आपने आदेश दिया इनको सदन से बाहर जाने का लेकिन अभी वह बाहर गये नहीं। मैं चाहूंगा कि आप इसको अमल करायें।

श्री अध्यक्ष-

आप सदन से बाहर जाइये। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी इनसे कहें कि बाहर जायें और इस पर आपको कुछ कहना है तो कहें, मैं आपको मौका दे रहा हूं।

(श्री जोखू लाल यादव सदन से बाहर चले गये)

*नेता विरोधी दल (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, कभी-कभी सदन का माहौल ऐसा गर्म हो जाता है। सदस्य अपनी बात कहना चाहते थे लेकिन सदस्य कभी आप पर आक्षेप नहीं करेंगे, न किया है। यह तो मामूली क्षण कभी-कभी ऐसे आ जाते हैं। कभी ऐसा चलन नहीं है। आपको लगा होगा किसी सदस्य को लगा होगा लेकिन सदस्य की ऐसी कोई मंशा भी नहीं थी।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

† छापा नहीं गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(श्री मदन चौहान द्वारा बीच में कुछ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

नेता प्रतिपक्ष जी या नेता सदन जब बोल रहे हों तो आप लोग थोड़ा मर्यादाओं का पालन करिये। इसी प्रकार बीच में जब गड़बड़ होता है, तभी दिक्कत होती है वैसे तो मैं खुद ही बहुत लिबरल रहता हूं।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जैसे ही आपका इशारा मिला, सदस्य ने उसका पालन भी कर दिया तो अब सदस्य को बुला लीजियेगा। यह तो हमेशा संरक्षण चाहते हैं और सीखते हैं और इसी तरह सीखेंगे भी और कभी आप पर आक्षेप नहीं करेंगे।

*श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसे कहने में कोई संकोच नहीं करता हूं और चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही में यह अंकित हो जाय। आपसे ज्यादा लिबरल और स्वतंत्र रूप से सदस्यों को समय देने वाला अध्यक्ष पिछले कई वर्षों से नहीं हुआ है, आप केवल सुनते ही नहीं हैं बल्कि हास्य व्यंग्य मजाक करके सदन को प्रवाहमय बना देते हैं आप कितने अच्छे हैं कि आपको खुद भी नहीं मालूम कि आप कितने अच्छे हैं। (हंसी)

जब बहुत अच्छे हों तो कभी कोई बात चुभ भी जाती है और आपने जो किया वह सदन की गरिमा बनाये रखने के लिये किया। जब माननीय नेता विरोधी दल ने कह दिया मैं इनकी एक बात से सहमत हूं। नेता विरोधी दल अगर आग्रह कर लें तो उसे मानना चाहिये। दूसरा इन्होंने कहा कि यह ऐसे ही सीखेंगे (हंसी) मान्यवर, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं कि अगर सदस्य की किसी बात से आपको पीड़ा पहुंची हो तो मैं स्वयं को नेता विरोधी दल की बात से अपने को शामिल करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि यह आपका बड़प्पन है, आप बहुत बड़े हैं बहुत ऊंचे हैं आप और ऊंचे न होते तो ऊंचे पर बैठते क्यों ? मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वातावरण ठीक बनाये रखें और मेरा आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि जब आप उचित समझें, जैसे भी आप उचित समझें जोखू लाल जी को आप बुला लें, वरिष्ठ सदस्य हैं, इससे आपकी गरिमा बढ़ेगी और जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्यगण अभी सदन की कार्यवाही के समय नियम-300 के सम्बन्ध में मेरे द्वारा एक निर्णय लिया गया था कि दो सूचनाओं को सुनने के बाद शेष सूचनाएं नहीं सुनूंगा। हमारे सम्मानित सदस्य मा0 जोखू लाल यादव जी द्वारा बार-बार कहा जा रहा था कि सुन लें और मैंने थोड़ा कड़े शब्दों कें कह दिया कि मैं नहीं सुनूंगा उसके बाद उन्होंने थोड़ा प्रतिवाद किया। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा भी प्रस्ताव आया कि उन्हें सदन से बाहर कर दिया जाये, मैंने कहा भी कि आप बाहर चले जाइये, अब यह नहीं सुना जायेगा। इसके बावजूद भी उनकी मौजूदगी में मा0 नेता प्रतिपक्ष से एक सुझाव भी चाहा लेकिन एक प्रस्ताव आया तो उनको मैंने सदन से बाहर कर दिया। सभी सम्मानित सदस्य बैठे हैं यह पहली एक अप्रिय घटना हुई है, मैं भी दुखी हूं क्योंकि किसी मा0 सदस्य के साथ इस प्रकार के आचरण करने की उम्मीद भी मैं नहीं रखता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं आप सभी से सहयोग चाहता हूं और कामना करता हूं कि इस प्रकार का हमारे द्वारा कोई निर्णय न हो। मा0 नेता प्रतिपक्ष ने माहौल को एक अच्छे वातावरण में लाने के लिए कहा कि हमारे सदस्य द्वारा गलती हुई है इसलिए हमारा भी एक निवेदन है कि उनको सदन में वापस बुला लिया जाये। मैंने कतई किसी कड़वी भावना से ऐसा नहीं किया है एक निर्णय मेरा था और उस निर्णय को आप लोग थोड़ा सा स्वागत करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर मैं आपकी भावनाओं का और भी आदर करता रहूंगा। आप हमारा सम्मान करते हैं। मैं आपका सम्मान करता हूं और हमारी यह कोशिश होती है कि जितना मैं ज्यादा से ज्यादा बैठ सकूं, सभी सदस्यों की बातों को सुनूं। कभी-कभी भावावेश होता है, मैं तो कहता हूं कि सदन में मेरी कुछ हैसियत नहीं है, नेता सदन ने हमको बैठाया आप सभी लोगों ने सर्वसम्मति से हमें सम्मान दिया और आप सभी को सहयोग भी रहा है, यही हमारी हैसियत बनती है आप ही लोगों की वजह से मैं नेता प्रतिपक्ष से कहूंगा कि मा0 सदस्य के प्रति जो आपने अनुरोध किया है, उसे मैं स्वीकार करता हूं आप उन्हें बुला लें हो सकता है कि मा0 जोखू लाल यादव जी को भी कड़वा लगा हो, क्योंकि जब निर्णय के विपरीत कोई बात होती है तो इस प्रकार की बातें होती हैं। मैं नेता प्रतिपक्ष के विचारों का सम्मान करता हूं, आप उन्हें बैठा लें।

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, आपकी उदारता के लिए पूरा का पूरा सदन आपको धन्यवाद दे रहा है। मुझे दो लाइनें याद आ गई आपकी उदारता को देखकर यह लाइनें आपकी ओर से पूरे सदन के लिए है :-

तुम प्यार की सौगात लिये घर से तो निकलो,
रास्ते में तुम्हें कोई दुश्मन न मिलेगा।
चाहो तो मेरी आंख को आइना बना लो,
देखो तुम्हें ऐसा कोई दर्पण न मिलेगा।
(श्री जोखू लाल यादव सदन में आकर बैठ गये।)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मुझे शेरो-शायरी तो नहीं आती लेकिन मुझे सिद्दीकी साहब का इरादा कुछ नेक नहीं लगता है। यह चाहते हैं कि आपकी आंखों में आंख डालकर देखा जाय तब समझ में आयेगा। मान्यवर, इन्हें अन्यथा न लीजियेगा, यह बहुत अच्छे आदमी हैं।

श्री अध्यक्ष-

नियम-300 की सभी सूचनाओं को मैंने अग्राह्य कर दिया है। मा0 जोखू लाल यादव जी, मैंने नियम-300 के बारे में एक निर्णय ले लिया था। अभी मैंने आपकी अनुपस्थिति में कुछ कहा है, आप मन में कुछ मलाल न लाइये, हमारा निर्णय हो जाये तो थोड़ा सा स्वागत कीजिए, मैं तो अपने निर्णय को भी संशोधित कर लिया करता हूं। अन्य सभी सदस्यों से भी मैंने कहा कि एक निर्णय हो गया है, श्यामदेव राय चौधरी जी भी खड़े थे, वह बैठ गये। मैंने कहा कि मैं नहीं सुनूंगा तो आपने कहा कि कैसे नहीं सुनेंगे, इस पर स्वाभाविक आक्रोश आयेगा।

श्री जोखू लाल यादव-

मान्यवर, मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं मेरा पीठ पर किसी प्रकार का आक्षेप करने का कोई इरादा नहीं था। केवल मेरी यही मंशा थी, मैंने नियम-300 के नियमों को पढ़ा है

और मैं विधिवत् जानता हूं और जहां तक मेरी जानकारी है, नहीं तो आपसे ज्ञानवर्द्धन कर लूंगा, यह सदन नियमों, परम्पराओं और आपके विवेक पर चलेगा। मान्यवर, नियम-300 में कौन सी आयेगी, कौन सी नहीं आयेगी, सन् 1993 से चुन करके आ रहा हूं, आज तक एक भी बता दें कि जो नियम-300 में आयी हो, जिसको आपने सुना है। आप ग्राह्यता पर सुनते हैं फिर आपका विवेक होता है, अगर आप चाहते हैं तो ग्राह्यता में आती है तो उसे स्वीकार करते हैं, नहीं तो नहीं होता है। लेकिन बगैर सुने हुए मान्यवर, या तो इस नियमावली में परिवर्तन कर दीजिए या फिर हम गलत हैं।

श्री अध्यक्ष-

परिवर्तन की जरूरत नहीं है। आप फिर दूसरी तरफ जा रहे हैं।

श्री जोखू लाल यादव-

मान्यवर, मैं पीठ के निर्णय का स्वागत करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

चलिये, जब एक निर्णय हो गया कि मैं उन सूचनाओं को नहीं सुनूंगा।

उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2009-2010) का प्रथम प्रतिवेदन[†]

डा0 पी0के0 राय-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2009-2010) का प्रथम प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन (सिविल) में उल्लिखित शिक्षा (प्राथमिक) विभाग से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-6 व 7 में कुछ नहीं है।

विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 02 फरवरी, 2010 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 03 फरवरी, 2010 से 24 फरवरी, 2010 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

फरवरी, 2010

03 बुधवार 1-निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण (आधा-आधा) घण्टा।

(क) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010

(ख) उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010

[†] छापा नहीं गया।

2-श्री विनोद चतुर्वेदी तथा श्री विवेक कुमार सिंह, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 5 नवम्बर, 2007 को सदन में प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा :-

"यह सदन केन्द्र सरकार से यह सिफारिश करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के बुन्देलखण्ड क्षेत्र (जनपद-झांसी, ललितपुर, बांदा, जालौन, हमीरपुर, महोबा एवं चित्रकूट) को उत्तर प्रदेश राज्य से अलग करके एक पृथक राज्य का गठन किया जाय।"

3-चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 6 नवम्बर, 2007 को सदन में प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा :-

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक सामान्य नीति बनायी जाय तथा उसे बिना किसी भेद-भाव के प्रदेश के सभी नागरिकों पर सामान्य रूप से कड़ाई से लागू किया जाय।"

4-श्री जोखू लाल यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित तथा दिनांक 19 फरवरी, 2009 को सदन में प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में नीलगायों द्वारा फसलों को नष्ट किये जाने से होने वाली क्षति की रोकथाम हेतु प्रभावी नीति/कानून बनाया जाय।"

5-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित तथा मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा संशोधित रूप में ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा :-

"यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि भारत से मांस के निर्यात पर कृषि क्षेत्र को मिलने वाली सब्सिडी समाप्त की जाय।"

04 गुरुवार

1-<u>11.00 बजे पूर्वाह्न</u>

(क) वित्तीय वर्ष 2009-2010 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतीकरण।

(ख) वित्तीय वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण।

2-विधायी कार्य।

3-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 11 मार्च, 2008 को सदन में प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के जिलों-बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बहराइच, गोण्डा, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, बस्ती, संतकबीरनगर, गोरखपुर, महराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, चन्दौली, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा संतरविदासनगर को सम्मिलित करते हुए पूर्वांचल प्रदेश का गठन किया जाय।"

4-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 11 मार्च, 2008 को सदन में प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में गो-हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने हेतु कठोर कानून बनाया जाय।"

5-चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 11 मार्च, 2008 को सदन में प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को राज्य सरकार द्वारा रोजगार दिया जाय।"

6-डा0 राजेन्द्र सिंह, श्री शम्भू चौधरी एवं श्री बजरंग बहादुर सिंह, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 11 मार्च, 2008 को सदन में प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के सभी स्कूलों एवं कालेजों में समान शिक्षा पाठ्यक्रम लागू किया जाय।"

05 शुक्रवार

1-वित्तीय वर्ष 2009-2010 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

2-असरकारी दिवस (आधा दिन) (29 जनवरी, 2010 के स्थान पर)।

3-विधायी कार्य।

4-चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 11 मार्च, 2008 को सदन में प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के समस्त राज्य मार्गों को प्रदूषण मुक्त रखने तथा पर्यावरण को संतुलित रखने हेतु

बरगद, नीम, शीशम, पीपल आदि वृक्षों को राज्य मार्गों के दोनों ओर वृक्षारोपण किया जाय।"

5-डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 11 मार्च, 2008 को सदन में प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा :-

"यह सदन केन्द्र सरकार से यह सिफारिश करता है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को भी शिक्षण संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों में 20 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करें।"

6-डा0 धर्मपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित तथा दिनांक 11 मार्च, 2008 को सदन में प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद आगरा को खाद्यान्न के मामले मे आत्मनिर्भर बनाने के लिये आगरा विकास प्राधिकरण एवं आगरा विकास परिषद् द्वारा किसानों की खेती योग्य उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण पर रोक लगायी जाय।"

7-डा0 धर्मपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित तथा दिनांक 11 मार्च, 2008 को सदन में प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद आगरा को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने के लिये प्रभावी कार्यवाही की जाय।"

फरवरी, 2010

06 शनिवार
07 रविवार — बैठक नहीं होगी।

08 सोमवार
09 मंगलवार
10 बुधवार — वित्तीय वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।

11 गुरुवार

1-वित्तीय वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2-विधायी कार्य।

12 शुक्रवार 13 शनिवार 14 रविवार	(महाशिवरात्रि का अवकाश) बैठक नहीं होगी।
15 सोमवार 16 मंगलवार 17 बुधवार 18 गुरुवार 19 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
20 शनिवार 21 रविवार	बैठक नहीं होगी।
22 सोमवार	वित्तीय वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
23 मंगलवार	1-वित्तीय वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। **2-3.00 बजे अपराह्न** उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2010 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।
24 बुधवार	1-असरकारी दिवस। 2-विधायी कार्य।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं 'यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।'

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 3-2-2010 को नियम-311 में प्राप्त 2 सूचनाओं को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 35 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गयीं। प्रथम 2 सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा।

शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है :-

पहली सूचना (1) श्री प्रमोद तिवारी, श्री अजय कपूर, श्री प्रदीप माथुर, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री संजीव दरियाबादी, श्री रामसेवक, श्री शिवबालक पासी, श्रीमती अमीता सिंह, श्री विनोद चतुर्वेदी, श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला, श्री अजय पाल सिंह, श्री श्याम किशोर शुक्ला, श्री विवेक कुमार सिंह, श्री पंकज मलिक, चौ0 रवीन्द्र प्रताप, श्री संजय कपूर, श्री शिव गणेश लोधी, श्री माधव पासवान, श्री राजाराम त्यागी तथा श्री अशोक सिंह (2) श्री ओम प्रकाश सिंह, श्री हुकुम सिंह तथा श्री सतीश महाना की प्रदेश में छात्रों द्वारा की जा रही आत्महत्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना (1) श्री अवधेश प्रसाद (2) श्री लल्लू सिंह की नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के शिक्षकों एवं कर्मचारियों द्वारा की जा रही हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री सर्वेश सिंह सीपू तथा श्री मदन चौहान की प्रदेश को प्रशासनिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से तीन भागों में विभक्त करने विषयक भ्रामक स्थिति के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना डा0 अनिल चौधरी तथा डा0 अजय तोमर की प्रदेश सरकार द्वारा आलू के भण्डारण हेतु दर निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में है।

पांचवीं सूचना श्री मदन चौहान की गाजियाबाद गढ़मुक्तेश्वर में गंगा स्नान घाट पर बैरीकेटिंग व्यवस्था लागू कराये जाने के सम्बन्ध में है।

छठी सूचना श्री उदयराज यादव, श्री अनूप कुमार गुप्ता, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, डा0 पी0के0 राय, श्री दीप नारायण सिंह तथा श्रीमती शादाब फातिमा की जनपद रायबरेली में जिला सहकारी बैंक के हो रहे चुनाव में खड़े होने वाले अभ्यर्थी का पुलिस द्वारा उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में है।

सातवीं सूचना श्रीमती कृष्णा राज की लखीमपुर खीरी एवं पीलीभीत में बाढ़ से होने वाली तबाही से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

आठवीं सूचना श्री अमरमणि त्रिपाठी की जनपद महराजगंज के ग्राम सभा अराजी सरकार में सशस्त्र सीमा बल द्वारा जबरिया भूमि पर कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है। विशेष उल्लेख के अन्तर्गत पहली सूचना श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही की जनपद बुलन्दशहर के थाना क्षेत्र भवन बहादुर नगर में सड़क दुर्घटना में हुई मृतक गोलू के परिवार एवं घायलों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री आरिफ अनवर हाशमी, श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री कुलदीप सेंगर की प्रदेश मे यूरिया खाद की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं हुईं उनके नाम इस तरह हैं :-श्री इमरान मसूद, डा0 आर0ए0 उस्मानी, डा0 कौशल किशोर, श्री कृष्ण गोपाल पटेल (नियम-311 में प्राप्त), श्री दीप नारायण सिंह (नियम-311 में प्राप्त) डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, श्री जसवंत सिंह, श्री राजाराम त्यागी, श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्री अनूप सण्डा, श्री इमरान मसूद, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री अशोक कंसल, श्री सुनील शर्मा,

चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी, श्री राधेश्याम जायसवाल, श्रीमती मिथलेश पाल, श्री कुबेर सिंह, श्री सर्वेश कुमार सिह, श्री विशम्भर सिंह यादव, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री जोखू लाल यादव, श्री महबूब अली, श्री अब्दुल वारिस खां, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री विद्या सागर गुप्ता, डा0 आर0ए0 उस्मानी, श्री पूरन प्रकाश, श्री श्यामदेव राय चौधरी तथा श्रीमती सीमा द्विवेदी।

*श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने इतने संवेदनशील विषय पर विचार रखने का अवसर दिया है। मान्यवर, इसके पीछे मेरी नीयत मेरी मंशा बहुत साफ है। मैं क्षुब्ध हूं, दुःखी हूं। मान्यवर, जिस तरह से आत्म हत्याओं की खबरें रोज समाचार-पत्रों में हम सब पढ़ रहे हैं। समाचार-पत्रों में इलेक्ट्रानिक चैनल में जिस तरह से आत्महत्या की खबर आ रही है। इन आत्महत्याओं में सबसे ज्यादा दुःखद पहलू यह है कि इसमें अब बच्चे भी शामिल हो रहे हैं। कक्षा 6 का छात्र कक्षा 10 के छात्र मान्यवर, अगर हत्या करने लगे जिन्होंने अभी जीवन को समझा ही नहीं है और वो अपने जीवन का अंत करने लगे तो कहीं न कहीं हमको यह देखना पड़ेगा कि समाज में, व्यवस्था में कहीं न कहीं कोई न कोई कमी है। दिनांक 1 फरवरी को साकेत इण्टर कालेज के दसवीं के छात्र विजय प्रताप यादव ने आत्महत्या कर ली सिर्फ कारण एक मात्र कि वह पढ़ाई के बोझ से दबा हुआ था। मान्यवर, 30 जनवरी को मुजफ्फरनगर के एम0बी0बी0एस0 के छात्र ने आत्महत्या कर ली कारण कि 3 वर्ष से लगातार एक विषय में फेल हो रहा था। इसी तरह से मान्यवर, सुशील चौधरी ने आत्महत्या कर ली। यही पढ़ते-पढ़ते अगर बात आती है मान्यवर, तो 18 दिसम्बर, 2009 को कानपुर के सैयदनगर निवासी नंद किशोर शुक्ला की पुत्री नीलम शुक्ला की आत्महत्या समाज का एक और स्वरूप दिखाती है। उस लड़की नीलम के साथ गैंग रेप होता है। वह और उसके पिता दर-दर की ठोकरें खाते हैं न्याय दिलाने के लिये, अपराधियों को दण्ड दिलाने के लिये और उन्हें न्याय नहीं मिलता। जब उन्हें न्याय नहीं मिलता तो वह लड़की क्षुब्ध, दुःखी और अपमानित होकर अपने जीवन की लीला समाप्त करती है। मान्यवर, कहीं न कहीं से अगर गौर से देखें मान्यवर, तो इन आत्महत्याओं के पीछे कहीं न कहीं से हम सब सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। मान्यवर, हमारा उत्तरदायित्व यह है कि हम समाज में ऐसा वातावरण नहीं बना पा रहे हैं कि लोगों का भविष्य उज्जवल होगा। इसकी गारन्टी हम आज भी नहीं दे पा रहे हैं। मान्यवर, अगर कोई पीड़ित महिला है और कानपुर जैसे महानगर में उसके साथ सामूहिक बलात्कार हो, हम उसको न्याय न दिला पायें तो कहीं न कहीं कानून-व्यवस्था इसके लिये जिम्मेदार है। कोई एक छात्र एम0बी0बी0एस0 का तीन वर्ष तक लगातार एक ही विषय में असफल होता जाय तो कहीं न कहीं मान्यवर, परीक्षा की व्यवस्था में दोष है। मान्यवर, इस तरह हम गौर से नजर डालते चले जायें तो मेरी चिन्ता से आप अवगत हो जायेंगे। आज ही हिन्दुस्तान टाइम्स मे एक आर्टिकल छपा है एक समाचार है कि 20 दिन के अन्दर 23 आत्महत्याएं हुईं मान्यवर। 20 दिन के अन्दर 23 आत्महत्याएं यह रेट कहीं से भी मान्यवर, सभ्य समाज के लिये उचित नहीं है। मैं आपके माध्यम से आज यह आग्रह करते हुए कि हम किसी भी हालत में आत्महत्याओं को जो महिमा मंडित करते हुए चैनल दिखाये जा रहे हैं, समाचार दिखाये जा रहे हैं मान्यवर, उनका

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महिमा मंडन रोकिये। उन्हें बल्कि समाज के कायर और बुजदिल के रूप में प्रस्तुत करें जो दुनिया की सच्चाई का सामना नहीं कर सके। मैं तो कहना चाहता हूं आत्महत्या जो लोग करें वह सहानुभूति के पात्र नहीं हैं। हमको ऐसी तस्वीर प्रस्तुत करनी चाहिए। हमें ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि आदमी आत्महत्या की तरफ प्रेरित न हो। इसके साथ-साथ मान्यवर, मैं एक बात आपसे बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं सरकार विचार करे हम तो कहेंगे कि आपके नेतृत्व में सब दल के नेता बैठ जाएं, इस पर विचार करें, क्या इस पर इलेक्ट्रानिक्स चैनल आज इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्या हम सब व्यवस्था में संतोष न देने के लिए जिम्मेदार हैं ? मैं सरकार से यह आशा नहीं करता था और सरकार पर यह बोझ भी नहीं डालना चाहता हूं मैं आपसे आग्रह करता हूं इस सामाजिक कुरीति को दूर करने के लिए आप एक सर्वदलीय बैठक बुलाएं आइए हम सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनायें कि आने वाले समय में हमारे यह अनमोल रत्न असमय काल के गाल में न समा जाएं और जीवन का वह अन्तिम कदम न उठा लें जो अन्तिम कदम इन्हें नहीं उठाना चाहिए। जिन्दगी की सच्चाई का सामना करना चाहिए। मुकाबला करना चाहिए मैं आपसे आग्रह करते हुए सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा की मांग करते हुए कहना चाहता हूं कि आप पहल करें आप दल के नेताओं को बुलाएं, बुलाएं सामाजिक प्रतिनिधियों को, बुलाएं समाचार-पत्र वालों को. बुलाएं इलेक्ट्रानिक्स चैनल को, बुलाएं मनोवैज्ञानिकों को, आप एक बैठक करें, आइए उसका निदान ढूंढा जाए कि हमारी युवा पीढ़ी खासतौर से बच्चे मौत को गले न लगाएं इसका प्रयास हो मान्यवर, मैं चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा हो।

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, वास्तव में चिन्ता होती है इस बात को देख करके जब आंकड़े छपते हैं आत्म हत्याओं के, आंकड़े दिखाते हैं, मैं आंकड़े पढ़ देता हूं मैं ज्यादा समय न लेकर के कहना चाहता हूं कि 2005 के 3,449, 2006 के 3,699, 2007 के 3,927, 2008 में 4,088, 2009 के 4,200 मान्यवर, हर वर्ष इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। मान्यवर, उच्च शिक्षा मंत्री भारत सरकार ने भी इस पर चिन्ता व्यक्त की। हम इसको समझने का प्रयास करें आखिर यह मानसिकता क्यों बढ़ती जा रही है, यह मानसिक दुर्बलता क्यों बढ़ती जा रही है बच्चों में विशेषकर वह क्यों नहीं फेस कर पाते हैं। आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो मान्यवर, माता-पिता की है, बच्चे तीन-चार साल के हुए नहीं हम अपेक्षा करने लगते हैं, सपने दिखाने लगते हैं, उम्मीद करने लगते हैं कि यह इंजीनियर बनेगा, डाक्टर बनेगा और बच्चों से यह कहते हैं कि आगे निकलकर दिखाएगा। पड़ोस के बच्चे से आगे निकलकर दिखाएगा। अगर नहीं निकलता है तो उसकी व्यवस्था करते हैं पब्लिक स्कूलों में भारी फीसें हैं, उसके अलावा ट्यूशन्स हैं बारी-बारी ट्यूशन देने की बात होती है तो बच्चे के ऊपर कच्ची उमर में एक मानसिक दबाव बन जाता है कि माता-पिता इतना खर्चा कर रहे हैं और मैं मां-बाप की अपेक्षा पर खरा नहीं उतर पा रहा हूं। यह बढ़ता दबाव जब बच्चे में आ जाएगा और वह टूट जाएगा तो वह खुदकुशी करने चला जाता है। आज मान्यवर, इस बात पर चिन्ता करनी चाहिए कि इतने बड़े-बड़े स्कूलों में जहां इतनी लम्बी-चौड़ी फीस ली जा रही है आखिर ट्यूशन्स की प्रवृत्ति क्यों बढ़ती जा रही है। इसमें सरकार विचार कर सकती है। मान्यवर,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सबसे बड़ी जो बीमारी बच्चों में पैदा हुई है वह ट्यूशन की हुई है। अध्यापक स्कूल में न पढ़ाकर घर पर ट्यूशन के लिए बच्चों को बुलाते हैं मां-बाप भेजते हैं। इतनी-इतनी फीस भी मां-बाप दे रहे हैं ट्यूशन की फीस भी दे रहें कि बच्चे को आगे निकलना चाहिए। नहीं निकलता है तो प्रताड़ना शुरू हो जाती है और यही दबाव आत्महत्या का कारण बन जाता है। इसलिए सोचना यह चाहिए कि कैसे इस व्यवस्था को संभालें और संभालने में हमारी भूमिका हो सकती है सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। मान्यवर, आज कोटा में पूरे हिन्दुस्तान के बच्चे जाते हैं वहां डाक्टर बनने के लिए एन0डी0ए0 में प्रवेश के लिए इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए एक ऐसा शिक्षण संस्थान वहां स्थापित हो चुका है कि पूरे प्रदेश के बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं आखिर क्यों ? इसमें सुधार क्यों नहीं हो सकता है।

हम अपने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को इतना सुदृढ़ क्यों नहीं कर सकते हैं इतना रचनात्मक क्यों नहीं बना सकते हैं कि हमारे बच्चों का यहां विश्वास बढ़े, अगर विश्वास बढ़ेगा तो बाहर जाकर उसके मन में आत्मग्लानि पैदा होती है। आत्मग्लानि इस बात की होती है कि मुझे दूसरे बच्चों से मुकाबला करना है अगर नहीं करूंगा तो मां-बाप कहेंगे कि तुझ पर हमने लाखों रुपया खर्चा कर दिया तुम कहां चल पाए। आत्महत्या वह करता है इस मानसिकता को समझना चाहिए। दूसरी बात हम भी कालेज में गये स्कूल में गये, आप भी कालेज में गये स्कूल में गये, हमने देखा कि अध्यापक ने हमारी कोई कमी देखी है डॉटा-फटकारा भी है। लेकिन आज जब समाचार-पत्रों में यह बात आती है कि फलां बच्चे ने आत्महत्या कर ली, उसके बाद जिस संस्थान से वह बच्चा जुड़ा होता है, उसके प्रिंसिपल को हत्यारा साबित करने का प्रयास किया जाता है। मां-बाप लग जाते हैं, इसी काम के ऊपर कि वह हत्यारा है। अगर प्रिंसिपल यह भी नहीं कह सकता कि क्यों विलम्ब से आये, प्रिंसिपल यह भी नहीं कह सकता कि क्यों होम वर्क करके नहीं आए तो शिक्षण संस्थाओं में अनुशासन कहां से रह जायेगा ? लेकिन मेरे मीडिया के साथी माफ करेंगे, उन्होंने उसको इस प्रकार से प्रचारित कर दिया जैसे वह शिक्षा संस्थान न होकर कोई कमाईखाना हो गया हो। जैसे वहां पर बच्चों को केवल मारा जाता हो, पीटा जाता हो। अभी मान्यवर, मोदी नगर की घटना हुई, बच्चे को एक राउण्ड ज्यादा लगाने के लिए कह दिया और वह घटना हो गयी, उसमें दोनों अरेस्ट हो गये। यह जो ज्यादा बढ़ा करके अतिशयोक्ति करके बातों को कहने की आदत हमारी हो गई है, अट्रेक्शन पैदा करने के लिए समाचार-पत्रों में कि फलां बच्चे के साथ ऐसा हो गया, पब्लिसिटी मिलेगी तो पब्लिसिटी का आधार मानकर वह बच्चों के इस काम में लगे हुए हैं। इसमें मेरा यह भी आग्रह है, मान्यवर, कुछ संस्थाएं बराबर मनोवैज्ञानिकों को बुलाकर इस पर काम कर रही है, जैसा अभी प्रमोद तिवारी जी ने कहा, अगर आप मीटिंग बुलाएं तो मीडिया के लोगों को उसमें जरूर निमंत्रण दें, बुलायें उनको ताकि वह ऐसा प्रचार न करें जिससे छोटे बच्चों के मन के ऊपर ऐसा प्रभाव पड़े क्योंकि बच्चा समझता नहीं है कि इसका परिणाम क्या होगा। बच्चे के मन में ऐसी खबरों से यह बात आ जाती है कि उस बच्चे ने बहुत बहादुरी का काम किया। मान्यवर, आपने भी पढ़ा होगा, एक लड़की ने केवल इस कारण से आत्महत्या कर ली कि उसके पिता बेटे को बाजार में ले गये, लड़की को नहीं ले गये, यह अभी चार दिन पहले की घटना है, इसी लखनऊ की घटना है। उसके मन में यह बात आ गई, बराबर यह पब्लिसिटी हो रही है कि फलां ने आत्महत्या कर ली, फलां ने कर ली।

मान्यवर, इस प्रकार से पब्लिसिटी करना और मां-बाप द्वारा उनसे ज्यादा अपेक्षा करना और शिक्षा संस्थाओं द्वारा छोटे-छोटे बच्चों पर इतना बोझ लाद देना, जिस बोझ को उठाने की स्थिति में वह न आया हो, यही सब कारण आत्महत्या के बन रहे हैं। मान्यवर, इस पर हम कदम बढ़ा सकते हैं, जनप्रतिनिधि कदम बढ़ा सकते हैं और सरकार कदम बढ़ा सकती है और ऐसी व्यवस्था कर सकती है कि जहां पर ऐसी शिकायतें आती है, क्यों न हम बैठ करके गोष्ठी करें, उन छात्रों को बुलायें, उनके माता-पिता को बुलायें, हम स्कूलों में भी बुलायें। मान्यवर, हर जिले में इस प्रकार की गोष्ठियां करें और प्रचारित करें कि इसको कैसे रोका जाए, उनके विचार भी आ जाएं। अगर हम केवल समाचार-पत्रों में ही पढ़ते रहेंगे और आज यहां चिन्ता व्यक्त करते रहेंगे, सबसे पहले इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि इस विषय को राष्ट्रीय विषय मानें, केवल लखनऊ या एक नगर का यह विषय नहीं है। मान्यवर, आपने देखा होगा, 10-12 साल पहले जापान देश में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति बढ़ी थी जो देश शिक्षा, उद्योग आदि क्षेत्रों में बहुत आगे हैं, लेकिन वहां भी यह दुर्बलता बच्चों में आनी शुरू हो गई थी, आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़नी शुरू हो गई थी। उन लोगों ने भी प्रयास किये, फिर बैठ करके गोष्ठियां करके, मनोवैज्ञानिक मेज करके, उनका मार्गदर्शन करा करके, उनके अन्दर मजबूती पैदा की, आज जापान ने उस प्रवृत्ति को नियंत्रित किया है। मान्यवर, आज यह प्रवृत्ति पूरे देश में बढ़ी है, हम पूरे देश में नहीं लेकिन अपने प्रदेश में तो प्रयास कर सकते हैं, इसलिए मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि आज यहां पर जो विषय उठाया गया यह विषय किसी पक्ष या विपक्ष का नहीं है, यह विषय हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है, हमारे वर्तमान से जुड़ा हुआ है हमारे पूरे समाज से जुड़ा हुआ है और अपने सामाजिक दायित्व को निभाते हुए कुछ न कुछ इस पर कार्यक्रम बनायें, इस ओर मैंने इशारा किया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री सतीश महाना-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर, अभी जो विचार आदरणीय प्रमोद जी ने और मा0 हुकुम सिंह जी ने रखे, मैं उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए थोड़ी सी बात मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं। मान्यवर, यह सच है कि जिस प्रकार का एक वातावरण बना हुआ है वह आजकल के नौजवानों में अधिक चाहने और अधिक चाहने की अधिक इच्छा के साथ उसको न पाने के कारण डिप्रेशन में जाने का वातावरण है। जैसे अभी कहा गया कि छोटे बच्चे जिनको पता भी नहीं कि आत्महत्या का क्या कारण है, क्यों की जाती है वह तो आत्महत्या कर ही रहे हैं। इसके साथ-साथ जो पढ़े-लिखे हैं वह भी कर रहे हैं। आपकी जानकारी में होगा कि विगत वर्ष कानपुर आई0आई0टी0 के दो छात्रों ने आत्महत्या की थी जोकि फाइनल इयर के छात्र थे। मान्यवर, ऐसे इंजीनियरिंग कालेज जो विश्व में विख्यात हैं उन कालेज के बच्चों ने भी आत्महत्या की है और एक वातावरण है। मान्यवर, अगर कोई आत्महत्या करता है तो वह कोई बहादुरी का काम नहीं करता है, हम उसको स्वाभाविक रूप से डिप्रेशन कहते हैं। उसके कारण आत्महत्या होती है। लेकिन इस पर बड़ी गम्भीरता के साथ विचार करने की जरूरत है कि इसके लिए ऐसा वातावरण क्यों बनता है। जैसे कल मैंने विस्तार से चर्चा करते हुए कहा था कि कौन लोग जिम्मेदार हैं ऐसी परिस्थितियां पैदा करने के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं ऐसे कारण

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पैदा करने के लिए, जिसके कारण यह प्रवृत्ति बहुत तेजी से बढ़ी है। आदरणीय हुकुम सिंह जी ने वर्षवार ब्यौरा दिया है। हर साल आत्महत्याओं की संख्या बढ़ रही है। मान्यवर, आज इस पर काउंसिलिंग करने की आवश्यकता है। जैसे बच्चों के बीच में जाकर उनको काउंसिलिंग करने की आवश्यकता है। मान्यवर, मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि आज इंटरनेट के माध्यम से भी समाज दूषित हो रहा है। हमारे टेलीफोन में बहुत बड़ी-बड़ी कम्पनियों के ऐसे अश्लील मैसेजेस आते हैं आप इस-इस नम्बर पर बात करिये और आपको यह-यह बात करने की छूट है। मान्यवर, इस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। हम इस बात को गम्भीरता से देखकर इस पर चिन्ता कर सकते हैं कि हमारे देश और प्रदेश के बच्चों के पास इस प्रकार के मैसेजेस नहीं जायें जो आकर्षित करते हैं अश्लील कामों के लिए और उसके कारण वह परिस्थितिजनक हो जाता है कि वह उसको एफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास ऐसे साधन नहीं हैं, ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं, ऐसा वातावरण नहीं है। उसके बाद वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जैसे आज काउन्सिलिंग की बात की गयी। काउन्सिलिंग के आज बहुत सारे कालेजेस चल रहे हैं। मैं किसी एक कालेज का नाम नहीं लेना चाहूंगा लेकिन बहुत मशहूर लोग हैं। लखनऊ में एक मैडम हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वह काउन्सिलिंग का काम करती है, बड़े-बड़े शहरों में इस प्रकार के लोगों से सम्पर्क करके इस प्रकार का वातावरण तैयार करें और सरकार के माध्यम से जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर एक विश्वास जमे। बच्चों को जब अपना भविष्य नजर आएगा। तब हम शायद इसको रोक सकेंगे। जब तक उनका भविष्य अंधकार में होगा तब तक वह डिप्रेशन में होंगे। तब तक शायद हम इसको नहीं रोक पायेंगे और उसको ठीक करने का जिम्मा सरकार का और हम सब लोगों का है। हम सब लोग उसमें क्या कर सकते हैं। मान्यवर, आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद।

*श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, माननीय श्री हुकुम सिंह, श्री प्रमोद तिवारी व श्री सतीश महाना जी ने विस्तार से कह दिया है। मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूं। सबने माना कि यह दबाव के कारण हो रहा है और जो परिवारिक, सामाजिक और शैक्षिक वातावरण मनोबल में विश्वास पैदा करने का पहले था वह कहीं भोगवादी जीवनपद्धति में लुप्त हो रहा है। भोगवाद का यह परिणाम है कि केवल अपेक्षा ही अपेक्षा होती है और इसी कारण से बच्चों के साथ पारिवारिक सम्बन्ध, परिवारजनों का सम्बन्ध, समाज के लोगों का सम्बन्ध जो मित्रवत् था और जो एक संरक्षक का था, शिक्षक का था वह भी भौतिक जीवन में क्षीण हुआ है, उसमें कमी आयी है और हर एक की अपेक्षा अब बच्चे से हो रही है। प्रशासनिक कारण से भी क्षुब्ध होकर बहुत से लोग आत्महत्या करते हैं। लेकिन जो चिन्ता का विषय है संभवतः नेता राष्ट्रीय कांग्रेस और हम लोगों ने कार्य-स्थगन का प्रस्ताव लाया है, वह जो बालकों में 15 साल से 30 साल के लोगों में आत्महत्या का रास्ता अख्तियार करने का प्रचलन बढ़ रहा है, वह ज्यादा चिन्ता का विषय है। बच्चों के अंदर, नौजवानों के अन्दर आत्मविश्वास कैसे बढ़े, वे अतिमहत्वाकांक्षी न हों, जीवन में केवल अपेक्षा ही न करके एक आत्मविश्वास भी उनके अन्दर बढ़े और आज अभी पढ़ रहे थे अंग्रेजी अखबार में कि एक आदमी ने कहा कि धार्मिक प्रवृत्ति के क्षरण के कारण भी कमी होने के कारण भी और केवल भोग प्रवृत्ति

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बढ़ने के कारण भी इस तरह से लोगों में हताशा पैदा हो रही है। इसमें सरकार की तरफ से अभी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन इसमें कोई ठोस पहल करनी चाहिए मान्यवर, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या पैदा हो रही है जिसमें कि समाज के अन्दर भय भी पैदा हो रहा है और चिन्ता भी हो रही है। समाजशास्त्रियों की, शिक्षाशास्त्रियों की और मनोवैज्ञानिकों की गोष्ठियां बड़े पैमाने पर हों और परिवार के लोगों का भी दायित्व बच्चों के प्रति क्या है ? इसका भी परिवार को संदेश जाये। मान्यवर, मीडिया तो वही लिखेगा, जो मीडिया सामने देखेगा और एक व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा है जो मीडिया में भी है, व्यावसायिक संस्थानों में भी है और वही व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा की सोच में बच्चे के ऊपर शैक्षिक बोझ भी बढ़ रहा है। पर यह बात सही है कि शिक्षकों का जो मित्रवत् प्रशिक्षित करने का मनोबल बढ़ाने का कार्य जो होता, वह आज कम हो गया है इसलिये समाजशास्त्रियों की, शिक्षाशास्त्रियों की और मनोवैज्ञानिकों की गोष्ठियों का दौर सरकार चलाये, जिससे कि यह रोग तेजी से न बढ़े। यह एक बीमारी का रूप ले रही है, बहुत से लोग कहते हैं कि मानसिक बीमारी के रूप में विकसित हो रही है। मनोचिकित्सकों का भी इसमें योगदान हो, एक वातावरण समाज में बनाया जाये, सरकार का दायित्व होता है और इसलिये हम लोगों ने कार्य-स्थगन लाकर के सरकार से यह अपेक्षा किया है कि इस दिशा में वह एक ठोस पहल करें। एक वातावरण बने कि 15 साल से 30 साल के नवयुवकों, बच्चों के बीच एक आत्मविश्वास बने और जीवन से संघर्ष करने का एक प्रेरणा स्वाभाव उनमें बने और परिवार के लोग उस पर ज्यादा बोझ न लादें और बड़ी अपेक्षा न करें। शिक्षक भी कहीं न कहीं उनको प्रेरित करने का अपना दायित्व समझें केवल उनसे एक व्यावसायिक दृष्टि से सम्बन्ध रखने का प्रयास न करें। एक वातावरण में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। आत्महत्या तो पहले भी होती थी, हर युग में होती थी लेकिन यह छोटे बच्चों में जो जीवन का मतलब भी नहीं समझे, वो भी इसमें जा रहे हैं तेजी से। यह वातावरण बदलने की जरूरत है और इस कार्य-स्थगन के माध्यम से मैं राज्य सरकार से अपेक्षा करता हूं कि इस पर चर्चा करायें या सरकार इस पर अपना दायित्व समझे और एक वातावरण बदलने का पहल करें, इतना ही मुझे कहना है। धन्यवाद।

*श्री दीप नारायण सिंह (दीपक यादव)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर, मुझ जैसे पहली बार आये इस सदस्य को मौका दिया। मैं माननीय प्रमोद तिवारी जी, माननीय सभी सम्मानित सदस्यों को जोड़ते हुए, इस गम्भीर विषय पर अपनी बात रखना चाहता हूं। मान्यवर, जो परिस्थितियां बन रही हैं उसके लिये हम क्या इंतजाम कर सकते हैं, इस पर मैं बैठे-बैठे सोच रहा था। मान्यवर, सबसे बड़ी जो परेशानी है कि जो छोटी सी उम्र में एडमीशन देने की परम्परायें चल गयी हैं, समाज में पड़ोसी से कम्पटीशन होने लगा है कि फलाने का बच्चा 6 साल का है और थर्ड क्लास में आ गया। इस कारण छोटे-छोटे बच्चे जिनको कोई समझ ही नहीं है। मान्यवर, बहुत बड़ी संख्या में इन प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश पा रहे हैं। मान्यवर, इसके परिणाम क्या आ रहे हैं, परिणाम ये हैं कि मैं एक महाविद्यालय का भी प्रबन्धक हूं और एक इण्टर कालेज का भी प्रबन्धक हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं जब डिग्री कालेज में जा रहा हूं तो देख रहा हूं कि पहले मैं जब डिग्री कालेज में पढ़ा करता था तो लम्बे-तगड़े लड़के कालेज में हुआ करते थे। पढ़ाई के बोझ के कारण एक जेनरेशन की ग्रोथ रुक गई है। मान्यवर, बहुत कम लड़के पूरे कालेज में ऐसे दिखाई पड़ते हैं जो लम्बी हाईट के हैं, छोटी-छोटी शक्ल में छोटे बच्चे महाविद्यालय में दिखाई पड़ रहे हैं। मान्यवर, इण्टर कालेज में भी बच्चों की हेल्थ बहुत कमजोर दिखाई पड़ रही है, यह आत्महत्या जैसी खतरनाक स्थितियों में हम पहुंचा रहे हैं कि हम मानसिक विकास को बढ़ाने के नाम पर इतना अत्यधिक बोझ पढ़ाई के नाम पर उस पर डाल रहे हैं जिससे हमारे बच्चों की ग्रोथ पर असर पड़ रहा है। मान्यवर, हम चाहते हैं कि हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार तमाम निर्णय लेना चाहती है और यह सदन उन निर्णयों में कभी-कभी तो कोई अच्छा निर्णय लेने में शामिल भी हो सकता है। मान्यवर, जब देश में तमाम रिटायरमेण्ट की उम्रें निर्धारित हैं प्रान्तों में कि 60 साल, 62 साल, 65 साल की उम्र में हम व्यक्ति को रिटायर कर रहे हैं तो मान्यवर, प्रवेश की उम्र भी निर्धारित की जाय और पूरे देश में कम से कम पांच वर्ष बने कि पांच वर्ष से कम बच्चे को हम पढ़ने के लिए बाध्य न करें। क्योंकि न तो उसमें समझ है न तो उसे समझा जा सकता है। मान्यवर, इस परम्परा को बनाने का प्रयास करें, बहुत-बहुत धन्यवाद।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, यह चिन्ता का विषय है कि नौजवान बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं और मैं इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस प्रवृत्ति को रोकने में सरकार की तरफ से जो उपाय हो सकते हैं उस उपाय को किया जायेगा इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप अपने स्तर पर कोई बैठक बुला लें और जो हमारे माननीय नेतागण सुझाव देंगे कि सरकार क्या कर सकती है, उस दायरे में रहते हुए मैं प्रयास करूंगा कि सरकार पूरी तरह से इस आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए जो भी अभियान चलाने की आवश्यकता है उसको चलाने में हम सहमत हैं। मैं चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में आप एक बैठक बुला लें और कार्य-स्थगन के रूप में इसको अग्राह्य करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

श्री प्रमोद तिवारी जी द्वारा श्री हुकुम सिंह जी, माननीय ओम प्रकाश सिंह जी और अन्य माननीय सदस्यों के द्वारा एक सूचना आज की ऐसी परिस्थिति में सदन के अन्दर नियम-56 के अन्तर्गत दी गई जिसमें हमारे सभी सम्मानित सदस्यों ने एक मानवीय आधार पर और सामाजिक आधार पर दुःख व्यक्त किया है कि आज हमारे छोटे-छोटे बच्चों में आत्महत्या की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है और आये दिन यह हृदय विदारक घटनायें पढ़कर सुनकर के कहीं न कहीं सबको आत्मग्लानि हो रही है। इस सन्दर्भ में हमारे माननीय सदस्यों ने कहीं न कहीं कुछ कारण भी उद्धरित किया कि दबाव ज्यादा बन जा रहा है या हम कहीं न कहीं उन बच्चों पर उनकी इच्छा के विपरीत कहीं न कहीं उनको पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं या अन्य भी कारण जो दर्शित किये गये हैं, ऐसे विषयों पर भी हम सबको गहन विचार करने की जरूरत है। मूलतः देखें तो इस देश की एक कल्चर रही है। कहीं न कहीं हम अपनी संस्कृति से जरूर हटे हैं यहां पर गुरू और शिष्यों के सम्बन्धों के सम्बन्ध में बहुत अगाध दर्शन रहा है, परम्परा भी रही है और व्यवहार भी रहा है।

माता-पिता-पुत्र के सम्बन्धों में एक लम्बा आधार, व्यवहार और संस्कृति रही है हमारी आदि काल से। पिता अगर पुत्र से कुछ कहता था तो पुत्र उसे स्वीकार कर लेता था। अगर पिता ने पुत्र से कहा कि वनवास जाना होगा तो पुत्र स्वीकार कर लेता था, लेकिन आज अगर पढ़ने के लिए दबाव डाल रहा है तो स्वीकार नहीं करता है। आज अभिभावक भी जैसे दबाव और भय के वातावरण में हैं कि कहीं हम ऐसा दबाव न डाल दें कि मेरा पुत्र मेरे फैसले के खिलाफ कोई फैसला ले ले तो यह हमारे नमन और संस्कृति का ह्रास है। हम अपनी इस संस्कृति को मजबूत करें उससे कहीं न कहीं हम जरूर हटे हैं। यह निवेदन और नमन का देश रहा है कभी टकराव नहीं हुआ है। हम अपनी इस संस्कृति को मजबूत करें और उसकी एक कड़ी बने तभी एक अच्छी परिस्थिति पैदा हो सकती है। सदन में माननीय सदस्यों की इस पर एक सूचना आयी और उन्होंने विचार प्रकट किये हैं। केवल उन्हीं सदस्यों की ही नहीं पूरे सदन के सदस्यों की यह भावना है कि इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ने न पाये। हमारे जो होनहार बच्चे हैं जिन्होंने अभी पूरी तरह से दुनिया देखी नहीं है वह इस तरह का कदम न उठायें। यह जो प्रवृत्ति इधर बढ़ रही है यह दुःखद है। यह तो त्याग और बलिदान का देश है। यहां पर लोगों ने वृक्षों के नीचे बैठकर अपनी पढ़ाई की है और बड़े-बड़े वैज्ञानिक बने हैं। यह वह देश है जहां पर विभिन्न प्रकार के अभावों में रहकर भी लोगों ने जिन्दगी की ऊंचाइयों को छुआ है। लेकिन इधर कहीं न कहीं किसी अभाव या दबाव के कारण हमारी नमन और निवेदन की संस्कृति में ह्रास हुआ है। जो भी परिस्थति है मैं चाहता हूं कि उस पर गहन विचार हो, मंथन हो उसके लिए हम सभी दलों के नेतागण बैठें और जिस दिन बैठ लें उस दिन इस पर गहन अध्ययन करके विचार दें ताकि इस सदन के माध्यम से जितना ज्यादा से ज्यादा इस सम्बन्ध में कोई प्रयास हो सके वह हो और हम लोग कोई इस तरह का कोई वातावरण बनाने का प्रयास करें ताकि यह प्रवृत्ति रुके। यह सदन सब विषयों पर चिन्तन के लिये है। यहां पर माननीय सदस्य समाज और देश की चिन्ता करते हैं और अपनी सूचनाओं के माध्यम से उनके प्रति ध्यान आकृष्ट करते हैं। पुनः मैं इस तरह की घटनाओं पर अपना दुःख व्यक्त करता हूं और पूरे सदन की भावनाओं से अपने को जोड़ता हूं। इसमें सभी दलों के माननीय नेतागण बैठ लेंगे और सुझाव देंगे। हम सब लोग बैठकर इस पर मंथन करें, विचार करें और कोई न कोई निर्णय करें। मैं पुनः कह रहा हूं कि यह विचारों के आदान-प्रदान का देश रहा है। यहां पर जितने भी फैसले हुए हैं विचारों के आदान-प्रदान से हुए हैं टकराव से नहीं हुए हैं। इस पर विचार हो और हम इसके निदान का प्रयास करें। यह घटनायें दुःखद हैं। इस परिस्थिति में इन्हीं सब भावनाओं के साथ सभी दलों के माननीय नेतागण को मैं आमंत्रित करता हूं कि कोई न कोई रास्ता इसमें निकालें। यह विषय नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आता है इसलिए अग्राह्य करता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आपको धन्यवाद।

*श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, मेरे जनपद फैजाबाद में आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय सन् 1975 से स्थापित है। श्रीमन्, यह केवल फैजाबाद ही नहीं पूरे पूर्वांचल का एक अकेला कृषि विश्वविद्यालय है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिसमें अब तक 35 वर्षों में 127 प्रजातियों का विकास हुआ है। वह प्रजातियां चाहे फलों की, अनाज की, दलहन, तिलहन की हों। शासन की किसान विरोधी और छात्र विरोधी नीतियों के कारण 2 वर्षों में उस विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की जिनकी संख्या लगभग 47 है श्रीमन्, आज वह दुनिया में नहीं हैं, मर चुके हैं। इसलिए मर चुके हैं कि समय-समय पर उनके वेतन मिलने में विसंगति हुई, वेतन नहीं मिला बीमार पड़ गये, इलाज नहीं कर पाये इसलिए आज वह दुनिया में नहीं हैं। श्रीमन्, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है आज इस मंहगाई के दौर में आज 14-14 कर्मचारी बहुत बीमार हैं। इस मंहगाई में जब वह अपने बच्चों के भोजन का इंतजाम नहीं कर सकते हैं तो दवाओं का कैसे इंतजाम हो पायेगा। इस सम्बन्ध में वहां के कर्मचारी वहां के शिक्षक और वैज्ञानिकों ने यहां आकर के शासन में अपना मांग-पत्र दिया अपनी व्यथा और परेशानी को बताया लेकिन सरकार की तरफ से नजरन्दाज किया गया है। श्रीमन् यह बहुत ही अविलम्बनीय लोकमहत्व का और ज्वलन्त समस्या है। 17 दिसम्बर से लेकर आज तक विश्वविद्यालय का ताला नहीं खुला है। आज उन तमाम छात्रों के सामने उन अभिभावकों के सामने जिनका एक सपना था कि मेरा बेटा आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है बहुत बड़ा वैज्ञानिक होगा, आज उनके मनों में बहुत चिन्ता है कि उनके बच्चों को चाहे वह छात्र हो या छात्राएं शोध के लिए शिक्षा अर्जित करने के लिए भेजा हो आज उनका भविष्य अंधकारमय है। मैं आपके माध्यम से इस शासन से मांग करता हूं कि तत्काल प्रभाव से उनकी जो भी मांगे हैं 3 सूत्री मांगे हैं जिनको लेकर आज आन्दोलनरत हैं। मैं दो-दो बार विश्वविद्यालय में खुद जा चुका हूं और देख करके इतनी दया आई, इतनी चिन्ता हुई कि वह विश्वविद्यालय जो इस देश के महान चिन्तक और विचारक आचार्य नरेन्द्र देव जिनका नाम हिन्दोस्तान में ही नहीं श्रीमन्, जिनका नाम दुनिया के कानों पर आज जब समाजवाद का नाम आता है तो आचार्य नरेन्द्र देव का नाम उसमें जुड़ा रहता है, उनके नाम से ऐसे महापुरुष के नाम पर यह विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1975 में आज से 35 वर्ष पूर्व हुआ है और आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 47-47 लोग इस 2 साल के अन्दर जब से यह सरकार आई वह मर चुके हैं 14 बीमार हैं हालत चिन्ताजनक है तो आपसे विशेष कृपा चाहता हूं।

(इस समय 1 बजकर 43 मिनट पर अधिष्ठाता, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल पीठासीन हुए।)

आप दखल देकर के और इस सदन की कार्यवाही रोककर इस गम्भीर मुद्दे पर केवल चर्चा ही न कराई जाय बल्कि सरकार को कड़े निर्देश दिये जायं कि 24 घण्टे के अन्दर वेतन भुगतान किया जाय और वेतन से सम्बन्धित जो भी विसंगतियां हैं उन वेतन विसंगतियों को दूर किया जाय जिससे छात्र और छात्राओं का भविष्य उज्जवल रहे अंधकारमय न रहे और आचार्य नरेन्द्र देव का नाम इस देश और दुनिया में सार्थक रहे, बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री लल्लू सिंह-

मान्यवर, आपने इस विषय पर बोलने का अवसर दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, आप जब आसन पर नहीं थे, माननीय अध्यक्ष जी के कृपापूर्वक समय देने से मैंने अपनी बात रखी। यह मान्यवर, मामूली मामला नहीं है आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय का।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय अवधेश प्रसाद जी, आपके ही विषय पर माननीय लल्लू सिंह जी बोल रहे हैं जब माननीय लल्लू सिंह जी अपनी बातें कह लेंगे तो माननीय मंत्री जी उस पर जो भी विषय है बतायेंगे।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, ठीक है।

श्री लल्लू सिंह-

माननीय अवधेश प्रसाद जी ने आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय का वहां जो हड़ताल चल रही है, वहां के शिक्षक, वैज्ञानिक कर्मचारी 17 दिसम्बर से जो हड़ताल कर रहे हैं जो तालाबन्दी है उस पर जो विषय रखा है उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए शासन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि 1998 के शासनादेश के कारण विश्वविद्यालयों के जो बजट फ्रीज हुए थे वैसे शासन की यह मंशा थी कि सामान्य विश्वविद्यालयों का बजट फ्रीज किया जाय। लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण कृषि विश्वविद्यालय के बजट को फ्रीज कर दिया गया। शासन ने उस समय आदेश दिया था कि विश्वविद्यालय अपने संसाधन खुद जुटायें क्योंकि सामान्य विश्वविद्यालयों में बहुत सारे महाविद्यालय सम्बद्ध होते हैं। वहां पर परीक्षा फार्म बेचने की सुविधा है, वहां पर अन्य सम्बद्ध महाविद्यालयों से धन प्राप्त करने की सुविधा है लेकिन कृषि विश्वविद्यालयों से कोई भी महाविद्यालय सम्बद्ध नहीं है। वहां पर आय के कोई स्रोत नहीं हो सकते हैं। वहां पर जितने शिक्षक हैं, जितने कर्मचारी हैं, वैज्ञानिक हैं उनका काम कृषि के उन्नतिशील बीजों को पैदा करना, किसानों के बीच में उसका प्रचार-प्रसार करना, जिससे खाद्यान्न को बढ़ावा मिल सके, जिससे कृषि को बढ़ावा मिल सके और इस देश की जनता को अनाज भरपूर मिल सके। पिछले वर्ष भी इसी सदन से हमने इस विषय को उठाया था। वहां पिछले 28 माह से लगातार कर्मचारियों को, शिक्षकों को, वैज्ञानिकों को समय से वेतन नहीं मिल रहा है। जिसके कारण मजबूर होकर सारे अध्यापक, शिक्षक, वैज्ञानिकों ने वहां तालाबंदी कर दी। वहां की परीक्षायें स्थगित हो गयी हैं। शोध के कार्य स्थगित हो गये हैं और वहां के सारे दैनिक वेतन कर्मचारियों से लेकर वैज्ञानिक तक हड़ताल पर हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 25 जनपदों में कृषि प्रचार, शोध का कार्य इस नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से होता है। मान्यवर, हमारी मांग है कि शासन नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय सहित तीनों कृषि विश्वविद्यालयों के बजट को डिफ्रीज करे जो इनकी तीन मुख्य मांगें हैं कि यू0जी0सी0, आई0सी0ए0आर0 द्वारा छठे वेतन आयोग के पुनरीक्षित वेतन का दिनांक 1-1-2006 का शासनादेश अक्षरशः लागू किया जाय। लम्बित 25 माह के वेतन का भुगतान किया जाय। इसी के साथ-साथ हमारी आपके माध्यम से यह भी मांग है कि इन शिक्षक नेताओं-कर्मचारियों का शासन के द्वारा जो उत्पीड़न हो रहा है, उनके खिलाफ जो मुकदमें लगाये

गये हैं, उसको भी शासन वापस लेने का काम करे। वहां की परिस्थितियां बहुत ही विषम है इसलिये माननीय अवधेश प्रसाद जी ने जो विषय उठाया है, मैं उससे अपने को जोड़ते हुए, इस लोक महत्व के तत्कालीन सुनिश्चित अविलम्बनीय विषय पर चर्चा कराने की मांग करता हूं। साथ ही साथ एक विषय और है कि जो भी कुलपति वहां आता है वह 200-300 नियुक्तियां कर देता है, उसके चले जाने के बाद फिर दूसरा नया कुलपति आता है और 200-300 नियुक्तियां कर देता है, इस पर भी रोक लगनी चाहिए और जो भी कुलपति हो जब तक शासन का आदेश न हो, बिना शासन का आदेश प्राप्त किये कोई नियुक्तियां नहीं होनी चाहिये, क्योंकि इसके कारण भी वहां का बजट बढ़ता चला जा रहा है। इस पर भी हम आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, धन्यवाद।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अभी माननीय लल्लू सिंह व माननीय अवधेश प्रसाद जी ने नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय का जिक्र किया। माननीय लल्लू सिंह जी ने इस बात का उद्धरण दिया कि 1998 से बजट फ्रीज है। वर्ष 1998 के बाद माननीय अवधेश प्रसाद जी को भी मौका मिला था लेकिन उन्होंने उस समय चिन्ता करने की आवश्यकता महसूस नहीं की। मान्यवर, सबसे पहले तो मैं इस बात को बताना चाहूंगा। जैसा माननीय लल्लू सिंह जी ने कहा कि कुलपति जो पहले रहे और समय-समय पर बिना पद के पद क्रियेशन करके अत्यधिक भर्तियां करने का काम किया, जिसके कारण यह समस्या आई है। विश्वविद्यालय को स्वयं अपनी इनकम जनरेट करना चाहिये था। वह इनकम जनरेट न कर पाने के कारण यह समस्या आई, फिर भी इसके बावजूद भी जिन मौतों का उल्लेख किया गया है। इतनी मौतें हुई हैं उसमें एक भी मौत वेतन न मिलने के कारण नहीं हुई है। बीमारी से हुई है, कई लोग रिटायर हो गये हैं उसके बाद मौत हुई है उन सभी को इसमें जोड़ दिया गया है। एक जगह 36 लिखते हैं फिर 47 भी कह देते हैं तो मान्यवर, इस तरह से वहां की कुछ समस्याएं हैं हम उन समस्याओं का नियम कानून के तहत निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं और जो पूर्वांचल का कृषि विश्वविद्यालय है निश्चित रूप से वह अपने उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास करेगा। सामान्यतया यह भी देखा गया कि जो कोई योजना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से प्राप्त हुई उस प्रोजेक्ट में नियुक्तियां कीं और बाद में उन्हें रेगुलर कर लिया तो मान्यवर, इस प्रवृत्ति के कारण जो समस्याएं आयी हैं हम उन समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा भाई लल्लू सिंह ने चाहा है इस दिशा में भी कार्रवाई करेंगे कि जिससे इस प्रकार की समस्या दोबारा न आने पाये। स्वयं मा0 लल्लू सिंह जी ने कहा कि 1998 से फ्रीज है इसलिए आज तात्कालिक यह समस्या नहीं है इसलिए यह नियम-56 में नहीं आता है इसलिए मैं चाहूंगा कि इस सूचना को अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने श्री अवधेश प्रसाद, श्री लल्लू सिंह और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-56 का विषय नहीं है इसलिए मैं इसे अग्राह्य घोषित करता हूं।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, यह लीपा-पोती करने वाला जवाब है।

श्री अधिष्ठाता-

तीसरा विषय श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल जी, श्री सर्वेश सिंह सीपू जी और श्री मदन चौहान जी का है, प्रदेश को प्रशासनिक एवं आर्थिक दृष्टिगत से तीन भागों में विभक्त करने विषयक भ्रामक स्थिति के सम्बन्ध में है।

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, यह मेरी नोटिस नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

अगली सूचना डा0 अनिल चौधरी जी की है, प्रदेश सरकार द्वारा आलू के भण्डारण हेतु दर निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में है।

*डा0 अनिल चौधरी-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मेरी सूचना पर ग्राह्यता पर बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया, मैं बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, मैं बहुत कम समय में प्रदेश के आलू उत्पादकों की एक बहुत बड़ी पीड़ा की ओर सदन को ले जाना चाहूंगा। इसी प्रदेश में मान्यवर, वर्ष 1997 से पहले यह व्यवस्था थी कि प्रदेश भर के शीतगृहों में भण्डारित होने वाले आलू का भाड़ा दर यानी कोल्ड स्टोर का रेंट शासन द्वारा तय होता था और वह बाध्यकारी था कि प्रत्येक शीतगृह स्वामी उसी रेट से किसान से पैसा वसूलेगा। मान्यवर, उस वक्त वर्ष 1987 से 1996 तक लगभग तीन मौके ऐसे भी आये जब शीतगृह स्वामियों ने किसानों का शोषण करके ज्यादा रेट वसूलने की कोशिश की तो उस समय की सरकारें मा0 उच्च न्यायालय में किसानों के पक्ष में गई और ऐसी भी नजीर है कि जो भाड़ा ज्यादा वसूल कर लिया था शीतगृह स्वामियों ने, सरकार ने उन पर मा0 उच्च न्यायालय के द्वारा दबाव बना करके किसानों को पैसा वापस दिलाने का काम किया। मान्यवर, आज वर्ष 1997 में शीतगृह अधिनियम में एक संशोधन करके यह पूरा अधिकार शीतगृह स्वामियों के पाले में डाल दिया गया और भण्डारण की दर जो भी वह चाहे किसान से वसूल सकते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि एक तरफ पूरे प्रदेश के संगठित 1200 से 1300 शीतगृह स्वामी और एक तरफ करोड़ों किसान। किस तरह से गरीब, आर्थिक रूप से दबा हुआ किसान इन भूखे भेड़ियों के सामने सरकार द्वारा इस संशोधन के द्वारा डाल दिया गया और उसको संरक्षण देने का काम आज तक नहीं किया।

मान्यवर, मैंने 2007 में भी यह विषय इसी सदन में उठाया था, शासन की ओर से एक जवाब आया था कि यह संशोधन इस कारण किया गया था कि 1997 में शीतगृहों की संख्या बहुत कम थी और शीतगृहों की संख्या को बढ़ाने के लिए यह संशोधन लाया गया था। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, तब शीतगृहों की संख्या प्रदेश में लगभग 500 से 600 थी। अब आज यह लगभग 1300 से भी ऊपर है। मान्यवर, यह भी बताना चाहूंगा कि जो सरकारी आंकड़े बताते हैं, इस प्रदेश के अन्दर लगभग 110 से 120 लाख मीट्रिक टन तक प्रतिवर्ष आलू का उत्पादन होता है और आज शीतगृहों की क्षमता प्रदेश के अन्दर है वह लगभग 85 लाख मीट्रिक टन की है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज आवश्यकता जो 1997 में थी वह नहीं रही और यह भी बताना चाहूंगा कि जब यह सरकार शीतगृहों की दर तय करती थी उस वक्त जो अन्तिम बार सरकार ने तय किया था मात्र 32 रुपये प्रति क्विंटल था और अभी 31 जनवरी को शीतगृहों के मालिकों के एसोसिएशन ने दर घोषित की है वह लगभग 124 रुपये प्रति क्विंटल की है। अर्थात् लगभग 4 गुने की बढ़ोत्तरी 12 वर्ष के कार्यकाल में कर दी गयी। आज किसान को मंडियों में आलू का भाव मात्र 400 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा है और उसके ऊपर 124 रुपये प्रति क्विंटल कोल्ड स्टोरेज का भाड़ा लगा देना मैं नहीं समझता कि किसान को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का काम नहीं होगा, मेरा निश्चित मानना है कि इससे किसान आत्महत्या की ओर प्रेरित होगा। मान्यवर, शीतगृह अधिनियम, 1997 में जो संशोधन हुआ है उसकी एक उपधारा है, मैं इसको पढ़ देता हूं। शीतगृह अधिनियम की धारा 29 में संशोधन हुआ था 1997 में, उसी में एक प्राविधान और तत्कालीन सरकार द्वारा कर दिया था और यह धारा-29 की तीसरी उपधारा है, मैं पढ़ देता हूं इसको जानकारी के लिए।

(3) इफ द स्टेट गवर्नमेन्ट इज आफ द ओपिनियन दैट द चार्जेज फिक्सड बाइ ए लाइसेंसी अन्डर सब सेक्शन (1) आर अनरीजनेबली हाई, देन नाट विथ स्टेडिंग द प्रॉविजन्स आफ सब सेक्शन (1) द स्टेट गवर्नमेन्ट में बाइ ए नोटीफाइड आर्डर, फिक्स द मैक्सिमम चार्जेज फार द परपेजेज आफ सब सेक्शन (1) विद् रिस्पेक्ट टू सच लाइसेंसी एण्ड द चार्जेज सो फिक्स्ड बाई द स्टेट गवर्नमेन्ट शैलबाई इफेक्टिव फार द रिमेनिंग पार्ट आफ द फाइनेन्शियल ईयर इन विहच दे आर फिक्सड।

मान्यवर, मैं यह और बताना चाहता हूं कि 10 फरवरी से आलू का भण्डारण कोल्ड स्टोरेज में होगा।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय अनिल चौधरी जो आपने अंग्रेजी में पढ़ा है उसका हिन्दी अनुवाद कर दीजिए।

डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, मैं उसका हिन्दी अनुवाद कर दे रहा हूं। अगर राज्य सरकार यह समझती है कि जो भाड़ा दर शीतगृह स्वामी द्वारा निर्धारित किये गये हैं, अगर वह अकारण अधिक हैं तो शासन अपनी ओर से इसका भाड़ा दर तय कर सकता है और उस भाड़ा दर को लेने के लिए शीतगृह स्वामी उस वित्तीय वर्ष में बाध्य होंगे। मान्यवर, यह शासन का आदेश बाध्यकारी होगा। मान्यवर, मैं यह और बताना चाहता हूं कि 10 फरवरी से जब भण्डारण शुरू होगा उस वक्त किसान शीतगृह स्वामी से बारगेनिंग की पोजीशन में नहीं होता है। उसकी चिंता यह रहती है कि मेरा आलू कैसे भी कोल्ड स्टोरेज में पहुंचे क्योकि यह एक पैरीशिबल आइटम है। अगर 3 दिन भी धूप में पड़ा रह गया तो वह खराब हो जायेगा और उसके पूरे वर्ष भर की मेहनत पर पानी पड़ जायेगा। उस वक्त शीतगृह स्वामी कहे कि 500 रुपये प्रति क्विंटल भाड़ा लूंगा तब भी वह जाकर शीतगृह में सबसे पहले उसको रख देता है। फिर शीतगृह स्वामी उसके ऊपर पर्ची से एक मुहर लगा देता है जो उसको दी जाती है और वहीं से उसका शोषण शुरू हो जाता है। उस पर मनमाना रेट डाल देता है और सरकार भी यह कहती है कि आपने जब आलू भण्डारण किया था तो शीतगृह स्वामी की यह शर्त थी कि इतना भाड़ा लेंगे आपने उस पर हस्ताक्षर कर दिए और

यह बहुत बड़ा हथियार किसान के शोषण के लिए बन जाता है। मैं शासन से यहां पर उद्यान मंत्री जी बैठे हुए हैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर अपने मन से वक्तव्य दें क्योंकि कृषि मंत्री जी का इलाका तो धान का है उद्यान मंत्री जी आलू के क्षेत्र से आते हैं। शासन आज ही इस भाड़े की दर को निर्धारित करे और मैं इस पर चर्चा की मांग करते हुए चाहूंगा कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाय। उद्यान मंत्री जी खुद आलू पैदा करते हैं वह इस पीड़ा से परिचित हैं इसलिए इसे संवेदनशीलता के साथ लें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, सदस्य ने स्वयं ही इस बात की चर्चा की कि कोल्ड स्टोरेज की घटती हुई संख्या के कारण तमाम कोल्ड स्टोरेज बन्द हो गए थे जिसके कारण आलू के भण्डारण की समस्या पैदा हो गयी थी इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया कि कोल्ड स्टोरेज को भाड़ा तय करने की उनको आजादी दी गई थी लेकिन मनमानी न करने पाये इसलिए नियम भी जोड़ने का काम किया था अगर सरकार को लगे कि भाड़ा बहुत अधिक है तो उस पर अंकुश लगा सके। मान्यवर, आलू भण्डारण की समस्या हर दो-तीन साल बाद आती है पिछले वर्ष कोई समस्या नहीं थी। समस्या न आने पाए कोल्ड स्टोरेज बढ़ें कोल्ड स्टोरेज बनाने का काम उद्यमी करें इसमें पूंजी निवेश करें इसलिए नियम बनाया गया है। अगर सरकार को यह प्रतीत होगा कि भाड़ा निर्धारित किया जा रहा है उस भण्डारण की आवश्यकता को देखते हुए अगर लगेगा कि उत्पादन की स्थिति में भण्डारण की सुविधा को देखते हुए ऐसा लगेगा तो निश्चित रूप से नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको अग्राह्य करने का कष्ट करें।

श्री अधिष्ठाता-

प्रस्तुत सूचना पर डा0 अजय तोमर ने डा0 अनिल चौधरी के साथ अपने को सम्बद्ध कर लिया था इस सूचना पर मैंने डा0 अनिल चौधरी को सुना माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है इसलिए इसे अग्राह्य करता हूं।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, आज सरकार के हस्तक्षेप करने की स्थिति है।

श्री अधिष्ठाता-

संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्थितियां स्पष्ट कर दी।

अगली सूचना श्री मदन चौहान की गाजियाबाद गढ़मुक्तेश्वर में गंगा स्नान घाट पर बैरीकेटिंग व्यवस्था लागू कराये जाने के सम्बन्ध में है।

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, गढ़मुक्तेश्वर जनपद गाजियाबाद का एक पौराणिक व धार्मिक स्थल है। पवित्र गंगा नदी वहां पर बहती है। जिस तरह से माना जाता है कि वहां पर स्नान करने से या अन्तिम यात्रा पर जाने से पहले वहां पर अन्त्येष्टि हो जाय तो मोक्ष प्राप्त हो जाता है। आज बृजघाट और गढ़मुक्तेश्वर वहां पर गंगा के किनारे घाट बना हुआ है गंगा के किनारे क्योकि बहुत दूर-दूर से लाखों की संख्या में वहां पर श्रद्धालू स्नान करने के लिए आते हैं। वहां पर स्नान करने के लिए लाखों की भीड़ आती है निश्चित तौर पर हाई-वे होने की वजह से जाम भी लग जाता है इसके साथ ही साथ गंगा के किनारे गहराई बहुत अधिक है वहां पर घाट बने हुए हैं लेकिन बैरीकेटिंग

नहीं है बैरीकेटिंग न होने की वजह से अचानक जब कोई आदमी गंगा स्नान के लिए पैर रखता है तो गहराई होने की वजह से डूब जाता है, न ही वहां पर बैरीकेटिंग है और न ही वहां पर नाव की या सरकारी मल्लाहों की व्यवस्था है जिससे वहां तुरन्त कार्यवाही हो सके। अगर अंदाजा लगायें और पूरी तरह से आंकड़े इकट्ठे किये जायं तो सैकड़ों तादात में लोग डूब कर मृत्यु का शिकार हो चुके हैं। कितनी बार आदमी डूब रहा होता है लेकिन सरकारी व्यवस्था न होने की वजह से, बोट न होने की वजह से और सरकार की तरफ से कोई नाविक न होने की वजह से देखते-देखते काफी लोग देखते रहते हैं और वह पानी में डूब जाता है। मान्यवर, डूबने से बचाने के लिये उनकी पूरी संख्या ज्ञात हो क्योंकि उस तरफ सरकार का ध्यान नहीं है इसलिये वहां पर कोई गिनती भी नहीं की जाती और काफी दूर-दूर से हरियाणा, राजस्थान, पंजाब वहां के पुराने-पुराने श्रृद्धालु विभिन्न मौके पर वहां लाखों की तादात में गंगा स्नान करके जाते हैं। मान्यवर, आज आवश्यकता है और तत्काल प्रभाव से इसकी व्यवस्था होनी चाहिए बैरीकेटिंग पानी का बहाव कैसे आया जिस तरह से हरिद्वार में है। हरिद्वार के उत्तराखण्ड में जाने के बाद में आज हरिद्वार की तर्ज पर सरकार ने यह मन बनाया कि हरिद्वार की तर्ज पर इसका विकास किया जाय, सुविधाएं दी जायं तो मेरा कहना है कि अंतिम निवास जो वहां पर है। उसकी व्यवस्था भी क्योंकि अंतिम समय पर जब अन्त्येष्टि की जाती है किसी व्यक्ति की मरने के बाद में तो वहां पर उसको गंगा स्नान कराया जाता है। तो यह व्यवस्था सुचारू रूप से हो। बैरेकेटिंग की व्यवस्था हो, वहां पर बोट की व्यवस्था हो, नाविक की व्यवस्था हो, सरकारी व्यवस्था हो जिससे आदमी अपनी जिम्मेदारी महसूस कर सके और जो लोग फिर भी डूब जायं उनका एक रिकार्ड होना चाहिए और उनके परिवारीजनों को एक भारी राशि सहायता के रूप में ऐसी मिलनी चाहिए जो उनकी माकूल व्यवस्था कर सकें। मेरा निवेदन है कि इस पर ध्यान देते हुए और वहां पर जो घंटाघर बना है, वहां पर एक छोटा सा फव्वारा लगा हुआ है जो आज तक चल नहीं पाया है। बहुत सारी और चीजें जैसे वहां पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, होटलों की व्यवस्था नहीं है। पर्यटन स्थल की दृष्टि से वहां पर आज इन सब चीजों की आवश्यकता हैं। मेरा अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर, महत्वपूर्ण सूचना पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराने की व्यवस्था दें तो मैं बहुत आभारी होऊंगा। धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे। (माननीय मंत्री जी द्वारा कुछ न कहने पर) मैंने श्री मदन चौहान जी को सुना, यह नियम-56 में नहीं आता इसलिये इसको अग्राह्य करता हूं। (श्री अधिष्ठाता द्वारा अगली सूचना पर माननीय उदयराज जी का नाम पुकारे जाने और उनके खड़े होने पर) एक मिनट यादव जी, इसके पूर्व श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल जी का विषय आया था, मैंने आपका नाम पुकारा था आप उस समय थे नहीं। उन्होंने आग्रह किया है, इसलिये वे अपनी बात रख लें।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश की वृहद् भौगोलिक स्थिति को देखते हुए मैंने इस सूचना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन का सवाल उठाया है। उत्तर प्रदेश की स्थिति इतनी वृहद् है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को भी इस प्रदेश के जिलाधिकारियों के नाम नहीं

मालूम। इतनी भौगोलिक विषमताएं हैं, आर्थिक विषमताएं होने के कारण मेरी आपसे मांग है कि उत्तर प्रदेश को तीन भागों में विभाजित करने का काम किया जाय। पहला बुन्देलखण्ड को अलग राज्य घोषित किया जाय, पूर्वांचल को अलग राज्य घोषित किया जाय और हरित प्रदेश को भी अलग राज्य का दर्जा दिया जाय। इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि इस विषय पर इस सदन में विस्तृत चर्चा कराई जाय। सभी पार्टियों के नेताओं और सदस्यों के विचार आने चाहिए क्योंकि जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ यह एक ऐसा मामला है और समय-समय पर तमाम राजनैतिक पार्टियों ने, सरकार ने भी कहा है, कांग्रेस ने भी कहा है, सारी पार्टियां यह कहती रही हैं कि यह राज्य बनने चाहिए और यह राज्य बनने आवश्यक हैं। मान्यवर, यह जन भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है और जो भी सदस्य इसका विरोध करेगा उसको जनता का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस विषय पर सदन में विस्तृत चर्चा कराई जाए। आप इसमें अधिष्ठाता पीठ से समय निर्धारित करें ताकि इसमें चर्चा हो सके और गम्भीरता से विचार हो सके।

(श्री सर्वेश सिंह सीपू का नाम पुकारा गया)

श्री लालजी वर्मा-

कार्यवाही में अगर कोई चीज पहले से लगा है तो उस पर अलग से चर्चा कराने का औचित्य नहीं है इसलिए इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता-

श्री मदन चौहान जी आप अपनी बातें रख भी चुके हैं।

डा0 पी0 के0 राय-

अधिष्ठाता महोदय, आपने इन्हें बुलाया था और चन्देल जी का जब आपने नाम लिया था उस समय मदन चौहान जी मौजूद थे यह गम्भीर विषय है, जब आपने मदन चौहान जी का नाम लिया तो इन्होंनें कहा कि मेरी ऐसी कोई सूचना नहीं है। तो पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि उस नोटिस पर मदन चौहान जी ने अपने हस्ताक्षर किए हैं या नहीं किये हैं। यह स्पष्ट कर दें क्योंकि उस समय इन्होंने बोलने से मना कर दिया था। तो उस पर मदन चौहान जी ने हस्ताक्षर किए हैं या नहीं किए हैं।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने अशोक कुमार चन्देल जी को सुना, यह विषय नियम-56 में नहीं आता है मैं इसको अग्राह्य करता हूं।

*श्री उदय राज-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस प्रजातांत्रिक देश में किस तरह से प्रजातंत्र पर कुठाराघात करने का काम वर्तमान सरकार कर रही है। इसका उदाहरण मैं आपको देने का काम करूंगा। मान्यवर, अभी हाल में 7 जनवरी को पूरे प्रदेश में लोकल बॉडी विधान परिषद् के चुनाव

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हुए किस तरीके से प्रशासन के द्वारा, पुलिस अधिकारियों के द्वारा, प्रधान क्षेत्र पंचायत के मत डालने का काम किया गया लोगों को मताधिकार से वंचित करने का काम किया गया।

(शोर)

मान्यवर, राजधानी के पड़ोस में, जनपद रायबरेली में, नोटिस पर आ रहा हूं, जनपद रायबरेली में जिला सहकारी बैंक का चुनाव हो रहा है। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष के चुनाव के पहले मान्यवर, निदेशक के पद का चुनाव होता है किस तरीके से लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने का काम किया जा रहा है। मान्यवर, दिनांक 23 जनवरी, 2010 को ग्राम मऊगरमी थाना महाराजगंज में शिव प्रसाद कश्यप जो पिछड़ी जाति का है वह चुनाव लड़ना चाहता था। दिनांक 23 जनवरी को थाना महाराजगंज का प्रभारी निरीक्षक पुलिस बल के साथ उसके घर पर जाकर दबिश देने का काम करता है। और उसको वह नहीं मिलता है तो उसके परिवार वालों को धमकी देने का काम करता है और कहता है कि उससे कह देना कि नामांकन करने का साहस न करे, चुनाव लड़ने का मन न बनाए वरना उसको जेल के सींखचों के पीछे बंद करने का काम करूंगा। मान्यवर, इतना ही नहीं हुआ क्योंकि पिछड़ी जाति की सीट थी इसलिए उसने तहसील में पिछड़ी जाति के प्रमाण-पत्र के लिए प्रार्थना-पत्र दिया। जब वह 27 जनवरी को जब वह महाराजगंज तहसील में अपना प्रमाण-पत्र लेने के लिए जाता है वहां भूपेन्द्र मिश्र के बक्से पर बैठता है तो बहुजन समाज पार्टी के लोगों के द्वारा, बहुजन समाज पार्टी का जो समर्थित प्रत्याशी है उसके द्वारा वहां जाकर उसके साथ मारपीट की जाती है और इतना ही नहीं बाद में उसको जाति प्रमाण-पत्र न मिलने के कारण उसका जो नामांकन पत्र था उसको निरस्त कराने का काम किया जाता है। श्रीमन् बहुजन समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं जो कार्यकर्ता हैं वह केवल इतना ही करने का काम नहीं करते हैं श्री गजाधर सिंह जी जो इस सदन के सम्मानित सदस्य भी रह चुके हैं अभी इससे पहले वह जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष भी हुआ करते थे। मान्यवर, उन्होंने निदेशक के चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि यह जरूरी है कि जो निदेशक होगा वहीं अध्यक्ष का भी चुनाव लड़ सकता है। मान्यवर, जब वह चुनाव लड़ने के लिए नामांकन भरने के पहले दिनांक 27 तारीख को और दिनांक 29 तारीख को दो बार गए पुलिस ने उनके घर छापा डालने का काम किया। और यह भी कहा गया कि तुमको नामांकन नहीं करने दिया जाएगा। यही नहीं मान्यवर, 2-2-10 को थाना लालगंज के अन्तर्गत रामसिंह फौजी व्यक्ति जो निदेशक का चुनाव लड़ रहा है। ग्राम जोधापुर थाना लालगंज के अन्तर्गत एक रिटायर्ड मेजर के घर वोट मांगने के लिए गया था। मान्यवर, किस तरीके से उसके साथ मारपीट करने का काम किया गया, इतना अधिक बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने पहुंचकर मारने का काम किया कि उसका सिर फट गया, लहूलुहान हो गया और चन्द दूरी पर कोतवाली होने के बाद भी उसकी मदद करने के लिए पुलिस नहीं गई। मान्यवर, जब ग्रामीणों ने बहुजन समाज पार्टी के लोगों को वहां से दौड़ाने का काम किया तो जा करके उस व्यक्ति की जान बच सकी। मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूं लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहता हूं, मान्यवर, तमाम सरकारें रही हैं लेकिन इतना नहीं हुआ कि लोगों को वोट डालने नहीं दिया जायेगा, लोग चुनाव नहीं लड़ पायेंगे। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने का कष्ट करें, बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री अनूप कुमार गुप्ता-

अधिष्ठाता महोदय, मा0 उदय राज जी ने समस्त बातें बता दी है, इसमें मैं केवल दो बातें कहना चाहता हूं कि आज का केवल हिन्दुस्तान अखबार देख लिया जाए, उसके अन्दर पूरी स्थिति अपने आप स्पष्ट हो जायेगी कि किस प्रकार से आज लोकतंत्र के अन्दर किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है लेकिन आज लोगों को जाति प्रमाण-पत्र नहीं दिया जा रहा है कि तुम चुनाव नहीं लड़ सकते हो, ऐसी स्थिति में मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे पूर्व विधायक, आदरणीय गजाधर सिंह जी हैं, उनके ऊपर एक फर्जी मुकदमा लगा करके, उनके ऊपर दबिशें देने का कार्य चल रहा है। मा0 गजाधर सिंह पूर्व विधायक होने के साथ-साथ जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष भी रहे हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस समस्त कार्यवाही को रोक करके इस पर चर्चा कराई जाए और वहां पर निष्पक्ष चुनाव कराये जाने की आपकी पीठ से आदेश की भी आज्ञा चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी है ? श्री यादव जी नहीं हैं। मा0 पी0के0 राय जी आप बोलिये।

डा0 पी0के0 राय-

धन्यवाद, अधिष्ठाता जी, आपने मुझे अवसर दिया।

श्री लालजी वर्मा-

यह आपका विषय नहीं है।

डा0 पी0के0 राय-

आपने सही फरमाया, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी लेकिन जब इस क्षेत्र में हैं तो विषय तो शायद सभी हैं। मा0 अधिष्ठाता जी, यह विषय तो बहुत गम्भीर है, घटना चाहे रायबरेली की हो और चाहे किसी और जनपद की हो। विषय गम्भीर यह है कि लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल रहेगी या नहीं ? लोकतंत्र में लोक मर्यादा और लोक लज्जा का ख्याल रखा जायेगा या नहीं ? लोकतांत्रिक सरकारें जो चुनी जाती हैं, वह जनता की सरकार, जनता के लिए और जनता के द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है और सभी उसी अधिकार के तहत इस सदन के सदस्य भी बनते हैं, लोग और कई बार इस पर गम्भीर चर्चाएं भी होती हैं, लेकिन कुछ विडम्बना है कि चश्में बदले रहते हैं वह कहते हैं कि इधर का जो राम है, वह उधर के लिए रावण हैं और उधर का जो राम है, वह इधर के लिए रावण है। यह सोच जब तक नहीं बदली जायेगी, तब तक राजनीति में जो सुचिता और पारदर्शिता और राजनीति में एक अच्छी परम्परा की शुरुआत करने की मंशा जो हर व्यक्ति में है, जिसके बारे में यहां अक्सर चर्चा होती है, वह भले ही सहकारी बैंक का चुनाव हो या सहकारी समिति का चुनाव हो, लेकिन अगर बाहुबल के बल पर, धनबल पर, सत्ताबल पर अगर किसी को चुनाव लड़ने से रोका जाता है तो निश्चित तौर से उसका प्रतिकर किया जाना चाहिए और इस वजह से मैं नियम-56 के अन्तर्गत

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उठाये गये इस प्रश्न के ऊपर बल देते हुए मैं सभी नियमों को निलम्बित करते हुए, इस गम्भीर विषय पर इस सदन में चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे समय दिया। जैसा कि मुझसे पूर्व श्री उदयराज जी ने और श्री अनूप जी ने इसके ऊपर प्रकाश डाला, उसकी गम्भीरता को आपके सामने रखा। आज यह कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि हालांकि हम लोग आजाद हिन्दुस्तान में हैं, लोकतांत्रिक देश में हैं, लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी है कि अगर लोकतांत्रिक देश में है तो लोकतंत्र को बचायें। आज साफ नजर आ रहा है कि लोकतंत्र की जड़ें हिल रही हैं। यह सहकारिता के चुनाव अगर सच पूछा जाये तो इस पूरी प्रक्रिया को इन लोगों ने एक भद्दा मजाक बनाकर रख दिया है। लगता नहीं कि चुनाव हो रहा है। जिस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है वह अपने आप में शर्मनाक है। रायबरेली में डी0सी0बी0 के चुनाव में पूर्व विधायक गजाधर सिंह जी पर जिस तरह से अत्याचार किया गया, फर्जी मुकदमें में उनको फंसाया गया, सिर्फ इसलिए कि वह अपना नामांकन न करने पायें। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहती हूं कि रायबरेली की घटना कोई अकेली घटना नहीं है। तमाम जिला सहकारी बैंक के चुनाव हुए और उनमें यह धांधली हुयी, गोरखपुर में सहकारी समिति थी बड़हलगंज सहकारी समिति, वहां पर कोई बकाया नहीं था लेकिन वह समाजवादियों की समिति थी इस कारण उसके ऊपर जबरदस्ती बकाया डाल दिया गया ताकि वहां का डेलीगेट चुनाव में न आने पाये। तमाम लोगों के नामांकन पत्र को निरस्त कर दिया गया। लोगों को धमकाया गया कि वह वहां तक न जाने पायें। एक-दो नहीं मान्यवर, तमाम ऐसी मिसालें हैं, मेरठ में क्या हुआ, वहां पर शारदादेवी जी थी।

श्री अधिष्ठाता-

शादाब फातिमा जी, यह विषय रायबरेली से सम्बद्ध है, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपने को वहीं तक सीमित रखें।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मान्यवर, इसलिए कह रही हूं कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। यह सारी चीजें एक दूसरे से सम्बद्ध हैं। शारदा देवी जी को वोट करने के लिए कहा गया, जिसको वोटिंग राइट नहीं है। नामित सदस्य है। इस तरह से करके यह क्या संदेश देना चाहते हैं। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की भी अवहेलना होती है। मान्यवर, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि यह कार्यकाल 5 वर्षों का था, 2 वर्षों का नहीं था। यहां पर बैठकर 5 वर्ष के कार्यकाल को दो वर्ष का किया गया। मामला उच्च न्यायालय में लम्बित था। उस पर फैसला आने का इंतजार नहीं होता है। उसके बाद भी चुनाव की प्रक्रिया की गयी तो लोगों ने कहा कि चलो ठीक है तुम चुनाव करा लो। मगर वह चुनाव भी सही ढंग से नहीं कराया जा रहा है। इसलिए नहीं कराया जा रहा है ताकि तमाम जो संस्थाएं हैं उन पर गुण्डों का कब्जा हो, एक विशेष पार्टी के गुण्डों का कब्जा हो। इसलिए चुनाव नहीं कराया जा रहा है। वहीं पर नहीं मान्यवर, शीर्ष सहकारी संस्थाओं का भी बुरा हाल है।

श्री अधिष्ठाता-

अब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अब आप अपनी बात समाप्त करिये। यह नियम-56 है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान।)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्यों से आग्रह है कि कृपया आप चुप रहें।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

अब बात बुरी लग रही है। नहीं, बात सुन लीजिए।

श्री अधिष्ठाता-

मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपनी बात समाप्त करें। यह नियम-56 है और जिस विषय पर आपसे बात करने को कहा गया है आप उसी पर अपनी बातें रखेंगी।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मान्यवर, सहकारिता के चुनाव निष्पक्ष ढंग से हों इसको सुनिश्चित किया जाय। मान्यवर, कार्य-स्थगन के इस प्रस्ताव पर चर्चा करायी जाये, यह हमारी मांग है।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता-

बैठ जाइये, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी खड़े हैं।

*नेता विरोधी दल (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, रायबरेली में जिला सहकारी बैंक का चुनाव होने जा रहा है और इस चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधलियां हैं। रायबरेली में ही नहीं पूरे प्रदेश में धांधलियां की जा रही हैं और यहां तक कि जो बकायेदार सोसाइटियां हैं और कहीं बकायेदार नहीं हैं तो उनको बकायेदार बना दिया गया और कहीं बकायेदार हैं तो उनको जोड़ दिया गया और सबसे बड़ी बात यह है कि दो साल से निबन्धक, उ0 प्र0 सहकारी समितियां नहीं हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव को कराते हैं। दो साल से प्रमुख सचिव, सहकारिता को चार्ज दिया गया है। अभी रायबरेली की बात है जो अभी कहा कि पिछड़े वर्ग का क्षेत्र था कश्यप बिरादरी का, कहार बिरादरी का, उसके पास तहसील का पिछड़े वर्ग का प्रमाण-पत्र था और 1965 का भी जिला अधिकारी के हस्ताक्षर से उसमें बैक वर्ड का प्रमाण-पत्र था। प्रमाण-पत्र पिछड़े वर्ग का तो कभी बदला नहीं जायेगा कभी नहीं बदला जायेगा। पिछड़ा है तो पिछड़ा रहेगा ही, लेकिन उसके बावजूद भी वो नया देंगे नहीं। दबाव में मंत्री के दबाव में नया प्रमाण-पत्र कलेक्टर साहब नहीं बनायेंगे। अगर उप निबन्धक सहकारी समितियों से शिकायत करेंगे तो उसमें कोई निर्णय नहीं होगा। जिला इटावा सहकारी बैंक में भी कई मामले मैंने खुद लिखकर दिया है निबन्धक महोदय उस पर कुछ करायेंगे नहीं अगर कहीं पर भी चुनाव कराये जा रहे हैं, अगर शिकायत मिली है तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं होगी, तो इस तरह से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अगर प्रजातंत्र में और यह सहकारिता विभाग, यह तो दलगत से ऊपर उठकर के सब लोग मिलकर के काम करते हैं और यह सहकारिता विभाग छोटे-छोटे किसान छोटे-छोटे लोगों के लिए यहां तक कि ये किया गया है कि उस सहकारी समिति का जो सदस्य भी नहीं है और सदस्य अगर नहीं है तो चुनाव में भाग नहीं ले सकता। यहां तो अगर सीधा-सीधा सदस्य है अगर नहीं है तो जो सूची चली गयी, मंत्री जी ने जो सूची दे दी बस वही चुना जाना है और सदस्य है नहीं। जिलाधिकारी महोदय सुनेंगे नहीं, एस0डी0एम0 सुनेंगे नहीं और पुलिस जायेगी नहीं। ऐसा ही गजाधर सिंह पर हुआ, पूर्व विधायक भी हैं, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष भी रहे और यहां तक की ढाई साल हो चुके हैं, होने जा रहे हैं। प्रशासक का समय 6 महीना होता है। 6 महीने के बाद चुनाव अनिवार्य होता है। 6 महीना करके 6-6 महीना करके दो साल पूरा कर दिया। जब दो साल पूरे हो गये। 5 साल से 2 साल और जब 2 साल में चुनाव नहीं हुये तब भी ढाई साल बढ़ा लिया गया अब ढाई साल में नहीं हुआ तो फिर बढ़ जायेंगे और इसका समय दो साल और प्रशासक का समय अब ढाई साल हो गया। मान्यवर, कैसे चलेगा लोकतंत्र में। अगर लोकतंत्र का गला ही घोटना है, सहकारी समितियों पर कब्जा करना है तो फिर चुनाव कराने की जरूरत क्या है फिर तो मनोनीत यह भी कर लीजिए 5 साल कर लीजिए। समय दो साल, मनोनीत का समय ढाई साल तो यह हो रहा है और रजिस्ट्रार है नहीं उत्तर प्रदेश में इस समय कोई। दो साल, ढाई साल अब कोर्ट का आदेश का पालन नहीं होगा तो अगर ऐसी ही धांधलियां करते तो सीधा-सीधा लोकतंत्र का गला घोटने का जो काम किया जा रहा है तो इससे महत्वपूर्ण सवाल क्या हो सकता है। अधिष्ठाता महोदय, इसलिए इसे रोक कर के इस पर चर्चा करायी जाए और निष्पक्ष जांच करायी जाये।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, दुःख होना स्वाभाविक है। विगत वर्षों से जिस लाटीतंत्र का प्रयोग करके शासनतंत्र का प्रयोग करके जो कब्जा था, आज वो छूट रहा है तो पीड़ा होना स्वाभाविक है। मान्यवर, हमारी बहन ने भद्दा मजाक बताया, आज शुद्ध लोकतांत्रिक तरीके से और लोकतांत्रिक मर्यादाओं में निष्ठा रखने वाले सहकारिता आन्दोलन में निष्ठा रखने वाले लोग चुने जा रहे हैं। मान्यवर, हमारी बहन जी ने कहा कि भद्दा मजाक किया जा रहा है। इनको तब भद्दा मजाक नहीं लगा जब किसी दूसरे जिले के सदस्य दूसरे जिले में जाकर सदस्य बन गया, तब इनको भद्दा मजाक नहीं लगा था और उसके बल पर एक समिति को कब्जा किये हुए हैं तब इनको भद्दा मजाक नहीं लगा, आज उनको भद्दा मजाक लग रहा है।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

बाद में स्पष्टीकरण का समय दे दें, 2 मिनट का।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, शुद्ध रूप से लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो रहा है और इसका उदाहरण है कि जिस पूर्व विधायक जी का जिक्र किया, रायबरेली के प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन 4 फरवरी को और सभापति, उप सभापति का चुनाव 5 फरवरी को होना है। निर्धारित निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 25-01-2010 को नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है तथा दिनांक

28-1-2010 को चुनाव चिह्न भी आवंटित किये जा चुके हैं। श्री गजाधर सिंह पूर्व विधायक का नामांकन वैध पाया गया, उन्हें भी निर्वाचन चिन्ह आवंटित किया जा चुका है। मान्यवर, जब वैध पाया गया और उन्हें भी निर्वाचन चिन्ह आवंटित किया गया, अब चुनाव जीतें न जीतें यह तो अलग बात हुयी। लेकिन मान्यवर, जहां तक सर्टिफिकेट का सवाल है मान्यवर, किसी व्यक्ति का पहले उल्लेख नहीं किया था इसलिये हम उसकी जानकारी नहीं मंगा पाये हैं। नोटिस में नहीं था। वैसे यह तहसीलदार का काम है, तहसीलदार स्तर से जाति प्रमाण-पत्र मिलता है, उस पर कहीं से भी रोक लगाने का काम नहीं किया गया है। हां, आप लोगों को कष्ट इसलिये हो रहा है क्योंकि जिस तरह से लोकतंत्र का मजाक चाहे वह सहकारिता का चुनाव रहा हो, चाहे वह पंचायत का चुनाव रहा हो, जिला पंचायतों के तमाम चुनाव में कई जगह सदस्यों को उठा ले गये। बहुमत दूसरे का और उनको वोट नहीं डालने दिया। मान्यवर, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था वैसा अभूतपूर्व काम न तो कभी हुआ है और न होगा और हमारी सरकार में अभी माननीया फातिमा जी कह रही थीं गुण्डों के बारे में, गुण्डे तो आपके साथ रहे होंगे और आपने बैठाया होगा। आज समाज के सबसे कमजोर तबके लोग, समाज में राजनीति में शिष्टाचार और आचरण के लिये जिनके ऊपर कहीं उंगली नहीं उठी हुयी हैं वे लोग ही इस चुनाव में निष्पक्षता के कारण जीतकर आ रहे हैं और जितने जिला सहकारी बैंकों के चुनाव हुये हैं मान्यवर, अगर आप सूची मंगवा लें और आप इस बात को महसूस करेंगे कि जिन लोगों के खिलाफ कहीं जरा भी कोई उंगली नहीं उठा सकता है, ऐसे लोग निष्पक्षता के कारण जीतकर आये हैं। मान्यवर, किसी तरह से इस चुनाव में रायबरेली के चुनाव में न तो दबाव डाला जा रहा है और न ही ऐसी कोई बात है। इसलिये मैं चाहूंगा कि इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने श्री उदयराज यादव जी, श्री अनूप कुमार गुप्ता को, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, डा0 पी0के0 राय को, श्रीमती शादाब फातिमा को और माननीय नेता प्रतिपक्ष को सुना। सरकार ने अपना पक्ष रखा। यह नियम-56 में नहीं आता। मैं इसे अग्राह्य घोषित करता हूं।

श्रीमती कृष्णाराज-

माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये हम आपको धन्यवाद देते हैं, महोदय, बाढ़ जो हैं वह पूरे उत्तर प्रदेश को नहीं लेकिन आधा उत्तर प्रदेश को तो प्रभावित करती ही है। जिसमें जनपद लखीमपुर खीरी, जनपद-पीलीभीत ये दोनों जिले नेपाल बार्डर से लगे हुये हैं। यूं तो बहराइच और गोरखपुर भी आता है, गोण्डा भी आता है, सीतापुर भी है, शाहजहांपुर भी है। मैं इन दो जनपदों के बारे में बताना चाहूंगी कि नेपाल में जो पानी छोड़ा जाता है। शारदा नदी हमारे यहां जनपद लखीमपुर खीरी में हैं और इसका बांध समय रहते न बनने की वजह से जब पानी का प्रेशर पड़ता है तो सारा ही पानी बांध टूटने से फैल जाता है, जिस कारण से जनहानि, धनहानि जंगल के जीवजन्तु सभी प्रभावित होते हैं। साथ ही मुझे आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना है कि जो भी बंधा बनाने के लिये धनराशि दी जाती है उससे समय रहते रजबहों की सफाई होनी चाहिए। वह समय रहते न होकर के जब पूरा जनपद बाढ़ से ग्रसित होता है। पानी चारों तरफ से होता है, हाहाकार मची हुई होती है, तब जाकर के सारे इस शासन से भेजे गये अधिकारियों/कर्मचारियों के माध्यम से निर्माण कार्य प्रारम्भ

होता है। ऐसी स्थिति में मान्यवर, वहां पर पानी का इतना प्रेशर होता है कि किसी भी तरह से बंधा बनाना मुनासिब नहीं हो सकता है। ऐसे में धन का दुरुपयोग होता है विगत कई वर्षों से यह त्रासदी हमारा जनपद झेलता है, जनपद लखीमपुर-खीरी, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बहराइच, गोण्डा, गोरखपुर जितने भी नेपाल से लगे हुए हैं, लेकिन मैंने व्यक्तिगत तौर से दौरा करके देखा हुआ है, अपने जनपद लखीमपुर-खीरी में वहां पर मैंने देखा चारों तरफ पानी था, लेकिन पानी पीने के लिए लोग तरस रहे थे, लोग छतों पर बैठे हुए थे, जानवर और इन्सान बहते जा रहे थे, सैकड़ों गांव के गांव बहे जा रहे थे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करती हूं और यह चाहती हूं कि जो भी बन्धें का निर्माण कार्य हो, जो भी रजवाहों की सफाई करनी हो वह जून और जुलाई में न कर के अप्रैल और मई के बीच में ही यह कार्य पूर्ण होना चाहिए, जिससे शासन का जो भी दिया हुआ धन है उसका सदुपयोग हो सके और बाढ़ को नियंत्रित किया जा सके। दूसरी बात मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को बताना चाहूंगी कि शारदा नदी का जो हमारा डैम है इसका मुहाना जगह-जगह से बन्द है जिसकी वजह से जब भी पानी प्रेशर ओवर फ्लो होता है उसका नहरों में पानी न जाना भी हमारे लिये घातक होता है। जिसकी वजह से प्रतापी, बेहड़ और मड़वा तक का जो तटबन्ध है पानी के बहुत ही भारी दबाव के कारण बन्धा टूट जाता है प्रत्येक वर्ष बन्धा टूटता है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मैं इस सरकार से यह मांग करती हूं कि जो पिछले वर्षों में हमने त्रासदी झेली है, पुनरावृत्ति नहीं समय रहते कार्य का निर्माण प्रारम्भ हो जाना चाहिए जिससे यह जो करोड़ों-अरबों रुपये के धन का बन्दर बांट करते हैं इस पर नियंत्रण किया जा सके इस पर रोक लगाया जा सके और जो हमारे बन्धे में बीच-बीच में गैपिंग की जाती है यह भी हमारे इस बांध के लिए घातक है, हमारे जनपद के लिए घातक है, हमारे प्रदेश के लिए घातक है, क्योंकि उधर का पानी बहता हुआ बाराबंकी समेत कम से कम 33 जिलों को प्रभावित करता है और साथ में मैं आपको एक सुझाव देना चाहती हूं कि जो बन्धे बनते हैं उसमें जो पीले ईंटे लगाये जाते हैं, उनकी जगह पत्थरों का उपयोग होना चाहिए जिससे स्थायित्व आये, टिकाऊ रहे और पीली ईंटों की वजह पानी जैसे आता है, वह गल जाती है और मुझे तो ऐसा लगता है, पिछले दिनों से इतनी सब त्रासदी होती जा रही है और सरकार और शासन का ध्यान इस ओर नहीं गया। इतनी बड़ी घटना, हम चर्चा नहीं करते हैं मंहगाई की, हम चर्चा करते हैं तमाम भ्रष्टाचार की, हम तमाम अनियमितताओं की इस सदन में चर्चा करते हैं, लेकिन हम जब बाढ़ से प्रभावित होते हैं तो न मंहगाई नजर आती है, न कानून व्यवस्था नजर आती है, सिर्फ जान कैसे बच जाय, कैसे घर बच जाय और कैसे हमारे जानवर बच जाएं इसी की बस चिन्ता होती है। माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं मांग करती हूं इतने बड़े विषय पर, आज तो हमें बाढ़ दिख नहीं रही है, इसलिए सब बहुत हरा-भरा दिख रहा है, लेकिन यही मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर के महीने में जब देखेंगे तब लगेगा कि इससे ज्यादा खराब और कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मैं आपसे मांग करती हूं कि इस सदन की कार्यवाही रोककर के इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराई जाय।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आपके सुझाव अच्छे हैं।

श्री विशम्भर सिंह यादव-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने श्रीमती कृष्णाराज को सुना, यह विषय नियम-56 में नहीं आता, इसलिए मैं इसे अग्राह्य घोषित करता हूं।

बुन्देलखण्ड विकास निधि 2008-2009 के जिलांश एवं राज्यांश के बजट के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री विशम्भर सिंह यादव-

मान्यवर, हम बुन्देलखण्ड से चुनकर आते हैं, जनपद बांदा से। इतना पिछड़ा हुआ इलाका है, इतनी गरीबी है, इतनी बेबसी है, लाचारी है और हम बुन्देलखण्ड की तकलीफ पर कुछ सवाल रखना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, बुन्देलखण्ड विकास के लिए पास हुआ पैसा जो जिलांश और राज्यांश 2008-2009 का बुन्देलखण्ड विकास निधि का पैसा 2008-2009 का।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, इसमें व्यवस्था का प्रश्न कहां से बनता है ?

श्री अधिष्ठाता-

संसद की कार्यवाहियों के विधान सभा की कार्यवाहियों के विभिन्न नियमों में इसके लिए प्राविधान है, आप अपनी बातें उन नियमों के तहत सदन में लाइये। इसमें व्यवस्था का प्रश्न कहां से आ गया ?

श्री विशम्भर सिंह यादव-

मान्यवर, बुन्देलखण्ड के विकास के लिए विकास निधि में जो बजट का प्राविधान किया गया है वह पैसा कहां चला गया इस बारे में मैं जानकारी करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य प्रक्रिया नियमावली के नियमों में विस्तृत प्राविधान है आप उन नियमों में अपनी सूचना दें। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री विशम्भर सिंह यादव-

आप कल सुन लें, परसों सुन लें। हम लोगों ने अपने प्रस्ताव उसमें दिये थे। वह पैसा कहां चला गया। मान्यवर, यह सरकार बुन्देलखण्ड के विकास के लिये घड़ियाली आंसू बहाती हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

आपका व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता है।

नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

*श्री अमरमणि त्रिपाठी-

मान्यवर, एक अत्यन्त लोक महत्व के प्रश्न को लेकर मैं आपके समक्ष खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मेरा जनपद मेरा विधान सभा क्षेत्र लगभग सत्तर किलोमीटर भारत नेपाल की सीमा पर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बसा हुआ है। मान्यवर, तमाम असुविधाओं और तमाम पिछड़ेपन के बावजूद वहां के लोग गरीबी में अपना जीवन-यापन कर रहे हैं। मान्यवर, तमाम विकास की योजनायें महाराजगंज की सीमाओं तक नहीं पहुंच पाती हैं। मान्यवर, अभी भारत सरकार ने एक योजना बनायी है एकीकृत चेक पोस्ट की उसके लिए वहां पर प्रशासक को 200 एकड़ जमीन चाहिये। जो जमीन 70 लाख 75 लाख प्रति एकड़ की है उसे प्रशासन 2 लाख रु0 प्रति एकड़ की दर पर लेना चाहता है, अधिग्रहीत करना चाहता है। उत्तर प्रदेश सरकार और जिलाधिकारी महाराजगंज जबरन उस जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। वहां के लोगों ने मान्यवर, आदरणीय ओझा जी के नेतृत्व में और अन्य माननीय सदस्यों के नेतृत्व में जनपद पर धरना दिया, तहसील मुख्यालय पर धरना दिया और प्रदर्शन किया। वहां के अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि हम लोग अन्याय नहीं होने देंगे। लेकिन जिलाधिकारी ने चार तारीख की तिथि तय कर दी है और कहा है कि जबरन पी0ए0सी0 लगाकर कब्जा ले लेंगे। यदि आप लोग मुआवजा नहीं भी लेंगे तो भी कब्जा ले लेंगे और एकीकृत चेकपोस्ट बनायेंगे। मान्यवर, बंगाल की स्थिति को आपने देखा कि नैनो कार प्रोजेक्ट वहां से हट गया। गाजियाबाद में देखा कि रिलायन्स ग्रुप विद्युत परियोजना को स्थापित करना चाहते थे लेकिन वहां के किसानों और मजदूरों ने एक होकर संघर्ष किया और अब वह जमीन पुनः किसानों को वापस की जा रही है। मान्यवर, इस स्थिति में महाराजगंज जो अत्यन्त पिछड़ा है वहां दो डिस्मिल, चार डिस्मिल और बीस डिस्मिल भूमि के काश्तकार हैं उनको अपनी भूमियों पर से जबरन हटाने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि उसी भूमि से लगे हुए बड़े-बड़े भू-स्वामियों की भूमि है, सीलिंग की भूमि है ग्राम समाज की भूमि है लेकिन जिलाधिकारी महोदय की हैसियत नहीं है कि उस तरफ वह देख लें क्योंकि उन लोगों को संरक्षण प्राप्त है। मान्यवर, आप हमारे गोरखपुर जनपद के रहने वाले हैं और वहां की एक-एक चीज से वाकिफ हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के इन गरीबों को उनकी भूमियों से उजाड़ा न जाये।

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि मेरे जनपद महाराजगंज विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मीपुर के अन्तर्गत तहसील नौतनवां के ग्राम सभा आराजी सरकार उर्फ केवटसिया ग्राम सभा सुकरौली ग्राम सभा जुगौली के किसानों की जमीन लिये जाने की बात है। मान्यवर, वहां सोनौली बाजार है उसके इर्द-गिर्द यह है। वह स्थान जुगौली नाम से है। सोनौली से दिल्ली तक बस जाती है वह भारत नेपाल सीमा पर एक मुख्य परागमन का केन्द्र है जहां पर आज भी लोग एक करोड़ बीस लाख रु0 में व्यवसायी वहां की जमीनों को ले रहे हैं और किसानों को 2 लाख रुपये एकड़ का मुआवजा देकर जबरन पी0ए0सी0 के बल पर कब्जा लिया जाय यह इस सरकार को शोभा नहीं देता। ऐसे लोगों का ले लिया जाय जिनके पास 2 डिसमिल, 4 डिसमिल, 10 डिसमिल, एक एकड़, दो एकड़, 5 एकड़ तक जमीने हैं जो गरीबी की सीमा रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हैं, ऐसे लोगों की जमीनें ले ली जायं इससे भुखमरी पैदा हो जायेगी। किसान आन्दोलित है। किसान जगह-जगह पर जहां जगह मिल रही है चाहे वह तहसील मुख्यालय पर धरना देना हो, जिला मुख्यालय पर धरना देना हो या मण्डल मुख्यालय पर धरना देना हो जब जनपद में मण्डलायुक्त महोदय तहसील दिवसों में जाते हैं या जिलाधिकारी महोदय जब तहसील दिवसों में जाते हैं तो इन चारों पांचों गांवों के लोग संगठित होकर ट्रैक्टरों पर लदकर आदरणीय ओझा जी भी गये थे इन्होंने भी अपनी बात को मजबूती से रखा था जिलाधिकारी के सामने कि मान्यवर, इस पूरे क्षेत्र में भुखमरी फैल जायेगी, बेरोजगारी फैल जायेगी, छोटी-छोटी गुमटी रखकर पान की दुकान रखकर,

पंचर बनाने की दुकान रखकर छोटे-छोटे लोग कारोबार कर रहे हैं 2 डिसमिल, 4 डिसमिल में अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं ऐसे लोगों को न उजाड़ा जाय। जिलाधिकारी महोदय ने आपसे ज्ञापन भी लिया और आपसे कहा भी कि आप निश्चिन्त रहें ऐसा नहीं होगा लेकिन पुनः नोटिस सर्व हो गयी और कल ही मान्यवर, वह पी0ए0सी0 के बल पर जबरन कब्जा चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय के संज्ञान में भी मैं विषय ले आया व्यक्तिगत रूप से जा करके, अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया उन्होंने जिलाधिकारी से भी कहा कि ऐसा अन्याय न करें। मैं चाहता हूं कि सरकार बैठी हुई हैं सामने सरकार आश्वस्त करे कि जो 2 डिसमिल, 4 डिसमिल, 10 डिसमिल के भू-स्वामी हैं जिनके पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है जिनके पास अपना जीविकोपार्जन करने के लिए और कुछ भी संसाधन नहीं हैं ऐसे लोगों को बेरोजगार न करें। ऐसी स्थिति न लायें कि वह भुखमरी से मर जाय। ऐसी स्थिति में अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सरकार से कहें कि कम से कम वहां इस समय अधिग्रहण रोक दिया जाय इस विषय पर चूंकि ओझा जी कई बार आये गये हैं, कई बार किसानों के साथ धरना-प्रदर्शन में शामिल हुए हैं मैं चाहूंगा एक मिनट आदरणीय ओझा जी को सुन लें वह 5 बार यहां रहे हैं।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

मान्यवर, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण विषय इसलिए भी है कि अन्तर्राष्ट्रीय मैटर होने जा रहा है। मान्यवर, समाचार-पत्रों में भी आपने पढ़ा होगा कि नेपाल से एक जत्था माओवादियों का महराजगंज में आया हुआ है। माओवाद जो क्रान्ति में विश्वास करते हैं और मेरी निजी जानकारी है कि 200 एकड़ के जो मालिक हैं किसान जो छोटे और गरीब किसान हैं उनको भी भ्रमित करने जा रहे हैं वह। नेपाल की स्थिति की जानकारी आपको है ही, प्रजातंत्र की हत्या हो रही है। प्रचण्ड जो पूर्व प्रधान मंत्री थे उन्होंने कह ही दिया कि हिन्दुस्तान का एक बड़ा भू-भाग नेपाल का अंग रहा है वह नेपाल का होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में इनको भड़काना छोटे-मोटे किसानों के साथ यह व्यवहार जो प्रशासन का है वह उचित नहीं कहा जायेगा। मान्यवर, वहां जमीन की कीमत एक करोड़ रुपये तक है। सोनौली में जमीन खरीदने जाइये तो एक करोड़ से नीचे पर जमीन उपलब्ध नहीं है। 70-80 लाख में भी यह जमीन बिकने को तैयार हैं और कलेक्टर साहब 2 लाख रुपये इसके दे रहे हैं। हमारे सामने उन्होंने वायदा किया था जब सैकड़ों किसान वहां पर उनको घेरे हुए थे तो उन्होंने वायदा किया था कि किसानों के प्रति अन्याय नहीं होगा। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं विनम्रतापूर्वक उनसे आग्रह करूंगा कि किसानों के हितैषी होने का ढोंग रचने वाली यह सरकार इस समय कहां हैं। मान्यवर, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इसमें मेरा कोई योगदान नहीं होगा लेकिन वहां क्रान्ति होगी। समय है मान्यवर, देखने की बात है, तर्क क्या कहता है, आप अपनी एक कमेटी भिजवा दीजिये। आस-पास भी वहां जमीनें बिकी हैं, उन जमीनों को दिखवा लीजिये। उनकी कीमत देख लीजिये। अगर सोनौली शहर में एक करोड़ रुपये के हिसाब से जमीन बिक रही है तो बगल की जमीन की कीमत 2 लाख रुपये कैसे हो सकती है। इसलिये मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप संसदीय कार्य मंत्री जी को निर्देश दें कि वह इस मामले पर चर्चा करावें। जो कल वहां कार्यवाही होने वाली है,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बड़ा भयानक इसका परिणाम होगा। मैं चेतावनी तो नहीं देना चाहता लेकिन सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि बहुत भयंकर वह इलाका जल रहा है। माओवादियों के खौफ से लोग अपने घरों में रात को सोते नहीं हैं। इसलिये हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि इस पर चर्चा कराकर के उचित कार्यवाही का निर्देश देने की कृपा करें।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, अभी बार-बार आपके माध्यम से भी जब आप यहां बैठे थे और तमाम माननीय सदस्यों ने इस बात का जिक्र किया कि भारत नेपाल सीमा पर कई कठिनाइयां हैं। इधर से इधर लोग कुछ ले जाने, ले आने का काम करते हैं। इसी दृष्टि से एस0एस0बी0 वहां लगाई गयी है और अब अगर फोर्स है तो उसका कैप भी होगा और अगर आवश्यकता महसूस हुयी कि उसके लिये जमीन चाहिये तो निश्चित रूप से जमीन के अधिग्रहण की एक प्रक्रिया है ताकि उसके अनुसार अधिग्रहण करके, सीमा सुरक्षा बल जो लगी हुयी है उसको अपने कार्य एवं दायित्व का निर्वहन करने का अवसर मिल सके।

श्री अमरमणि त्रिपाठी-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी विषय को समझ नहीं रहे हैं। वहां एस0एस0बी0 ने जहां-जहां लिया वहां कोई विवाद नहीं है। एस0एस0बी0 ने ले लिया और मूल्य भी जनता को दे दिया और उससे कोई असुविधा भी नहीं है परन्तु यह सोनौली बाजार की जमीन कस्टम विभाग ले रहा है और कस्टम विभाग उस जमीन को मिट्टी के मोल ले रहा है। हमारा यह कहना है कि एस0एस0बी0 ने लिया, बना रहे हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही सोनौली कस्बे में जिनके पास 100 एकड़ है 150 एकड़ है, वह भी गरीबी सीमा के नीचे वाले नहीं, बल्कि वह बड़े-बड़े धन्नाशाह हैं तो उनका नहीं लिया जा रहा है, उनको संरक्षित किया जा रहा है बल्कि 2 डिसमिल और 4 डिसमिल वालों को लिया जा रहा है यही मेरा आपसे कहना है। वहां एकीकृत चेक पोस्ट की स्थापना की जा रही है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, राज्य सरकार ने अधिग्रहण नियमावली प्रख्यापित की है जो भी जमीन जनहित में आवश्यक है, उसको अधिग्रहण की नियमावली के तहत जिससे जो किसान हैं या जिनको वहां से हटाने का काम किया जाता है, ऐसे व्यक्तियों को उसका उचित लाभ मिल सके, उनका मुआवजा मिल सके उसको दृष्टिगत रखते हुए कार्यवाही की जाती है। अगर कहीं पर नियमावली के विपरीत अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है ऐसी सूचना माननीय सदस्य देंगे तो निश्चित रूप से उसके हिसाब से कार्यवाही की जायेगी।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने माननीय अमरमणि त्रिपाठी जी को सुना, माननीय जनार्दन प्रसाद ओझा जी ने अपना नाम नहीं दिया था फिर भी उन्होंने अपनी बातें रखीं। सरकार की ओर से पक्ष आ चुका है, यह सूचना नियम-56 में नहीं आती, मैं इसे अग्राह्य घोषित करता हूं।

*श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

मान्यवर, आपने नियम-56 में माननीय सदस्यों को सुना। उन्होंने लखीमपुर, पीलीभीत, सीतापुर की बाढ़ के विषय की ग्राह्यता पर बोलते हुये अपनी पूरी बात रखी। सरकार की तरफ से जवाब आया कि अच्छा सुझाव है और मान्यवर, आपने अपना निर्णय दे दिया कि यह नियम-56 में नहीं आता इसलिये ग्राह्य नहीं है। मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि जब सरकार ने माना कि अच्छा सुझाव है इसका मतलब कि सरकार बाढ़ के विषय पर चर्चा कराना चाहती है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जब आपने निर्णय दे दिया, अब आपके निर्णय पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया जा सकता।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही जी, आपका विषय विशेष उल्लेख में है। इसलिये दो मिनट के अंदर अपनी बात कहेंगे।

(श्री नरेन्द्र सिंह के पुनः खड़े होने पर)

आप इसे किसी नोटिस में दे दें, हम लोग इस पर पुनः बात कर लेंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

मान्यवर, आप भी जानते हैं कि लखीमपुर, बाराबंकी, फैजाबाद आदि जनपद बाढ़ग्रस्त हैं। सरकार की ओर से कहा गया कि अच्छा सुझाव है, इसका मतलब कि सरकार बाढ़ के विषय पर चर्चा कराना चाहती है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आपके निर्णय पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया जा सकता है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, आप इसे किसी नोटिस में दे दें, हम लोग पुनः इस पर बात कर लेंगे। सरकार ने कहा कि अच्छा सुझाव है, यह चर्चा का विषय नहीं है, इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही जी आपका विषय विशेष उल्लेख में है इसलिए दो मिनट के अन्दर अपनी बात आप कहेंगे।

*श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की यह घटना है 01 फरवरी की। बीबीनगर में एक स्कूल है आर्य पब्लिक स्कूल, उसमें पढ़ने के लिए बांहपुर, बेनीपुर, हिंगवाड़ा आदि गांव के बच्चे एक जुगाड़ में पढ़ने आ रहे थे। करीब 40-50 बच्चे इस जुगाड़ में थे तभी हिंगवाड़े के पास एक टाटा-407 ने उसमें टक्कर मार दी और जुगाड़ नीचे खाई में जा गिरी। इस घटना में सभी बच्चों को चोट लगी, एक लड़का गोलू पुत्र अरविन्द निवासी बांहपुर की मौत हो जाती है। यह सभी घायल बच्चे जब बीबीनगर सरकारी अस्पताल में जाते हैं वहां पर कोई डाक्टर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मौजूद नहीं है, पुलिस पहुंचती है तब वहां एक डाक्टर आता है बाकी स्टाफ का पता नहीं है। काफी शोर-शराबा होता है और उसके बाद परिवार वाले लोग अपने-अपने बच्चों को लेकर प्राइवेट अस्पतालों में चले जाते हैं और इलाज कराते हैं। मान्यवर, सरकारी अस्पताल में डाक्टर का न होना और वहां पर किसी स्टाफ का न होना काफी गम्भीर विषय है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं मृतक गोलू पुत्र अरविन्द निवासी बांहपुर, यह बहुत ही गरीब परिवार के किसान का बेटा है। मैंने अनुरोध किया है कि पांच लाख रुपये आर्थिक मदद के रूप में उस परिवार को दिया जाय और जो घायल बच्चे हुए हैं उनके परिवार को आर्थिक मदद के रूप में 25-25 हजार रुपये दिये जायें। मान्यवर, यह गम्भीर विषय है, इस प्रकरण में नियमों को शिथिल कर दें, मैं इसमें चर्चा की मांग करता हूं। मा0 संसदीय कार्य मंत्री के स्थान पर इस समय मा0 गन्ना मंत्री जी बैठे हुए हैं, वह बातों को छोड़कर इधर गौर कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि इस गरीब परिवार के लिए जो पांच लाख रुपये की आर्थिक मदद की बात मैंने कही है, इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उस परिवार की मदद की जाये और जिनके बच्चे जख्मी हुए हैं उन परिवारों को 25-25 हजार रुपये दिये जायें और आवश्यक कार्यवाही की जाये।

श्री अधिष्ठाता-

यह विशेष उल्लेख का विषय है सरकार इस पर जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। आपकी बातें उन्होंने सुनी हैं जो उचित कार्यवाही होगी वह स्वयं करेंगे।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, प्रदेश के किसानों को खाद, बीज पूरी मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। जैसा कि गेहूं की बुवाई के समय भी सरकार का आश्वासन था कि किसानों को डी0ए0पी0 उपलब्ध करायी जा रही है लेकिन मान्यवर, आपने देखा कि किस कदर खाद को बड़े पैमाने पर ब्लैक किया गया। किसानों को लाठी-डंडे मारे गये और सरकार अपनी पीठ थपथपाती रही कि किसानों को खाद दी जा रही है। मान्यवर, अब गन्ने की बुवाई चल रही है और दूसरी अन्य फसलें भी बोई जा रही हैं और गेहूं में यूरिया की बहुत जरूरत है। पूरे सूबे से डी0ए0पी0 और यूरिया गायब है। यहां तक कि जब खाद नहीं पड़ेगा तो किसानों का उत्पादन घट जायेगा और यदि उत्पादन घट जायेगा तो किस तरह से किसान जियेंगे और किस तरह से आवाम जियेगी। मा0 लोक निर्माण मंत्री जी शेर सुनाते हैं डा0 इकबाल का एक शेर मुझे भी याद आ गया।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं पढ़ रहा हूं :-

जिस खेत से दहका पेट को मयस्सर न हो रोजी
उस खेत की हर खुसए गन्दूम फू से गन्नुम को जला दो।

आज जब खाद नहीं पड़ रही है तो वह किसान जिसको खाद न होने की वजह से उसकी गेहूं की फसल नहीं उठेगी वह उसको जलाने पर मजबूर हो जायेगा। सरकार का यह दावा कि हम खाद दे रहे हैं। मान्यवर, इस कदर तबाही है, इस कदर बर्बादी है कि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। नेपाल तक खाद बेची जा रही है और सरकार उस पर ध्यान नहीं दे

रही है, जगह-जगह कालाबाजारियों और जमाखोरों की मौज है। भारी पैमाने पर दाम ले करके किसानों को, खाद बेची जा रही है, किसानों की हालत जर्जर हो रही है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य आपकी सूचना विशेष उल्लेख के तहत है।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

इसलिए किसानों की दशा वही हो रही है। डा0 इकबाल का दूसरा शेर पढ़ रहा हूं :-

अकबाल कोई मोहरिम अपना नहीं जहां में,
मालूम क्या किसी को दर्दे निहां हमारा।।

किसानों का दर्द जानने के लिए सरकार के पास समय नहीं है, इसलिए मैं इस नियम-56 की नोटिस की ग्राह्यता पर बल देते हुए सदन की समस्त कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

माननीय अधिष्ठाता जी, पूरे प्रदेश में इस समय गन्ना और पिपरमेंट की बुवाई हो रही है। अभी गेहूं की बुवाई के समय पूरे प्रदेश ने देखा कि प्रदेश के किसानों के ऊपर खाद लेने के चक्कर में जुल्म और ज्यादती हुई, पूरे प्रदेश में कई जगह लाठीचार्ज किया गया और किसानों पर बर्बर लाठीचार्ज किया गया, कई जगह उनकी मोटरसाइकिल और साइकिल टूट गयी और कई जगह उनकी साइकिल चोरी भी चली गयी, एक बोरी डी0ए0पी0 के चक्कर में। मान्यवर, आज भी गन्ने की बुवाई हो रही है और मेंथा पूरे प्रदेश में लगायी जा रही है। डी0ए0पी0 बाजार में निर्धारित मूल्य से गायब है, यूरिया भी निर्धारित मूल्य पर किसानों को नहीं मिल पा रही है। मान्यवर, सीतापुर में जो डी0ए0पी0 का रेट 473 रु0 सरकार का है। आज 540 से लेकर 560 रु0 में डी0ए0पी0 आम बाजार में किसानों को ब्लैक में बेची जा रही है। इसी तरह से जो यूरिया 251 से 250 रु0 में बिकनी चाहिए, वह 285 से लेकर 300 रु0 प्रति बोरी किसानों को प्राप्त हो रही है। मान्यवर, अगर किसानों को सही समय पर खाद, बीज न मिला तो निश्चित रूप से प्रदेश और देश के उत्पादन में गिरावट आयेगी। जिस किसान को अपना समय अपने खेत की फसल को उत्पादित करने में लगानी चाहिए वह किसान साधन सहकारी समितियों और एग्रो के डिपो पर और प्राइवेट दुकानदारों के यहां लाइन लगाकर खाद की समस्या से जूझ रहा है। मान्यवर, यही नहीं, कहीं-कहीं थानों में खाद की पर्चियां बांटी जा रही हैं और कहीं-कहीं हमारे सिपाही व दरोगा जो खाद के स्टोर पर सुरक्षा के नाम पर वितरण कराने जाते हैं। वह खुद खाद को ब्लैक कराने में एक मोहरे साबित हो गये, वह खुद खाद की ब्लैक के लिए किसानों से पैसा लेकर खाद दे रहे हैं। मान्यवर, किसान वैसे ही पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं बाढ़ से आगजनी से और ऐसे में अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे चाहता हूं कि समस्त नियमों को निलम्बित करते हुए इस पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल जी है। अग्रवाल जी आपकी सूचना अस्वीकृत सूचना में है लेकिन चूंकि मा0 विधान सभा अध्यक्ष जी ने टिक किया है, इसलिए इसको लिया जा रहा है।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले) -

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आतंकवाद की दृष्टि से आतंकवादियों का एक बड़ा केन्द्र बनता जा रहा है। जिसके कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनेक प्रकार की अवांछित एवं गैर कानूनी गतिविधियां बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में अभी कुछ दिन पूर्व छावनी क्षेत्र से आई0एस0आई0 के एजेण्ट जासूसी करते पकड़े गये हैं। इनके पास से मेरठ छावनी के महत्वपूर्ण नक्शे बरामद हुए हैं। मेरठ छावनी देश की महत्वपूर्ण छावनी है। जिसके ऊपर देश की सीमाओं की सुरक्षा का बहुत बड़ा भार है। पूर्व में भी लगभग 6 माह पूर्व आई0एस0आई0 एजेण्ट सहारनपुर जनपद में गिरफ्तार हुआ था जिसके पास से मेरठ का राशन कार्ड, मेरठ की मतदाता सूची में नाम तथा मेरठ में बना पासपोर्ट भी प्राप्त हुआ था। मेरठ में इन्हीं लोगों द्वारा जाली नोटों का धंधा भी बड़ी मात्रा में चलाया जा रहा है, जिसके कारण देश व प्रदेश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो रही है। जाली नोटों की कई खेप लाखों की मात्रा में नोट बरामद किये जा चुके हैं। अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवादी हेडली का दाहिना हाथ भी मेरठ आकर अपने रिश्तेदारों के यहां दो दिन रहा लेकिन खुफिया तंत्र भी इस सूचना को पाने में नाकाम रहा। आतंकवादियों का पासपोर्ट बन जाना भी चिन्ता का विषय है। पासपोर्ट पर रिपोर्ट लगाने वाला खुफिया विभाग के विरुद्ध भी आज तक कोई कार्यवाही/जांच का कोई विषय संज्ञान में नहीं है। इसी तरह लगभग दो माह पूर्व मेरठ गंगनहर से सरधना तहसील के पास लगभग 150 कारतूस ए0के0 47 राइफल के बरामद हुए। इतनी संख्या में प्रतिबन्धित बोर के कारतूस कहां से आये ? क्या मेरठ में कोई आतंकवादी संगठन सक्रिय है जिसके हथियारों का आवागमन मेरठ को केन्द्र बनाकर किया जा रहा है। इसी प्रकार से दो दिन पूर्व मेरठ व बरेली में प्रतिबन्धित 9 एम0एम0 बोर की लगभग 100 पिस्टलें व कारतूस बरामद हुए।

इन सब विषय को देखते हुए ऐसा लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, आई0एस0आई0 एजेन्टों एवं आतंकवादियों का सुरक्षित पनाहगाह बन गई है। कल दिनांक 2-2-10 की मेरठ के थाना परतापुर के अन्तर्गत भारतीय जनता पार्टी के मण्डलीय अध्यक्ष श्री अशोक गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई जबकि इन्होंने तीन माह से पुलिस को सूचित कर रखा था कि मेरी जान को खतरा है तथा थाना ट्रांसपोर्ट नगर मेरठ के अन्तर्गत विनायक ट्रांसपोर्ट के मालिक पर कुछ कुख्यात बदमाशों ने चौथ वसूली के नाम पर धमकाते हुए कई गोलियां चलाई जो सौभाग्यवश उन्हें नहीं लगी। आज दिनांक 3-2-10 दिन निकलते ही थाना सदर बाजार अन्तर्गत आबू लेन पर व्यापारी की हत्या करा दी गई जिसके विरोध में आबूलेन व उसके आस-पास के बाजार बंद हैं। मेरठ जनपद में अपराध अत्याधिक बढ़ रहे हैं। अतः इस लोकमहत्व के विषय पर सरकार से सदन की कार्यवाही स्थगित करते हुए चर्चा कराने की मांग करता हूं।

श्री अशोक कंसल-

मान्यवर, जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश राजस्व की दृष्टि से अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, वहीं मुजफ्फरनगर में विशेष रूप से आतंकवादी गतिविधियां समय-समय पर देखने को मिलती हैं। जैसा कि अभी 8-10 दिन पहले ही हमारे विधान सभा क्षेत्र में एक गांव कूकड़ा पड़ता है कूकड़ा

में आबिद नाम का एक आतंकवादी वहां से पकड़ा गया और उसके पहले वर्ष 1996 में भी जकारिया नाम के एक आतंकवादी को जिसके माध्यम से 10 लोग पाकिस्तान में आतंकवाद की जासूसी में शामिल होने के लिए ट्रेनिंग लेने के लिए भेजे गये जिनमें 10-12 आदमी नामजद हुए थे। इसी प्रकार से कांधला व जौला में भी 2001 में मो0 वारिस नाम का आतंकवादी पकड़ा गया।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री अशोक कंसल-

मान्यवर, यह इतना महत्वपूर्ण विषय है। कैराना में भी दिलशाद मिर्जा, अफजल काला नाम का आतंकवादी पकड़ा जाता है जो तीन दर्जन से अधिक गतिविधियों में शामिल था जाली नोटों के सम्बन्ध में कैराना जनपद का एक अड्डा बन गया है। यह महत्वपूर्ण विषय है मैं चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाय।

*श्री सुनील शर्मा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया। महोदय पश्चिमी उत्तर प्रदेश आतंकवाद का केन्द्र बनता जा रहा है। जिसका केन्द्र बिन्दु गाजियाबाद शहर है। गाजियाबाद शहर में हजारों ही नहीं लाखों की संख्या में बंगलादेशी घुसपैठिये घुस आये हैं जो शहर के चारों तरफ सीमाओं पर पहुंच गये हैं। बंगलादेश के इन सभी नागरिकों का काम ही अपराध करना, हत्याएं करना लूट करना है। सरकार का इस तरफ ध्यान नहीं है। कल ही की घटना है। गाजियाबाद शहर में एक सिकन्दरपुर पमोडा गांव के बीच सरे आम चार गायें काटी गईं थीं लेकिन अभी तक अपराधियों को पकड़ा नहीं गया है। जहां यह गायें काटी गईं वहां बड़ी संख्या में हिन्दू और दूसरे वर्ग के लोग रहते हैं। यह तो वहां के नागरिकों ने सूझबूझ का परिचय दिया अन्यथा कोई भी दंगा हो सकता था। जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से किसी व्यक्ति द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि गाजियाबाद में जो गोकशी की घटनाएं हो रही हैं उसकी जांच कराई जाय और सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाय।

श्री अधिष्ठाता-

जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत की गईं उनके नाम हैं :-श्री इमरान मसूद, डा0 आर0 ए0 उस्मानी, डा0 कौशल किशोर, श्री कृष्ण गोपाल पटेल, श्री दीप नारायण सिंह दीपू यादव, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, श्री जसवन्त सिंह, श्री राजाराम त्यागी, डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्री अनूप सण्डा, श्री इमरान मसूद, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री अशोक कंसल, श्री सुनील शर्मा, चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी, श्री राधेश्याम जायसवाल, श्रीमती मिथिलेश पाल, श्री कुबेर सिंह, श्री सर्वेश कुमार सिंह, श्री विशम्भर सिंह यादव, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री जोखू लाल यादव, श्री महबूब अली, श्री अब्दुल वारिस खां, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री विद्या सागर गुप्ता, डा0 आर0ए0 उस्मानी, श्री पूरन प्रकाश, श्री श्यामदेव राय चौधरी, श्रीमती सीमा द्विवेदी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि ...

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, पहले मैं अपने विचार तो रख लूं।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है।

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, संशोधन जो यह लाया गया है, मैं शुरुआत करता हूं जो उद्देश्य और कारण दिये गये हैं इसको लाने के। पहली पंक्ति देखें मान्यवर, उत्तर प्रदेश में समाज के एक वर्ग द्वारा मातृभाषा के रूप में बोली जाती है उर्दू। क्या कोई भाषा भी किसी वर्ग तक सीमित रहेगी। मान्यवर, यह क्या संदेश देना चाहते हैं ? भाषा क्षेत्र में तो हो सकती है। लेकिन उर्दू भाषा का जन्म भारत वर्ष में हुआ कहीं बाहर नहीं हुआ मान्यवर। इसको भी किसी वर्ग तक सीमित रखना चाहते हैं। मान्यवर, यह दल विशेष की मानसिकता का द्योतक है। कौन सा वर्ग है, जिसकी भाषा है यह ? यह सबकी भाषा नहीं है क्या ? वह वर्ग हिन्दी भी बोलता है, हम उर्दू बोलते हैं। मान्यवर, यह भाषा किसी एक वर्ग की नहीं हो सकती है। इसलिये इस सोच को आप दुरुस्त कर लें। भाषा के आधार पर वर्गों में विभाजित करने का प्रयास न करें और मान्यवर, मैं चाहूंगा कि आप इसको संशोधित करेंगे। आप कह सकते थे कि हम उर्दू का प्रचार करना चाहते हैं, हम उर्दू को बढ़ावा देना चाहते हैं, फरसी को हम बढ़ावा देना चाहते हैं, अरबी को बढ़ावा देना चाहते हैं। लेकिन इसलिये बढ़ाना चाहते हैं कि एक वर्ग विशेष की मातृभाषा है। दूसरी बात मान्यवर, मैंने क्यों यह प्रस्ताव रखा ? मैंने प्रस्ताव इसलिये रखा कि पूर्ववर्ती सरकार जब विधेयक लाई थी तो इस विधेयक के निरसन के लिये यह विधेयक लाया गया है मान्यवर। हमने तब भी समझाने की कोशिश की थी, तब भी इसका विरोध किया था कि विधेयक की आवश्यकता नहीं है लेकिन वह तो एक राजनैतिक संदेश देने का प्रयास तब था और इस राजनैतिक संदेश को वापस लेने का प्रयास अब है। उन्होंने कहा कि हम अरबी-फारसी को बढ़ाने के लिये विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमने सवाल किया था कि जो विश्वविद्यालय अभी तक हैं और जहां पर अरबी-फारसी का पाठ्यक्रम है वहां पर आपने देखा कि मात्र कितने छात्र वहां पर पढ़ रहे हैं। आपने कभी देखा उन विश्वविद्यालयों के माध्यम से कि जहां पर यह विभाग खुले हुए हैं उन विभागों के माध्यम से अरबी-फारसी का कितना प्रचार हो सका ? कोई नहीं। खाली उनमें विभाग खोल दिये गये। हेड आफ डिपार्टमेन्ट हैं, शिक्षक हैं, छात्र शून्य हैं। छात्र शून्य क्यों हैं मान्यवर, समझना चाहिए इस बात को। केवल आप संस्थाओं को स्थापित करके किसी शिक्षा का प्रचार नहीं कर पायेंगे। आज वर्तमान युग में मान्यवर, किसी भी महाविद्यालय का विश्वविद्यालय का निरीक्षण कर लें जाकर। आज जो ब्रिलिएन्ट स्टूडेंट हैं, अच्छी श्रेणी का छात्र है वह आटर्स क्यों नहीं ले रहा ? वह क्यों नहीं हिन्दी और अंग्रेजी का लिटरेचर ले रहा। वह क्यों साइंस लेना चाह रहा है ? क्यों वह कामर्स लेना चाह रहा है ? इसलिये कि वह अपना आगे का कैरियर बनाना चाहता है। उसे पता है कि इसके पढ़ने के बाद से कहीं मास्टर डिग्री तो मिल गई इसके अलावा तो कुछ है नहीं। आप जिस वर्ग को संदेश देना चाहते हैं उस वर्ग का वास्तव में भला करना चाहते हैं तो उनको आकर्षित कीजिए आधुनिक विषय में पढ़ने के लिये। उनको मौका दीजिये इंजीनियर बनने का, उनको मौका दीजिये डाक्टर बनने का, टेक्नीकल विषय में जाने का, मौका दीजिये आगे बढ़ने का। आप खामख्वाह में क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार ने एक विश्वविद्यालय बना दिया था।

हम लोग पीछे रह जाएंगे उन्होंने बनाया था, एक्ट लाकर के हम उसको खत्म करें। बन गया था, तो बन गया था, अब उसमें एक्ट को लाकर के यूनीवर्सिटी एक्ट है 1973 वाला उसके अन्तर्गत लाने का आप काम कर रहे हैं। क्या फर्क पड़ जाएगा एक अधिनियम अगर विधान मण्डल ने पास कर दिया, वह बन भी गया, लागू हो गया, एक विश्वविद्यालय बन भी गया तो क्या जरूरत पड़ गई उसको समाप्त करने की। फिर दूसरा आप देखें मान्यवर, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के कतिपय उपबंधों, उपबंध उसमें विद्यमान नहीं हैं। आज उच्च शिक्षा मंत्री जी भी बैठे हैं यह विद्यमान हैं लोक निर्माण मंत्री जी भी बैठे हुए हैं। कौन से उपबंध उसमें विद्यमान नहीं हैं बताइए मुझे। मेरे पास 1973 का उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय एक्ट है मैंने वह भी पढ़ दिया, जो आप लाए हैं वह भी पढ़ लिया, जो पहले पास हुआ वह भी पढ़ दिया, आप कहते हैं कि उपबन्ध विद्यमान नहीं हैं कौन से उपबन्ध विद्यमान नहीं है जो आप बढ़ाना चाह रहे हैं इसमें। तब भी अच्छा रहा होता कि बिल लाने की आवश्यकता नहीं थी।

मान्यवर, एक कहावत है पता नहीं संसदीय है या नहीं मैं बाद में बता दूंगा, मैं कहता नहीं, लेकिन करके छोड़ने वाली बात है यह, पहला वाला वाक्य नहीं कहता मैं, जो बन गया वह बन गया खाली आप कहेंगे कि जो उन्होंने बनाया उसको हम खत्म करेंगे। असली हमदर्द हम हैं इससे हमदर्दी नहीं ले पाओंगे। कोई विशेष कार्यक्रम लाओगे, विशेष योजना लाओगे तो आपकी हमदर्दी छलकेगी। एक मेरा जो प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव है उसके पीछे आशय क्या है ? आशय यह है कि अगर आप कोई संशोधन ला ही रहे हो, विश्वविद्यालय में संशोधन का, तो फिर विस्तृत लाइए। और विस्तृत इस बात का लाइए कि आज आपकी उच्च शिक्षा की स्थिति क्या है, संयोग से जब यह बिल प्रस्तुत होने वाला था तो उच्च शिक्षा मंत्री जी भी दबाव में आ गए थे, प्रेशर में थे।

(इस समय 2 बजकर 17 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

बाहर चले गए थे, पता नहीं किसी व्यवहारिक दबाव में थे, या फिर मानसिक दबाव में थे यह नहीं पता। मान्यवर, उच्च शिक्षा की स्थिति आज यह है कि 2,361 महाविद्यालय हैं अगर मेरी संख्या ठीक हो, जो मैंने दी है तो, और उस 2,361 में से जो एन0ए0सी0 है "नेशनल एसेसमेंट एण्ड एक्रीडेशन काउंसिल," उसकी मान्यता केवल पांच प्रतिशत को मिल पाई है, 2,361 में ये केवल पांच प्रतिशत को मान्यता मिल पाई। जबकि सरकार ने निर्देश भी दिया था कि मान्यता प्राप्त की जाए लेकिन कोई कालेज मान्यता के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया। आपकी स्थिति यह है कि आपकी जो एक्रीडेशन कौंसिल है उसकी मान्यता के लायक भी आपकी संस्थायें नहीं है, या तो आप प्रयास करते उसका स्तर बढ़ाते, उसका स्तर बढ़ाने के लिए न तो आपको कोई सोच है, न चिन्तन है, न कोई साधन है, आप साधन भी कोई नहीं देना चाहते हैं, साधन तो कहीं और जा रहे हैं आपके केवल विश्वविद्यालयों में संशोधन करके, बार-बार विधान सभा में संशोधन प्रस्ताव लाकर के क्या हासिल करना चाहते है। मान्यवर, प्रदेश सरकार में इसके 125 हैं और गर्वमेंट के जो सहायता प्राप्त हैं वह 335 हैं स्ववित्त पोषित 1901 है लेकिन किसी ने भी एक्रीडेशन की मान्यता की बात नहीं की है। आज शिक्षा का स्तर राष्ट्रीय स्तर पर जो भी हो लेकिन प्रदेश स्तर पर तो प्रायः समाप्त है। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी विश्वविद्यालय के आप प्रोडेक्ट हैं आप जाकर देखें, अपनी संस्था में लाकर देख लीजिए। मेरठ में जा करके, आगरा के किसी कालेज में जा करके देख लीजिए, लखनऊ यूनीवर्सिटी में जाकर देख लीजिए। जब शिक्षा की क्लास होंगी, कितने छात्र वहां बैठे मिलेंगे। कितने अध्यापक वहां पढ़ाते हुए मिलेंगे ? मान्यवर, मेरी तो रूचि है, इस काम में, कभी-कभी मैं डिग्री कालेज में जाकर देख भी लेता हूं और मुझे देख करके बड़ा अफसोस होता है कि 10 अध्यापक कुर्सी डाले हुए धूप सेंक रहे हैं और आधे लोग उसमें मूंगफली का भोजन कर रहे हैं और उनसे पूछिए तो कहते हैं कि छात्र आते नहीं हैं तो पढ़ा कर करेंगे क्या और छात्रों से पूछो तो वह कहते हैं कि जब पढ़ाते नहीं तो हम आकर क्या करेंगे ? मान्यवर, स्थिति शिक्षण संस्थाओं की यह हो गयी है। विश्वविद्यालय को स्थापित करते जाओ, विश्वविद्यालयों को तोड़ते जाओ।

मान्यवर, आप जैसा व्यक्ति जो नया-नया विश्वविद्यालय से निकल करके आया है, आप में तो एक स्फूर्ति होनी चाहिए, इस बात की जिज्ञासा होनी चाहिए कि कैसे मैं उत्तर प्रदेश के शिक्षा के स्तर को बढ़ाऊं। हम कहां जा रहे हैं, हमारी शिक्षा व्यवस्था कहां जा रही है, बिल्कुल चरमरा करके रह गई है। मान्यवर, इसलिए मैं इसे प्रवर समिति में ले जाना चाह रहा हूं, सुझाव आने के बाद आप यहां एक विस्तृत योजना ले करके आयें कि हम उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यह करने वाले हैं। आज आपके विद्यालयों में छात्रों का कौन सा वर्ग जाता है ? वह वर्ग जाता है, जिसका प्रवेश कहीं हो नहीं पाता, वह पहले कोशिश करेगा, एमबीबीएस में जाने की, इंजीनियरिंग में जाने की, टेक्निकल संस्था में जाने की, कहीं और जाने की और केवल जिसे समय गुजारना है, 2 साल, 4 साल का, इस उम्मीद में माता-पिता भेज देंगे कि फीस कम है, 2-4 साल में इसकी शादी कोई कर देगा और 4 साल के अन्दर शादी होकर यहां पर आ जायेगा, इसके अलावा कोई आकर्षण इन संस्थाओं में नहीं रहा। पुस्तकालय हैं, उन पुस्तकालयों का कहीं कोई उपयोग हो रहा है ? आपने जाकर देखा है कि आपकी प्रयोगशालाओं की स्थिति क्या है ? कभी जाकर देखा नहीं, एक

बार मैंने आग्रह भी किया था, लेकिन आप जा नहीं पाए, नहीं तो मैं दिखाता। तो यह स्थिति है, आप किसी दिन लखनऊ के किसी विद्यालय, महाविद्यालय में जाकर देखिए। यह तो अच्छी बात है कि वाइस चांसलर अच्छे आए हैं, वह प्रयास कर रहे हैं, मुझे उसमें खुशी है लेकिन उसमें आपका क्या योगदान है, सरकार का क्या योगदान है ? मान्यवर, मैंने कुछ बातों की तरफ इशारा किया है और विशेष रूप से इस तरफ इशारा किया है कि जिस निर्लज्जता के साथ इस विधेयक को लाया गया, जो पुरानी सरकार ने 2009 में एक विधेयक को पारित कराकर अधिनियम बनाया और अधिनियम बना करके विश्वविद्यालय की स्थापना कराई, उस सरकार को, उस पार्टी को कोई श्रेय न जाए, एक वर्ग विशेष को आप खुश करना चाहते हैं, इसको समाप्त करके विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 जो है, उसके अन्तर्गत इसको संचालित किया जाए और इसका कोई तर्क आपके पास नहीं है, कोई कारण आपके पास नहीं है, खत्म करने का। यह आपका निष्फल प्रयास है, समय और शक्ति अगर लगानी है तो संस्थाओं के स्तर को बढ़ाने में, शिक्षा के स्तर को बढ़ाने में, जो शिक्षा के स्तर में कमी है, उसके सुधार करने में लगानी चाहिए, बेकार में इस तरह का विधेयक ला करके न अपना समय बर्बाद कीजिए और न हमारा समय बर्बाद कीजिए, मैं अपने संशोधन पर बल देता हूं।

*डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूं कि मा0 हुकुम सिंह जी द्वारा रखे गए प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैंने इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों को पढ़ा, उद्देश्य है, उत्तर प्रदेश में समाज के एक वर्ग द्वारा उर्दू मात्रभाषा के रूप में बोली जाती है, उर्दू भाषा को इस प्रकार विकसित करने की जरूरत है कि समाज का कोई भी व्यक्ति उर्दू साहित्य में जिसके साथ उर्दू और फारसी भाषाएं भी हैं, अपने अधीन कोई उच्चतर स्तर को जारी कर सकें और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो विधेयक लाया गया, उस विधेयक में धारा-2(ङ) के अनुसार विश्वविद्यालय, जिसे उत्तर प्रदेश अरबी, फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ कहा जायेगा। मा0 अध्यक्ष जी, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़े तो उद्देश्य उर्दू भाषा का विकास है, उर्दू साहित्य का विकास है और जो विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, यह बहुत बड़ी भूल होने जा रही है, मैं विश्वविद्यालय की व्यवस्था पर नहीं बोलने जा रहा हूं। मैं सिर्फ आपने जो बनाया है उसी पर बात करने जा रहा हूं। आपने यह विधेयक प्रस्तुत किया है, उर्दू भाषा के विकास के लिए उर्दू साहित्य के निर्माण के लिए। और जो विश्वविद्यालय बनाया है एक विश्वविद्यालय जिसे उत्तर प्रदेश अरबी, फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ कहा जाएगा। अर्थात उर्दू भाषा के विकास के लिए एक ऐसे विश्वविद्यालय की रचना की जा रही है जिसके नाम में उर्दू का नाम ही नहीं है जो अरबी, फारसी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। हम सब जानते है कि हमारी पहचान नाम से होती है। दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ कोई भी आदमी जब इस विश्वविद्यालय की गतिविधि के बारे में जानना चाहेगा तो पहले नाम देखेगा और नाम देखकर वह समझेगा कि यह विश्वविद्यालय अरबी और फारसी के विकास के लिए लाया जा रहा है उर्दू का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। जहां तक मैं समझ पाता हूं। सरकार का पक्ष संभवतः यह रहा होगा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि यह उर्दू, अरबी और फारसी का क्या सम्बन्ध है, सरकार इससे भिन्न ही नहीं रही होगी अन्यथा ऐसे हल्केपन के हिसाब से इस प्रकार से मौलिक गलती करते हुए इस विधेयक को लाने का काम न किया गया होता। एक-एक शब्द का महत्व होता है और विधिक क्षेत्र में तो सर्वाधिक होता है। हमारे यहां शास्त्रों में लिखा है एकः शब्दः सम्यक ज्ञातः समू प्रयुक्तः लोके स्वर्गे कमधुक भवति। हर शब्द में शक्ति होती है। आप उसे सही तरीके से जानें। सही स्थान पर सही तरीके से प्रयोग करें। आपको इसी लोक में स्वर्ग की कामनाओं की पूर्ति मिलती है। शब्द इतने महत्वपूर्ण होते हैं। उर्दू भाषा का अरबी और फारसी भाषा के साथ यह घालमेल किसी की भी समझ के परे हो सकता है। उर्दू एक भारत की भाषा है, भारतीय भाषा है। माननीय हुकुम सिंह जी ने कहा कि एक वर्ग के लोग इसे नहीं बोलते मैं उस बात को दोहराना नहीं चाह रहा हूं, अन्यथा में उस विषय पर आता। उर्दू भारत में पैदा हुयी एक भारत की भाषा है। अरबी और फारसी दो विदेशी भाषाएं हैं। जैसे हिन्दी भारतीय भाषा है, अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है। मैं एक-एक सदस्य से आग्रह करूंगा ध्यान दीजिएगा। आपने अरबी और फारसी को इतने इकट्ठा ले लिया, आपको लगा कि यह दोनों एक ही भाषायें हैं, सत्य तो यह है कि इन दोनों भाषाओं का भी आपस में कोई सम्बन्ध नहीं है। अरबी एक समेकित भाषा है, अरब प्रदेश में बोली जाती है। इस्लाम के उद्भव के पूर्व की भाषा है। कुरान भले उसमें लिखी गयी हो, यह परम् पवित्र कुरान के पहले की भाषा है। फारसी ईरान की भाषा है और भाषा शास्त्री इसे इण्डो आर्यन जो ग्रुप होता है उस भाषा समूह की भाषा मानते हैं। दोनों का आपस में कोई सम्बन्ध नहीं है। अरबी भाषा ने ईरान पर एक राजनैतिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व जमाया। फारसी भाषा पर कब्जा किया। अरबी भाषा में बहुत से शब्द फारसी भाषा में आये, फारसी भाषा का भारत से कोई सम्बन्ध नहीं है। उर्दू भाषा सारे लोग बोलते हैं और उर्दू भाषा बहुत बड़ी संख्या में स्वयं मुसलमान भी नहीं बोलते होंगे। वह भी एक अलग विषय है क्योंकि यहां बहस उर्दू पर नहीं हो रही है। उर्दू, फारसी और अरबी की तुलना में हो रही है इसलिए मैं वहीं बातें रख रहा हूं।

फारस की भाषा फारसी भाषा भारत में कभी बोली जाने वाली भाषा नहीं थी। 600 साल तक यह भारत की राजभाषा रही होगी लेकिन जब राजभाषा थी तब भी सामान्य नागरिक भले ही वह मुसलमान रहे हों, वे फारसी भाषा का प्रयोग नहीं करते थे। फारसी राजशाही की भाषा रही है जो लोग देश की कुर्सियों पर उस समय बैठते थे, अपने आप को समाज से अलग दिखाने के लिये, अपने संकुचित समाज के समूह को शेष समाज पर कब्जा बनाये रखने के लिये, जैसे आजकल कुछ लोग अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं, अपने आप को शेष समाज से अलग बताने के लिये, वैसे ही उस समय, वह नवाबशाही, वह सम्राटशाही, वह राजशाही जो देश पर बाहर से आकर कब्जा करके बैठ गयी थी, उन्होंने फारस की भाषा फारसी को अपनी भाषा बना लिया और जिन्होंने फारसी को भाषा बनाया, वे स्वयं भी फारसी नहीं बोलना जानते थे। अकबर अनपढ़ था इसलिए नहीं कि वह पढ़ा लिखा नहीं था, वह बहुत अच्छी हिन्दी जानता था, लालकलावंत ने उसे बहुत अच्छी हिन्दी सिखायी थी, जानते होंगे इस बात को। अगर वो नहीं जानता था तो फारसी नहीं जानता था और फारसी न जानने के नाते, चूंकि फारस की भाषा में राजशाही होती थी इसलिये उसे अनपढ़ कहा जाता था। मैं इसलिये कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, कि आपने बड़ा अजीब सा खेल खेला। उर्दू एक भारत की भाषा, भारतीय जीवन मूल्यों की भाषा, भारतीय सोच

की भाषा है। ढेर सारे हिन्दू साहित्यकार ऐसे मिलेंगे कि जिन्होंने उर्दू में बहुत सारी अजीब और अदुभुत रचनायें लिखी हैं। प्रेमचंद का साहित्य पढ़ लीजिए, बाल कृष्ण भट्ट का साहित्य पढ़ लीजिये, बाल मुकुन्द गुप्त का साहित्य पढ़ लीजिये, प्रताप नारायण मिश्र का साहित्य पढ़ लीजिये, प्रेमचंद तो पूरा का पूरा उर्दू में लिखते थे। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का साहित्य ले लीजिए। इसलिए आपने एक अजीब सी स्थिति पैदा की है कि भारत की भाषा को सीधे अरबी भाषा से और प्रत्यक्ष बाहरी भाषा से जोड़ करके और भारत की भाषा का नाम गायब करके इस देश और एक वर्ग के नाम पर ये बता करके कि वह वर्ग उर्दू की भाषा बोलता है, उर्दू अब गायब हो चुकी, हम अरबी और फारसी विश्वविद्यालय में पढ़ायेंगे इसलिये वह अपने आप उर्दू की भाषा जान जायेगा, आपने वस्तुतः इस बात से उर्दू भाषियों का भी अपमान किया है जिसमें सिर्फ मुस्लिम ही नहीं आता है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में हिन्दू आते हैं। ढेर सारे ऐसे बन्धु हैं जो अपनी बातों को कहने के लिये शेरोशायरी का प्रयोग करते हैं और प्रभावी तरीके से करते हैं। क्या वे सारे मुसलमान हैं ? इसलिये मैं आपसे आग्रह करूंगा। दूसरी चीज आपको लगता है कि इसके नाम से ही कुछ लोग खुश हो जायेंगे, सच्चाई क्या है फारसी भाषा और संस्कृत भाषा, दोनों के आपस के बहुत सम्बन्ध हैं। ढेर सारे शब्द ऐसे हैं फारसी भाषा में जो संस्कृत में मिलते हैं। मैं वह उदाहरण यहां देकर विषय लम्बा नहीं करना चाहता। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह जो भ्रम है आपके मन में कि फारसी भाषा, अरबी भाषा कर देने से हम एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं, यह भ्रम दूर करिये। आप उर्दू के विकास के लिये प्रयास करिये, इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन आप उर्दू का वही सांस्कृतिक उत्पीड़न न करिये, वही राजनैतिक उत्पीड़न करिये जो उस 600 साल के काल में राजशाही की भाषा होने के नाते, अरबी और फारसी ने उस समय किया। इस लोकतंत्र के दौरान हम उससे सहमत नहीं हो सकते हैं आज भी मैं चुनौती देता हूं कि आप एक सर्वे करा लें कि कितनी बड़ी संख्या में ऐसे लोग होंगे जो स्वयं जिन्हें आप उर्दू भाषी की बात कहते हैं और वे फारसी भाषा बोल सकते हैं।

हममें बहुत से लोग यही नहीं जानते कि अरबी और फारसी क्या है। मैं अगर पूंछू अभी कि अल्लाह एक अरबी शब्द होगा, खुदा एक फारसी शब्द होगा, इस अंतर को जानता कौन है। हम नमाज की बात करते हैं, रोज कहते हैं, नमाज लेकिन नमाज एक फारसी शब्द होगा जबकि सलात और अरबी शब्द होगा। हमारे मन में भ्रम है कि अरबी और फारसी इस्लाम की भाषा है, इस्लाम के एक समूह की भाषा रही होगी, इस्लाम के एक हिस्से की भाषा रही होगी, इस्लाम के प्रतिनिधित्व के रूप में नहीं है। क्योंकि इस्लाम के प्रतिनिधित्व के रूप में होती तो तुर्कियों ने रोमन लिपि में अपने धर्म का पालन किया है, उनकी तुर्की रोमन लिपि में लिखी जाती है, कोई भाषा किसी धर्म से कभी नहीं जुड़ती। ईसाई धर्म का उद्भव कहां से हुआ इजराइल से। हिब्रू उनकी भाषा है, ईसाई धर्म पूरे दुनिया में फैल गया। इजराइल के अलावा कौन है जो हिब्रू का प्रयोग करता है। ढेर सारे वे लोग जो ईसाई धर्म के मानने वाले हैं, उनकी सबकी अलग-अलग लिपियां हैं। भारत वर्ष में हिन्दू रहते हैं, क्या सारे हिन्दू देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। ढेर सारे प्रान्तों में आप चले जाइये, बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जिन्हें देवनागरी लिपि में लिखना नहीं आता है। क्या भारत के सारे मुसलमान उर्दू का ही प्रयोग करते हैं ? ढेर सारे प्रांतों में चले जाइये, मैं जाता हूं केरल जाइये, तमिलनाडु जाइये, गुजरात जाइये, महाराष्ट्र जाइये, बंगाल जाइये, पंजाब

जाइये, कौन प्रयोग करता है, कोई नहीं करता। इसी उत्तर प्रदेश में गांव में चले जाइये, किसानों के पास चले जाइये, आपस की बातचीत की भाषा में किस भाषा का प्रयोग करते हैं ? किंचित लोग उर्दू का करते होंगे, मैं उर्दू का विरोधी नहीं हूं, उर्दू बहुत प्रभावी भाषा है। लेकिन किंचित लोग भी उर्दू और फारसी का प्रयोग नहीं करते, इसलिये मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जाने में किया, अनजाने में किया, कोई बात नहीं उच्च शिक्षा मंत्री हैं, अनजाने में करने की आपको छूट नहीं है, आपको अधिकार नहीं है। लेकिन अगर जानबूझकर किया है तो ये उससे भी अधिक खतरनाक है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कृपया यह बहुत महत्वपूर्ण है। 2009 में जब पास हुआ होगा तो हुआ होगा। यह हम लोगों का भी दायित्व था हो सकता है हम लोगों ने उस समय ध्यान न दिया हो।

श्री हुकुम सिंह-

विरोध किया था।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, विरोध किया था। इसलिये मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अभी भी समय है। आप इसे प्रवर समिति में हम लोग मांग करते हैं आप भेजें या न भेजें, संख्या है आपके पास। मैं कहूंगा कि संख्या के बल पर एनार्की नहीं होनी चाहिए। किसी भाषा का अपमान नहीं होना चाहिए। देश के एक बहुत बड़े समाज को देश की वाह्य निष्ठा ही उसकी सबसे बड़ी निष्ठा है। यह मैसेज नहीं दिया जाना चाहिए। अरबी, फारसी आपको जो रखना हो रखिये, लेकिन उर्दू को पीछे ढकेल कर मत रखिये। इस विश्वविद्यालय का नाम **"उत्तर प्रदेश उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय"** करिये, उसके बाद इस विधेयक को पारित कराइये।

*डा0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, माननीय राधामोहन दास अग्रवाल जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कहीं हैं, उर्दू ऐसी भाषा है जो पूरे भारत की भाषा है, उसकी इस तरह से बेइज्जती करना, उसका नाम न डाल करके और पूरे एक बहुत बड़े समाज को छलना यह उचित बात नहीं है, इसलिये इस बिल को वापस करके प्रवर समिति को भेज दीजिए मान्यवर और उसके बाद कुछ संशोधन हो जाय तब आये। इसमें हम सबकी आस्था है, हम सब उर्दू बोलते हैं, पूरे भारत की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भाषा है, यह केवल मुसलमान की भाषा नहीं है, इसमें बहुत से लोगों ने योगदान दिया है। बहुत से अच्छे हिन्दू राईटर भी हुए हैं मान्यवर, इतने महत्वपूर्ण शब्द को इतने हल्के से न लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, इस पर आपका निर्णय हो जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

अभी तो यह चल रहा है, इस पर सबके विचार आ रहे हैं। आपका भी प्रस्ताव है, अभी आपको भी सुना जायेगा। अभी आपके पीछे माननीय त्रिपाठी जी खड़े हैं, उन्हें अपनी बात कह लेने दें।

*श्री अमरमणि त्रिपाठी-

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ने बहुत कड़ाई से बहुत तर्क संगत तरीके से अपनी बात रखी, अच्छी बात है। मान्यवर, लेकिन उनकी दृष्टि दूसरी तरफ थी, समाज को बांटने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वाले दृष्टिकोण से उन्होंने अपनी बात रखी, साम्प्रदायिक तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। देश में किसी भी भाषा, किसी भी ज्ञान का अर्जन करना गलत बात नहीं हो सकती, सही बात है, इसमें उत्तर प्रदेश समाज एक वर्ग उर्दू भाषा के रूप में बोली जाती है, इस पर आपत्ति है मान्यवर, सही कहा वकार अहमद साहब ने कि यह देश की भाषा है, यह पैदा जरूर हुई हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क के विभिन्न कोनों में आप चले जाएं उर्दू का हर जगह प्रयोग आपको मिलेगा और हिन्दी में तो आधा उर्दू समाहित स्वयं है। हिन्दी, उर्दू का भेद करना बड़ा मुश्किल हो गया है, तमाम ऐसे हिन्दी के शब्द हैं जो उर्दू के हैं, हिन्दी में समाहित हो गए, उनका उच्चारण हम लोग आपके समक्ष करते हैं। मान्यवर, एक दृष्टान्त कहना चाहूंगा कि एक बात माननीय मंत्री के रूप में मैं तमिलनाडु गया। वहां पर मुझे चाय की जरूरत पड़ी तो मैंने अपने पी0एस0ओ0 महोदय से जो हमारे साथ उस समय थे, उनसे आग्रह किया कि कुछ चाय नाश्ता की व्यवस्था करायें। हिन्दी में कहा, अंग्रेजी में कहा दोनों भाषाओं का उनको ज्ञान नहीं था, वह समझे और तुरन्त दौड़ कर रोड के उस पार गये और एक मस्जिद से एक लड़के को बुलाकर लाये और उन्होंने कहा कि साहब इससे कहिये तो यह बात समझ जायेगा। हमने उस सज्जन से कहा कि भई हमें जरा यहां चाय नाश्ता करायें वह तुरन्त दौड़ कर गये और चाय, नाश्ता की व्यवस्था की। हमारी भाषा तमिल लोग नहीं समझ पाये हिन्दुस्तान की मूल भाषा, मलयालम लोग नहीं समझ पाते हैं, कन्नड़ लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन आप हिन्दी बोलिये आज भी पाकिस्तान का प्रधान मंत्री जो बोलता है उत्तर प्रदेश के प्रत्येक को उसकी समझदारी होती है, लेकिन हमारे चन्द्र बाबू नायडू जी बोलेंगे, जयललिता जी बोलेंगी अन्य लोग बोलेंगे वह हमारे प्रदेश के लोगों के पल्ले नहीं पड़ता है।

श्री अध्यक्ष-

त्रिपाठी जी, जरा संक्षेप में कहिये।

श्री अमरमणि त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं विषय पर आता हूं, मान्यवर, हम कहना चाहते हैं कि उर्दू आई कहां से। हमारे भाई साहब अरबी और फारसी के प्रबल विरोधी लग रहे हैं। हम कहना चाहते हैं, अरबी और फारसी ही नहीं मान्यवर, आज देश में अंग्रेजी भी बोली जा रही है और एक समृद्ध वर्ग की भाषा है और भाषा अपने हिसाब से चलती है। यही ग्रेट ब्रिटेन में 17वीं शताब्दी तक अंग्रेजी बोलना वहां के पिछड़ेपन का द्योतक था। मान्यवर, वहां फ्रेंच पढ़ायी जाती थी लेकिन आज दुनिया में अंग्रेजी भाषा ने अपनी जगह बना ली है। यहां पर उर्दू को जानने वाले, अरबी, फारसी को जानने वाले बहुत से लोग हैं। मान्यवर, इस विश्वविद्यालय की स्थापना अवश्य होनी चाहिए। लेकिन जो विधेयक हैं उसके पेज-2 पर है अनुसूची का संशोधन। उसमें है कि मूल अधिनियम की अनुसूची में, क्रमांक 10 के पश्चात् निम्नलिखित क्रमांक स्तम्भवार बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् उत्तर प्रदेश अरबी फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ और उसके आगे हैं उर्दू, अरबी और फारसी में शिक्षा और अनुसंधान के सम्बन्ध में सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल अगर आप यही करेंगे केवल लखनऊ में करेंगे तो दूसरी जगहों पर उसका विस्तार कैसे होगा। मान्यवर, गोरखपुर में उर्दू जानने वाले, अरबी फारसी पढ़ने वाले बहुत से लोग हैं। वह कहां जायेंगे। इसी प्रकार से इलाहाबाद और बनारस के लोग कहां जायेंगे। मेरा कहना है कि वहां पर

जो विश्वविद्यालय हैं वहां पर जो विभाग मिले हुए हैं हुकुम सिंह जी ने ठीक कहा कि वहां की स्थिति को भी जाकर देखें कि जिन अन्य विश्वविद्यालयों में इसके डिपार्टमेन्ट है उर्दू, अरबी, फारसी पढ़ायी जाती है वहां के बारे में ध्यान दें वहां के डिपार्टमेन्ट का सुदृढ़ीकरण हो। आप चाहें तो अध्यादेश लायें जिससे पूरे प्रदेश को उसका लाभ मिले। केवल राजधानी लखनऊ और उसके आस-पास रहने वालों को ही लाभ मिलने से पूरे प्रदेश के लोगों को उसका लाभ नहीं मिल सकेगा। यह मेरा आपसे आग्रह है। मैं अपनी बात पर बल देते हुए यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2010 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

*डा0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है। मान्यवर, उर्दू का नाम इससे जुड़ा है जो हम लोगों ने बातें कही हैं। आप इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें। उसकी रिपोर्ट आ जाये फिर नेक्सट टाईम में इसको पास कर लेंगे। मान्यवर, समाजवादी पार्टी ने उर्दू भाषा को रोजी-रोटी से जोड़ने का काम किया। आज यह सरकार उर्दू के महत्व को कम कर रही है। इसलिए इसे आप प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें। अन्यथा हम लोगों के यहां पर बैठने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अभी तो इस पर सरकार की ओर से बयान आयेगा। आप सरकार के विचार सुनें। अभी तो संशोधन प्रस्ताव पर आप लोगों के विचार आयेंगे।

डा0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, संख्या के बल पर तो वह इसे पास करा लेंगे। लेकिन जो इसमें गम्भीर त्रुटि हुई है उसके बारे में विस्तार से हुकुम सिंह जी ने और डा0 अग्रवाल जी ने जानकारी सदन को दी है उसके बारे में तो सही यही रहेगा कि इसे प्रवर समिति को भेज दें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने आपसे कहा कि इस पर अभी आप लोगों के विचार आ रहे हैं सरकार के विचार आयेंगे। आप सुन लीजिये कि सरकार क्या कहती है।

डा0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, इस प्रश्न को इतनी गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है। हमारा दल सदन का बहिर्गमन करता है।

(डा0 वकार अहमद शाह समाजवादी पार्टी के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

उच्च शिक्षा मंत्री (डा0 राकेशधर त्रिपाठी)-

मान्यवर, अभी इस विधेयक पर सदन के माननीय सदस्यों के विचार आये और उनके सुझाव आये। माननीय हुकुम सिंह जी ने अपने विचार व्यक्त किये। समाजवादी पार्टी के लोग सदन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का बहिर्गमन कर चले गये हैं। मान्यवर, केवल दो तीन आपसे निवेदन करूंगा। माननीय हुकुम सिंह जी हमारे बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं लेकिन उम्र की ढलान के साथ-साथ वह धीरे-धीरे निराशा की तरफ चले जा रहे हैं। कमीं ही उनको रोज नजर आती है और एक केवल बिन्दु हम आपके बीच में छोड़ना चाहेंगे कि इस उत्तर प्रदेश में शायद 25 और 28 साल से कोई विश्वविद्यालय खुला नहीं। मान्यवर, भी यहां मंत्री रहे हैं स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय अंतिम विश्वविद्यालय है और 25-28 साल से कोई विश्वविद्यालय बना नहीं। हम सब लोग यहां पर शिक्षा की चिन्ता करते रहे हैं सच तो यह है कि पूरे सदन को माननीया मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती को बधाई देना चाहिए था कि वित्तीय संकटों के रहते हुए भी कई सौ करोड़ में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है जो पहले नहीं की गयी। हम सब भी सरकार में रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग जो आज दुहाई दे रहे हैं कभी इनका प्रस्ताव तक नहीं बना और आज इस 1973 विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन लाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि विश्वविद्यालयों में महाविद्यालयों में तमाम शिक्षा लेने वाले छात्रों की संख्या दिनोदिन बढ़ रही है। अभी आपने कहा कि उर्दू केवल एक वर्ग के लिए मान्यवर, हम तो उर्दू जानने वाले चाहे जिस वर्ग या जाति का हो उसके लिए हमने इस विधेयक को रखा है और एक आपसे भी निवेदन करें आज भी गांव देहात में कुछ बुजुर्ग अगर बचे हैं और एक जमाने में तहसीलों में सारी लिखा-पढ़ी उर्दू में ही हुआ करती थी और आज भी कहीं खसरा खतौनी पुराना अगर परीक्षण कराना होता है तो पुराने बूढ़े लेखपाल पटवारी को ढूंढा जाता है कि वहीं ट्रासलेट करके बतायेगा। हमारा प्रयास है जिस भाषा को आप कह रहे हैं कि यहां की भाषा नहीं है उस भाषा में केवल अरबी फारसी ही नहीं इस विश्वविद्यालय में जितना अन्य राज्य विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा दी जाती है उन सबकी शिक्षा दी जायेगी माननीय हुकुम सिंह जी, प्रबन्धकीय शिक्षा दी जायेगी, कानून की शिक्षा दी जायेगी, अरबी, फारसी उर्दू सबकी शिक्षा दी जायेगी। मान्यवर, अध्यक्ष जी, अभी हमारे माननीय सदस्यों ने चिन्ता जाहिर की और हमने आपसे अनुरोध भी किया कि इस विधेयक को लाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि आज इस विश्वविद्यालय के लिए हमने अपनी माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी घोषणा में धन का आवंटन किया, अभी धन का आवंटन किया और इसको और बढ़ावा देने के लिए फिर एक बार हम दोहराना चाहते हैं कि इस विश्वविद्यालय में सभी भाषाओं को प्राथमिकता देने के लिए, सभी वर्ग को दाखिला देने के लिए इस विश्वविद्यालय विधेयक को इस संशोधन के साथ सदन में इसे प्रस्तुत करना चाहता हूं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने मेरी ओर तो आज इशारा किया कि निराशावादी हो रहे हैं, उम्र ढल रही है, यह जवान हो रहे हैं दिन-प्रतिदिन और वह नजर भी आ रही है, जवानी बिल्कुल फूटफूटकर पड़ी है सामने, रही याददाश्त तो याददाश्त भी बता दूं सरदार बल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय कब बना था, पढ़ते नहीं न।

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

मान्यवर, जो वीर बहादुर सिंह बना उसके बाद कोई नहीं और पूरे देश का पहला विश्वविद्यालय है यह।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, हमारे तो छोटे भाई हैं मैं क्या कह दूं इनके बारे में। हमारे विश्वविद्यालय से आये हैं मैं कुछ कह भी नहीं सकता। लेकिन जो विद्वता का परिचय दे रहे हैं वह सामने हैं आपके।

संसदीय कार्य, वित्त, एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मंत्री जी का आशय यह है उच्च शिक्षा में।

श्री हुकुम सिंह-

अब इन्टरप्रेटर आप बनेंगे।

600 करोड़ की लागत से जब माननीय कल्याण सिंह जी मुख्य मंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी।

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

मान्यवर, उच्च शिक्षा के विश्वविद्यालय के लिए हमने कहा वह कृषि विश्वविद्यालय है हम तो अपने विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं।.

श्री हुकुम सिंह-

उसमें क्या निजी शिक्षा पढ़ाई जा रही है ? विश्वविद्यालय तो है क्या साइंस नहीं पढ़ाई जाती है उस विश्वविद्यालय में।

दूसरी बात आपने कही कि इसमें तो ला भी पढ़ाया जायेगा, इसमें विज्ञान भी पढ़ाया जायेगा तो यह फारसी में पढ़ाया जायेगा या अरबी में पढ़ाया जायेगा ? अरे जो पढ़ाया जा रहा है सब जगह पढ़ाया जा रहा है। हमारे अग्रवाल साहब ने बड़ी सटीक बात कही अगर पढ़ाया जायेगा तो उस विश्वविद्यालय को दो भाषाओं तक सीमित क्यों कर रहे हैं आप फिर विश्वविद्यालय बनाते और पढ़ाते उसमें। लेकिन जब आप अरबी फारसी विश्वविद्यालय नाम रख रहे हैं उसका और पढ़ायेंगे कुछ और आप उसमें।

आपने उर्दू तक का नाम तो उसमें रखा नहीं। उस उर्दू के नाम को लेकर आपने बहिर्गमन कर दिया। जिस भाषा के विकास की बात आपने कही है और पहली पंक्ति में वह है। जो उद्देश्य इन्होंने लिखे हैं, उसको आप देखें, इस पर मैं आपका ध्यान चाहूंगा। यह शुरू वहीं से करते हैं उत्तर प्रदेश में समाज के एक वर्ग द्वारा मातृभाषा के रूप में बोली जाती है उर्दू। उर्दू भाषा को इस प्रकार विकसित करने की आवश्यकता है कि हम उसका नाम भी विश्वविद्यालय के साथ में नहीं लिखेंगे, इस प्रकार उसको विकसित करेंगे। नाम लिखेंगे अरबी, फारसी का और विकसित करेंगे उर्दू को और उर्दू को वहां से हटा दिया और अपनी विद्वता का परिचय दे दिया। अरे हम तो आपका स्वागत कर रहे थे लेकिन आपने तो उर्दू को एक वर्ग विशेष तक सीमित करने का प्रयास किया जो आपको नहीं करना चाहिये था। हम कह रहे हैं कि उर्दू यहां की भाषा है, पूरे देश की भाषा है, पूरे समाज की भाषा है। चूंकि इनका बांटने का ही काम है, जड़ें काट दीं, कलह पैदा कर दिया, लोगों में आपस में घृणा नफरत का प्रचार किया और वहीं इसमें भी आप कर रहे हैं। अच्छा अब आप बताइये कि 2009 में उच्च शिक्षा मंत्री कौन थे। आप ही थे तो क्या लाये थे, वह विधेयक, वह अधिनियम, आपने क्यों बनाया जिसको आप संशोधित कर रहे हैं, निरसन कर रहे हैं यह भी आपकी विद्वता का परिचय है ? खुद ही थे उस समय उच्च शिक्षा मंत्री और खुद ही के

द्वारा 2009 में एक विधेयक लाया गया, जिसका नाम यह रखा गया और अलग से पास कराकर के विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी। आज उसी को निरसन करने का प्रस्ताव आप लेकर आये हैं। आवश्यक है क्या यह ? आप दोनों में अंतर बता दीजिये। इसमें क्या कमी थी जिसको पूरा करने के लिये आप इसे ले आये ? अगर कमी थी भी तो क्या संशोधन के माध्यम से उस कमी को पूरा नहीं किया जा सकता था। मान्यवर, मैं बहुत ही विनम्रता के साथ आपसे आग्रह करना चाहता हूं और सत्ता पक्ष से भी हमारा अनुरोध है कि आप यह बताइये कि जो उद्देश्य आप इस विधेयक से पूरा करना चाहते थे क्या यह उद्देश्य आपका इस अधिनियम से पूरा नहीं होता और नहीं होता था तो आप बताओ कि इसलिये पूरा नहीं होता था। आपने जो समय लगाया, कुछ कारण तो हो। उद्देश्य मैंने बता दिया वह मैंने पढ़कर सुना दिया। मैं प्रमोद तिवारी जी की जगह तो लूंगा नहीं, आप पर टिप्पणी करने की। लेकिन हां आपके यौवन की प्रंशसा करते हुये और उससे प्रभावित होते हुये और आपकी यादृदाश्त की तारीफ करते हुये, और आपने जो टिप्पणी की थी कि फलां के बाद कोई विश्वविद्यालय नहीं बना उस पर भी मैं आपसे आग्रह करते हुये कहना चाहूंगा कि आप अपनी यादृदाश्त को ठीक रखिये, अपने को अपडेट करिये और बहुत दिन आप बैठे हों, सामने भी बैठे हों और हम लोग एक दूसरे से परिचित हैं अच्छे खासे। मान्यवर, इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस सदन का समय बरबाद किया गया है इस विधेयक की आवश्यकता नहीं थी। अगर लाना भी है तो जैसा मैंने आग्रह किया है कि उच्च शिक्षा के स्तर को हम कैसे ऊँचा करें कि हमारे महाविद्यालय बने हुये हैं, विश्वविद्यालय बने हुये हैं, उनमें जो लक्ष्य है हमारी शिक्षा का, उसको कैसे प्राप्त करें ? उसके लिये मैंने प्रवर समिति का प्रस्ताव रखा है। आप उदारता का परिचय दीजिये और जाने दीजिये प्रवर समिति में। वहां विचार करके फिर एक विस्तृत विधेयक लेकर आइये हम आपका अनुमोदन करेंगे और उसको स्वीकार करेंगे।

डा0 राकेश धर त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, एक तो माननीय सदस्य अमरमणि त्रिपाठी जी ने जो विषय उठाया में उन्हें आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस विधेयक में पांचवें के धारा संशोधन में है कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में इस विश्वविद्यालय का कार्य क्षेत्र रहेगा, केवल लखनऊ तक ही सीमित नहीं रहेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में इन विषयों को बढ़ाने के लिये किया जायेगा। दूसरा बिन्दु, मान्यवर, फिर माननीय हुकुम सिंह जी से माफी चाहते हुये कहना चाहूंगा कि हमारा प्राविधिक विश्वविद्यालय खुला, कृषि विश्वविद्यालय खुला, नोएडा में हमारा विश्वविद्यालय खुला अन्य विभागों का। लेकिन उच्च शिक्षा में यह राज्य विश्वविद्यालय पहला है और अरबी फारसी के नाम से पूरे देश का यह पहला विश्वविद्यालय है।

अन्तिम बिन्दु मा0 अध्यक्ष जी यह कहना है कि मा0 सदस्य बहुत विद्वान हैं, संसदीय कार्यमंत्री भी रहे हैं। मान्यवर, समय-समय पर संशोधनों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए संशोधन की आवश्यकता है और इसे हम सदन में प्रस्तुत करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, क्या संशोधन वापंस ले रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं संशोधन पर बल दे रहा हूं।

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं पूरी तरह से बल दे रहा हूं यह राष्ट्र विरोधी कृत्य है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें ?

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-7 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिये विधेयक

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहा जाएगा।

(2) यह 1 अक्टूबर, 2009 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-29, सन् 1974 द्वारा यथासंशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-10 सन् 1973 की धारा 4 का संशोधन

2- उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 में, उपधारा (1-क) में खण्ड (घ) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात :-

"(ङ) एक विश्वविद्यालय, जिसे उत्तर प्रदेश अरबी फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ कहा जाएगा।"

धारा-5 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा-5 में, उपधारा (6) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:-

"(7) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उर्दू, अरबी और फारसी में शिक्षा और अनुसंधान तथा उनके ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश अरबी फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में किया जा सकेगा।"

नयी धारा-7-ख का बढ़ाया जाना

4-मूल अधिनियम की धारा-7-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:-

"7-ख-राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से प्राधिकृत किये जाने, पर उत्तर प्रदेश अरबी फारसी विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा प्रदान कर रही अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को सहायता, सम्बद्धता और सुविधा देगा।"

कुछ विश्वविद्यालयों की अतिरिक्त शक्तियां और कर्तव्य

अनुसूची का संशोधन

5-मूल अधिनियम की अनुसुची में, क्रमांक 10 के पश्चात् निम्नलिखित क्रमांक स्तम्भवार बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

1	2	3
11	उत्तर प्रदेश अरबी फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ	उर्दू, अरबी और फारसी में शिक्षा और अनुसंधान के सम्बन्ध में सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

कठिनाइयां दूर करना

6-(1) राज्य सरकार अरबी फारसी विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि मूल अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी कालावधि में जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे।

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जाएगी कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कठिनाई विद्यमान नहीं थी अथवा उसको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

निरसन और अपवाद

7-(1) उत्तर प्रदेश अरबी फारसी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-12 सन् 2009

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवानसमय पर प्रवत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-7 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राकेश धर त्रिपाठी-

मान्यवर मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010

व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री सदल प्रसाद)-

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय।

*डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक को लाते हुये जो सरकार ने उद्देश्य लिखे हैं, वहीं से अपनी बातें शुरू करता हूं। सरकार का यह कहना है कि प्रदेश में एक प्राविधिक विश्वविद्यालय था जिससे 579 महाविद्यालय सम्बद्ध थे, इसलिये प्रशासन बहुत मुश्किल हो रहा था, इसको दो हिस्सों में बांट देना चाहिये। सरकार ने अधिकृत रूप से इस बात को इस सदन में स्वीकार किया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है कि किसी एक केन्द्र के माध्यम से पूरे प्रदेश का संचालन नहीं किया जा सकता है, मैं इस तर्क को आगे बढ़ाना चाहता हूं। 19 करोड़ की जनसंख्या में एक हाईकोर्ट है, पूरे प्रदेश की जनता को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है इसे कई टुकड़ों में बांट देना चाहिये यह मांग उठती है खण्डपीठों की स्थापना के लिये। 19 करोड़ का यह राज्य एक मुख्य मंत्री से संतुष्ट नहीं हो पाता, आप स्वयं प्रस्ताव करते हैं आपने प्रशासनिक आधार पर स्वीकार किया है कि एक विश्वविद्यालय पूरे प्रदेश के महाविद्यालयों का संचालन नहीं कर पाता है। इसलिये सैद्धान्तिक रूप से आपको अगला प्रस्ताव इस बात का लाना चाहिये कि एक मुख्य मंत्री पूरे प्रदेश का संचालन नहीं कर पा रहा है इसलिये इस प्रदेश को कई टुकड़ों में बांटकर कई मुख्य मंत्री बनाये जायें, आपका यह विधेयक इस बात को अधिकृत रूप से स्थापित करता है। आपने बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण का विषय लेते हुये इस विधेयक को यहां लाने का काम किया है। दो विश्वविद्यालय तैयार किये हैं, एक जो पुराना था और दूसरा जो नया बनेगा। जो आपने नया बनाया उसके बारे में आपने कहा कि यह स्ववित्तपोषित होगा। मैं मा0 मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जब वह खड़े होंगें तो यह बता देंगे क्योंकि यह सूचना हम लोगों को भी मिलनी चाहिये मेरे पास यह सूचना नहीं है कि जो पुराना सीतापुर रोड पर तकनीकी विश्वविद्यालय है वह स्ववित्तपोषित है या राज्य के द्वारा संचालित विश्वविद्यालय है। क्योंकि एक ही प्रदेश में एक ही प्रकार की तकनीकी शिक्षा को संचालित करने के लिये सारे महाविद्यालयों को दो टुकड़ों में बांट देना, एक विश्वविद्यालय को स्ववित्तपोषित कर देना ओर दूसरे को राजकीय तकनीकी विश्वविद्यालय से संचालित करना, यह उचित नहीं होगा। यह जो पीछे आपने विवरण लिखा है उसमें लिखा हुआ है कि स्ववित्तपोषित विश्वविद्यालय चूंकि यह स्ववित्तपोषित होगा और प्रदेश शासन से किसी प्रकार के अनुदान और वित्तीय सहायता का हकदार नहीं होगा। इन दो बातों को कहने के बाद यह जो नीति और नीयत का फर्क है, मै। इस विषय पर आना चाहता हूं। महत्वपूर्ण यह नहीं होता कि आप कितने टुकड़ों में चीजों को बांटते हैं, महत्वपूर्ण यह होता है कि आप कैसी व्यवस्था बनाते हैं, जिसके केन्द्र में बैठ करके आप दूर तक फैली हुई अपनी शाखाओं का संचालन कर सकें। हम यहां इसलिये बैठते हैं कि हम विधेयक बनायें। विधेयक के माध्यम से जो संस्थायें पैदा होती हैं हम उन्हें पावर डेलीगेट कर देते हैं, प्रत्यायोजित कर देते हैं। वह संस्थायें अपने विधान खुद बना लेती है। माना जाता है कि जो विधान वह बनायेंगी, वह प्रत्यायोजित विधान मूल विधेयक की सीमा के अन्दर होंगे। हम सरकार में बैठ करके गाइड-लाइन्स तय करते हैं। विश्वविद्यालयों की रोज की गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं।

विश्वविद्यालय अगर हमारी गाइड-लाइन्स, हमारे विधेयक और अपने डेलीगेटेड विधेयक के अनुरूप काम नहीं करता है तो हमें हस्तक्षेप करने का दायित्व मिलता है। रोज हम उसकी कार्यपालिका से अपने-आप को संलग्न नहीं करते हैं। अगर सत्ता के शीर्ष पर बैठ करके बेहतर प्रशासन के नाम पर हम रोज विश्वविद्यालय की गतिविधि में हस्तक्षेप करते रहते हैं, रोज बाहैसियत मंत्री उस विश्वविद्यालय के कुलपति से लेकर हर प्राचार्य तक अपने आदेश ही भेजते रहते हैं तो आप एक नहीं 10 विश्वविद्यालय बना लीजिए, संचालन कभी नहीं कर पायेंगे क्योंकि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के विपरीत है। मैं इस बात को, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आपको स्मरण होगा, मैंने निजी रूप से आपसे बात भी की थी। इस विषय को मैं ले करके आया था कि प्राविधिक विश्वविद्यालय के अन्तर्गत एक इन्जीनियरिंग कालेज में एक व्यक्ति विशेष को उपकृत करने के लिए 28 नियुक्तियां की गयीं, इसी सदन की कार्यवाही का हिस्सा है, मदन मोहन

इन्जीनियरिंग कालेज, गोरखपुर की बात कर रहा हूं। मैंने उस समय कहा था कि सत्ता में बैठे हुए प्रभावी लोगों के दबाव में ये सारी नियुक्तियां की गयी है आज से तकरीबन 8 महीने पहले की बात है। मैंने उस समय कहा था कि इसकी विष्पक्ष जांच करायी जाए। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उस समय भी मैंने सदन में किसी का नाम नहीं लिया था। मैंने कहा था कि निष्पक्ष जांच करा लीजिए, गलत नियुक्तियां हुई हो तो कार्यवाही करिये, यही लोकतंत्र की मांग है। कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसके बाद जब विधान सभा से अनुपूरक सूचनायें प्राप्त करने के लिए गया, कुछ नागरिकों ने मण्डलायुक्त को शिकायत की तो उसके बाद जो नियुक्तियां हुई थी, उसकी जांच हुई। मण्डलायुक्त ने टिप्पणियां बनायी और टिप्पणियां बना करके उत्तर प्रदेश शासन को भेज दिया। अभी 25 जुलाई, 2009 को तकरीबन 7 महीने हो गये, मण्डलायुक्त ने उस इन्जीनियरिंग कालेज के प्राचार्य के बारे में जितनी गम्भीर टिप्पणियां की है यह किसी के लिए भी शर्मनाक, आश्चर्यजनक, खेद का विषय व चिंतन का विषय हो सकती है। वह सारी टिप्पणियां ले करके आया हूं। बोलने का समय नहीं होगा, इसलिए बोलूंगा नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि कैसे इसका विषय है, मैं उसी पर आ रहा हूं। विषय इसलिए है क्योंकि मेरे पास एक चिटठी है, मैं रखना नहीं चाहता था।

जब शासन में बैठे हुए लोग चिट्ठियां लिखेंगे, प्राचार्य को निर्देशित करेंगे 'अतः मेरी आपसे प्रार्थना है [x x x] अपने अन्तर्गत संचालित होने वाले विश्वविद्यालय के एक प्राचार्य को, तो स्वाभाविक रूप से एक नहीं 10 विश्वविद्यालय बना लीजिए आप बेहतर प्रशासन सुनिश्चित नहीं कर पायेंगे। 25 जुलाई को कमिश्नर की रिपोर्ट आ गयी, विभाग में चली गयी, विधान सभा सचिवालय में आ गयी और उसके बाद तब से लेकर उस प्राचार्य के विरुद्ध तब तक कार्यवाही नहीं की गयी जब तक वहां अपने मतलब का, अपने हित का दूसरा प्राचार्य नहीं बैठाया गया। कौन सा प्राचार्य ? किसी कालेज का एक प्राचार्य जो तकनीकी विश्वविद्यालय का परीक्षा नियंत्रक भी रहेगा, इन्ट्रेन्स का परीक्षा समन्वयक भी रहेगा जो वापस झांसी भी जायेगा, जो मा0 मंत्री जी का पुनः ओ0एस0डी0 भी बनाया जायेगा। उसी व्यक्ति को ओ0एस0डी0 के पद से हटाकर कानपुर के अम्बेडकर विकलांग विश्वविद्यालय का निदेशक भी बनाया जायेगा और फिर उसी व्यक्ति को गोरखपुर के इन्जीनियरिंग कालेज का प्राचार्य भी बना दिया जायेगा। यानी पूरे प्रदेश में एक व्यक्ति के अलावा न तो इन्जीनियरिंग कालेज की प्रवेश की परीक्षा लेने का किसी को कला आता है, न परीक्षा नियंत्रक बनने का किसी को कला आता है न ओ0एस0डी0 बनने की कला आती है, न विकलांग तकनीकी विश्वविद्यालय का निदेशक बनने की कला आती है न ही प्राचार्य बनने की क्षमता है। एक व्यक्ति के लिए सारे काम करेंगे तो स्वाभाविक रूप से कभी भी विश्वविद्यालय संविधान नियम, कानून निष्पक्षता, लोकतांत्रिक मर्यादाओं कानून के आधार पर संचालित नहीं हो सकेंगे। प्राचार्य ने लकड़ियों को काटा, आरा मशीन लगा कर पेड़ों को काटकर उसका फर्नीचर बनवाने का काम किया और इसकी जांच होने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई ? ऐसी व्यवस्था लेकर जब आप चलेंगे तो नीति और नीयत का फर्क कौन तय करेगा ? किस प्रकार से कार्यवाही करने जा रहे हैं। मैं इस विषय को सदन में ला चुका हूं लेकिन कार्यवाही नहीं हुई है इसलिए

नोट :- [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

दुबारा लाने को मजबूर हुए हैं। मैं चिट्ठी लेकर आया हूं अगर दिखाना चाहूंगा तो घण्टों लग जाएगा अतः निवेदन है कि इस सारे के सारे विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, आपसे निवेदन है कि माननीय सदस्य ने एक गम्भीर आरोप लगाने का काम किया। मान्यवर, हमारी नियमावली में इस बात की व्यवस्था है कि अगर किसी माननीय मंत्री के ऊपर कोई आरोप लगाना है तो वह इसके पहले सूचना देंगे जब तक उस माननीय मंत्री के पास आरोप नहीं पहुंच जाता है तब तक सदन में कोई चर्चा नहीं हो सकती है। इसकी अवहेलना अगर करेंगे तो यह उचित नहीं है। यहां पर विधेयक पर चर्चा हो रही है विधेयक क्यों आवश्यक नहीं है उसमें क्या कमियां हैं उस पर ध्यान न दिलाकर दूसरी बातों की तरफ अगर यहां लाने का काम किया जा रहा है तो मैं इस पर आपका संरक्षण चाहूंगा कि कृपया इस बिन्दु को जो नियमानुसार भी उचित नहीं है उसको कार्यवाही का भाग न बनने दें ? ऐसा मेरा आपसे आग्रह है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

*श्री अमरमणि त्रिपाठी-

अध्यक्ष जी हमारे भाई ने बहुत अच्छी तरह से सभी बिन्दुओं पर विस्तार से रखने का काम किया और इसी का सहारा लेकर उन्होंने प्रदेश के विभाजन को रेखांकित कर दिया कि प्रदेश को एक मुख्य मंत्री नहीं संभाल पा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप विषय से सम्बन्धित अपनी बात कहिए।

श्री अमरमणि त्रिपाठी-

हमारा कहना है कि यह प्रदेश गंगा जमुनी तहजीब का प्रदेश है। इस प्रदेश ने राम, कृष्ण, भगवान बुद्ध, कबीर जैसे तमाम बड़े-बड़े लोगों को जन्म दिया। इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। इसके विभाजन के लिए भारतीय जनता पार्टी के भाई लोग आतुर हैं। जब भी यह विषय आता है जहां प्रशासनिक विषय आता है यह शब्द जोड़ देते हैं।

श्री अध्यक्ष-

विधेयक के सम्बन्ध में अपनी बात रखें।

श्री अमरमणि त्रिपाठी-

विधेयक लाया गया है इसमें महामाया तकनीकी विश्वविद्यालय नोयडा की स्थापना और लखनऊ विश्वविद्यालय की जगह भगवान गौतम बुद्ध का नाम बढ़ाने हेतु लाया गया है। अच्छी बात है महामाया मेरे क्षेत्र में पैदा हुई थीं कोलीय वंश की राजकुमारी थीं वहां से उनका विवाह होकर बगल के राज्य में गयीं। भगवान बुद्ध की हमारे यहां ननिहाल और ससुराल दोनों रही उनके नाम से जो भी रखा जाय हम स्वागत करते हैं। लेकिन एक तरफ जहां यह कहा जा रहा है कि नोयडा में यह स्थापित किया जायेगा तो नोयडा में जरूरी है कि पिछड़ा हुआ क्षेत्र बुन्देलखण्ड है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र पूर्वांचल है। एक सज्जन महाराजगंज का नाम ले रहे हैं आपने सही कहा महाराजगंज के एक तरफ बिहार दूसरी तरफ नेपाल के बीच में जंगल में रहने वाले मूल रूप से आदिवासी लोग

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उससे पिछड़ा हुआ जनपद पूरे प्रान्त में, पूरे देश में कह लीजिये तो नहीं है। लेकिन मान्यवर, अगर विश्वविद्यालय तकनीकी विश्वविद्यालय बनना है तो एक में तो आपने 13 मंडल जोड़ दिये और एक में 5 मंडल जोड़ दिया। अब माननीय मंत्री जी गोरखपुर के रहने वाले हैं। हम चाहेंगे कि विश्वविद्यालय का विभाजन हो, तकनीकी शिक्षा जन-जन तक पहुंचे इसके लिये उन पिछड़े क्षेत्रों का चयन किया जाय जिनमें कुछ विकास यह सरकार कर सके। गोरखपुर में मदन मोहन नाम से जो इंजीनियरिंग कालेज है उसे उच्चीकृत करके उसे तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित कर दिया जाय और गोरखपुर से आजमगढ़ मंडल मान्यवर, आपका मंडल, बस्ती मंडल और अगल-बगल के दो चार मंडलों को जोड़ दिया जाता मान्यवर, तो गोरखपुर के विकास में एक योगदान इस सरकार का हो जाता।

श्री अध्यक्ष-

चलिये, ठीक है त्रिपाठी जी।

श्री अमरमणि त्रिपाठी-

नाम चाहे जो रखा दें मान्यवर, नाम पर आपत्ति नहीं है। वहीं भगवान बुद्ध पैदा हुए, वहीं पर उपदेश दिया और वहीं पर मान्यवर, निर्वाण की प्राप्ति हुई। हम आपसे कहना चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी आप अपने क्षेत्र के कल्याण के लिये, आप जिस जनपद के रहने वाले हैं वह अत्यन्त पिछड़ा हुआ जनपद पूर्वांचल का है। पूर्वांचल के अलग होने की मांग बार-बार हो रही है। हम उस मांग के पक्षधर नहीं हैं। हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश एक रहे। उत्तर प्रदेश का परचम देश और दुनिया में बुलन्द रहे। हम उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि विकास पूरे प्रान्त का हो और उसमें माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री जी, इतिहास आपको याद रखेगा कि यदि आप यह प्रस्ताव लेकर आयें कि गोरखपुर में मदन मोहन इंजीनियरिंग कालेज को तकनीकी कालेज बना दिया जाय। नाम चाहे आप परिवर्तित कर लें, हमें उसमें आपत्ति नहीं है। मैं पुनः अपने संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री सदल प्रसाद-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा के विकास के लिये जनपद लखनऊ में उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी उस समय प्रदेश में संचालित अभियंत्रण एवं व्यवसायिक संस्थाएं उक्त विद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त कर संचालित हो रही है। वर्तमान में उक्त विश्वविद्यालय के स्तर से प्रदेश में संचालित सभी 589 इंजीनियरिंग एवं व्यवसायिक कालेज की सम्बद्धता, पाठ्यक्रमों की क्षमता वृद्धि, प्रवेश परीक्षा, सेमेस्टर परीक्षाओं का संचालन आदि के साथ-साथ संस्थाओं के प्रभावी नियंत्रण में जो असुविधा हो रही थी प्रदेश के विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र तथा महाविद्यालयों, संस्थाओं की अत्यधिक संख्या एक विश्वविद्यालय से प्रभावी ढंग से नियंत्रित एवं विनियमित किये जाने में अनेक व्यवहारिक कठिनाइयां सामने आ रही हैं इसलिये प्रदेश में एक और प्राविधिक विश्वविद्यालय की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है जिसकी स्थापना करने से जनपद लखनऊ में पूर्व से स्थापित जो प्राविधिक विश्वविद्यालय है एवं उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय जो संशोधन विधेयक, 2010 प्रस्तावित है जिससे तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश के लोगों के लिये काफी अच्छा होगा। गौतम बुद्ध नगर, नोएडा में एक और

प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापित हो जाने से उससे सम्बद्ध कालेजों को अपने कार्यों के लिये अत्यधिक दूरी तय कर लखनऊ नहीं आना पड़ेगा। वहीं प्रदेश में दो प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापित हो जाने से छात्रों का परीक्षाफल जहां कम समय में घोषित करना सम्भव हो सकेगा वहीं विश्वविद्यालय सम्बन्धी उनकी समस्याओं का निस्तारण भी त्वरित गति से होगा। माननीय सदस्य जो अपने गोरखपुर जनपद के साथी हैं एक चिट्ठी का उन्होंने हवाला दिया। जो सत्यता से परे है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

कौन सी चिट्ठी का आप जिक्र कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

बस हो गया।

श्री अमरमणि त्रिपाठी-

माननीय मंत्री जी क्या मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग विश्वद्यालय को तकनीकी विश्वविद्यालय बनाने पर कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

अग्रवाल जी संशोधन वापस ले रहे हैं क्या ?

(संशोधन वापस न लेने पर)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से खण्ड-6 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 का अग्रतर संशोधन करने के लिये :-

विधेयक

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहा जाएगा।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा नियत करे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2000 की धारा 2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, खण्ड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

(ज) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित किसी विश्वविद्यालय से है ;"

धारा 3 और 4 का प्रतिस्थापन

3-मूल अधिनियम की धारा 3 और 4 के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :-

"3-(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी जिसे उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2010 के प्रारम्भ होने के दिनांक से गौतमबुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ कहा जायेगा।

(2) उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2010 के प्रारम्भ होने के दिनांक से नोएडा में एक प्राविधिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी जिसे महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, गोतमबुद्ध नगर के रूप में जाना जायेगा।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय में इस रूप में तत्समय पद धारण करने वाले कुलाधिपति, कुलपति, कार्यपरिषद् तथा विद्यान परिषद् के सदस्यों से मिलकर एक निगमित कार्यपरिषद् तथा विधापरिषद् के सदस्यों से मिलकर एक निगमित निकाय उस विश्वविद्यालय के नाम से गठित होगा।"

"4-(1) इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग के लिये गौतमबुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ की क्षेत्रीय अधिकारिता आजमगढ़, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर, झांसी, देवीपाटन, फैजाबाद, बरेली, लखनऊ, वाराणसी, चित्रकूटधाम, बस्ती और विंध्याचल मण्डलों पर होगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग के लिये महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, गौतमबुद्धनगर की क्षेत्रीय अधिकारिता मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़ और मुरादाबाद मण्डलों पर होगी।

(3) उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2010 के प्रारम्भ होने के दिनांक को राज्य के मेरठ, सहारनपुर,आगरा, अलीगढ़ और मुरादाबाद मण्डलों में प्राविधिक शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यमान विद्यालय से भिन्न प्रत्येक विद्यालय या संस्था ऐसे दिनांक से, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाय, महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय गौतमबुद्ध नगर से सम्बद्ध हुआ समझा जायेगा और गौतमबुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ से सम्बद्ध या सहयुक्त नहीं रह जायेगा।"

धारा 17 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

"(1) कार्यपरिषद् में निम्नलिखित होंगे :-

(क) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा,

(ख) प्रतिकुलपति, यदि कोई हो ;

(ग) निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की या उसका नाम-निर्देशिती, जो ज्येष्ठ आचार्य से निम्न पंक्ति का न हो ;

(घ) निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर या उसका नाम-निर्देशिती, जो ज्येष्ठ आचार्य से निम्न पंक्ति का न हो ;

(ङ) राज्य सरकार में प्राविधिक शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव या उसका नाम-निर्देशिती, जो विशेष सचिव से निम्न पंक्ति का न हो ;

(च) राज्य सरकार में वित्त विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव या उसका नाम-निर्देशिती, जो विशेष सचिव से निम्न पंक्ति का न हो ;

(छ) अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, या उसका नाम-निर्देशिती ;

(ज) राज्य सरकार की संस्तुति पर कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो प्रतिष्ठित उद्योगपति ;

(झ) राज्य सरकार की संस्तुति पर कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो ख्याति प्राप्त प्रौद्योगिकीविद्।

(ञ) राज्य सरकार द्वारा चक्रानुक्रम से नाम-निर्दिष्ट विद्यालयों के दो प्राचार्य।"

धारा 20 का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 20 में, उपधारा (1) में, खण्ड (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :-

सदस्य

"(ख) राज्य सरकार में वित्त विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव या उसका नाम-निर्देशिती जो विशेष सचिव से निम्न पंक्ति का न हो ;

सदस्य

(ग) राज्य सरकार में प्राविधिक शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव या उसका नाम-निर्देशिती जो विशेष सचिव से निम्न पंक्ति का न हो।"

नई धारा 40-क का बढ़ाया जाना

6-मूल अधिनियम की धारा 40 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

"40-क उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय के नाम पर अस्थायी उपबंध	उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2010 के प्रारम्भ होने के दिनांक से इस अधिनियम, किसी नियमावली, परनियमावली, अध्यादेश तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या किसी दस्तावेज या कार्यवाहियों के सांविधिक लिखतों के किसी संदर्भ को गौतमबुद्ध प्राविधिक लिखतों के किसी संदर्भ को गौतमबुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ का संदर्भ मान लिया जायेगा।"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-6 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सदल प्रसाद-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य के बुन्देलखण्ड क्षेत्र (जनपद झांसी, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर महोबा एवं चित्रकूट) को उत्तर प्रदेश राज्य से अलग करके पृथक राज्य का गठन किये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद चतुर्वेदी तथा विवेक कुमार सिंह द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 5 नवम्बर, 2007 को सदन में प्रस्तुत प्रस्ताव पर जारी चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

माननीय प्रमोद तिवारी के अनुरोध पर इसको स्थगित कर दिया गया है।

प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक सामान्य नीति बनाने तथा उसे बिना किसी भेदभाव के प्रदेश के सभी नागरिकों पर सामान्य रूप से कड़ाई से लागू किये जाने के सम्बन्ध में चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी द्वारा दिनांक 6 नवम्बर, 2007 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर जारी चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

सत्येन्द्र सोलंकी जी नहीं हैं इसमें चर्चा जारी थी। इसमें चर्चा जारी रहेगी।

प्रदेश में नीलगायों द्वारा फसलों को नष्ट किये जाने से होने वाली क्षति की रोकथाम हेतु प्रभावी नीति/कानून बनाने विषयक श्री जोखूलाल यादव द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2009 को नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर चर्चा

श्री जोखू लाल यादव-

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे नियम-103 के प्रस्ताव पर, मैं आपका सर्वप्रथम आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं और क्षमा भी अगर कहीं त्रुटि हुई हो तो मांगता हूं। मान्यवर, यह प्रस्ताव जो नीलगाय पर हमारा है बड़ी विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं यह जो प्रस्ताव है कि-"यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में नीलगायों द्वारा फसलों को नष्ट किये जाने से होने वाली क्षति की रोकथाम हेतु प्रभावी नीति/कानून बनाया जाय।" माननीय अध्यक्ष महोदय आज पूरे प्रदेश में दलहन और तिलहन की पैदावार घट रही है उसका सम्बन्ध भी इन नीलगायों से है बहुत सारे लोग इस प्रदेश के, 80 फीसदी जनता खेती करती है, किसानों से सम्बन्धित है। खासतौर से जो नदी के किनारे इलाके हैं नदी के किनारों में नीलगायों की संख्या इतनी बढ़ गयी है अब वह उधर से मैदानी इलाकों की तरफ भी बढ़ चुके हैं।

सच्चाई यह है कि नीलगाय को गाय का जो रूप दे दिया गया है, तमाम लोगों की गाय से जो भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं, गाय को हम लोग गऊ माता के रूप में स्वीकार करते हैं, मानते हैं। मान्यवर, नीलगाय उसको कहते हैं, मैं समझता हूं कि यह एक नई प्रजाति का पशु है, इसे क्या कहें, लेकिन मुझे लगता है कि यह कोई नई प्रजाति का घोड़ा है और मान्यवर, सबसे बड़ी चीज यह है कि इनकी खुद जो यह नई प्रजाति है, इस नीलगाय से इतने बच्चे होते हैं कि अगर जिस इलाके में इसने अपना अड्डा बना लिया तो समझ लीजिये, उस इलाके की दलहन और तिलहन की फसल पूरी की पूरी बर्बाद हो जाती है। आज स्थिति यह है कि किसान न तो अपने खेतों में अरहर पैदा कर पा रहा है, न मटर की खेती कर पा रहा है, न चना पैदा कर पा रहा है और इससे इतनी क्षति है, जिसके कारण आज पूरे प्रदेश में दलहन और तिलहन का एक तरह से संकट पैदा हो गया है और उसकी पैदावार घटी है। मान्यवर, मेरा आपसे यह कहना है कि मा0 सदस्य चाहे इधर बैठे हों या उधर बैठे हों, यह सबकी समस्या है क्योंकि यहां पर बैठे हुये 80 प्रतिशत लोग गांव और किसान परिवार से जुड़े हुये लोग हैं, जहां खेती होती है, जिसकी वजह से नीलगायों की रोकथाम के लिये कोई उपाय किया जाना आवश्यक है, लेकिन इसका व्यावहारिक पक्ष बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसकी रोकथाम के लिये क्या किया जाय, इनको उस इलाके से कैसे हटाया जाए, इनको कैसे समाप्त किया जाए क्योंकि हम 'अहिंसा परमो धर्मः', बापू के देश के रहने वाले लोग है, यह भी समस्या है। तमाम सारी विडम्बना ऐसी है, जिसके कारण चाहते हुये भी सरकार उनको समाप्त नहीं कर पा रही है। लेकिन मेरी सोच है कि यदि ऐसा कोई जीवधारी हम लोगों के लिये, मनुष्य के लिये खतरनाक साबित होता है और हमारे जीवन-जिन्दगी को जीने में रोड़ा है या जिसके कारण यह समझ में आता है कि धीरे-धीरे जिन्दगी समाप्त हो सकती है और किसी उपयोग के लिये यह शायद नहीं है। मान्यवर, एक तो उस पर खुली छूट कर दी जाए, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री और हम लोगों का 4-5 किलोमीटर का फासला है, गंगा के किनारे हैं और परेशानशुदा लोग हैं, सरकार के लोग भी और हम लोग भी या तो इनके लिये पूरी छूट दे दी

जाय, कभी-कभी मान्यवर, गांव में होता था, कुछ लोग इनका शिकार कर लेते हैं, लेकिन हमारी धार्मिक भावनाएं कुछ इस तरह की हैं, जिसके कारण भी गांव के लोग सहयोग नहीं करते, यह भी सच है। मान्यवर, यह भी सच्चाई है कि इनको पकड़ कर किसी एक स्थान पर रखा नहीं जा सकता है। तो आखिर क्या किया जाए, यह जरूर हमारी चिन्ता का विषय है और हम चाहते हैं कि इस पर कोई ऐसी प्रभावी नीति बनाई जाए जिससे कि प्रदेश में जो दलहन और तिलहन का उत्पादन घटता जा रहा है, जो किसानों की फसलों की वह क्षति कर रहे हैं, यहां तक अब इनका गेहूं जैसी फसलों पर भी धावा हो गया है, अब यह नीलगाय उनको भी नष्ट करने लगे हैं। कभी-कभी तो यह स्थिति बनती है कि कोई भी आदमी जो अहिंसा का पुजारी है, वह भी मन बना लेता है, इनको इलाके से बाहर करने के लिये जो भी करना पड़े, आवश्यक कदम उठाने पड़े, वह कदम भी उठाने के लिये तैयार हो जाता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप इस पर सरकार को कोई निर्देश दें कि वह कोई प्रभावी नीति बनाये, कोई कमेटी बना करके या चर्चा करके इन नीलगायों से अगर किसानों की फसल को बचाया जा सके तो बहुत अच्छा होगा, धन्यवाद।

वन, जन्तु उद्यान मंत्री (श्री फतेह बहादुर)-

मा0 अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से नीलगाय जो किसानों के खेतों को, फसलों को नुकसान पहुंचाती है, प्रदेश सरकार इस पर पूरी तरह से चिन्तित है और जैसाकि भ्रान्तियां हैं जिसे हम आम भाषा में नीलगाय कहते हैं यह गोवंश की प्रजाति का नहीं है यह बिल्कुल उससे भिन्न हैं और खासतौर से यह हिरन की प्रजाति में आता है। इसलिए हमने इसके प्रचार-प्रसार के लिए ब्लाक स्तर पर पम्पलेट छपवा कर वन विभाग से प्रचार-प्रसार करने का भी काम किया है। मान्यवर, माननीय सदस्य ने कई प्रश्न उठाये। निश्चित रूप से जहां किसानों की फसलों का नुकसान होता है, किसानों की पीड़ा से मैं भी अवगत हूं, मैं भी किसान परिवार से आता हूं और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां हम लोगों की जंगलों के किनारे खेती है, मान्यवर, पूरा-पूरा खेत साफ हो जाता है। निश्चित रूप से यह गंभीर विषय है। मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने महत्वपूर्ण विषय पर इस बात को उठाने का काम किया है। अभी पिछली 18 अगस्त, 2009 को माननीय प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में सभी प्रदेशों के वन मंत्रियों की बैठक बुलायी गयी थी और मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मैंने इस बात को माननीय मुख्य मंत्री जी के दिशा-निर्देशों में वहां पर उठाया कि नीलगाय को जो शिड्यूल टीम का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऐक्ट में शिड्यूल टीम का प्राणी है। उसको शिड्यूल ट्राइब करके वर्ग में घोषित करने का काम केन्द्र सरकार करे। क्योंकि यह ऐक्ट सेन्ट्रल ऐक्ट है, यह प्रदेश सरकार का ऐक्ट नहीं है, न हमारे द्वारा प्राविधानित है। हम केन्द्र सरकार को केवल सुझाव दे सकते हैं और आज हम यह भी नहीं कह रहे हैं कि हमने पत्र लिखा, हम इंतजार कर रहे हैं। हमने भारत सरकार में पूरी मजबूती के साथ प्रदेश सरकार का पक्ष रखा, आपकी बात को रखने का काम किया। लेकिन मान्यवर, इससे पहले क्या हुआ, पिछले 5 वर्षों में क्या हुआ। जब आपकी सरकार थी कितनी बैठकें केन्द्र सरकार में बुलायी गयीं, कितनी बैठकों में वन मंत्रियों ने भाग लिया। किसने क्या प्रस्ताव रखा, मान्यवर, मैं उस पर आज जाना नहीं चाहता। निश्चित रूप से अच्छा सुझाव है। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे ही प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार ने एक विशेष केन्द्रीय बल गठित किया है और

उसको यह कहा है कि वह दो माह के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। निश्चित रूप से हमारे यहां जो नीलगायों की संख्या बढ़ी है उस पर अगर रिपोर्ट भारत सरकार में जायेगी तो निश्चित रूप से ऐक्ट में संशोधन करके केन्द्र सरकार इस पर विचार करेगी। मुझे विश्वास है। धन्यवाद।

*श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मैं मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने प्रयास किया है। क्योंकि कृषि के लिए इस समय जो सबसे खतरनाक और घातक हो गया है यह नीलगाय है। इसको लोग मारना चाहते हैं लेकिन इतनी बड़ी संख्या है कि मार नहीं सकते। अब यह हिंसक भी हो गया है। यह किसानों के ऊपर भी आक्रमण करता है और उन्हें मारता है। एक अच्छी बात मंत्री जी ने कही कि इन्होंने प्रधान मंत्री जी की बैठक में एक प्रस्ताव रखा है कि इसको मारने योग्य और जो संरक्षित वन प्राणी हैं उस श्रेणी से हटा दिया जाये। मैं समझता हूं कि मंत्री जी की जो मंशा है वह जनहित की है और अगर सदन का प्रस्ताव पक्ष में आवश्यक हो तो मैं समझता हूं कि बल देने के लिए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव प्रधान मंत्री जी के पास अगर हम सब भेज दें तो इनका जो प्रयास है उसको बल मिलेगा और पूरे प्रदेश की मंशा इस सदन के माध्यम से प्रधान मंत्री जी के सामने प्रस्तुत हो जायेगी। मैं समझता हूं कि अगर मंत्री जी सहमत हों तो एक प्रस्ताव इस मंशा का ला दिया जाये और पूरे सदन का मत प्रधान मंत्री जी को भेज दिया जाय।

श्री फतेह बहादुर-

मान्यवर, जो नियमों में व्यवस्था थी वह कार्यवाही की गयी है। निश्चित रूप से मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि माननीय यादव जी इस संकल्प को वापस लें।

श्री अध्यक्ष-

यादव जी, वापस ले रहे हैं ?

श्री जोखू लाल यादव-

नहीं।

श्री अध्यक्ष-

वापस नहीं ले रहे हैं। मैं प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, अगर तकनीकी बात है तो इनका संकल्प नाम हटाकर प्रस्ताव के नाम से पास करवा दें। मान्यवर, इस सदन की मंशा प्रधान मंत्री जी के पास जानी चाहिए। यह शासन की मंशा जब सदन की मंशा हो जायेगी तो यह पूरे प्रदेश की और सभी पक्षों की मंशा हो जायेगी। मान्यवर, इसको एक रूप दें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जहां तक हो सकता है उन्होंने किया है, आगे देखा जाएगा। जब आपने उनसे पूछे हैं तो माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा है। अब मैं प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रश्न यह है कि यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में नीलगायों द्वारा फसलों को नष्ट किये जाने से होने वाली क्षति की रोकथाम हेतु प्रभावी नीति/कानून बनाया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

भारत से मांस के निर्यात पर कृषि क्षेत्र को मिलने वाली सब्सिडी समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

मेरे नियम-103 के अति महत्वपूर्ण विषय पर आपने सूचना स्वीकार कर चर्चा कराने का मौका दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मान्यवर, भारत सरकार के एक निर्णय से सम्पूर्ण देश के किसानों के साथ धोखा व छल हो रहा है भारत सरकार ने देश से बाहर निर्यात होने वाले मांस को कृषि क्षेत्र की श्रेणी में रख दिया है जिसके कारण भारत सरकार से कृषि क्षेत्र को मिलने वाली सब्सिडी किसानों को न मिलकर केवल मांस निर्यातकों को प्राप्त हो रही है जिसके कारण मांस निर्यातक दिन दूनी रात चौगुनी आर्थिक तरक्की प्राप्त कर रहे हैं। ऊंचे-ऊचें आलीशान महलों में निवास कर रहे हैं तथा देशी-विदेशी मंहगी गाड़ियों में घूम रहे हैं लेकिन कृषि प्रधान इस भारत देश का किसान एक-एक रुपये के लिए परेशान है। किसान आर्थिक कमजोर होने के कारण बच्चों की पढ़ाई, पुत्रियों की शादी एवं परिवार में बीमार व्यक्तियों का इलाज कराने में समर्थ नहीं है। केन्द्र एवं प्रदेश की सभी सरकारें किसानों के हित की लम्बी चौड़ी घोषणाएं करती हैं लेकिन किसानों के हित में धरातल पर कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है यह किसानों से जुड़ा अति महत्वपूर्ण विषय है।

मान्यवर, अगर मांस निर्यात से यह सब्सिडी समाप्त नहीं की गयी तो उत्तर भारत में सफेद क्रान्ति कहलाने वाला भारत दूध के लिए तरस जायेगा क्योंकि इस सब्सिडी की वजह से पशुओं का कटान अंधाधुन्ध जारी है। मांस निर्यात पर मिलने वाली सब्सिडी के कारण ही मेरे जिले मेरठ में 12 मीट फ्रोजन प्लान्ट लग चुके हैं। विदेशों के व्यक्ति, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मुरादाबाद में निवास करके यहां मांस के निर्यात का व्यापार कर रहे हैं।

मान्यवर, शायद भारत सरकार से यह गलत निर्णय विदेशी मुद्रा की कमी को पूरा करने के लिए लिया गया था लेकिन अब भारत सरकार के पास विदेशी मुद्रा का पूर्ण भण्डार है ऐसा रिजर्व बैंक के आंकड़े कहते हैं। मांस निर्यात पर मिलने वाली सब्सिडी समाप्त होने से हम और आप प्रयास करें तो सम्पूर्ण भारत वर्ष एवं हमारे प्रदेश के गन्ना, आलू, धान के उत्पादक किसानों का हम ज्यादा भला कर सकते हैं। आलू, धान एवं गन्ना किसान को सब्सिडी के आधार पर और अधिक उनके उत्पाद का मूल्य दिया जा सकता है। अधिक मूल्य मिलने पर गरीब किसान के घर में खुशहाली होगी तथा उसके स्वास्थ्य रहन-सहन तथा शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन होगा।

मान्यवर, मैं अब मेरठ जिले जिससे चुनकर आता हूं उस जिले के मांस निर्यात के कुछ तथ्यात्मक आंकड़े पेश कर सम्पूर्ण सदन का समर्थन चाहता हूं। अकेले मेरठ जनपद में वाणिज्य कर के आंकड़ों के अनुसार कुल 1300 करोड़ रुपये का निर्यात होता है जिसमें से केवल मांस का निर्यात केवल 700 करोड़ रुपर्ये का है बाकी 600 करोड़ रुपये में खेल का सामान, कपड़ा आदि का निर्यात होता है। 700 करोड़ के मांस निर्यात में 20 प्रतिशत की सब्सिडी भारत सरकार द्वारा

निर्यातक को 140 करोड़ रुपये दी जाती है तथा 700 करोड़ रुपये के मांस निर्यात पर 250 करोड़ की व्यापारित बचत होती है इस तरह अकेले मेरठ जनपद मांस निर्यातकों को 400 करोड़ रुपये सालाना की आमदनी हो रही है। जब एक जनपद का यह हाल है तो सम्पूर्ण प्रदेश व देश की क्या स्थिति होगी। इतने प्राप्त होने वाले धन से किसानों का कितना भला होने वाला है यह विचारणीय प्रश्न है।

अतः मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि भारत में मांस के निर्यात पर कृषि क्षेत्र से मिलने वाली सब्सिडी समाप्त की जाये", को स्वीकृत किया जाय।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

पशु के मांस के निर्यात का कार्य केन्द्र सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है। मान्यवर, आज ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि हमें इसकी सिफारिश करने की आवश्यकता है। भारत सरकार की जो नीति है उसके अनुसार वह उसमें जब चाहेगी परिवर्तन कर सकती है इस सदन की सिफारिश की कोई संकल्प की आवश्यकता नहीं है इसलिए मैं माननीय सदस्य से चाहूंगा कि वह अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

जैसा कि मा0 मंत्री जी ने बताया मैं इनसे अनुरोध करता हूं। मैं आपसे यह सिफारिश नहीं कराना चाहता कि आप क्या सिफारिश करेंगे लेकिन अगर दूध को बिल्कुल ही खत्म करना है जिस प्रकार जानवर कट रहे हैं, जिस प्रकार मांस का निर्यात हो रहा है, जिस प्रकार से सब्सिडी 20 परसेन्ट मिल रही है, इसको कृषि से निकाल दिया जाये 20 फीसदी इनकी सब्सिडी खत्म कर दी जाये। ये मैं आपसे प्रयास कर रहा हूं। आपके प्रयास से क्या नहीं होगा, हो तो बहुत कुछ सकता है। लेकिन आप प्रयास करोगे, अगर नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं, फिर बेकार है। इसलिए आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि इस प्रस्ताव को मान लिया जाये और अपनी तरफ से एक अनुरोध पत्र भेजा जाये यह मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष-

वापस ले रहे हैं प्रस्ताव ?

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

नहीं।

डा0 पी0के0 राय-

माननीय मंत्री जी ने भी इसको स्पष्ट नहीं किया। हम लोग जानना चाहते हैं, कुछ जानते नहीं हैं इसके बारे में "यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है भारत से मांस के निर्यात पर कृषि क्षेत्र को मिलने वाली सब्सिडी समाप्त की जाये।" मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी इसको स्पष्ट कर दें या मा0 कृषि मंत्री जी स्पष्ट कर दें। क्या जो इस तरह की मांस की कटान होती है, जिसके लिये माननीय सदस्य ने कहा कि वहां पर कई मशीनें लगी हुयी हैं, बड़े पैमाने पर मांस का निर्यात होता है और निर्यातकों को

सब्सिडी मिलती है। मान्यवर, मेरा यह कहना है कि आखिर कृषि क्षेत्र का इससे क्या ताल्लुक है ? यदि आपके संज्ञान में कुछ हो तो हम लोगों का भी ज्ञानवर्धन कराने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, इसमें कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुयी सब्सिडी का यह क्या मसला है ? माननीय सदस्य आपका प्रस्ताव है और आप ही इसे स्पष्ट कर दें।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

मान्यवर, जब यह कृषि में नहीं आता है, कृषि की जो योजना बनायी गयी है जिसमें सब्सिडी दी जा रही है, यह एक बहुत बुरा काम हो रहा है तो हमारा कहना यह है कि उत्तर प्रदेश और भारत वर्ष दूध उत्पादक प्रधान देश है, वहां के कृषि मंत्री जी बैठे हैं, वे जवाब दें। मान्यवर, हम तो आपसे एक बात की मांग कर रहे हैं कि इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव बनाकर भेजा जाये कि मांस निर्यात में सब्सिडी न दी जाये।

कृषि मंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण)-

मान्यवर, केन्द्र सरकार में यह कृषि विभाग में ही आता है तो वहां से केन्द्र का कोई सम्बन्ध हो सकता है।

श्री लालजी वर्मा-

यह प्रस्तावक जाने हमसे क्या।

डा0 पी0के0 राय-

मान्यवर, दोनों में अन्तर है। इस प्रस्ताव के ऊपर विधान सभा में चर्चा कराये जाने का ही कोई औचित्य नहीं है और यह एजेन्डे में कैसे आ गया ? इसको दिखवा लें माननीय अध्यक्ष जी।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपसे चाहूंगा कि इसका प्रश्न उपस्थित करके इसको प्रस्तुत करें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब हम प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे प्रस्तावक जो प्रस्ताव लाये हैं उसमें शायद उनकी मंशा रही है कि जैसे कृषि कार्यों में सब्सिडी दी जाती है, उसी तरह की सब्सिडी मांस निर्यात के मामले में भी दी जा रही है। लेकिन प्रस्तावक खुद ही अपनी बात को दृढ़ नहीं कर पाये हैं कि किस तरह से प्रस्ताव की सिफारिश कराना चाहते हैं भारत सरकार से।

ठीक है, अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि भारत से मांस के निर्यात पर कृषि क्षेत्र को मिलने वाली सब्सिडी समाप्त की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 3 फरवरी, 2010 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 53 सूचनायें प्राप्त हुईं।

1-श्री प्रमोद तिवारी की प्रदेश में अनुदानित संस्कृत विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की सूची प्रकाशित किये जाने के संबंध में है, 2-श्री अब्दुल वारिस खां की जनपद मुजफ्फरनगर में नरेगा के अन्तर्गत ग्राम रोजगार सेवकों को मानदेय न दिये जाने के संबंध में है, 3-डा0 आर0ए0 उस्मानी

की प्रदेश में कार्यरत किसान मित्रों को दिये जाने वाले मानदेय का भुगतान कराये जाने के संबंध में है, 4-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह की जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मंगरौरा के ग्रामों में ग्राम सभा निधि के दुरुपयोग किये जाने की जांच कराये जाने के संबंध में है तथा 5-श्री अमेरिका प्रधान की जनपद गाजीपुर के ग्राम तराय में गंगा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में है, प्राप्त सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती हैं। 6-श्री उदयराज की जनपद उन्नाव स्थित देवराघाट में सई नदी के निर्मित पुल पर सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के संबंध में है तथा 7-श्री महबूब अली की जनपद जे0पी0 नगर के अमरोहा नगर में सीवर जल निकासी की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में है, प्राप्त सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती हैं। 8-श्री सुन्दर लाल लोधी की जनपद उन्नाव के ग्राम बिचपरी परगना गोविन्दा की अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित भूमि को चकबन्दी अधिकारी द्वारा कृषि हेतु चक काटने के संबंध में है, 9-श्री अनूप सण्डा की जनपद सुल्तानपुर के थाना अखण्डनगर अन्तर्गत हो रही डकैती एवं लूट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, 10-श्री शम्भू चौधरी की अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा लिये गये निर्णयानुसार खरवार जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किये जाने के संबंध में है तथा 11-श्रीमती कृष्णाराज की लखीमपुर खीरी की तहसील मोहम्मदी में बन्द पड़े नलकूपों को चालू कराये जाने एवं गलत सूचना देने वालों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में है, प्राप्त सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं :-

1-श्री अनूप कुमार गुप्ता,

2-श्री राजेन्द्र सिंह,

3-डा0 पी0के0 राय,

4-श्री सुरेश कुमार खन्ना,

5-श्री राधेश्याम गुप्ता,

6-श्री इरफान सोलंकी,

7-श्री निर्मल कुमार वर्मा,

8-श्री अवस्थी बाला प्रसाद,

9-श्री सुन्दर सिंह,

10-श्री पूरन प्रकाश,

11-श्री सुखलाल,

12-श्री अशोक कंसल,

13-श्री विद्या सागर गुप्ता,

14-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल,

15-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,

16-श्री जसवन्त सिंह,

17-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल,

18-श्री उदयभान करवरिया,
19-श्री लल्लू सिंह,
20-श्री सतीश महाना,
21-डा0 कौशल किशोर,
22-श्री राजकिशोर सिंह,
23-श्री अरविन्द सिंह यादव,
24-श्री दीपक कुमार,
25-श्री शैलेन्द्र यादव ललई,
26-श्री सोबरन सिंह यादव
27-श्री आरिफ अनवर हाशमी,
28-श्री जावेद अंसारी,
29-श्री बैजनाथ दुबे,
30-श्री नरेन्द्र सिंह,
31-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद,
32-श्री जोखू लाल यादव,
33-श्रीमती विद्या चौधरी,
34-श्री विनोद कुमार,
35-श्री राजाराम त्यागी,
36-श्री संजीव दरियाबादी,
37-श्री लालजी यादव,
38-डा0 अनिल चौधरी,
39-चौ0 सत्यपाल सिंह,
40-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी,
41-श्री इमरान मसूद तथा
42-डा0 अजय तोमर।

जनपद उन्नाव के जिला प्रशासन द्वारा अनुसूचित जाति के बीमार व्यक्ति को अपनी सम्पत्ति शासनादेश के अनुसार विक्रय की अनुमति न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुन्दर लाल लोधी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा मा0 सदन में दिनांक 29-1-2010 को नियम-51 अन्तर्गत दी गयी सूचना जो जनपद उन्नाव के सदर तहसील ....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[के ग्राम सैय्यद अब्बासपुर निवासी अनुसूचित जाति श्री राम सेवक पुत्र हीसा ने अपनी भूमि अपने इलाज हेतु विक्रय करने की अनुमति हेतु अपर जिलाधिकारी, उन्नाव को दिनांक 31-7-2009 को प्रार्थना दिया जो परगनाधिकारी श्री अभय सिंह के यहां जांच हेतु भेजा गया। परगनाधिकारी ने तरह-तरह से जांच की परन्तु आज तक अनुमति न मिल सकी। श्री राम सेवक धन के अभाव में अपना इलाज कराने से वंचित है।

2-उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, उन्नाव से प्राप्त सूचना/आख्या में अवगत कराया गया कि श्री राम सेवक पुत्र हीसा निवासी-सैय्यद अब्बासपुर परगना व तहसील व जिला उन्नाव का ग्राम मतवासी परगना हड़हा में स्थित गाटा संख्या-1608 रकबा 0.051 हे0 व 1609/1-रकबा 0.253 हे0 की बीमारी के इलाज हेतु विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में आवेदक का प्रार्थना-पत्र दिनांक 31-7-2009 प्राप्त हुआ था। उपरोक्त आवेदित भू-खण्डों के विक्रय के पश्चात् आवेदक श्री राम सेवक के पास 1.830 हे0 भूमि अवशेष बचती है। इस सम्बन्ध में परीक्षणोपरान्त जिलाधिकारी, उन्नाव द्वारा दिनांक 2-2-2010 की अनुमति प्रदान कर दी गयी है।]

उ0 प्र0 राज्य वस्त्र निगम कताई मिल झांसी के कर्मचारियों को वेतन, ग्रेच्युटी आदि का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में श्री कैलाश साहू द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय सदस्य, विधान सभा श्री कैलाश साहू द्वारा उ0 प्र0 राज्य वस्त्र निगम, कताई मिल, झांसी के कर्मचारियों को वेतन, मजदूरी, पी0एफ0, बोनस, ग्रेच्युटी का भुगतान न होने से उत्पन्न स्थिति के अन्तर्गत ...

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

.श्री लालजी वर्मा-

[.....सम्बन्ध में नियम-51 के अंतर्गत सूचना पर दिनांक 29-1-2010 को मा0 सदन का ध्यान आकृष्ट किया गया था।

2-उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम की स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी तथा एक लि0 कम्पनी के रूप में इसे वर्ष 1973 में नियमित किया गया। निगम में 05 कताई मिले मेरठ, सण्डीला, झांसी काशीपुर व जसपुर में स्थापित है। प्रत्येक मिल की क्षमता उत्पादन प्रारम्भ किये जाने का वर्ष, उत्पादन बन्द होने का वर्ष व कार्यरत श्रमिक शक्ति का विवरण निम्नवत् है :-

मिल का नाम	तकुआ क्षमता	उत्पादन प्रारम्भ	उत्पादन बन्द होने का वर्ष	श्रम शक्ति
परतापुर (मेरठ)	50168	दिसम्बर, 1977	जून, 1999	2215
सण्डीला (हरदोई)	50168	जुलाई, 1977	दिसम्बर, 1998	2301
झांसी	50168	जून, 1977	नवम्बर, 1997	2341
काशीपुर	50168	सितम्बर, 1977	नवम्बर, 1998	2338
जसपुर	25088	फरवरी, 1984	अक्टूबर, 1998	1204

3-निगम की मिलों की आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं रही और विभिन्न कारणों से लगातार हानियां होने के कारण पांचों इकाई उपरोक्तानुसार बन्द हो गई हैं और शासन द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्राविधानों के तहत शासनादेश संख्या-250/36-2-2001-173/2000, दिनांक 28 मार्च, 2001 द्वारा दिनांक 14-3-2001 से मिलों में औपचारिक बन्दी घोषित कर दी गई है।

4-निगम की मिलों में से काशीपुर व जसपुर उत्तरांचल राज्य की भौगोलिक सीमा के अन्तर्गत स्थित है तथा मा0 बी0आई0एफ0आर0 के निर्णय के क्रम में उक्त दोनों मिलें उत्तरांचल शासन को दिनांक 19-8-04 को हस्तान्तरित की जा चुकी है।

5-उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम समूह की इकाइयों का जिसमें झांसी स्थित मिल भी सम्मिलित थी का अध्ययन इण्डियन इंस्ट्रीट्यूट आफ मैनेजमेंट, लखनऊ से कराया गया था। इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट लखनऊ से माह अगस्त, 1999 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट द्वारा विस्तृत अध्ययन के उपरान्त यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि समूह की अधिकांश मिले प्रारम्भ से ही हानि में चल रही है, पूर्व में शासन द्वारा घाटों की प्रतिपूर्ति किसी न किसी माध्यम से की जाती रही थी। उ0प्र0 शासन द्वारा हानि की प्रतिपूर्ति हेतु असमर्थता व्यक्त करने के उपरान्त मिलों को शुद्ध लाभ से चलाया जाना ही एक मात्र विकल्प प्रतीत होता है। जबकि इन मिलों द्वारा वर्तमान व्यवस्था में शुद्ध लाभ अर्जित किया जाना सम्भव प्रतीत नहीं होता है।

6-इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट द्वारा दिये गये रिपोर्ट के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0 की मेरठ, सण्डीला, झांसी, काशीपुर एवं जसपुर स्थित इकाइयों की वर्तमान व्यवस्था (शासकीय) में चलाकर शुद्ध लाभ की स्थिति में लाया जाना व्यवहारिक दृष्टि से संभव नहीं प्रतीत होता है। मिलों के उत्पादन बनाये रखने हेतु शासन द्वारा ट्रेड टैक्स

डिफरमेंट की धनराशि सहित वर्ष 1996-98 के मध्य रु0 52.56 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराई गई, परन्तु इस सहायता के उपरान्त भी मिलें सुचारु रूप से नहीं चल पाई और कार्यशील पूंजी समाप्त होने के कारण सभी मिलों में उत्पादन प्रक्रिया नवम्बर, 1997 से जून, 1999 के मध्य बन्द हो गई।

7-निगम का मामला नेटवर्क ऋणात्मक होने के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 3-12-1994 को सिंक इण्डस्ट्रियल कम्पनीज एक्ट (स्पेशल प्रोवीजन एक्ट, 1985) के प्राविधानों के तहत मा0 बी0आई0 एफ0आर0 को संदर्भित किया गया था और मा0 बी0आई0एफ0आर0 द्वारा निगम को दिनांक 2-2-95 को रुग्ण घोषित किया गया था। माह अप्रैल, 2001 में यह कार्य योजना प्रस्तुत की गई थी कि मिलों के निजीकरण हेतु कार्यवाही की जाये। इसी मध्य 14-3-2001 में झांसी सहित मिलों में उ0प्र0 औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत मिलों में औपचारिक बन्दी घोषित कर दी गई। दिनांक 14-3-2001 के उपरान्त झांसी स्थित मिल अथवा निगम में कोई भी कार्मिक कार्यरत नहीं है।

8-यद्यपि वैधानिक रूप से निगम के कर्मचारियों को वी0आर0एस0 के भुगतान का शासन का कोई विधिक दायित्व नहीं था परन्तु मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए निगम के कर्मचारियों को शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि से निम्नानुसार वी0आर0एस0 का भुगतान कर दिया गया है।

इकाई का नाम	कार्मिकों की संख्या	धनराशि (रु0 लाख में)
मेरट	2215	1874.89
सण्डीला	2302	1922.63
झांसी	2342	1984.51
मुख्यालय	154	460.69
	7013	6242.72

9-उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0, की कताई मिल झांसी के कार्मिकों के वेतन, मजदूरी, पी0एफ0 (भविष्य निधि) एवं ग्रेच्युटी इत्यादि देयों का भुगतान शासन द्वारा लिये गये नीति निर्णयों एवं मा0 बी0आई0एफ0आर0 द्वारा पारित आदेशानुसार मिलों की परिसम्पत्तियों के विक्रय के उपरान्त बिक्री से प्राप्त धनराशि से किया जायेगा।]

जनपद रामपुर की तहसील मिलक में राजकीय डिग्री कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

श्री संजय कपूर माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना में अवगत कराया गया है कि तहसील मिलक, जनपद रामपुर की बहुत .....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(पढ़ा हुआ माना गया वक्तव्य संलग्न है)

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[पिछड़ी हुई तहसील है। यहां पर कोई भी राजकीय या प्राइवेट महाविद्यालय नहीं है जिसके कारण इण्टरमीडिएट के बाद गरीब बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। जिस कारण मिलक में शिक्षा का काफी अभाव है। ब्लाक मिलक असेवित ब्लाक है। शासन की नीति के अनुसार असेवित ब्लाक में खोले जाने का प्राविधान है। मा0 सदस्य द्वारा जनहित में तहसील-मिलक में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की मांग की गई है।

उल्लेखनीय है कि ऐसे जनपद जहां राजकीय महाविद्यालय स्थापित नहीं है वहां राजकीय महाविद्यालय स्थापित किये जाने की शासन की वर्तमान नीति है। जनपद रामपुर में 03 राजकीय महाविद्यालय तथा 03 अनानुदानित/स्ववित्त पोषित महाविद्यालय पूर्व से ही संचालित है। तहसील मिलक में बिलासपुर रोड पर लगभग 03 कि0मी0 की दूरी पर डा0 राम बहादुर सिंह मेमोरियल महाविद्यालय मिलक रामपुर तथा लगभग 08 कि0मी0 की दूरी पर राजेन्द्र प्रसाद डिग्री कालेज मीरगंज, बरेली संचालित है। अतः उक्त स्थिति में जनपद रामपुर की मिलक तहसील में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किये जाने का सम्प्रति औचित्य नहीं है।]

उत्तर प्रदेश वेलफेयर फण्ड अधिनियम के अन्तर्गत अधिवक्ता परिपक्वता राशि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में डा0 राधामोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय सदस्य, विधान सभा डा0 राधामोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम-51 में यह सूचना दी है कि .....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

श्रीमन्, आप इसे पूरा पढ़ दें, क्योंकि मैं जानना चाहूंगा कि क्या जवाब है।

श्री लालजी वर्मा-

उत्तर प्रदेश अधिवक्ता वेलफेयर फण्ड अधिनियम, 1974 के तहत प्रदेश में अति अधिवक्ता को रु0 1.50 लाख दिये जाने का प्राविधान किया गया है। जब उक्त प्राविधान किया गया था, उस समय 5 वर्ष से कम प्रैक्टिस के अधिवक्ता रु0 50/-, 5-10 वर्ष की प्रैक्टिस के अधिवक्ता रु0 100 तथा 10 वर्ष से अधिक प्रैक्टिस के अधिवक्ता रु0 250/- अथवा एक मुश्त

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रु0 3100 जमा करते थे तथा प्रति वकालतनामा प्रति अधिवक्ता 5 रुपये एडवोकेट वेलफेयर टिकट लगता था। उक्त धनराशि विगत 1 मई, 2002 से 50 की जगह 100, 100 की जगह 200, 250 की जगह 400 तथा एक मुश्त राशि रु0 3100/- की जगह रुपये 5100/- तथा एडवोकेट वेलफेयर टिकट की राशि 5/- के स्थान पर रु0 10 कर दिया गया है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

बस ठीक है, बात आ गई है, अब इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[अतः अधिवक्ताओं को मिलने वाली परिपक्वता राशि रु0 1.5 लाख के स्थान पर रु0 10.00 लाख किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

2-उक्त के संबंध में सूच्य है कि अधिवक्ताओं के कल्याण के लिये वर्ष 1974 में उ0प्र0 अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम पारित कर धारा-3 में उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य अधिवक्ताओं के लिये सामूहिक बीमा योजना चलाया जाना तथा उनके लिये टिन शेड एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराना है।

3-अधिनियम की धारा-11 (5) के अनुसार न्यासी समिति का सदस्य बनने के लिये मा0 अधिवक्ताओं से प्रैक्टिस के आधार पर 05 वर्ष से कम रु0 100/- 05 से 10 वर्ष तक रु0 250/- तथा 10 वर्ष से अधिक रु0 400/- का वार्षिक शुल्क लिया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रथम बार रु0 100/- रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया जाता है। कोई भी अधिवक्ता रु0 5100/- का भुगतान करके आजीवन सदस्य बन सकता है।]

4-वर्तमान समय में निधि के आर्थिक स्रोत निम्नवत् हैं :-

(अ) उत्तर प्रदेश बार कौंसिल के समक्ष रजिस्ट्रेशन के लिये दिये गये स्टैम्प के बराबर की धनराशि।

(ब) अधिवक्ता कल्याण स्टैम्प की बिक्री से प्राप्त धनराशि।

(स) समय-समय पर सदस्यों द्वारा दिये गये वार्षिक अंशदान की धनराशि।

5-न्यासी समिति द्वारा नियमानुसार किसी अधिवक्ता की मृत्यु की दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से रुपये 50,000/- का भुगतान किये जाने की व्यवस्था है। इसका लाभ सभी अधिवक्ताओं को मिल रहा है। भारतीय जीवन बीमा निगम की पालिसी के वार्षिक प्रीमियम के रूप में लगभग 01 करोड़ 65 लाख रुपये का भुगतान न्यासी समिति द्वारा किया जा रहा है।

6-अधिनियम की धारा-13 के अनुसार उक्त के अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा निधि योजना के सदस्यों के वार्षिक योजना का कोई भी सदस्य अपनी सदस्यता समाप्त होने पर निम्न प्रकार से धनराशि प्राप्त करने का अधिकारी है :-

(1) किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके नामिनी या जहां कोई नामिनी न हो उसके विधिक वारिसों को निधि से उसकी सदस्यता के प्रत्येक सम्पूरित वर्ष के लिये

रु0 5000/- की दर से संगणित धनराशि, जिसकी न्यूनतम सीमा रु0 25000/- तथा अधिकतम सीमा रु0 1,50,000/- होगी।

(2) यदि किसी सदस्य की सदस्यता 12 वर्ष के पश्चात् तथा 25 वर्ष के पूर्व समाप्त हो तो उसकी सदस्यता समाप्त होने पर सदस्यता के प्रत्येक सम्पूरित वर्ष के लिये उसे रु0 2000/- प्रतिवर्ष की दर से संगणित धनराशि दी जायेगी।

(3) 25 वर्ष की सदस्यता पूरी करने के उपरान्त सदस्यता से त्याग-पत्र देने पर सदस्यता के प्रत्येक सम्पूरित वर्ष के लिये रु0 5000/- की दर से भुगतान किया जायेगा, जिसकी अधिकतम सीमा रु0 1,50,000/- होगी।

(4) यदि किसी सदस्य की सदस्यता उपरोक्त स्थिति के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से समाप्त होती है तो वह अपने द्वारा जमा किये गये वार्षिक अंशदान की धनराशि के बराबर की धनराशि प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

7-उ0प्र0 अधिवक्ता निधि न्यासी समिति द्वारा वर्ष 1989 से अधिवक्ताओं को न्यासी समिति का सदस्य बनाया जा रहा है, जबकि वर्तमान में न्यासी समिति के सदस्यों की संख्या लगभग 54000 है। वर्ष 1989 में बने सदस्यों की संख्या 5213 तथा वर्ष 1990 में बने सदस्यों की संख्या 2581 है। 1989 से 2009 तक 21 वर्ष पूरा हो चुका है और नियमानुसार प्रैक्टिस की अवधि की सदस्यता जोड़ने पर बहुत बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं की परिपक्वता अवधि पूरी हो रही है और आगामी एक दो वर्षों में परिपक्वता अवधि पूर्ण हो जाने पर बहुत अधिक धनराशि का भुगतान न्यासी समिति को करना होगा। न्यासी समिति की वर्तमान में जमा पूंजी मात्र लगभग 24 करोड़ है। न्यासी समिति की आर्थिक स्थिति संतोषजनक न होने के कारण अधिवक्ताओं को वर्तमान में देय धनराशि को बढ़ाना सम्भव नहीं है।]

*डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं इस विषय में माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहूंगा। जब 2002 से पूर्व वेलफेयर फण्ड का टिकट पांच रुपया लगता था और माननीय अधिवक्ताओं के द्वारा दी जाने वाली शुल्क सीधे आधी होती थी, मई, 2002 के बाद से शुल्क दोगुनी कर दी गई और वेलफेयर फण्ड पांच रुपया का टिकट बढ़ा करके दस रुपया कर दिया गया। तो आखिर कौन सा ऐसा कारण है जिसके तहत यह सरकार महसूस करती है कि परिपक्वता राशि को शुल्क के फीस के पंजीकरण के और वेलफेयर टिकट को दो गुना होने के बावजूद परिपक्वता राशि को बढ़ाया जाना उचित नहीं होगा, माननीय मंत्री जी से एक चीज मैं जानना चाहूंगा, दूसरी चीज वेलफेयर फण्ड का जो टिकट इकट्ठा होता है उसके बारे में बहुत सी बाते हैं जब से यह टिकट बना है शासन के पास इस टिकट के अन्तर्गत कितना धन उपलब्ध हुआ, प्रदेश के सारे अधिवक्ताओं ने अब कितना शुल्क जमा किया है और प्रतिवर्ष परिपक्वता राशि के रूप में हम माननीय अधिवक्ताओं को कितनी धनराशि देते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर इसमें साफ लिखा है कि न्यासी समिति की आर्थिक स्थिति संतोषजनक न होने के कारण अधिवक्ताओं को वर्तमान में देय धनराशि को बढ़ाया जाना सम्भव नहीं है। स्पष्ट उल्लेख है मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

हां ठीक है, जवाब तो आ गया है। अब मैं अगली मद ले रहा हूं।

जनपद मुजफ्फरनगर स्थित ग्राम जौली में अनूप शहर ब्रांच पर बने ध्वस्त पुल का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अब्दुल वारिस खां द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

जनपद मुजफ्फरनगर में दिनांक 19-01-10 को ग्राम जौली के निकट गंग नहर .....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[पर चौधरी चरण सिंह, कांवड़ पटरी पर अनूपशहर ब्रान्च के हेड पर बना लगभग 160 वर्ष पूर्व निर्मित पुल शाम को लगभग 7.30 बजे गिर गया। पुल के गिर जाने से संबंधित यातायात को अनूपशहर ब्रान्च के कि0मी0 1.80 पर बने पुल से तत्काल परिवर्तित किया गया एवं वर्तमान में यातायात सुचारु रूप से चल रहा है। कहीं भी ट्रैफिक जाम आदि की समस्या नहीं है। यह पुल ऊपरी गंगा नहर पर बनी कांवड़ पटरी सड़क पर है, जो जनपद गाजियाबाद, मुरादनगर से मंगलौर को जोड़ती है। इस पुल का स्थाई निर्माण उ0प्र0 राज्य सेतु निगम द्वारा प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसे दिनांक 31-03-10 तक पूर्ण किया जाना है। तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए सेतु निगम द्वारा उक्त क्षतिग्रस्त पुल के समीप ही एक अस्थाई पुल (स्टील ब्रिज) का निर्माण कराया जा रहा है। यह अस्थायी पुल (स्टील ब्रिज) दिनांक 10-02-10 तक पूर्ण हो जायेगा, जिससे यातायात और सुगम हो जायेगा।]

जनपद कुशीनगर स्थित सेवरही में परसौनी रजवाहा में पानी छोड़े जाने के सम्बन्ध में डा0 पी0 के0 राय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

विधान सभा क्षेत्र सेवरही, जनपद कुशीनगर तहसील तमकुहीराज अन्तर्गत .....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[परसौनी राजवाहा मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर के कि0मी0 117.20 के दाहिने किनारे से निकलती है। इस राजवाहे की कुल लम्बाई 14.3 कि0मी0 है। परिकल्पित शीर्ष डिस्चार्ज 95 क्यूसेक है तथा शीर्ष पर वाटर डैप्थ 76 सेमी0 है। परसौनी राजवाहे से पोषित होने वाली नहरें कोईन्दी राजवाहा, माधोपुर माइनर, भटवलिया माइनर, गाजीपुर माइनर, हरिहरपुर माइनर, डिबनी माइनर, तथा रामपुर माइनर है। परसौनी राजवाहा दिनांक 22-12-2009 से चलाई गई है। नहर के आन्तरिक सेक्शन में अत्यधिक सिल्ट जमा होने के कारण इसे 40 सेमी0 वाटर डैप्थ से चलाया गया है, जिससे 43 क्यूसेक पानी नहर में चल रहा है। मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर के कि0मी0 118 पर स्थित क्रास रेगुलेटर के गेटों को गिराकर परसौनी राजवाहा में जल की आपूर्ति बढ़ाई जा रही है, जिससे परसौनी राजवाहा से निकलने वाली माइनरों को पानी मिलेगा।

गण्डक नहर प्रणाली की मुख्य नहर शाखाओं एवं राजवाहों में अत्यधिक सिल्ट जमा होने के कारण नहर प्रणाली की क्षमता परिकल्पित क्षमता के अनुरूप नहीं रह गई है। इस नहर प्रणाली की क्षमता परिकल्पित क्षमता के अनुरूप नहीं रह गई है। इस नहर प्रणाली की नहरों की क्षमता पुनर्स्थापना हेतु एक परियोजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए0आई0बी0पी0) के अन्तर्गत वित्त पोषण हेतु भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। उक्त परियोजना की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होने पर नहर प्रणाली का पुनरोद्धार कराया जायेगा, जिससे निर्धारित मात्रा में प्रश्नगत राजवाहे में जलापूर्ति का स्थाई रूप से समाधान हो सकेगा।]

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र में उपलब्ध कराई गई धनराशि के अन्तर्गत विद्युतीकरण एवं अन्य कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

जनपद प्रतापगढ़ की पट्टी विधान सभा क्षेत्र में उपलब्ध .....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[कराई गई धनराशि के अन्तर्गत विद्युतीकरण एवं अन्य कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 29-01-10 को नियम -51 के अन्तर्गत दी गई सूचना निम्नवत् है :-

"जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित पूर्वांचल विकास निधि के जिलांश मद में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष पट्टी विधान सभा क्षेत्र/सदस्य, विधान सभा के लिये मात्राकृत धनराशि के अन्तर्गत मेरे द्वारा विगत दो माह पहले विद्युतीकरण सहित अन्य कार्यों के लिये प्रस्ताव

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ के माध्यम से मण्डलायुक्त, इलाहाबाद जो उक्त कार्यों के लिये नियत प्राधिकारी हैं, को प्रेषित किया गया था। आज तक मण्डलायुक्त, इलाहाबाद एवं संयुक्त विकास आयुक्त, इलाहाबाद द्वारा अपेक्षित स्वीकृति सम्बन्धित शासनादेश निर्गत न हो पाने के कारण जनहित में कार्य प्रारम्भ नहीं हो सके। वित्तीय वर्ष समाप्ति में केवल दो माह शेष है, ऐसी स्थिति में मण्डलायुक्त स्तर से स्वीकृति संबंधी आदेश जिसकी धनराशि उपलब्ध है, तत्काल निर्गत न किया गया तो शासकीय धन जनहित में खर्च होने में जहां कठिन होगा वहीं जनहित भी प्रभावित होगा।

उक्त की स्वीकृति तत्काल मण्डलायुक्त इलाहाबाद स्तर से पट्टी विधान सभा क्षेत्र के लिये उक्त मद में उपलब्ध कराई गई धनराशि के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों हेतु निर्गत न की गई तो जन असुविधा होगी।"

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा सूचित किया गया है कि पूर्वांचल विकास निधि जिलांश (सामान्य) एवं जिलांश (एस0सी0पी0) के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पट्टी हेतु मात्राकृत धनराशि क्रमशः रु0 5.60 लाख एवं रु0 31.613 लाख के सापेक्ष मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा उपलब्ध कराये गये जिलांश (सामान्य) के अन्तर्गत 01 कार्य लागत रु0 5.43 लाख एवं जिलांश (एस0सी0पी0) के अन्तर्गत 13 कार्य लागत रु0 30.84 लाख के आगणन जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ के पत्र दिनांक 3-12-09 द्वारा आयुक्त इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद को प्रेषित किये गये। मण्डलायुक्त इलाहाबाद द्वारा प्रेषित परियोजनाओं पर कतिपय आपत्तियों का निराकरण कर पुनः जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ के पत्र दिनांक 30-01-10 द्वारा आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद को प्रेषित किया गया है, जो मण्डलायुक्त कार्यालय में परीक्षणाधीन है।]

गाजियाबाद की गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका द्वारा निर्माणाधीन गैर कानूनी गेट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में मदन चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

श्री मदन चौहान, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा .....

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[दिनांक 29-1-2010 को नियम-51 के अन्तर्गत सदन को दी गई सूचना में यह सूचित किया गया है कि गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका द्वारा मेरठ-बुलन्दशहर हाई-वे 53 कि0मी0 पर मोड़ पर व दुर्घटना प्वाइंट पर गैर कानूनी तरीके से एक गेट व उस पर मकान निर्माण तानाशाही के तहत किया जा रहा है। शासन व उप जिलाधिकारी के निर्देशों की अनदेखी की जा रही है। यह

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मार्ग लोक निर्माण विभाग-2 गाजियाबाद के स्वामित्व का है तथा रोड कन्ट्रोल एक्ट के मानकों की अनदेखी की गई है तथा बिना किसी अधिकृत इंजीनियर की देखरेख के तथा तिरछे पिलरों पर घटिया गुणवत्ता के साथ तानाशाही के तहत किया जा रहा है। इस प्वाइंट पर दुर्घटनायें हो रही हैं। आज यह गेट व उस पर बन रहा बड़ा मकान आम जनता के लिये भारी खतरा बना हुआ है कभी भी भारी हादसा हो सकता है। यह सूचना अत्यन्त लोक महत्व व करोड़ों रुपये की सरकारी हानि से व जनता से जुड़ी है। अतः उच्च स्तरीय (टी0ए0सी0) आदि से गहन जांच कराने व दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की अपेक्षा की गई है।

इस संबंध में जांच कराकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन के पत्र संख्या-01नियम/9-2-2010-01नियम/2010, दिनांक 29-1-2010 द्वारा जिलाधिकारी, गाजियाबाद को निर्देशित किया गया है। जिलाधिकारी, गाजियाबाद के पत्र संख्या-173/एल0बी0सी0-21/2009-10, दिनांक 02 फरवरी, 2010 के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार उक्त प्रकरण में प्रशासनिक, पुलिस, नगरपालिका परिषद् एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की उप जिलाधिकारी, गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्राधिकारी (पुलिस) गढ़मुक्तेश्वर, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड-2, गाजियाबाद एवं अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद् गढ़मुक्तेश्वर को सम्मिलित करते हुए टीम गठित कर जांच कराई गई है। गठित टीम द्वारा दिनांक 25-1-2010 को स्थलीय निरीक्षण करने के उपरान्त जांच आख्या जिलाधिकारी, गाजियाबाद को प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार राज्य मार्गों के दोनों ओर शहरी आबादी एवं औद्योगिक क्षेत्र में राज्य मार्ग की मध्य रेखा से 60 फीट दूरी के बाहर स्थायी निर्माण हेतु विधिवत् अनुमति दिये जाने का प्राविधान है। चूंकि विषयगत निर्माण गढ़मुक्तेश्वर के आबादी क्षेत्र में पड़ता है तथा मुख्य राज्य मार्ग की मध्य रेखा से 70 फीट की दूरी पर स्थित है। अतः यह अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आता है। निर्माणाधीन गेट के कारण दुर्घटना होने का कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है एवं निर्माणाधीन गेट एवं उस पर बन रहे निर्माण की तकनीकी जांच अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, गाजियाबाद द्वारा की गई है।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं। कल पूर्वाह्न 11.00 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 04 बजकर 42 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 3 फरवरी, 2010

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नत्थी "क"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या-10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 37-38 पर)

विधायक निवास-1 खण्ड अ परिसर में चालकों के पक्ष में आवंटित गैराजों की अद्यतन स्थिति

क्रमांक	गैराज संख्या	आवंटी का नाम
1	01	श्री शिवशंकर, चालक, रा0स0वि0
2	02	श्री राम यज्ञ, चालक, रा0स0वि0
3	03	श्री नसीम अहमद-II, चालक, रा0स0वि0
4	04	श्री के0के0 तिवारी, चालक, रा0स0वि0
5	05	श्री सत्रुहन तिवारी, चालक, रा0स0वि0
6	06	श्री श्रीराम यादव चालक, रा0स0वि0
7	07	श्री किशन सिंह, चालक, रा0स0वि0
8	08	श्री मनोज कुमार, चालक, रा0स0वि0
9	09	श्री राजबहादुर तिवारी, चालक, रा0स0वि0
10	10	श्री मंजीत सिंह, चालक, रा0स0वि0
11	11	श्री लालजी, चालक, रा0स0वि0
12	12	श्री प्रवेश कुमार मिश्र, चालक, रा0स0वि0
13	13	श्री बेचालाल, चालक, रा0स0वि0
14	14	श्री मो0 असगर, चालक, रा0स0वि0
15	15	श्री राम छवीले चालक, रा0स0वि0
16	16	श्री श्याम सुन्दर पाण्डेय, चालक, रा0स0वि0
17	17	श्री मो0 जमाल, चालक, रा0स0वि0
18	18	श्री अजय कुमार, चालक, रा0स0वि0
19	19	श्री अब्दुल वहीद, चालक, रा0स0वि0
20	20	श्री विजय कुमार यादव, चालक, रा0स0वि0
21	21	श्री सुभाष चन्द्र पाण्डेय, चालक, रा0स0वि0
22	22	श्री राकेश कुमार गौतम, चालक, रा0स0वि0
23	23	श्री नयन सिंह, चालक, रा0स0वि0
24	24	श्री अनूप यादव, चालक, रा0स0वि0
25	25	श्री जीवन लाल तिवारी, चालक, रा0स0वि0
26	26	श्री हरीकृष्ण, चालक, रा0स0वि0

क्रमांक	गैराज संख्या	आवंटी का नाम
27	27	श्री गंगा प्रसाद साहू, चालक, रा0स0वि0
28	28	श्री जैदी, चालक, रा0स0वि0
29	29	श्री द्वीप प्रकाश, चालक, रा0स0वि0
30	30	श्री पूरन सिंह, चालक, रा0स0वि0
31	31	श्री राम बाबू गुप्ता, चालक, रा0स0वि0

दारुलशफा विधायक निवास-1 खण्ड सी ब्लाक में आवंटित गैराजों की अद्यतन स्थिति

क्रमांक	गैराज संख्या	आवंटी का नाम
1	01	श्री भगेलू राम, सदस्य, विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दारुलशफा विधायक निवास-2 पुराना में आवंटित गैराजों की अद्यतन स्थिति

क्रमांक	गैराज संख्या	आवंटी का नाम
1	01	श्री रियाज अहमद, सदस्य, विधान सभा
2	02	श्री होराम, सदस्य, विधान सभा
3	03	श्री रमेश यादव, सदस्य, विधान परिषद्
4	04	श्री नसीरुद्दीन, सदस्य, विधान सभा
5	05	वर्तमान में रिक्त है
6	06	श्री शेर बहादुर, सदस्य, विधान सभा
7	07	श्री यशवन्त सिंह, सदस्य, विधान परिषद्
8	08	मो0 इशहाक, पत्रकार
9	09	वर्तमान में विधायक निवास-2 नया के भण्डार के रूप में उपयोग किया जा रहा है।
10	10	श्री कैलाश सिंह राजपूत, सदस्य, विधान सभा
11	11	श्री घूराराम, सदस्य, विधान सभा
12	12	श्री शब्बीर अहमद, सदस्य, विधान सभा
13	13	श्री शिवगतुल्ला अंसारी, सदस्य, विधान सभा
14	14	श्री अब्दुल मन्नान, मा0 मंत्री
15	15	श्री मो0 आजम खां, सदस्य, विधान सभा
16	16	श्री दुर्गा प्रसाद यादव, सदस्य, विधान सभा
17	17	श्री मोख्तार अंसारी, सदस्य, विधान सभा
18	18	श्री कमला प्रसाद यादव, सदस्य, विधान परिषद्
19	19	श्री उदय राज यादव, सदस्य, विधान सभा
20	20	श्री पशुपति नाथ मिश्र, सदस्य, विधान सभा
21	21	श्री संतलाल जायसवाल, पत्रकार
22	22	श्री आरिफ अनवर हाशमी, सदस्य, विधान सभा
23	23	श्री अनीस अहमद खां, मा0 मंत्री
24	24	श्री सुभाष चन्द्र यादव, सदस्य, विधान परिषद्
25	25	श्री लल्लन प्रसाद, सदस्य, विधान परिषद्

विधायक निवास-3 ओ0सी0आर0 में आवंटित गैराजों की अद्यतन स्थिति

क्रमांक	गैराज संख्या	आवंटी का नाम
1	04	श्री उदय लाल मौर्य, मा0 विधायक
2	05	श्री मुन्ना सिंह चौहान, मा0 विधायक
3	06	श्री महेश त्रिवेदी, मा0 विधायक
4	07	श्री माता प्रसाद पाण्डेय, मा0 विधायक
5	08	श्री जगदीश नारायण राय, मा0 विधायक
6	09	श्री कैलाश सिंह, मा0 विधायक
7	10	श्रीमती ज्ञानवती, सूचना अधिकारी
8	11	श्री हरपाल सिंह सैनी, मा0 विधायक
9	12	श्रीमती भारती सिंह, अधिकारी, सचिवालय
10	13	श्री विजय पाल सिंह, मा0 विधायक
11	14	श्री भरत त्रिपाठी, मा0 विधायक
12	15	श्री श्याम नन्दन सिंह, मा0 विधायक
13	16	श्रीमती गीता सिंह, पत्रकार
14	17	श्री प्रमोद कुमार सिंह, मा0 विधायक
15	18	श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, मा0 विधायक
16	19	श्रीमती कृष्णा राज, मा0 विधायक
17	20	श्री अजय यादव, मा0 विधायक
18	21	श्री अनिल कुमार, मा0 विधायक
19	पी-2	श्री उदय मोहन, पत्रकार
20	पी-4	श्री जलील खां, मा0 विधायक
21	पी-5	श्रीमती कुमकुमधर, अधिकारी
22	पी-6	श्री राज कुमार गौतम, मा0 विधायक
23	पी-7	श्री अयोध्या प्रसाद तिवारी, अधिकारी
24	पी-8	श्री अनिल मौर्य, मा0 विधायक
25	पी-9	श्री शिनोद शाक्य, मा0 विधायक

विधायक निवास-4 (रायल होटल) में आवंटित गैराजों की अद्यतन स्थिति

क्रमांक	गैराज संख्या	आवंटी का नाम
1	01	श्री ओम प्रकाश शर्मा, एम0एल0सी0
2	02	श्री अनूप कुमार, मा0 विधायक
3	03	श्री सुरेश कुमार तिवारी, मा0 विधायक
4	04	श्री नरेश पोरवाल, अधिकारी
5	05	मो0 इकबाल, मा0 विधायक
6	06	श्री राज बहादुर सिंह चन्देल, एम0एल0सी0
7	07	श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, मा0 विधायक
8	08	श्री रंजीत सिंह, ऐम0एल0सी0
9	09	श्री जावेद अंसारी, मा0 विधायक
10	10	श्री हाजी याकूब कुरैशी, मा0 विधायक
11	11	श्री राजेश कुमार गौतम, मा0 विधायक
12	42 ए	श्री श्याम सुन्दर शर्मा, मा0 विधायक
13	57 ए	श्री विरजू राम, मा0 विधायक
14	58 ए	श्री जगदीश सोनकर, मा0 विधायक
15	61 ए	श्री शिवशंकर चौहान, मा0 विधायक

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधायक निवास-5 (मीराबाई मार्ग) में आवंटित गैराजों की अद्यतन स्थिति

क्रमांक	गैराज संख्या	आवंटी का नाम
1	01	विद्युत स्टोर
2	02	श्री बदलू, चालक, राज्य सम्पत्ति विभाग
3	03	श्री ए0के0 त्रिपाठी, ए0आर0टी0ओ0
4	04	श्री अंकित मिश्र, चालक, राज्य सम्पत्ति विभाग
5	05	श्री रमापति उपाध्याय, चालक, राज्य सम्पत्ति विभाग
6	06	सिविल स्टोर अनुरक्षण खण्ड-3
7	07	श्री विसम्भर लाल, चालक, राज्य सम्पत्ति विभाग
8	**08**	**श्री विवेक वंसल, मा0 विधायक**
9	09	श्री मुरली राम, चालक, राज्य सम्पत्ति विभाग
10	10	श्री राम चन्दर, चालक, राज्य सम्पत्ति विभाग
11	11	श्री सतीश शर्मा, चालक, राज्य सम्पत्ति विभाग
12	12	श्री शिवशंकर, चालक, राज्य सम्पत्ति विभाग
13	13	श्री पप्पू, चालक, राज्य सम्पत्ति विभाग
14	14	श्री रामचरन, चालक, राज्य सम्पत्ति विभाग
15	**15**	**डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, मा0 विधायक**
16	16	श्री प्रताप सिंह, चालक, राज्य सम्पत्ति विभाग
17	17	श्री सुरेश सिंह, चालक, राज्य सम्पत्ति विभाग
18	18	श्री दुलार कुमार चौबे, चालक, राज्य सम्पत्ति विभाग
19	19	श्री रहवीर सिंह, चालक, राज्य सम्पत्ति विभाग
20	20, 21	विद्युत बसवार (मशीन)

विधायक निवास-6 (पार्क रोड) में आवंटित गैराजों की अद्यतन स्थिति

क्रमांक	गैराज संख्या	आवंटी का नाम
1	एम-1	श्री अनुग्रह नारायण सिंह, मा0 विधायक
2	एम-2	श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल, मा0 विधायक
3	एम-3	श्री उदयभान करवरिया, मा0 विधायक
4	एम-4	श्री मनमोहन, पत्रकार
5	एम-5	श्री राम शिरोमणि शुक्ल, मा0 विधायक
6	एम-6	श्री विश्वनाथ, मा0 विधायक
7	एम-7	श्री राम नरेश रावत, मा0 विधायक
8	एम-8	श्री वारिश अली, मा0 विधायक
9	एम-9	श्री अशोक राणा, मा0 विधायक
10	एम-10	डा0 वकार अहमद शाह, मा0 विधायक
11	एम-11	श्री उमाशंकर त्रिपाठी, ब्यूरो प्रमुख
12	एम-12	श्री गजेन्द्र सिंह, मा0 विधायक
13	एम-13	श्री आर0के0 गोस्वामी, मा0 विधायक
14	एम-14	भण्डार, लो0नि0वि0 (विद्युत)
15	एम-15	श्री गणेश शंकर पाण्डेय, मा0 विधायक
16	एम-16	श्री अरविन्द मोहन गोप, मा0 विधायक
17	एम-17	श्री अरुण कुमार यादव, मा0 विधायक
18	एम-18	सुश्री नायला किदवई, ब्यूरो चीफ
19	एम-19	श्री श्रीपति आजाद, मा0 विधायक
20	एम-20	व्यवस्थाधिकारी, भण्डार
21	एम-21	व्यवस्थाधिकारी, भण्डार
22	एम-22	श्री राम सागर अकेला, मा0 विधायक
23	एम-23	श्री सुरेश्वर सिंह, मा0 विधायक

नत्थी "ख"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-77 का उत्तर पीछे पृष्ठ 75 पर)

क्र0सं0	मार्गों का विवरण
1	ग्राम भदेही से शिवाला से लेकर मजरा फतेहपुर तक।
2	ग्राम चाहर के पास अरविन्द नदी पर 3X6 मी0 लघु पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण।
3	सिरसागंज मैनपुरी मार्ग से नगला हवेली सम्पर्क मार्ग।
4	कल्होर, विधूना मार्ग से दरवाह हाजीपुर बल्हेता सम्पर्क मार्ग।
5	दन्नाहार दरवाह मार्ग से नगला मदारी सम्पर्क मार्ग।
6	कलहोर दरवाह मार्ग से कनिकपुर सम्पर्क मार्ग।
7	इटावा नहर ब्रान्च से नगला बांध सम्पर्क मार्ग।
8	घिरोर कुरावली मार्ग से ठाकुर पुर सम्पर्क मार्ग।
9	गांगसी से नगला हरीसिंह सम्पर्क मार्ग।
10	हरैना से खपदा सम्पर्क मार्ग।
11	मैनपुरी ज्योति मार्ग कि0मी0 7 से सन्तपुर मार्ग।
12	लखौरा पहाड़पुर कि0मी0 1 से बलीपुर सम्पर्क मार्ग।
13	दूल्हापुर बल्लमपुर मार्ग औछा कि0मी0 4 से ईसाई हीरापुर सम्पर्क मार्ग।
14	घिरोर मार्ग बाईपास से नगला जमुनिया सम्पर्क मार्ग।
15	घनश्याम मार्ग से खीरिया सम्पर्क मार्ग।
16	मैनपुरी इटावा मार्ग से नगला भिउनी वाया रुपपुर सम्पर्क मार्ग।
17	घिरोर जसराना मार्ग कि0मी0 5 से गुडेला सम्पर्क मार्ग।
18	नहिली से नगला मंशा सम्पर्क मार्ग।
19	घिरोर पचावर मार्ग कि0मी0 6 से अल्लापुर सम्पर्क मार्ग।
20	मधुपुर से नगला फस्ती सम्पर्क मार्ग।
21	फेजपुर से हाजीगंज वाया हिम्मतपुर नगला कंचन मार्ग।
22	मैनपुरी औंछा कि0मी0 19 से रम्पुरा सम्पर्क मार्ग।
23	बेवर इटावा मार्ग से नगला अखे मार्ग।
24	बेवर इटावा मार्ग से खिजरपुर मार्ग।
25	शमसेरगंज लैगांव मार्ग से बरुआहार मार्ग।
26	गग्गरवाला नगला बाल मार्ग से प्रयागपुर मार्ग।
27	मैनपुरी कुसमरा मार्ग से ईसईपुर दिखतमई मार्ग।

क्र0सं0	मार्गों का विवरण
28	हिन्दूपुर भारापुर मार्ग।
29	जासमई मार्ग से नगला रुद्रपुर मार्ग।
30	बेवर फर्रुखाबाद मार्ग से नगला मढ़ैया मार्ग।
31	भोगांव रजवाना मार्ग से जसवंतनगर मार्ग।
32	जलालपुर बरौली मार्ग से निजामपुर मार्ग।
33	मेरापुर छदामी जलालपुर मार्ग से नगला दण्डे मार्ग।
34	जी0टी0 मार्ग से बागपुर मार्ग से महादिया मार्ग।
35	बलारपुर मार्ग से कटका मार्ग।
36	मानिकपुर कल्याणपुर मार्ग से छतुरीबरी मार्ग।
37	बेवर मोटा रामनगर मार्ग से हरीनगर मढ़ैया मार्ग।
38	जी0टी0 मार्ग से रामपुर सैदपुर मार्ग।
39	रामपुर सैदपुर मार्ग से नगला जाटवान मार्ग।
40	नगला कजर सम्पर्क मार्ग।
41	नगला हरनागर सम्पर्क मार्ग।
4	नगला सुम्मेर सम्पर्क मार्ग।
4	मधुपुरी सम्पर्क मार्ग।
44	कुर्रा कोडर मार्ग से देवकली मार्ग।
45	कुर्रा कोडर मार्ग से नगला रतन मार्ग।
46	मैनपुरी फर्दपुर मार्ग कि0मी0 5 से दयालपुर सम्पर्क मार्ग।
47	बघौली चांदपुर मार्ग कि0मी0 3 चांदपुर से महराजपुर मार्ग एवं 2X6 आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण।
48	कुदाहार से देवरौली सम्पर्क मार्ग।
49	मैनपुरी सिरसागंज से नगला जंगी सम्पर्क मार्ग।
50	मोहनपुर डांडा मार्ग कि0मी0 5 से नगला भवानी वाया विजयपुर सम्पर्क मार्ग।
51	जवापुर विधूना मार्ग से नगला दशरथ वाया नगला दुर्जन सम्पर्क मार्ग।

नत्थी "ग"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-99 का उत्तर पीछे पृष्ठ 82-83 पर)

फर्म का नाम	भुगतान की गई धनराशि
(क) वर्ष 2008-09	
1-मेसर्स महेश्वरी विल्डर्स, लखनऊ	रु0 10,76,288.00
2-मेसर्स एस0आर0 विल्डर्स, लखनऊ	रु0 3,28,513.00
3-मेसर्स हैपी ट्रेडर्स लखनऊ	रु0 2,22,887.00
4-मेसर्स पाण्डेय ट्रेडर्स, लखनऊ	रु0 39,110.00
5-मेसर्स गैसेज एण्ड कम्पनी लखनऊ	रु0 1,93,965.00
6-मेसर्स काउन इलेक्ट्रिकल्स एण्ड इंजीनियरिंग वर्क्स लखनऊ	रु0 97,910.00
7-मेसर्स कैरियर एण्ड कन्डीशनिंग लि0	रु0 2,38,252.00
8-मेसर्स फ्रेन्ड्स इलेक्ट्रिकल्स लखनऊ	रु0 12,299.00
9-मेसर्स डी0के0 ट्रेडर्स, लखनऊ	रु0 1,26,177.00
10-श्री एजाज अली लखनऊ	रु0 8,13,686.00
11-मेसर्स प्रवीन कुमार, लखनऊ	रु0 12,68,674.00
12-विविध कार्यालय व्यय	रु0 60,330.00
13-मेसर्स वोल्टास लि0 लखनऊ	रु0 1,66,978.00
14-मेसर्स सूरी वेदर मेकर्स, लखनऊ	रु0 44,334.00
15-मेसर्स क्लाइमेट मेकर्स लखनऊ	रु0 65,474.00
16-टी0आई0 आफ श्री एस0पी0 त्रिपाठी (ए0ई0)	रु0 2,981.00
योग :	**रु0 47,57,858.00**
(ख) वर्ष 2009-10 (दिनांक 31-5-09 तक)	
1-मेसर्स एस0आर0 विल्डर्स, लखनऊ	रु0 54,213.00
2-मेसर्स हैपी ट्रेडर्स लखनऊ	रु0 2,51,378.00
3-मेसर्स पाण्डेय ट्रेडर्स, लखनऊ	रु0 1,16,286.00
4-मेसर्स महेश्वरी विल्डर्स, लखनऊ	रु0 63,100.00
5-मेसर्स काउन इलेक्ट्रिकल्स लखनऊ	रु0 2,880.00
6-मेसर्स वोल्टास लि0 लखनऊ	रु0 14,000.00
7-मेसर्स सूरी वेदर मेकर्स, लखनऊ	रु0 12,750.00
8-श्री एजाज अली लखनऊ	रु0 3,87,698.00
9-मेसर्स प्रवीन कुमार, लखनऊ	रु0 49,524.00
योग :	**रु0 9,51,829.00**

पीएस0यू0पी0-एल0 12 विधान सभा (13)-3-2-2010-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।